राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] दसवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का सातवां दिवस [संख्या : 5

मंगलवार,

1 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री शांति कुमार धारीवाल।

प्रदेश में बायोगैस कार्यक्रम

92. **शांती कुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में बायोगैस को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बायोगैस सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत उपभोक्ताओं ने कम रुचि दिखाई है ? यदि हां, तो क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) प्रदेश में बायोगैस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(अ) अब बायोगैस योजना केवल सघन जिला पद्धति (Intensive District Basis) आधार पर लागू की जा रही है।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। प्रश्नों के उत्तर अभी तक नहीं आये हैं। पिछली बार भी आपने कहा और एट टाइम पर अगर आयेंगे तो हम तैयारी नहीं कर पायेंगे। लाबी में प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल : 11 बजने में अभी 5 मिनट पहले उत्तर मिला था।

श्री किशनगोपाल कोगटा : अभी मेरे को उत्तर मिला ही नहीं है। मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को नहीं मिला है।

श्री अमरा राम (धोद) : अभी मेरा दूसरा ही प्रश्न है। अभी मिला ही नहीं है। यह मेरा दूसरा ही प्रश्न है। अभी उत्तर मिला ही नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मेरा 99 है।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : मेरा 102 है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के उत्तर 10 बजे आये हैं, उसके पहले आये नहीं थे इसीलिए लेट हुए मेरे ख्याल से। उत्तर आ रहे हैं। (व्यवधान) हां, मंत्रीजी, बोलिये।

श्री अनंग कुमार जैन : (ब) लाभान्वितों के चयन में सावधानी बरती जा रही है। ऐसे लाभान्वितों का ही चयन किया जाता है, जिनके पास पशु और पानी की उपलब्धता निश्चित हो तथा बायोगैस संयंत्र लगवाने की रुचि रखते हों।

(स) बड़ी क्षमता के बायोगैस संयंत्रों के बजाय 2 से 3 घन मीटर क्षमता के संयंत्र लगाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

(द) बन्द बायोगैस संयंत्रों को पुनः चालू कराने के कार्य को विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

(य) बायोगैस योजना में स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

(र) बायोगैस योजना को महिलाओं में लोकप्रिय बनाने के लिए उपभोक्ता प्रशिक्षण शिविरों को जगह-जगह पर आयोजित किया जा रहा है।

(ल) बायोगैस की खाद को लोकप्रिय बनाने के लिए खाद प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं।

(2) भारत सरकार द्वारा प्रदेश को वर्षवार जितने भी लक्ष्य आबंटित किये जाते हैं, उन्हें प्राप्त कर लिया जाता है। अतः कहना उपयुक्त न होगा कि उपभोक्ताओं ने कम रुचि दिखाई है। इसके साथ बायोगैस योजना में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उपभोक्तानुसार कदम उठाये गये हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, बायोगैस संयंत्र एनर्जी नान-कन्वेंशनल सोर्स है और एनर्जी के जितने भी वैकल्पिक/नवीनीकरण योग्य साधन हैं, उनमें सबसे ज्यादा सरल और आसान लगने योग्य है। गोबर मौजूद है, पर्याप्त भूमि मौजूद है, जल मौजूद है और लगाने वाले मौजूद हैं लेकिन लगवाने वालों का जो चयन है वह इतना डिफेक्टिव है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अन्धाधुन्ध चाहे जहां पर भी संयंत्र स्थापित कर दिये जाते हैं और अलोकप्रिय होने का कारण सिर्फ यही है। कुल ऊर्जा का 64 प्रतिशत भाग घरेलू कामों में खर्च हो जाता है।....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ?

श्री शांती कुमार धारीवाल : मेरे सवाल पर ही आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सवाल ही पूछिये। अलोकप्रिय नहीं है, यह तो उन्होंने बता दिया है। अब आप सवाल पूछिये, क्या है आपका ?

श्री शांती कुमार धारीवाल : उन्होंने बताया है कि लोकप्रिय है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल : जवाब में लिखा हुआ है, मैं पढ़ कर बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष : न लोकप्रिय है, न अलोकप्रिय है। यह जितने लगाते हैं लग जाते हैं, यह है।

श्री शांती कुमार धारीवाल : सवाल यह है कि 21वीं शताब्दी में जब हम दहलीज पर कदम रखेंगे तो जो····

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह भाषण दे रहे हैं, प्रश्न तो है नहीं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल : आज 90 प्रतिशत गांवों में चूल्हे, लकड़ी और गोबर से जलते हैं और उस समय लकड़ी की आवश्यकता कम से कम 20 करोड़ टन होगी जबकि उपलब्धता सिर्फ 5 करोड़ टन होगी। गांवों में न तेल मिलता है और न कोयला उपलब्ध हो पाता है, ऐसी सूरत में इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना परम आवश्यक है। मेरा अर्ज करना यह है कि जब....

श्री अध्यक्ष : आप सुझाव दीजिये ना। आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो सुझाव दीजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल : मैं सुझाव पर ही आ रहा हूं। मैं जवाब भी दे रहा हूं और सवाल भी पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप न सवाल पूछ रहेहैं....

श्री शांती कुमार धारीवाल : लेकिन यह तो पहला प्रश्न है। इतना टाइम मैं ले नहीं रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम....

श्री अध्यक्ष : हां, आप सवाल पूछिये। देखिये, यह प्रश्नकाल है। आपने भूमिका बना दी, ठीक है, आप स वा पूछिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल : यह प्रश्नकाल है, इसका तो मुझे भी ध्यान है। मैंने प्रश्न लगाया है, तो मेरा अर्ज करना यह है कि कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए यह देखना होगा कि मिट्टी की क्या दशा है, पर्याप्त मात्रा में गोबर है कि नहीं पशुधन है कि नहीं और भूमि भी उपलब्ध है कि नहीं। लगाने वालों की इतनी रुचि है कि नहीं और उसका प्रशिक्षण दिया गया कि नहीं दिया गया। इन सब बातों को देखते हुए मेरा पहला प्रश्न यह है कि इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए जो केन्द्रीय सहायता मिलती है तथा टर्न की फीस और नकद प्रोत्साहन, इसके साथ-साथ मरम्मत के लिए पैसा मिलता है और इसके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए पैसा मिलता है। वह 1992–93 में कितना मिला और 1993–94 में कितना मिला ? इसके साथ ही साथ मूल्यांकन सर्वेक्षण अध्ययन करवाया गया उसकी क्या रिपोर्ट है और उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? एक प्रश्न तो मेरा यह है, बाकी प्रश्न मैं बाद में पूछूंगा।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में भी यह

(श्री अनंग कुमार जैन)

निवेदन किया है कि इसको सघन जिलों के आधार पर लागू किया गया है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो लोग रुचि रखते हैं उनका इसमें चयन किया जाता है और उनको इस योजना के तहत लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है। अब बायोगैस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा, दूसरा, जिनके पास रोजगार नहीं है उन कार्यकर्ताओं की भागीदारी हम इसमें बढ़ा रहे हैं और उसके लिए जिला स्तर पर 50,000 रुपये का रिवाल्विंग फण्ड भी रखा गया है। कोई भी स्वयसेवी संस्था यदि आगे आकर इस कार्य को करना चाहे तो उस रिवाल्विंग फण्ड में से बिना किसी इंतजार किये उनको पैसा दे दिया जाता है और उसके बाद में जब सब्सिडी दी जाती है तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है। जब यह योजना 1981–82 में चालू हुई तो शुरू के 1–2 साल में जैसा माननीय सदस्य फरमा रहे हैं कि कई जगह संयंत्र ठीक नहीं लग पाये, कई जगह कुछ दिक्कतें भी आयीं लेकिन अब लगातार यह फालो किया जा रहा है कि जो संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं उन्हें फालो-अप भी किया जाये। जो भी संयंत्र खराब हो जाते हैं उनको विभाग द्वारा तत्काल ठीक कराने के लिए विभाग से ही पैसा खर्च किया जा रहा है और उनको ठीक कराने का प्रावधान रखा गया है।

श्री शांती कुमार धारीवाल : मैंने मूल्यांकन सर्वेक्षण द्वारा जो अध्ययन करवाया गया है उसकी रिपोर्ट की जानकारी चाही है। मेरा आपसे पहला प्रश्न यह है।

श्री अनंग कुमार जैन : वह ही बता रहा हूं आपको।

श्री शांती कुमार धारीवाल : जो अध्ययन करवाया गया है उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अनंग कुमार जैन : उसी के लिए मैंने आपको बताया है कि रिवाल्विंग फण्ड जो बनाया है वह भी इसीलिए बनाया है। उसके माध्यम से जो संयंत्र खराब पड़े हैं या बन्द हुए संयंत्र हैं उनको भी ठीक करवाया जाये और जो टर्न की फीस 500 रुपये रखी गयी है वह फीस भी लगातार दी जाती है। गांवों के अन्दर जो हमारी एजेन्सी है डी. आर. डी ए. पंचायत समितियों की, वह लगातार यह प्रयास करती है और जो संयंत्र खराब पड़े हैं उनको ठीक कराया जायें। पिछले 2–3 वर्षों में काफी संयंत्र बन्द पड़े थे उनको ठीक कराया गया है।

दूसरा, इसके अन्दर दो तरह के संयंत्र लगाये जाते हैं। एक ईंटों के माध्यम से बनाया जाता है तथा दूसरा ड्रम के माध्यम से बनाया जाता है। जो सूचना आपको मिली है, शुरू-शुरू में ईंटों के माध्यम से जो संयंत्र लगाये गये थे, वे ज्यादा खराब हुए लेकिन अब ड्रम वाले संयंत्र लगाते जाते हैं वे काफी सक्सेसफुल हैं। जो ड्रम वाले संयंत्र लगाते हैं उसको सब्सिडी दी जाती है, उसके अलावा 1,000 रुपया एक्स्ट्रा विभाग की ओर से दिया जाता है।

(श्री अनंगकुमार जैन)

इसलिए विभाग पूर्ण रूप से सजग है और इस योजना की सजगता से लगातार मानीटरिंग की जाती है और खराब सयंत्रों को ठीक करवाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : दूसरा सवाल ।

श्री शांतीकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां पर चुस्त जिला अधिकारी थे, जन-प्रतिनिधि ने रुचि ली और जहां-जहां फिजिकल वेरीफिकेशन किया गया उसमें 100 में से 15 से ज्यादा कहीं पर भी सयंत्र चालू हालत में नहीं पाये गये । सर्वेक्षण की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई, मैं नहीं कहता कि इसमें क्या था, क्या नहीं था लेकिन यह हकीकत है और यही कारण है कि यह सारा कार्यक्रम····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसका असली कारण है, जो संयंत्र को चलाना सीख जाते हैं वहां वह बेनिफिशियल हैं और टेक्निक जहां आप सिखाते नहीं है या सीखता नहीं है वहां वह फेल है, सीधी-सी बात है ।

श्री शांतीकुमार धारीवाल : इसके साथ ही साथ जिस भूमि का चयन किया जाता है वहां पर यह नहीं देखा जाता कि उसके पास उचित पशुधन है कि नहीं, पर्याप्त पशुधन है कि नहीं है या इसको चलाने ····(व्यवधान) ये सब कारण हैं । इन सब कारणों से····

श्री अध्यक्ष : हां, वह ठीक है । वह बता दी है उन्होंने । बिराजिये । श्री हरजी राम जी ।

श्री शांतीकुमार धारीवाल : मेरा एक सवाल और है ।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया है ।

श्री शांतीकुमार धारीवाल : नहीं, अभी मेरा सवाल कहां हो गया । न तो सवाल का जवाब आया ।

श्री अध्यक्ष : आपने इतनी देर में सवाल नहीं पूछा ?

श्री शांतीकुमार धारीवाल : नहीं, वह तो सवाल कहां था, यहां पर आपने एक कारण और फरमा दिया, मैंने उसके साथ दो कारण और जोड़ दिये ।

श्री अध्यक्ष : तो जब मैं कहता हूं कि आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं तब तो कहते हैं सवाल पूछ रहा हूं और आप खुद ही कह रहे हैं, मेरा सवाल नहीं हुआ है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा सैकिण्ड प्रश्न यह है, मंत्री महोदय ने टालने की कोशिश की है, जितने संयंत्र की स्थापना हुई है उनकी सर्विस के लिए और उनकी पूर्ण उपयोगिता के लिए कौनसी ऐसी एजेंसी है जो उत्तरदायी है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । हरजीराम जी । ····(व्यवधान) सब का जवाब साथ ही आ जायेगा । इसके वे ही सवाल होंगे, नये सवाल तो होंगे नहीं । सुझाव ज्यादा आयेंगे, सवाल कम आयेंगे । वही ज्यादा उपयोगी है ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में भारत सर-

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कार ने सेंट-पर्सेंट सब्सिडी दी है इसीलिए इसको चलाया जा रहा है । वास्तव में जो सेंटर आज तक लगे हैं उनमें 90 पर्सेंट खराब हालत में मिलेंगे और 10 पर्सेंट मुश्किल से चालू मिलेंगे । हर साल टार्गेट पूरा करने के लिए नये-नये संयंत्र लगाये जाते हैं और पिछले वाले चलते हैं या नहीं चलते हैं इस बात को देखने के लिए कोई साधन नहीं हैं क्या मंत्री महोदम बतायेंगे की आज की तारीख में जो संयंत्र पहले लगे हैं वे कितने पर्सेन्ट चालू हैं ? क्या आपको इस बात की जानकारी है ? अगर जानकारी नहीं की है तो आप जानकारी करके इस बात को बतावें ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल जी ।

श्री हीरालाल इन्दोरा (केसरी सिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बायोगैस कार्यक्रम के अन्तर्गत जितने संयंत्र गांवों में लगाये गये हैं उनमें लगभग 80 प्रतिशत खराब पड़े हैं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा था । माननीय मंत्रीजी ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर जो बन्द पड़े हैं उनको चालू करवायेंगे । तो उसका क्या आधार है ? क्योंकि बार-बार डी. आर. डी ए. की मीटिंग में यह मामला उठाया जाता है तो यही कहा जाता है कि ठीक करवाये जायेंगे लेकिन उसका कोई निश्चित तरीका या रास्ता अभी तक सरकार की तरफ से नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या बायोगैस प्लान्ट्स गांवों के अन्दर पंचायत समिति के द्वारा ठेके पर लगाये जाते हैं और क्या जो बायोगैस प्लान्ट अपने घर पर लगवाना चाहता है उसको आधा खर्चा स्वयं को वहन करना पड़ता है ? क्या एक कारण यह नहीं है कि पंचायत समितियों द्वारा जो बायोगैस प्लान्ट लगाये जाते हैं उनमें माल घटिया होता है ? ठेकेदार काम चलाऊ व्यवस्था करके अपनी ड्यूटी पूरी कर लेता है । क्या यह कारण भी नहीं है कि 50 पर्सेन्ट अनुदान उसे स्वयं करना पड़ता है, जो वह लगाने में सक्षम नहीं है । इसलिए जिन लोगों को आप चुनते हैं पंचायत समिति की तरफ से, उनमें कई ऐसे आदमी होते हैं जिनको वास्तव में आवश्यकता ही नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : आप पूछ रहे हैं ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमांत क्षेत्र में बायोगैस संयंत्र बहुत पापूलर हो सकते हैं । राज्य सरकार द्वारा जो सिंचित इलाके हैं उन इलाकों में इन बायोगैस संयंत्रों को पापूलर करने के लिए अधिक अनुदान राशि दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी । (व्यवधान) क्या आप भी पूछ रहे हैं ?

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो बायोगैस संयंत्र लगाते हैं, उसके बारे में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह ड्रम सिस्टम है या सीमेंट चुनाई करके बायोगैस संयंत्र को लगाया जाता है ? दूसरी बात यह है, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो

(श्री फतेह सिंह)

बायोगैस संयंत्र लगाये हैं, वहां पर लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो रही है। इसका कारण यह है कि सिर्फ सीमेंट ही उनको दे देते हैं और बाकी का मैटीरियल स्वयं वह व्यक्ति लगाता है। आधा पैसा उस व्यक्ति का खर्च होता है। तो क्या कारण है कि ड्रम के बजाय सीमेंट वाला लीकेज हो जाता है? मैंने स्वयं ने लगाया था वह भी फैल हो गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसमें कोई सुधार कराया जाये और जिस तरह से गुजरात में ड्रम सिस्टम है और ड्रम से ही उसको चलाया जाता है वह अगर यहां पर लागू किया जाये तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, बायोगैस संयंत्र जितने भी ....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनको तो जरूरत नहीं है, यह शहर में बैठे हैं।

अभी तक बायोगैस संयंत्र जितने भी लगे हैं उनमें अधिकांश खराब हैं। मेरे जिले में तो 90 प्रतिशत से ज्यादा खराब हैं उनको सर्वाइव करने की सरकार ने अब तक कोई ठोस नीति नहीं अपनाई। उसमें क्या तकनीकी खराबी है या लोगों की उसमें अरुचि क्यों है या गोबर नहीं है या बिजली गांवों में पहुंच जाने के कारण उनको उसकी आवश्यकता नहीं है, इसका जिलेवार सर्वेक्षण कराने की नीति है या नहीं है? अन्यथा सरकार का जो पैसा बायोगैस संयंत्र पर खर्च हो रहा है, इस योजना को बन्द कर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में भी मेरे उत्तर में निवेदन किया था कि दोनों सिस्टम के बायोगैस संयंत्र लगाये जा रहे हैं। जैसा माननीय सदस्य ने फरमाया कि ड्रम वाला सिस्टम ज्यादा बैटर रहता है, विभाग का भी यही मानना है और हमारा भी यही कहना है कि ड्रम वाले सिस्टम से बायोगैस संयंत्र लगाये जा रहे हैं वह ज्यादा अच्छे हैं। परन्तु उसमें खर्चा अधिक आता है, इसलिये विभाग द्वारा इस संयंत्र को लगाने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसमें ड्रम वालों को एक हजार रुपये और एक्सट्रा सब्सिडी अलाउ कर रखी है। राज्य सरकार हमेशा इस प्रयास में है कि जो संयंत्र गांवों के अन्दर स्थापित हों वे अच्छे तरीके से स्थापित हों और लगातार चालू रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों के अन्दर सरकार ने इनकी लगातार मानीटरिंग करके और अधिकारियों के माध्यम से जांच करवा कर 7,900 यानि कि इतनी बड़ी संख्या में इनको ठीक कराया है। जो 7,900 संयंत्र थे उनको चालू स्थिति में लाये हैं। उसके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो संयंत्र बन्द होते हैं उनकी मरम्मत के लिए प्रत्येक संयंत्र पर 400 रुपया सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है यदि वे दो साल तक उन संयंत्रों को चालू रखें तो सौ रुपया प्रथम किश्त का उनको दिया

(श्री अनंगकुमार जैन)

जाता है, 50 रुपया द्वितीय किश्त का उनको दिया जाता है।

दूसरा, इस योजना की लोगों के अन्दर और रुचि बढ़ाने के लिए जगह-जगह जिला स्तर पर पंचायत समिति स्तर पर होने वाले स्थानीय मेलों में पोस्टर, पम्पलेट बांट कर इस योजना की जानकारी दी जाती है और जानकारी मिलने से लोगों के अन्दर इसकी रुचि और बढ़ रही है। महिलाओं में इस योजना की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ग्राम स्तर पर उपभोक्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं। विभिन्न अभिकरणों द्वारा अब तक 587 उपभोक्ता शिविर आयोजित किये जाते हैं, जिसमें वर्ष 1992-93 में भी 27 उपभोक्ता शिविर आयोजित किये गये हैं। तो लगातार, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के माध्यम से इन संयंत्रों को ठीक रखने के लिए....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने बताया कि 7 हजार से ऊपर ठीक करा दिये गये हैं। क्या कृपया उनकी आप जिलेवार सूची उपलब्ध करायेंगे? अध्यक्ष महोदय, उनमें से 70 भी चालू नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, जितने भी संयंत्र लगे हैं, उनमें से 10% भी चालू नहीं है और अगर कोई चालू हैं तो भ्रष्टाचार का संयंत्र चालू है।

श्री अनंगकुमार जैन : 1985-86 से 1989 के अन्दर जो संयंत्र लगे थे वे जब कांग्रेस सरकार थी उस वक्त के ही बन्द पड़े हैं। हमने 3 साल पहले, पिछली बार जब हमारी सरकार थी लगातार प्रयास करके 7,900 संयंत्रों को ठीक करवाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 93।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

93. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय सीकर में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को शिक्षा सत्र वर्ष 1993-94 की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो छात्रवृत्ति का भुगतान अब कब तक कर दिया जायेगा?

(2) राजस्थान में उपरोक्त छात्रवृत्ति का वितरण कितने कालेजों में कर दिया गया है तथा कितने कालेजों में अभी तक नहीं किया गया है? अब कब तक छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष : पोस्ट पोण्ड है। नैक्स्ट, श्री भरत सिंह।

श्री अमराराम : अध्यक्ष महोदय, पोस्ट पोण्ड का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष : पोस्ट पोण्ड का कारण है कि आपने पूरे राजस्थान के कालेजों की सब की संख्या मांग ली।

श्री अमराराम : नहीं, मैंने सीकर का पूछा था कि सीकर में छात्रवृत्ति बंटी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपका दूसरा भाग बड़ा विस्तृत है।

श्री अमराराम : अध्यक्ष महोदय, जो स्कालरशिप पढ़ने के लिए दी जाती है (व्यवधान)....एग्जाम आ गये।

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में लग रहा है। इसी सत्र में लगेगा। आप बैठिये।

श्री अमराराम : बैठने के लिए तो बैठ जाऊंगा। जो विद्यार्थियों के लिए स्कालरशिप दी जाती है उसी का नहीं बता सकते। साल का अन्त आ रहा है एवं मार्च में एग्जाम शुरू होंगे।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : आज मुंह बन्द करो मंत्रीजी का। क्यों पोस्टपोन किया, खड़े होकर बताइये ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। हो गया आपका, जल्दी लगवा देंगे।

श्री अमराराम : अगले चरण में लग जायेगा, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : हां, लग जायेगा।

ग्रिड सब-स्टेशन, सांगोद

94. **श्री भरत सिंह** (खानपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सांगोद जी. एस. एस. को किस वर्ष में चालू किया गया था तथा इस पर लगे ट्रांसफार्मर, जिससे सांगोद को विद्युत सप्लाई की जाती है, की कुल क्षमता कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष विद्युत भार अधिक होने के कारण यह ट्रांसफार्मर जल गया था ? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा यहां एक अन्य नया ट्रांसफार्मर लगाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कितनी क्षमता का तथा कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रघुवीर सिंह कौशल) :

(1) सांगोद जी.एस.एस. वर्ष 1985 में चालू किया गया था। इस सब-स्टेशन पर 10/12.5 एम. वी. ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।

(2) सांगोद में स्थापित ट्रांसफार्मर अधिक विद्युत भार के कारण नहीं अपितु तकनीकी खराबी के कारण खराब हो गया था जिसे मरम्मत हेतु निकाल कर उसके स्थान पर समान क्षमता का 10/12.5 एम. वी. ए. का ट्रांसफार्मर दिनांक 18-12-93 को लगा दिया था।

श्री भरत सिंह : मान्यवर, इसमें माननीय मंत्रीजी ने यह बताया है कि 1985 से यह ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। 20 साल से यहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और पता ही नहीं। या तो खराब हो सकता है, आप इसको चैक करवा लें, 10/12.5 का जो ट्रांसफार्मर है उसकी तुलना में आज उस पर 23.10 एम. वी. ए. का लोड है जो उसकी क्षमता से दुगुना है और इस ओवर-लोडिंग के कारण ही ट्रांसफार्मर जल गया। एक महीने तक बिजली की अव्यवस्था रही और आज इस ट्रांसफार्मर के जल जाने के बाद सांगोद और खानपुर क्षेत्र में जहां से ट्रांसफार्मर से बिजली फीड की जाती है,

(श्री भरत सिंह)

आठ घंटे बिजली देने की बात है वह बिजली दे ही नहीं सकते क्योंकि ट्रांसफार्मर क्षमता ही नहीं है। मैंने इसीलिए प्रश्न किया था कि यहां पर जब उससे दुगुनी क्षमता का लोड इस ट्रांसफार्मर पर है तो क्या यहां पर यह ट्रांसफार्मर जो रिपेयर किया है, इसके अतिरिक्त आपका वहां पर नया ट्रांसफार्मर इस क्षमता का लगाने का विचार है या नहीं ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पीक सीजन में 10/12 एम. वी. ए. से ज्यादा भार नहीं आता। माननीय सदस्य आप, सुन लीजिए, मैं जवाब के लिए जवाब नहीं दे रहा हूं। अभी 132 के. वी. का सब स्टेशन कवाई में बन गया है, इसका कुछ भार उधर ट्रांसफर कर दिया गया है और कुछ और कर दिया जायेगा। मैं माननीय सदस्य की भावना की कद्र करता हूं। यह ट्रांसफार्मर जब खराब हुआ था तो जितना प्रयास आपने किया था उतना ही प्रयास मैंने भी किया था कि तत्काल ठीक होकर लगना चाहिए या दूसरा बदला जाना चाहिए। मैं इस बात की जांच कराऊंगा जो आपने कहा है कि....

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : यह क्षेत्रवाद है। कोटा आया तो कह दिया कि बहुत अच्छा हुआ।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह क्षेत्रवाद नहीं है, यह विकास की बात है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय खेतसिंह जी, हर सही बात की कद्र की जायेगी। आप कोई सही बात तो कहें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो सही कहते हैं, हमको बिजली मिलती ही नहीं है। हम तो टेल एण्ड पर हैं। कोई चिन्ता नहीं, आप कभी दौरा करते नहीं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप इनकी बिजली ठीक करा देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने सही कहा कि भावना की कद्र करता हूं, हमारी भावना जाये जहन्नुम में।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात मत करिए। अभी दूसरा सवाल चल रहा है और आधा घण्टा हो गया। आपने माननीय सदस्य की बात सुन ली, अब आप ठीक करवा ही रहे हैं। आपने कह दिया। नैक्स्ट, चलिए हो जायेगा। श्री खेतसिंह जी।.... (व्यवधान)....हो गया, अब करते रहिए। आपके घर का मामला है यह तो।

श्री भरत सिंह : नहीं, कोई घर का मामला नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यही मैं कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, यह आपके घर का मामला है।

श्री अध्यक्ष : अकाल मंत्री जी।

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैं माननीय मंत्रीजी की जानकारी में कुछ ऐसी बातें

(श्री भरत सिंह)

लाना चाहता हूं जो इनको खुद को पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बता देना इनको। आप बाद में बता देना।

श्री भरत सिंह : यह अगर इस बात का आश्वासन दें....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने आपकी भावना से सहमति जताते हुए आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा आश्वासन दिया है। आप जो चाहे उनको सुझाव दे दीजिए।

श्री भरत सिंह : मैं एक चीज और मंत्रीजी की नालेज में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : समस्या का समाधान करवाना है....

श्री भरत सिंह : समस्या का समाधान तो वह करेंगे ही लेकिन....

श्री अध्यक्ष : और लोगों के प्रश्न रह जायेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।....(व्यवधान)....इनको आश्वासन दे दिया। यह इनके घर का मामला है।

श्री भरत सिंह : मेरा एक ही प्रश्न है माननीय मंत्रीजी से....

श्री अध्यक्ष : मुझे आपत्ति नहीं है, आप चाहे तो एक घण्टा इसी पर बहस करते रहिये। यह तरीका नहीं है, जब आश्वासन दे दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न पड़े हुए हैं, आप ही लोगों के हैं और आप एक ही चीज पर जिद करते जा रहे हैं। नैक्स्ट, श्री खेतसिंह जी।

शेरगढ़ क्षेत्र में अकाल राहत कार्य

95. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शेरगढ़ तहसील के अधिकांश भागों में अकाल घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या अकाल राहत के कार्य प्रारम्भ कर दिये गये ? यदि नहीं, तो कब तक कार्य चालू कर दिये जायेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि अकाल के कारण चारा पर्याप्त मात्रा में नहीं है ? यदि हां, तो सरकार पशुओं को मरने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है, यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, अकाल सहायता (श्री सांवर लाल) : (1) जी हां। शेरगढ़ तहसील के सभी 118 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं एवं अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 7 सड़क कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं।

(2) जी हां। पशुओं को मरने से बचाने के लिए आवश्यकतानुसार चारा डिपो खोले जा रहे हैं। शेरगढ़ तहसील में 42 चारा डिपो खोले जायेंगे। बाहर के राज्यों से अथवा अन्य जिलों से चारा लाकर उपलब्ध करवाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को परिवहन अनुदान दिया जायेगा। चारे की राजस्थान में निकासी पर प्रतिबन्ध भी विचाराधीन है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, 1 मार्च आ गया है। टोटल लेबर शेरगढ़ तहसील में कितनी लगी हुई है? और आप मजदूरी किस हिसाब से दे रहे हैं? चारे के लिए आपने कहा कि व्यवस्था की जा रही है, वह कब तक कौनसी तारीख तक व्यवस्था करेंगे, कहां से करेंगे? चारा सूखा आयेगा या हरा आयेगा, किस भाव से आयेगा और कहां से मिलेगा और उसको बेचने का क्या तरीका है, यह सब बताइये।

श्री सांवर लाल : जोधपुर जिले में फरवरी माह में 10 हजार की लेबर सीलिंग थी जिसमें 1250 शेरगढ़ तहसील में कलक्टर ने नियोजित किया। उनमें से 750 श्रमिक लगे। इस महीने के अन्दर 15 हजार हमने स्वीकृत कर दिये जोधपुर जिले के लिए। चारे के लिए सब्सिडी के रूप में 8 लाख रुपये की राशि जोधपुर जिले के लिए आबंटित की जा चुकी है। चारा जहां उपलब्ध् होगा, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे पंजाब से हो, सम्बन्धित संस्थाओं को निर्देश दे दिया गया है वे नो प्रोफिट--नो लॉस पर चलायेंगी। 30 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी एक जिले से दूसरे जिले पर कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी हो तो दी जायेगी। हरे चारे पर 25 रुपये प्रति क्विंटल, राजस्थान के बाहर से चारा लाया जायेगा 40 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जायेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, फरवरी के अंत में और मार्च में हमेशा पिछले अकालों में इस तहसील के अन्दर 10 से 15 हजार लेबर लगती थी और आपने 1250 का बताया है और इसमें भी आप कहते हैं कि 700 ही लगे हैं अर्थात् वहां कोई फेमिन है ही नहीं। यह 118 गांवों की लिस्ट आयी है, यह गलत आयी है। हकीकत यह है कि आप लेबर लगा नहीं रहे हैं। आपने इन्स्ट्रेक्शन कलक्टर को यह दे रखा है कि लेबर लगाई जाये। न आपने एफारेस्टेशन का काम खोला, न आपने सोइल कंजर्वेशन का काम खोला, न आपने मेड़बंदी या एनीकट का काम खोला, न आपने सिंचाई के अधूरे पड़े हुए बांधों को बनाने के लिए कोई कार्यवाही की। 7 अधूरी सड़कों का काम लिया। टोटल 19 हैं जो वहां पर अधूरी पड़ी हुई हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ 7 गांवों के अन्दर काम खोले है और 118 गांव अकालग्रस्त हैं। अकाल की आपने क्या कार्यवाही की यह मुझे बतायें।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की तरफ से अधूरे काम प्राथमिकता से लिये जायें, चाहे सिंचाई विभाग के तालाब हों, चाहे सड़कें हों, चाहे एनीकट्स अधूरे हों उनको लिये जाने के निर्देश दिये हैं। राजस्थान के अन्दर मुख्य उद्देश्य जहां काम नहीं है वहां पर श्रमिकों का नियोजन किया जाना है। अन्य योजनाओं के तहत भी काम चल रहे हैं और 750 लेबर कैसे लग गई, इसका स्पष्टीकरण भी आप हमें दे दें। अगर आप यह कहना चाहते हैं कि आदमी नहीं लगे तो 1250 में से 750 कैसे लगे। मैं राजस्थान सरकार की तरफ से यह भरोसा दिलाता हूं कि अकाल से निपटने में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जायेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि इन्होंने कार्ड सिस्टम कर रखा है और एक फेमिली में से एक ही आदमी को लगा रहे हैं। वह कार्ड ग्राम सेवक बना कर देता है। तो उन कार्डों के हिसाब से आप बता रहे हैं। पहली बात तो यह बहुत गलत है। अगर फेमिली के सारे मैम्बर लगना चाहते हैं तो सबको आपको लगाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने काम इतने लम्बे डिस्टेंस में खोल रखे हैं कि एक मजदूर काम पर लगना चाहे तो उसको 15-16 किलोमीटर से नजदीक कोई काम नहीं मिल रहा है। तीसरा यह है कि जो काम आपने किये हैं चाहे सोइल कंजर्वेशन या दूसरे एनीकट वगैरह के हों एक भी काम हमारे जिले में मंजूर नहीं हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि मजदूर कम लगे हैं। आपने टास्क बेसिस पर लगा रखे हैं, यह तो अच्छा है लेकिन टास्क बेसिस पर थोड़ा-सा लिबरलाइजेशन होना चाहिए। 10 रुपये अगर आप दिन भर मजदूरी करने के बाद दें तो यह बहुत गलत बात है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो कार्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं, राजस्थान सरकार से निर्देश गये हैं कि किसी प्रकार के परिचय-पत्र या कार्ड की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो काम आवश्यक होंगे. आप, माननीय सदस्य, जिला कमेटी के मैम्बर हैं और कलक्टर जो कार्य स्वीकृत करेगा आपकी सलाह से ही करेगा। जो काम जहां पर उपयोगी हो आप खुलवा सकते हैं।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि काम वही होंगे जिनसे लोगों को वर्षों तक फायदा मिले। पूर्व अनुभव यह बाते हैं कि काम तो हुए पर दूसरी बरसात में नजर नहीं आते। मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि इस प्रकार के काम नहीं किये जायेंगे जो पहली बरसात में साफ हो जाये, राजस्थान सरकार की तरफ से जो काम हों वे स्थायी हों।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हीरालाल।

श्री खेतसिंह राठौड़ : असेम्बली ड्यूरेशन में एक रोज मीटिंग रख लीजिए और आप चलिये जोधपुर....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अभी मंत्री महोदय ने कहा कार्ड उसमें जरूरी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपने आपको दुरुस्त कर लें, बिना कार्ड के एक भी व्यक्ति को आज नहीं लगाया जा रहा है।

श्री सांवर लाल : भुगतान नहीं किया जा सकता है और यह आदेश है...

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि कार्ड के बिना....

श्री अध्यक्ष : आप बहुत पुराने हैं। मंत्रीजी बोल रहे थे, आप बीच में खड़े हो गये।....

श्री शिवनाथ सिंह : बीच में नहीं, बाद में बोलना शुरू किया है। उनके बाद में बोलना शुरू किया है।

श्री अध्यक्ष : शेरगढ़ का सवाल है। इन्होंने प्रश्न पूछा है, वह जवाब दे रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : अकाल क्षेत्र का है। इनसे पूछ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि बिना कार्ड के उन कामों पर मजदूरों को लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल शेरगढ़ से सम्बन्धित है, राजस्थान का नहीं है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : सुन तो लो आप। आप बार-बार उठते क्यों हो।

एक माननीय सदस्य : सिर्फ पांच हजार लेबर लगा रखी है। आप फेमिन की बात कहते हो तो वह कहां तक फिट बैठने वाली बात है। एक गांव में पांच मजदूर नहीं होंगे और आप कह रहे हैं कि फेमिन का काम शुरू कर दिया है।

श्री शिवनाथ सिंह : हमारी सुन तो लो आप, फिर उठते हो। आप बैठिये न। अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मंत्री महोदय ने कहा कि कार्ड बताना जरूरी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय अपने आपको दुरुस्त करें, अभी बिना कार्ड के एक भी व्यक्ति को मजदूरी पर नहीं लगाया जा रहा है और यह सबसे बड़ी बाधा है। इस मामले में मंत्री महोदय क्या करना चाहते हैं ?

श्री साँवर लाल : माननीय सदस्य अगर यह लिखित में मुझे दे दें तो मैं जांच करवाऊंगा। अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।

श्री शिवनाथ सिंह : लिखित क्या, मैं कह रहा हूं न आपको, यह लिखित में है और आपके सामने है। लिखित में आ रहा है, अध्यक्ष जी की मौजूदगी में कह रहा हूं, सदन में कह रहा हूं, मैं कोई असत्य थोड़े ही कह रहा हूं।

श्री साँवर लाल : ऐसी बात मेरी नजर में लाइये, अगर यह होगा तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या तमाम कलक्टर्स को आप यह आदेश जारी करेंगे कि फेमिन वर्क्स में परिचय पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो भी काम पर आये उसको काम दे दिया जाये ?

श्री सांवरलाल : मेरा निवेदन यह है कि परिचय पत्र की जरूरत नहीं है, यह आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, यह आदेश नहीं पहुंचे हैं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, दुबारा भेज देना अब आप। दुबारा भेज देंगे। चलिये।

नैक्स्ट, श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं पहुंचे है। इसी समय मैं कलक्टर, झुन्झुनू से मिल कर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : दुबारा भेज देंगे। श्री हीरालाल विश्नोई।

प्रश्न संख्या–96

श्री हीरालाल बिश्नोई (सांचौर) :

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

नैक्स्ट, श्री हरिसिंह।

कुम्हेर महल (भरतपुर) का रख-रखाव

97. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भरतपुर जिले के कुम्हेर कस्बे में स्थित महल संरक्षित इमारत हैं ?

(2) यदि हां, तो उनके रख-रखाव पर या मरम्मत पर गत पांच वर्षों में कितनी राशि व्यय हुई है ?

(3) इन महलों की छतें जो जीर्ण-शीर्ण हो गयी हैं तथा गिरने की अवस्था में हैं उन्हें मरम्मत किये जाने की सरकार कब तक व्यवस्था कर देगी ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) :

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1988-89 में इसकी मरम्मत करा कर 11,679 रुपये की राशि खर्च की गयी। इन महलों की देखभाल, साफ-सफाई एवं रख-रखाव के लिए 2 स्मारक परिचारक वर्ष 1988 से कार्यरत हैं जिनके वेतन भत्तों पर लगभग 41,000 रुपये प्रति वर्ष व्यय होता है।

(3) संरक्षित स्मारकों की मरम्मत कार्य के लिए हालांकि विभागीय बजट में सीमित राशि का प्रावधान है तथापि इन महलों का आवश्यक मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा।

श्री हरिसिंह : श्रीमन्, यह महल भरतपुर की ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व के महल हैं क्योंकि इन्हीं महलों के घेराव में महाराजा सूरजमल को लड़ाई लड़नी पड़ी अंग्रेजी फौजों से, जयपुर की फौजों से, मराठों की फौजों से और तीनों संयुक्त फौजें इस महल के घेरे पर डिफीट हुयीं और जिसमें रिनाउंड होलकर प्रिन्स की डैथ हुई थी। इसकी कीमत कम से कम कई करोड़ रुपये होगी। इतने महत्व के महल हैं जिसकी कीमत कई करोड़ रुपये हैं, छह सालों के अन्दर सरकार ने उसके रख-रखाव पर कुल ग्यारह हजार रुपये खर्च किये। एक साल में दो हजार रुपये का खर्च नहीं आता है। मैं समझता हूं कि जो वर्तमान बिल्डिंग्स पर खर्च किया जाता है रख-रखाव हेतु, उससे भी कम खर्च किया जाता है। इसका मतलब मैं यह क्यों नहीं निकालूं कि सरकार भरतपुर के इतिहास के चिन्हों को मिटाना चाहती है। क्या मुझे इस बात का वादा करेंगे कि आप इन महलों के रख-रखाव के ऊपर अधिक खर्च करेंगे।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ....(व्यवधान).... ऐसी बात नहीं है। हमारे पास 225 ऐतिहासिक इमारतें हैं और 44 प्राचीन पुरातात्विक महत्व के टीले संरक्षण में हैं। इसके लिए हमें प्रति वर्ष सिर्फ सात लाख रुपये आवंटित किये जाते हैं। अब उसमें से जो प्राथमिकता देनी होती है, जिनकी कंडीशन बहुत खराब

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

होती है हम पहले उनको करते हैं। इसके लिए आप देखिये, जो इसके दरवाजे टूटे हुए थे, लोहे के जंगले टूटे हुए थे वह रिपेयर करवा दिये हैं और बाकी कन्डीशन इतनी खराब नहीं है। दूसरों को प्राथमिकता पहले दे रहे हैं और अभी इस वर्ष में हम उसकी मरम्मत के लिए पैसा अलग निकाल रहे हैं।

श्री हरिसिंह : श्रीमन्, इसमें मेरा स्पेसिफिक सवाल है कि इसकी छतें बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, इसके अन्दर कोई भी गया हुआ इन्सान गिर सकता है। यह मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। उसकी मरम्मत के सम्बन्ध में मैंने आपसे जानना चाहा था। उसकी मरम्मत का आपने एस्टीमेट भी बनवाया है क्या? अगर एस्टीमेट बनवाया है तो कितने रुपये का बन कर आया है?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : इसका एस्टीमेट नहीं बनवाया है, अब बनवायेंगे। पर हमारे पास सालाना....

श्री हरिसिंह : इसका मतलब यह है कि आप उसको बरबाद करना चाहते हैं। इस इमारत के लिए मेरा सवाल आने के पश्चात् भी आप एस्टीमेट नहीं बनाना चाहती।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : जी नहीं, बर्बाद नहीं करना चाहते। हमारे पास सात लाख रुपये सालाना आते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप इसकी मरम्मत करवायें। ठीक है। नैक्स्ट, श्री शंकरलाल अहारी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : मरम्मत कर देंगे।

श्री हरिसिंह : मरम्मत कब करवायेगी सरकार? मैं तो यह पूछना चाह रहा था, मरम्मत करवायेगी कब? अध्यक्ष महोदय, इसकी मरम्मत मंत्री महोदय कब करवायेंगे? ....(व्यवधान).... मैं पूछना चाहती हूं मंत्री महोदय से, इसकी मरम्मत कब करवायें? अभी तक तो एस्टीमेट भी नहीं बना है। इमारत गिरने जा रही है।

श्री अध्यक्ष : अब यहां मरम्मत द्वि-अर्थक चल रहा है, दो अर्थों में चल रहा है, इसलिए आप कुछ पूछ रहे हैं, वह कुछ बोल रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मरम्मत तो हम इनकी करेंगे... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : और ग्यारह हजार रुपये से क्या मतलब होता है—

श्री खेतसिंह राठौड़ : घनश्याम तिवाड़ी की मरम्मत हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट सवाल का जवाब दे रहे हैं। देखिये, अब ऐसा मत करिये, आपका सवाल समाप्त हो गया। नैक्स्ट सवाल का जवाब दे रहे हैं।

श्री हरिसिंह : मेरा क्वेश्चन है, मैंने पूछा है, साहब, कि मरम्मत कब करवायेंगे....

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आ जायेगा।

श्री हरिसिंह : यह तो, अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका जवाब नहीं आ रहा है।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : दे दिया न।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिसिंह : आर्डर तो मैं मान रहा हूं लेकिन इसका जवाब आना चाहिए। यह भी एक व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्।

डूंगरपुर जिले के पानी का शुद्धिकरण

98. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में पानी में फ्लोराइड की मात्रा कितनी है? क्या इससे वहां के आदिवासियों में फ्लोरोसिस रोग का प्रकोप देखा गया है? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रही है?

(2) क्या सरकार बाड़मेर, नागौर तथा जैसलमेर जिलों की भांति डूंगरपुर जिले में भी फ्लोराइड युक्त जल के शुद्धिकरण हेतु प्लांट लगाने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) डूंगरपुर जिले में हाल ही में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार पानी में 1–5 पी. पी. एम. से अधिक फ्लोराइड की मात्रा वाले 127 ग्राम व 235 ढाणियां हैं जिनमें से 30 ग्राम व 55 ढाणियों में पानी में फ्लोराइड की मात्रा 3 पी. पी. एम. से अधिक है। डूंगरपुर जिले के विभिन्न चिकित्सालयों में रिकार्ड के अनुसार अभी तक आदिवासी भाइयों और अन्य जन समुदाय में सामूहिक रूप से फ्लोरोसिस का प्रकोप होना नहीं पाया जाता है।

(2) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अनुसार वर्तमान में डी-फ्लोरिडेशन संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री शंकरलाल अहारी : अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर प्रश्न है और आपने कुछ समय पहले इस प्रश्न पर एक वक्तव्य भी दिया था। डूंगरपुर जिले में जो सर्वेक्षण करवाया गया है उसके अनुसार काफी गांवों में वास्तव में फ्लोरोसिस के रोगी पाये गये हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह पानी पीने से सबसे पहले दांत पीले पड़ जाते हैं, बूढ़ों और बच्चों के जोइण्ट्स की हड्डियां टूटती रहती हैं और उससे कुबड़ा बन जाता है...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न क्या पूछ रहे हैं?

श्री शंकरलाल अहारी : मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार के पानी को पीने से वहां यह बीमारी बढ़ती जा रही है....

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि यह बीमारी रिकार्ड में कहीं आयी ही नहीं है। बीमार आये ही नहीं हैं इनके पास इलाज के लिए।

श्री शंकरलाल अहारी : है, साहब।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि इलाज के लिए नहीं आये।

श्री शंकरलाल अहारी : इसमें लिखा है वह गलत है, साहब।

श्री अध्यक्ष : लिखा है, सामूहिक रूप से फ्लोरोसिस का प्रकोप होना नहीं पाया जाता है।

श्री शंकरलाल अहारी : जी।

श्री अध्यक्ष : यह लिखा है।

श्री शंकरलाल अहारी : यह सूचना सदन को गलत दी है। मैं आपसे एक निवेदन....

श्री अध्यक्ष : देखिये, आप सवाल पूछिये न, क्या है।

श्री शंकरलाल अहारी : मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या उक्त स्थानों का पुनः सर्वेक्षण करवा कर पानी फिल्टर करने का कोई प्लांट लगाने का प्रावधान है या नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप बोलिये, मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अब तक जो विभिन्न चिकित्सालयों के रिकार्ड से सूचना उपलब्ध हुई है उन सूचनाओं के आधार पर तो फ्लोरोसिस का प्रकोप है नहीं....

श्री अध्यक्ष : वह यही कह रहे हैं कि दुबारा पूछ लीजिये, पता कर लीजिये दुबारा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परन्तु फिर भी अगर माननीय सदस्य कहेंगे....

श्री अध्यक्ष : हां, दुबारा कर लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र मुझे बतायेंगे तो मैं उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवा कर उस पर आगे कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री रामनारायण चौधरी।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो इन्फार्मेशन मंत्रीजी को दी गयी है वह गलत दी गयी है और वह चिकित्सालयों की इन्फार्मेशन है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो विभाग है उसके लोग काम कर रहे हैं आसपुर तहसील में, बोड़ीगा में एक-एक गांव के आस-पास में और यह बात सही है कि वहां फ्लोरोसिस की बीमारी है, और कई जगह पर भी है, इसलिए उसकी जांच होनी चाहिये। यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक नहीं कि जहां पानी में फ्लोराइड ज्यादा मात्रा में हो वहां फ्लोरोसिस की बीमारी हो। जहां पानी में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

क्षारीयता व कैल्शियम के तत्व मौजूद हों वहां फ्लोराइड ज्यादा होते हुए भी वह न्यूट्रलाई हो जाता है और वर्तमान में तो इस तरह के....

श्री अध्यक्ष : यह सौभाग्यशाली हैं कि 3–पी. पी. एम. फ्लोराइड की मात्रा होने के बाद भी फ्लोरोसिस नहीं है। इसलिए एरिया बहुत सौभाग्यशाली है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ राजस्थान में ही नहीं 15 अन्य राज्यों में भी इस तरह की बात है, जहां 1–पी.पी.एम. से 3–पी.पी.एम. फ्लोराइड मात्रा है। राजस्थान की सरकार ही नहीं, केन्द्र सरकार भी इसमें चिन्तित है। इसमें माननीय सदस्य ने जो बात कही मैं उसका ..

श्री अध्यक्ष : इसकी दुबारा जांच करवा लेंगे। चलिए नैक्स्ट, श्री रामनारायण जी चौधरी।

सेठ दौलतमल नोपानी माध्यमिक विद्यालय, महणसर (झुन्झुनू) को अनुदान

99. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सेठ दौलतमल नोपानी माध्यमिक विद्यालय, महणसर, जिला झुन्झुनू को सरकार से कितने प्रतिशत अनुदान कब से दिया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि इस संस्था के मालिक पिछले कुछ वर्षों से संस्था के संचालन में कोई आर्थिक सहयोग नहीं दे रहे हैं ? यदि हां, तो इन हालात में स्कूल के संचालन की क्या स्थिति है ?

(3) इस स्कूल के कितने अध्यापकों तथा कर्मचारियों का वेतन कब से बकाया चल रहा है ? उसका भुगतान कैसे किया जावेगा ?

(4) क्या सरकार इस माध्यमिक शाला का इन हालात में अनुदान राशि बढ़ाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कितना, नहीं, तो क्यों ?

(5) इस स्कूल में कितने छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं ? क्या सरकार गांव की जनसंख्या तथा आस-पास की मांग को देखते हुए इस स्कूल को राज्याधीन लेने का विचार करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) :

(1) वर्ष 1981–82 से 70 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

(2) जी हां। संस्था के संचालन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) झुन्झुनू को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

(3) 9/90 से संस्था में एक प्रधानाध्यापक, 5 वरिष्ठ अध्यापक, 2 सहायक अध्यापक, 2 वरिष्ठ लिपिक, 1 पुस्तकालयाध्यक्ष, 1 कनिष्ठ लिपिक एवं 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आंशिक भुगतान बकाया है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 70 प्रतिशत से संस्था को अनुदान का नियमित भुगतान किया जा रहा है। शेष राशि के भुगतान की व्यवस्था संस्था स्तर पर उसके वैकल्पिक आय स्रोतों से ही की जानी है।

(शिक्षा मंत्री)

(4) जी नहीं। प्रतिशत वृद्धि के औचित्य एवं बजट उपलब्धता के सन्दर्भ में ही विचार करना सम्भव होगा।

(5) स्कूल में कक्षा 6 से 10 तक 196 छात्र और 50 छात्राएं, कुल 246, अध्ययनरत हैं। राज्याधीन लिये जाने के सम्बन्ध में विद्यालय के क्षेत्र विशेष में उपादेयता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के सन्दर्भ में ही आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न संख्या भाग दो का उत्तर दिया है कि संस्था के संचालन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) झुन्झुनू को प्रशासक नियुक्त किया गया है। क्या मंत्री महोदय की जानकारी में है कि जिला शिक्षा अधिकारी 1987 से इस संस्था की मैनेजिंग कमेटी का प्रशासन चला रहे हैं और उनके प्रशासन काल, सात वर्ष में साढ़े चार लाख रुपये अध्यापकों के बकाय हैं? क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि आपका जिला शिक्षा अधिकारी प्रशासक होते हुए भी अध्यापकों को 70 प्रतिशत वेतन के ऊपर काम करना पड रहा है? जो अनुदान मिलता है 70 प्रतिशत का, अब मिलता है 70 प्रतिशत, पहले मिलता था 60 प्रतिशत तो आपके जिला शिक्षा अधिकारी की, स्वयं की अध्यक्षता वाली कमेटी में 70 प्रतिशत के ऊपर अध्यापकों को पिछले सात साल से काम करना पड़ रहा है। मंत्री महोदय इस भुगतान, जो साढ़े चार लाख रुपये है, को किस प्रकार से करायेंगे और कब तक करायेंगे और क्या मंत्री महोदय इस स्कूल को टेक ओवर करने की तजवीज करेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि 1990 से लगभग 3 लाख 69 हजार 243 रुपया विभिन्न अध्यापकों के वर्षवार बकाया हैं। 1990 से ही यह बकाया हैं और, हर साल इनके बकाया बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रधानाध्यापक के 43 हजार रुपये बाकी हो गये। इस 30 प्रशित की कमी के कारण से मार्च तक जाते-जाते यह चार लाख रुपये विभिन्न अध्यापकों के बकाया हो जायेंगे। तीन अध्यापक ऐसे हैं जो सेवा-निवृत्त हो गये हैं, उसमें उन अध्यापकों का वेतन पड़ा हुआ है, उनका रह सकता है। इसको सरकार टेक ओवर करे, इसके बारे में राज्य सरकार ने ऐसे राजस्थान में 21 विद्यालयों को और ढूंढा है और उसके लिए हम एक कमेटी बना कर सारा रिव्यू करा रहे हैं। इनका कितना लेन-देन है, कितनी इसकी प्रोपर्टी और इस प्रकार के अधिभार तो नहीं हैं, उसकी सारी रिपोर्ट बनने के बाद ही राज्य सरकार इस पर निर्णय करेगी कि इनको हम ले सकते हैं और कब तक ले सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब तक कमेटी की रिपोट नहीं आये तब तक राज्य सरकार इस स्कूल, जो जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी में चल रहा है, को किस प्रकार से भुगतान करेयेगी? साढ़े चार लाख रुपये मार्च तक हो जायेंगे। अब अल्प वेतन भोगी कर्मचारी दूर-दराज डेजर्ट में काम करते हैं, उनको 70 प्रतिशत पर रखा है। दूसरे जो

(श्री रामनारायण चौधरी)

निजी प्राइवेट मैनेजमेण्ट हैं, हम उनकी आलोचना करते हैं लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी की स्वयं की अध्यक्षता में प्रशासनिक तालमेल चल रहा है, जो 60 प्रतिशत 70 प्रतिशत वेतन के ऊपर काम कर रहे हैं, पिछले सात साल से, तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस वर्ष तदर्थ अनुदान या विशेष अनुदान बढ़ा कर इस स्कूल का बकाया भुगतान मार्च तक का करवाने की कोई तजवीज करने का उनका विचार है कि नहीं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह सच है कि जिला शिक्षा अधिकारी को 1989 से ही प्रशासक बना दिया गया। मैनेजमेण्ट के जो प्रमुख थे उन्होंने 1987 से ही उसको सहायता देना और इसकी व्यवस्था देखना बन्द कर दिया। जब इसकी स्थिति बिगड़ी तो 1989 से ही वहां के जो डी. ई. ओ. हैं, उन्हें प्रशासक नियुक्त कर दिया। यह बात सच है और उन्हीं की देख-रेख में यह चल रहा है। यह जो बकाया है वह उन्हीं के द्वारा भेजी हुई रिपोर्ट से बिलकुल प्रमाणित है, वास्तव में इतना रुपया बाकी है। लेकिन जब तक इसकी अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं होती, राज्य सरकार सीधे ही जो पुरानी बकाया है उसका एकदम चुकारा नहीं कर सकती। फिर भी हम इसको दिखवा रहे हैं और दिखवा कर इस बार मार्च के समय जो भी सहायता हमारे पास उपलब्ध होगी उसको देकर के इसमें हम उनको राहत पहुंचायेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, जब सरकार ने मैनेजमेण्ट कमेटी को भंग कर दिया, सारा प्रशासन सरकार ने अपने हाथ में लेलिया और डी. ई. ओ. के मार्फत आप उस सारे काम-काज को चला रहे हैं, तब बकाया तनख्वाह के चुकारे की जिम्मेदारी स्वयं सरकार की है या किसी अन्य की?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : यह टेकं-ओवर नहीं किया गया है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत :- वह तो मान रहा हूं कि टेक-ओवर नहीं किया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनो....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने प्रश्न यह पूछा है मुख्य मंत्रीजी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं, गवर्नमेण्ट ने इसको टेक-ओवर नहीं किया है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैनेजमेण्ट को टेक-ओवर कर लिया। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर तभी अपाइण्ट होता है जब मैनेजमेण्ट को भंग करके आप टेक ओवर कर लेते हैं।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये, एक मिनट ठहर जाओ। आपको शायद जानकारी होगी क्योंकि कई दिनों तक आप मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो मैं पुराने शिक्षा मंत्री से पूछना चाहूंगा कि जब तक स्कूल को बकायदा टेक ओवर नहीं किया जाये, उस समय तक लाइबिलिटीज और असेट्स ट्रान्सफर नहीं होते। यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आज जो दिया गया है वह केवल इसलिए दिया गया है कि प्राइवेट संस्था इसको चला रही थी, उन्होंने काम करना बन्द कर दिया। अब हमारे सामने, गवर्नमेण्ट के सामने, कोई भी गवर्नमेण्ट हो, तो उसके सामने यह समस्या आयी होगी कि उस स्कूलों में छात्रों का क्या किया जाये ? छात्र पढ़ रहे हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इसलिए टेम्प्रेरी वह चलाते गये, उसकी चिन्ता नहीं। इसकी व्यवस्था करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन आफिसर या इंस्पेक्टर वहां लगा दिया लेकिन उसके लग जाने से कोई लाइबिलिटीज ट्रान्सफर नहीं हुई। अब क्वेश्चन यह आता है कि इनकी बकाया है, इस बकाया का भुगतान कौन करे ? अब बकाया तो मैनेजमेंण्ट के नाम पर और आप सरकार से भुगतान करवाना चाहो। आप विचार कर लेओ कि एक बार यह पेंडोरा बाक्स खुल गया तो इस प्रकार के कई स्कूल बन्द होंगे और गवर्ननेण्ट के ऊपर अनावश्यक रूप से लाइबिलिटीज ट्रान्सफर होंगी। इसलिए माननीय मंत्री महोदय ने कहा, सारे मामले की हम जांच करवा रहे हैं और जांच करवाने के बाद कैसे, क्या इनका भुगतान कराया जा सकता है, किसके ऊपर इम्पोज की जा सकती है, किन से वसूल होनी चाहिए और वसूली के लिए कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है या नहीं की जा सकती, इसके लिए आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : इनका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

फलौदी लिफ्ट सिचाई योजना पर व्यय

100. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1992-93 व 1993-94 में फलौदी लिफ्ट सिचाई योजना के निर्माण हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया था ?

(2) क्या यह सही है इस लिफ्ट सिचाई योजना का लाभ उस क्षेत्र को मिलेगा जो अति मरुस्थलीय है और सदैव अकाल से पीड़ित रहता है ?

(3) क्या यह सही है कि जिन गांवों की इस योजना से सिंचाई होगी वह पूर्णतः समतल हैं और भूमि विकास पर कोई खर्चा नहीं आयेगा ?

(4) क्या सरकार इस लिफ्ट योजना के निर्माण को उच्च प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

इन्दिरा गांधी नहर मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) फलौदी लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण हेतु धनराशि का प्रावधान निम्न प्रकार रखा गया था :—

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

वर्ष	राशि
1992-93	100 लाख रुपये
1993-94	170 लाख रुपये

(2) जी हां।

(3) यह सही है कि अधिकतम भूमि समतल है परन्तु भूमि विकास कार्य जैसे पक्के खाले बनाना, सड़कें बनाना एवं आबादी भूमि विकसित करना आदि कार्यों पर खर्च आयेगा।

(4) जी, हां।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : धन्यवाद, आपको।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरीसिंहजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक सवाल यह आता है कि फलौदी के अन्दर तो समतल भूमि है और वहां पर सिंचाई....

श्री अध्यक्ष : खेतसिंहजी, और सवाल हो गया तो कई सदस्यों के इम्पार्टेण्ट सवाल हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा एक इम्पार्टेण्ट सवाल है....

श्री अध्यक्ष : तो आप बाद में इनको सुझाव दे देना। यह सब, माननीय सदस्य

श्री खेतसिंह राठौड़ : बाद में तो इनके पास डिपार्टमेंट भी नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान)... एक सवाल और आ जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह पूछ रहा था कि बीच में जो नहर के गांव आते हैं उनके पीने के पानी का तो आप बन्दोबस्त करेंगे! नहर के ऊपर जो बीच में जितने भी गांव डेजर्ट के आते हैं, जिन गांवों में होकर के यह नहर आ रही है....

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : शेरगढ़ तहसील के जो गांव आते हैं, सीधा बोलो ना।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह फलौदी लिफ्ट सिंचाई के बारे में बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हो जोधपुर लिफ्ट की....

ग्राम खेड़ला से बौंल (महुआ) सम्पर्क सड़क

101. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील महुआ के ग्राम खेड़ला से बौंल तक सम्पर्क सड़क बनाने के लिये ग्रामीण रोजगार योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गयी थी? यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत की गयी तथा सड़क का कितना कार्य किया जा चुका है?

(2) क्या इस अधूरे कार्य को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पूरा करवाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों?

(श्री हरिसिंह)

(3) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाई माधोपुर ने इस सड़क को जवाहर रोजगार योजना में पूरा करवाने की स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंगकुमार जैन) :—

(1) जी हां, यह सही है कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत ग्राम खेड़ला से बौंल तक सम्पर्क सड़क बनाने हेतु 1987 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस सड़क हेतु 4·80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी। कुल 5 किलोमीटर लम्बाई की सड़क में से 4 किलोमीटर ग्रेवल सड़क का कार्य पूरा हो चुका है। एक किलोमीटर ग्रेवल का कार्य बाकी है।

(2) स्वीकृत पांच किलोमीटर ग्रेवल सड़क में से 4 किलोमिटर का कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष 1 किलोमीटर की दूरी, जो बौंल से खेड़ला की तरफ है, को पूरा कराने के लिए चल रहे जवाहर रोजगार योजना (द्वितीय धारा) के अधीन चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कर दी जावेगी।

(3) जी, नहीं। इस सड़क की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 1987 में एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत जारी की थी। जवाहर रोजगार योजना राज्य में सन् 1989 से प्रभाव में आयी है। इस अपूर्ण शेष एक किलोमीटर के लिए ग्रेवल सड़क निर्माण की स्वीकृति जवाहर रोजगार योजना (द्वितीय धारा) में जारी कर कार्य प्रारम्भ करवा दिया जावेगा।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, शायद मंत्रीजी को सम्पूर्ण जानकारी विभाग ने उपलब्ध नहीं करवाई। आपने फरमाया कि 4 किलोमीटर ग्रेवल रोड बढ़ गया। अध्यक्ष महोदय, चार किलोमीटर रोड पर क्वेरीज रबिश तो डाल दी गयी लेकिन उसको रोड पर नहीं बिछाया गया और इन बातों को सात साल हो गये और उसके बाद क्वेरीज रबिश बरबाद हो गयी और विभाग ने अपने कागज पर दिखा दिया है कि क्वेरीज रबिश डाल कर रोड को ग्रेवल रोड बना दिया है।

दूसरा, मंत्री महोदय, मैंने एक सीधा-सा स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था कि क्या डी. आर. डी. ए., सवाई माधोपुर ने जवाहर रोजगार योजना के तहत इस पर स्वीकृति जारी की है ? इसका जवाब आपने टाल दिया। आपने यह कह दिया कि जवाहर रोजगार योजना 1987 में नहीं थी। अध्यक्ष जी, मैं मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि 1990-92 में कलक्टर, सवाईमाधोपुर ने डी. आर. डी. ए. के चेयरमैन की हैसियत से इस सड़क को पूरा करवाने के पांच लाख रुपये स्वीकृत किये हैं और यह आदेश फाइल पर मेरे सामने किये हैं। जो स्वीकृति जारी की है उस स्वीकृति से इस रोड के पांच लाख रुपये का यूटिलाइजेशन आप कब तक करेंगे ? मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है और इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष : एक तो, मंत्री महोदय, जो आपने आपत्ति उठाई हैं इसकी आप व्यक्तिगत जांच करवाइये कि माल केवल पड़ा हुआ है या सड़क बनी है। यह करके मुझे बताइये कि उसमें क्या निकला, सड़क बनी है या माल पड़ा हुआ है।

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि जो चार किलोमीटर सड़क बनी है उसकी मैं जांच करके उसमें कहीं अनियमितता पायी गयी या किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती गयी तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन लिया जायेगा और जवाब में भी कोई गलती पायी गयी तो जिस अधिकारी पर इसकी जिम्मेदारी आयद होगी उसके खिलाफ एक्शन होगा। जो सड़क बची है जिसके लिए स्वीकृति परसों ही जारी कर दी गयी है, निकट भविष्य में इसी चालू सत्र के अन्दर मार्च के महीने में उस पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री भीमसेन चौधरी।

पूगल, छत्तरगढ़ व लूणकरणसर के छात्रावास

102. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरसर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील मुख्यालय पूगल, छत्तरगढ़ व लूणकरसर में विभाग द्वारा छात्रावास कब स्वीकृत किये गये हैं तथा उस समय वहां की जनसंख्या कितनी थी ?

(2) क्या यह सही है कि आबादी की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए सरकार छात्रों की भी संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) तहसील मुख्यालय पूगल, छत्तरगढ़ व लूणकरसर में समाज कल्याण विभाग द्वारा 1965 में छात्रावास स्वीकृत किये गये थे। 1961 की जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार ग्राम पूगल की जनसंख्या 963 ग्राम छत्तरगढ़ की जनसंख्या 909 व ग्राम लूणकरसर की जनसंख्या 2091 थी।

(2) छात्रावासों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्र/छात्राओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या में वृद्धि की जाती है। छात्रों की संख्या में वृद्धि किया जाना स्थानीय आवश्यकता के आकलन एवं साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्री भीमसेन चौधरी : क्या सरकार के ध्यान में है कि यह तहसील मुख्यालय है और पूरी तहसील की जरूरत पूरा करती है लेकिन केवल 25 छात्रों से क्या काम चल जायेगा वहां क्या आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छात्र सख्या को बढ़ाने का विचार करेगी सरकार ?

श्री मदन दिलावर (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पिछले पांच साल के आंकड़े हैं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या यह तहसील मुख्यालय है। निश्चित रूप से यह तहसील मुख्यालय है, पर जो छात्र आये हैं वहां प्रवेश पाने के लिए वह इतनी मात्रा में नहीं मिले, इसके कारण से बढ़ाना सम्भव नहीं था। मैं आंकड़े बता रहा हूं।

श्री भीमसेन चौधरी : आपका इस सम्बन्ध में कोई प्रचार-प्रसार नहीं है। वहां पर बाढ़ विस्थापित कितने लोग आये हुए हैं ? जनता की मांग है कि छात्रों की संख्या बढ़ाई जाये। केवल 25-30 छात्र हैं। यह संख्या बहुत कम है इसलिए क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री मदन दिलावर : जितने भी छात्र आयेंगे उनको भर्ती कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : जितने भी छात्र आयेंगे उनको भर्ती कर लेंगे। नैक्स्ट श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्रीगंगानगर एवं सादुलशहर थाना क्षेत्रों में दर्ज प्रकरण

103. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरी-सिंहपुर) एवं **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील श्रीगंगानगर व सादुल-शहर में वर्ष 1993 में कितनी हत्या, लूटपाट व आगजनी की घटनाएं किस-किस थाना क्षेत्रों में हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घटनाओं में किस-किस मामलों में पुलिस द्वारा एफ. आर. लगा दी गयी व कितने मामलों में चालान पेश किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम दुलेपुरा, तहसील सादुलशहर के थाना गांव लालगढ़ जाटान में दिनांक 16 जून, 1993 को हत्या से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी है ? यदि हां, तो किसके द्वारा व उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति मय मेडिकल रिपोर्ट के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की तफ्तीश के दौरान मृतक के परिवारजनों द्वारा मुल्जिमान के नाम भी बताये गये थे ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के एवं उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में मृतक के परिवारजनों द्वारा जांच के दौरान दिये गये बयानों की प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर मुल्जिमान के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : इसके स्थगन के लिए निवेदन किया है

श्री अध्यक्ष : किसलिये ?

श्री कैलाश मेघवाल : उसमें जो पूरक प्रश्न उठने वाले हैं, सम्बन्धित पूरक प्रश्न, उसके बारे में जो सामग्री मुझे उपलब्ध करवाई है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। मैंने गंगानगर से एक केस की तफ्तीश डायरी और मंगवाई है। इसी सत्र में जब आप लगवा देंगे तो मैं पर्याप्त रूप से सारे पूरक प्रश्नों का जवाब दूंगा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सीमित प्रश्न था। दो तहसीलों के मैंने आंकड़े चाहे थे गंगानगर और सादुलशहर के और एक साल का चाहा था कोई लम्बा चौड़ा नहीं चाहा था।

श्री कैलाश मेघवाल : इसी सत्र में जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय मंत्री जी, विधान सभा साल में दो-तीन बार चलती है। प्रावधानों के मुताबिक दस या पन्द्रह दिन का नोटिस मिलता है। अब यह तो कभी नहीं होगा कि आपको 6 महीने का या 2 महीने का नोटिस दें, कभी नहीं होगा। दस-पन्द्रह दिन का नोटिस पर्याप्त है, उसमें उत्तर आना चाहिये। पोस्टपोनमेंट आप अपनी सन्तुष्टि के लिए मांगना चाहते हैं इसलिए मैं दे रहा हूं। लेकिन यह ध्यान रखिये कि यह दस-पन्द्रह दिन ही मिलने वाले हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : छोटा-सा प्रश्न है, कोई लम्बा चौड़ा इतिहास मैंने नहीं मांगा है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी सन्तुष्ट नहीं है तो आपको क्या कहेंगे। वह खुद सन्तुष्ट होकर देंगे तो अच्छा जवाब मिलेगा। बाकी जवाब आ जाना चाहिए।

नेक्स्ट, श्री तैयब हुसेन।

विस्थापितों को आवंटित भूमि का नियमन

104. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर एवं अलवर में पुनर्वास के दौरान मेवों के मकानों में, बाड़ों में, खेतों में पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बसा दिया गया था, इसके बाद मेवों की खेती की जमीन एवं सिवाय चक बंजड़ों एवं चरागाहों में बसाया गया ?

(2) यदि हां, तो इस प्रकार पुनर्वास के दौरान से अब तक ऐसी कितनी भूमि इस उपयोग में होती रही है ?

(3) क्या ऐसी भूमि को नियमन करने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जा रही है ?

(4) अब तक आबादी में परिवर्तन की जाने वाली कितनी भूमि शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास (श्री सांवर लाल) : (1) जी हां। भरतपुर एवं अलवर जिले के जो परिवार अपनी सम्पत्ति छोड़कर चले गये थे उनमें से कुछ परिवार वापस लौट कर आ गये थे, उनमें से अधिकांश को तो उनकी मूल सम्पत्तियों पर ही वापस बसा दिया गया परन्तु कुछ परिवारो की सम्पत्तियों पर पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बसा दिया गया था, अतः उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना लाजमी हो गया था और उन्हें उपलब्ध अन्य निष्क्रान्त सम्पत्ति पर बसाया गया था।

(2) जी हां। वापस लौट कर आये मेव मुसलमानों को सिवाय चक, बंजर या

(श्री सांवरलाल)

चरागाह भूमि में नहीं बसाया गया बल्कि उन्हें निष्क्रान्त सम्पत्ति का ही आवंटन किया गया है।

(3) चूंकि ऐसी भूमि का आवंटन नहीं किया गया जिसका नियमन आवश्यक हो, अतः नियमन का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(4) पुनर्वास से सम्बन्धित आबादी में परिवर्तन की जाने वाली कोई भूमि शेष नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री तैयब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पहले तो जो इन्फार्मेशन दी गयी है यह नामुकम्मल है क्योंकि इसमें जिला अलवर का तो जिक्र ही नहीं है। डीग तहसील, भरतपुर की भी कोई इन्फार्मेशन नहीं है। इसमें जो इन्फार्मेशन दी गयी, इसमें कुछ जमीन का किराया दिया गया है। तो जिनसे आज चालीस-पचास साल से किराया वसूल कर रहे हैं क्या वह जमीनें, जिन पर कि वह बसे हुए हैं, उनको देने की कृपा करेंगे ?

(12.00)

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी प्रश्न आया था और मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि जितना हम कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री तैयब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी बात है। रिहायशी दिये गये उन्हें और आज तक उस जमीन पर...

श्री अध्यक्ष : समय, काल इतना प्रबल है जब वह आता है तो कोई उसमें एक क्षण भी नहीं ले सकता। यह हमारे हाथ में नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, आप उस काल को नियन्त्रित कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला जालौर में पशु चिकित्सालयों की स्थापना

96. **श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचौर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रदेश में सांचौर, पशु नस्ल की सांचौर गाय, बैल मालानी (सांचौर), ऊंट व घोड़ा आदि के लिए विश्व विख्यात है ? यदि हां, तो सांचौरी नस्ल के पशुओं के सुधार के लिए क्या-क्या कार्यक्रम विभाग के पास विचाराधीन हैं ?

(श्री हीरालाल विश्नोई)

(2) वर्ष 1993–94 में सरकार ने प्रदेश में कितने पशु चिकित्सालय स्वीकृत किये हैं ? क्या जालौर जिले में भी पशु चिकित्सालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जालौर जिले में वर्ष 1994-95 में पशु चिकित्सालय खोलने का सरकार का विचार है, यदि हां, तो कहां-कहां ?

उत्तर

(1) जी हां। कांकरेज (सांचोरी) नस्ल के नस्ल सुधार हेतु जालौर जिले में सांचौर, भीनमाल रानीवाड़ा क्षेत्र में प्रजनन योग्य पशुओं के देशी गौवंश नस्ल सुधार विकास परियोजना चलाई जा रही है।

(2) वर्ष 1993–94 में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए जालौर में भी कोई पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया।

(3) वर्तमान में पशु चिकित्सालयों में 373 डाक्टरों के रिक्त पदों में से 150 पदों पर दिनांक 23-2-94 को नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। शेष पदों को भरने के लिए डिग्रीधारी पशु चिकित्सक की उपलब्धि के अनुसार पदों को भरा जावेगा। इसके पश्चात ही नये पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य की बेरोजगारी निवारण योजना

120. श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में नौजवानों की बेरोजगारी मिटाने के लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या योजनाएं बनाई हैं ? योजनाओं का सार सक्षेप में सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं से प्रतिवर्ष कितने नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा ?

(3) क्या सरकार बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अधिकाधिक रोजगार सृजन के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य की पंचवर्षीय व वार्षिक योजना में विनियोजन के निर्धारण के समय ऐसे रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों/विकास मदों को प्राथमिकता दी जा रही है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं जैसे शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, शहरी गरीबों हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आश्वास्वित रोजगार योजना आदि में इस प्रकार बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का उद्देश्य है।

(आयोजना मंत्री)

(2) निश्चित रूप से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि प्रति वर्ष कितने नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा ।

(3) राज्य की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए रोजगार भत्ता दिया जाना सम्भव नहीं है ।

राज्य में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन

121. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने 7 जनवरी, 1994 को सदन में यह घोषणा की थी कि पर्यटन, सिंचाई, जल तथा बिजली के मामले में शीघ्र कार्यवाही किये जाने के लिए वे एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेंगे और इस समिति की रिपोर्ट आने के पश्चात् राज्य सरकार उस पर आवश्यक निर्णय करेगी ? यदि हां, तो क्या उक्त घोषणा के अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त समिति/समितियों का गठन किया जा चुका है ?

(2) इन समिति/समितियों को कौन-कौन से विषय सुपुर्द किये गये हैं और इन समितियों का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

उत्तर

(1) जी हां । मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 7-1-94 को एम्पावर्ड कमेटियों के गठन का मंतव्य प्रकट किया था । अभी तक इन समितियों का गठन नहीं हुआ है ।

(2) कमेटियों का गठन नहीं होने से प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

122. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के कितने आई पी. एस. अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 1990 से अब तक जांच चल रही है ? व कितने अधिकारियों को उक्त अवधि में निलम्बित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

श्री ए के. सक्सेना, आई. पी. एस. के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 8 के अन्तर्गत विभागीय जांच का प्रकरण विस्तृत जांच हेतु दिनांक 7-4-1992 से आयुक्त, विभागीय जांच राजस्थान, जयपुर के पास लम्बित है । श्री सक्सैना के विरुद्ध दिनांक 16-1-1989 को आरोप पत्र/आरोप विवरण पत्र जारी किये गये थे ।

वर्ष 1990 से अब तक दो आई. पी. एस. अधिकारियों को निलम्बित किया गया । इनमें श्री एम. आर. माहेश्वरी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जयपुर (ग्रामीण)

(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री)

को उनके विरुद्ध विभागीय जांच का प्रकरण प्रस्तावित होने के आधार पर आदेश क्रमांक प. 1 (165) का/क-3/91 दिनांक 2-8-91 द्वारा निलम्बित किया गया। श्री माहेश्वरी को आदेश दिनांक 16-12-92 द्वारा सेवा में बहाल किया गया व उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं पाये जाने पर उनके विरुद्ध जांच प्रकरण को आदेश दिनांक 31-7-93 द्वारा समाप्त कर दिया गया। श्री आर.पी. नाग, आई.पी.एस. तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, अलवर को उनके विभागीय जांच प्रस्तावित होने के आधार पर आदेश संख्या प. 1 (5) कार्मिक / क–3/94 दिनांक 27–1–94 द्वारा निलम्बित किया गया है।

गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरण

123. श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान गुण्डा एक्ट के तहत राज्य में कितने प्रकरण विचाराधीन हैं व कितने न्यायालयों में चल रहे हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रकरण प्रस्तुत करने के ठीक दो वर्ष पूर्व तक कोई आपराधिक कार्य न होते हुए भी कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत हुए हैं ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार को विदित है कि कुछ व्यक्ति जिन्होंने आपराधिक वृत्ति छोड़ दी व नियमित जीवनधारा में कार्य प्रारम्भ कर दिया उन्हें भी पुलिस अधिकारी इस कानून का भय दिखाकर उनके सुधरने में बाधा बनते हैं ? इसे रोकने में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) राज्य में राजस्थान गुण्डा एक्ट के तहत वर्ष 1993 के अन्त में 2462 प्रकरण तैयार किये जाकर सम्बन्धित न्यायालयों में पेश किये गये, जो न्यायालय में विचाराधीन है। जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रकरण न्यायालय में पेश नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

राज्य में साम्प्रदायिक दंगे

124. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) एवं **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) साम्प्रदायिक झगड़ों के दौरान आगजनी व लूटपाट की घटनाओं से सम्बन्धित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई तथा ऐसे कितने परिवार हैं जिन्हें किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि श्रीमती पतासी देवी पत्नी व बृजमोहन मीणा अनुसूचित जनजाति की ओर से पति के सम्बन्ध में साम्प्रदायिक झगड़े के दौरान राज्य स्तर पर एवं केन्द्रीय स्तर पर मृत या गुम की तलाश के बारे में लिखकर दिया है ? इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा जांच के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि साम्प्रदायिक झगड़े में श्री बृजमोहन मीणा की मृत्यु हो गई थी ? यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में गुमशुदा की तलाश कराई गई हैं ? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त मृतक के परिवार को राजकीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब आश्रितों को सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में साम्प्रदायिक दंगे 24 अक्टूबर, 1990 एवं 7 दिसम्बर, 1992 में हुए, जिनमें मृत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की सूची संलग्न (परिशिष्ट-अ) है।

जी हां। साम्प्रदायिक झगड़ों के दौरान मृतक के परिवार के आश्रितों को दी गई सहायता का विवरण उपरोक्त वर्णित परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

उपरोक्त वर्णित साम्प्रदायिक घटनाओं के प्रपीड़ित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को दी गई सहायता का पृथक से इन्द्राज नहीं रखा गया है, जिसे संकलित करवाया जाकर पेश करवाया जाएगा।

(2) जी हां। यह सही है कि श्रीमती पतासी देवी ने केन्द्रीय व राज्य स्तर पर अपने पति को साम्प्रदायिक झगड़े में मृत या गुम हो जाने की तलाश के बारे में प्रतिवेदन प्रेषित किये थे। दिनांक 13-1-93 को थाना विद्याधर नगर पर श्री रुघनाथ मीणा द्वारा लिखित रिपोर्ट दस्तखती पतासी देवी की पेश करने पर जाँच प्रारम्भ की गई थी। जाँच के अनुसार श्री बृजमोहन मीणा का जयपुर के साम्प्रदायिक दंगों में मारा जाना प्रमाणित नहीं हुआ। लिहाजा श्री बृजमोहन की दस्तगयाबी के लिए पतारसी अभी तक की जा रही है। नकल रिपोर्ट परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) यह सही है कि श्री बृजमोहन मीणा की मृत्यु जयपुर में हुए साम्प्रदायिक दंगों में हुई है। इसकी तलाश अभी भी पुलिस द्वारा जारी है। बृजमोहन अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है।

(4) चूंकि श्री बृजमोहन मीणा की साम्प्रदायिक दंगे में मृत्यु होना प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः उसे साम्प्रदायिक दंगों में मृतकों के परिवारों को दी गई सहायता के मापदण्ड के अनुसार सहायता दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अधिकारियों के घर पर छापे

125. श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दिसम्बर, 1993 व जनवरी, 1994 में राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कितने अधिकारियों के घरों पर छापे मारे गये तथा किन-किन अधिकारियों से कितनी अवैध धनराशि बरामद की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इससे पूर्व सूरतगढ़ व रायसिंहनगर के उपखण्ड अधिकारियों के घरों पर भी छापे मारे गये थे ? यदि हां, तो कितनी अवैध सम्पत्ति मिली व उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) दिसम्बर, 1993 व जनवरी, 1994 में राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 27 अधिकारियों के घरों पर छापे मारे गये। इन अधिकारियों के यहां डाले गये छापों में लगभग 5 करोड़ रुपये की चल व अचल सम्पत्तियों का पता चला है, जिनके बारे में अन्वेषण किया जा रहा है। सूची परिशिष्ट "अ" सलग्न है।

(2) जी हां। उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के यहां तलाशियों में लगभग 10 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति का पता चला, जिसके सम्बन्ध में अपराध संख्या 135/92 पंजीबद्ध है, जो अन्वेषणाधीन है। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के यहां तलाशी में लगभग 88 लाख रुपये की चल व अचल सम्पत्तियों, जो स्वयं, पत्नि व बेनामी नामों में है, का पता चला है। जिसके सम्बन्ध में अपराध संख्या 134/92 अन्वेषणाधीन है। सम्पत्ति का सही आंकलन अन्वेषण पूर्ण होने पर हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में थाने व चौकियां

126. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, जिला उदयपुर में थाने एवं चौकियां कहां-कहां पर स्थित हैं ? स्थान का नाम एवं स्वीकृत पदों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृत पदों के अनुसार अधिकारी/कर्मचारी पदस्थापित है ? यदि नहीं, तो रिक्त पद रहने के क्या कारण हैं ? तथा इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) थाने एवं पुलिस चौकियां खोलने के क्या मानदण्ड हैं तथा उक्त मानदण्डों के अनुसार क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्र में थाने एवं पुलिस चौकियां पर्याप्त हैं ? यदि हां, तो किस आधार मे ? यदि नहीं तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये थाने एवं चौकियां खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट "क")।

(2) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में वर्तमान में केवल 10 कान्स्टेबिलों के पद रिक्त चल रहे हैं जिन्हें भरने की कार्यवाही की जा रही है। यह रिक्त पद शीघ्र ही भर दिये जावेंगे।

(3) थाने एवं पुलिस चौकियां खोलने के लिए अपराधों की संख्या, अपराधों की प्रकृति, क्षेत्र की जनसंख्या, पुलिस थानों से दूरी आदि अनेक बातों को आधार माना जाता है। पुलिस अधीक्षक जिला उदयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में थाने एवं चौकियां पर्याप्त हैं। केवल थाना ओगणा के ग्राम पड़ावली में पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में विचाराधीन है। परीक्षण के उपरान्त इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा के लम्बित प्रकरण

127 श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा प्रीमियम की राशि का समय पर समायोजन नहीं होने के क्या कारण हैं? राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत कर्मचारियों के ऐसे कुल कितने मामले हैं?

(2) क्या सरकार उक्त बकाया असमायोजित कटौतियों का शीघ्र समायोजन कराने का विचार रखती है?

(3) राज्य बीमा विभाग में विभिन्न जिलों के ग्रामीण व शहरी कर्मचारियों के ऋण के कितने मामले कब से बकाया पड़े हैं? समय पर ऋण उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) राज्य बीमा प्रीमियम की राशि का कर्मचारियों के सम्बन्धित खातों में समय पर समायोजन न होने के मुख्य कारण निम्नांकित हैं:—

(क) आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा वेतन बिलों के साथ संलग्न किये जाने वाले कटौती विवरण-पत्रों में कर्मचारियों की बीमा पालिसी संख्या गलत अंकित किया जाना या अस्पष्ट होना।

(ख) कर्मचारी के एक जिले/कार्यालय से दूसरे जिले/कार्यालय में स्थानान्तरण होने की सूचना प्राप्त न होना।

(ग) पंचायत समिति कर्मचारियों के मामलों में बीमा प्रीमियम की राशि विकास अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह समय पर जमा नहीं कराना और यदि जमा करा भी दी जाती है तो कटौती विवरण-पत्र समय पर उपलब्ध नहीं कराना।

(घ) विभाग के जिला कार्यालयों पर कर्मचारियों की कमी होना।

(85)

(वित्त मंत्री)

वर्ष के दौरान बीमा की ओर प्राप्त प्रीमियम का समायोजन विभाग/कार्यालय अनुसार कर्मचारियों के नाम लिखकर बीमा खतौनी पंजिका में किया जाता है और पंजिका के आधार पर कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में वर्ष में प्राप्त माहवारी राशि का एक साथ समायोजन कर दिया जाता है। इसलिये असमायोजित मामलों के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(2) उक्त बकाया असमायोजित राशि के शीघ्र समायोजन के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 1990-91 तक की प्रीमियम राशि का बीमा खतौनी पंजिका में समायोजन किया जा चुका है तथा बाद के वर्षों की राशि का समायोजन विभागीय कम्प्यूटर एवं जिला मुख्यालयों में उपलब्ध कम्प्यूटरों की सेवायें लेकर पूर्ण कराया जा रहा है।

(3) विभाग में ऋण मामलों के निस्तारण हेतु टोकन सिस्टम लागू किया हुआ है जिसके अन्तर्गत ऋण प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के बाद 15 कार्य दिवस में ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है। वर्ष 1993-94 में माह अप्रेल, 1993 से दिसम्बर, 1993 तक प्राप्त बीमा ऋण के कुल 61407 मामलों में से 60692 मामलों में ऋण स्वीकृत किया गया तथा शेष 715 मामले बकाया रहे। इन मामलों के बकाया रहने के मुख्य कारण हैं—

(क) ऋण प्रार्थना-पत्रों में गलत बीमा पालिसी संख्या अंकित होना।

(ख) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित न होना।

(ग) पूर्व में लिये गये ऋण के प्रति वापसी की कटौतियों का विवरण गलत होना या अंकित ही नहीं करना तथा कर्मचारी के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण की सूचना के अभाव में बीमा पत्रावली का सम्बन्धित जिला कार्यालय को समय पर हस्तान्तरित नहीं होना है।

नारायण मीणा, बेलदार की विधवा को पेंशन

128. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुवा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सहायक अभियन्ता, कार्यालय सिंचाई मोरेल बांध पर कार्यरत लोहड़ी राम पुत्र श्री नारायण मीणा, बेलदार के सेवानिवृत्त होने के एवं तत्पश्चात् मृत्यु होने के बाद भी उसके आश्रितों को पेंशन एवं अन्य जमा राशियों का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक भुगतान कर दिया जाएगा?

उत्तर

श्री लोहड़ीराम पुत्र श्री नारायण, भूतपूर्व बेलदार के परिवार को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। परिवार के द्वारा भुगतान उप कोषाधिकारी, लालसोट, कोषाधिकारी, दोसा से प्राप्त किया जाना है।

राज्य की वार्षिक आय

129. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में कुल वार्षिक आय की राशि राजस्व एवं गैर राजस्व कर एवं गैर कर की समस्त आय राशि तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न करों की राशि तथा अनुदान की राशि जिससे सम्पूर्ण बजट तैयार होता है उसमें राज्य तथा केन्द्रीय प्राप्त राशि का पूरा विवरण अलग-अलग से राज्य की समस्त अंश से केन्द्रीय प्राप्त राशि ज्यादा है ? यदि हां, तो 1990-91 से 1993-94 तक के समस्त विवरण की जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कुल राशि का हिस्सा राज्य सरकार का 45 प्रतिशत और केन्द्र से समस्त हिस्सों की आय 55 प्रतिशत राज्य सरकार को प्राप्त होती है ?

(3) क्या राज्य के बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा तनख्वाह तथा प्रशासन पर एवं 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य के योजना एवं गैर योजना कार्यों पर व्यय होता है ? वर्ष 1990–91 से 1993–94 का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार की योजना तथा गैर योजना व्यय 1989–90 से 1994 के बीच विभिन्न पदों पर व्यय हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस मद में 1990–91 से 1993–94 के बीच राशि व्यय की गई ? पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि 1990-91 से 1993-94 के बीच योजना तथा गैर योजना व्यय का प्रतिशत कुल आय-व्यय का निरन्तर घटता जा रहा है और योजना एवं गैर योजना को व्यय के बजाय प्रशासन व्यय बढ़ा है ? यदि नहीं, तो 1990-91 से 1993-94 का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल वार्षिक आय की राशि राजस्व एवं गैर राजस्व, कर एवं गैर कर तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न करों की राशि तथा अनुदान की राशि निम्न तालिका में दी जा रही है :—

(करोड़ रुपये में)

मद	1990–91	1991–92	1992–93	1993–94
1. राज्य की आय				
(क) कर राजस्व	1216.50	1548.80	1734.29	1906.79

(वित्त मंत्री)

(ख) कर भिन्न राजस्व	820.05	731.63	1005.04	938.12
योग—1	2036.55	2280.43	2739.33	2844.91
कुल आय का प्रतिशत	55.83%	55.23%	56.05%	54.67%
2. भारत सरकार से अनुदान एवं करों में राज्य के हिस्सा के रूप में प्राप्त राशि				
(I) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा				
(क) निगम कर से भिन्न कर	199.28	246.76	293.51	345.10
(ख) संघ उत्पादन शुल्क में राज्य का हिस्सा	559.59	649.48	779.48	833.95
योग (I)	758.87	896.24	1073.41	1179.05
(II) गैर योजना अनुदान				
(क) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत प्राप्त	121.43	103.12	90.90	78.58
(ख) राहत निधि के लिए अनुदान	93.00	93.00	93.00	93 00
(ग) रेल यात्री किराये के बदले अनुदान	6.87	6.87	6.87	6.87
(घ) अन्य अनुदान	9.48	39.20	36.18	9.30
योग–II	230.78	242.19	226.95	187.75

(वित्त मंत्री)

(III)	योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	242.69	304.05	394.73	406 88
(IV)	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	379.00	405.85	453.05	585.6E
	योग-2	1611.34	1848.33	2148.14	2359.29
	कुल आय का प्रतिशत	44.17%	44.77%	43.95%	45,33%
	कुल आय	3647.89	4128.76	4887.47	5204.20

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

राज्य सरकार के बजट की तनख्वाह तथा प्रशासन पर किये जाने वाले व्यय तथा प्रतिशत निम्न प्रकार रहा :—

	वास्तविक व्यय 1990-91	वास्तविक व्यय 1991-92	संशोधित अनुमान 1992-93	आय-व्ययक अनुमान 1993-94
राज्य का बजट	4843.32	6096.31	6382 39	7204.38
तनख्वाह तथा प्रशासन पर व्यय	1177.04	1437.66	1710.87	1929.11
प्रतिशत	24.30	23.58	26.81	26.78

(4) प्रश्न के भाग संख्या 4 के सम्बन्ध में उल्लेख है कि वित्त विभाग द्वारा पदों के हिसाब से व्यय का उल्लेख संधारण नहीं किया जाता है तथा राज्य सरकार द्वारा

(वित्त मंत्री)

योजना तथा गैर योजना मद से सम्बन्धित समस्त पदों पर जो संवेतन तथा भत्तों आदि के नाम से व्यय किया जाता है, वह निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

लेखे 1990-91	लेखे 1991-92	संशोधित अनुमान 1992-93	आय-व्ययक अनुमान 1993-94
1050.95	1286.54	1536.57	1757.16

(5) प्रश्न के भाग 5 में वांछित जानकारी का समावेश उक्त प्रश्न के भाग संख्या 3 की तालिका में सम्मिलित है।

राज्य का सरकारी व्यय

130. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकारी आमदनी का कितना प्रतिशत धन विकास कार्यों में व कितना प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भत्तों, मकान व बिजली पानी पर खर्च किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि आवश्यकता से अधिक दफ्तरी/कर्मचारियों के कारण काम के निपटारे में विलम्ब होता है व किसी एक व्यक्ति पर जुम्मेवारी डालने में अड़चन आती है ?

(3) सरकारी खर्च कम करने व प्रशासन को चुस्त व जुम्मेवार बनाने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि पर वित्तीय वर्ष 1993-94 के मूल अनुमानों के अनुसार 1757.18 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान है जो कि सभी स्रोतों से राजस्व आय का 33.76% है।

(2) आवश्यकतानुसार ही कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तथा सभी कर्मचारियों के कार्य अलग-अलग है। अतः एक व्यक्ति पर जिम्मेवारी डालने में अड़चन आने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) अनुत्पादक व्यय को कम करने एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए राज्य सरकार समय-समय पर प्रयास करती रहती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय-समय पर मितव्ययिता समितियों का गठन किया जाता रहा है ताकि विभिन्न विभागों के सम्पूर्ण व्यय का पुनरावलोकन किया जा सके एवं परिहार्य एवं अनुत्पादक व्यय को रोका जा सके। इस दृष्टि से

(वित्त मंत्री)

राजेन्द्र जैन समिति का वर्ष 1986–87 में गठन किया गया व इस समिति ने वर्ष 1989–90 तक विभिन्न विभागों के व्यय का पुनरावलोकन किया। वर्ष 1990–91 में भी एक समिति का पुनर्गठन किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 1993-94 में भी एक समिति श्री पी. एन. भण्डारी की अध्यक्षता में बनाई गई। इस समिति का मुख्य उद्देश्य अनावश्यक योजनाओं को इंगित करना, कार्यालयों में आवश्यकता से अधिक स्टाफ को कम करना, योजना से गैर योजना मद में हस्तान्तरित दायित्वों का पुनरावलोकन करना आदि है।

तहसील कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) की औद्योगिक भूमि की अवाप्ति

131. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ तहसील मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा घोषित कर रखा है ? हां, तो कब से ?

(2) इस औद्योगिक क्षेत्र पर कितनी भूमि सरकार द्वारा अवाप्त की गई तथा इसके विकास के लिये अब तक कितनी धन राशि व्यय हुई ?

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में चूना पत्थर की खान उपलब्ध है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस चूना पत्थर से इस औद्योगिक क्षेत्र में सीमेण्ट कारखाना लगाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

(5) कुशलगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में कितनी इकाइयों की स्थापना हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) कुशलगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिये अब तक सरकार ने क्या प्रयास किये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कुशलगढ़ औद्योगिक क्षेत्र वर्ष 1979–80 में घोषित किया गया है।

(2) इस औद्योगिक क्षेत्र हेतु 8.20 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की गई तथा इसके विकास के लिए रीको द्वारा अब तक कुल 1.66 लाख की धनराशि व्यय की गई हैं।

(3) जी हां। कुशलगढ़ तहसील क्षेत्र में चूना पत्थर की खाने स्वीकृत हैं।

(4) राज्य सरकार उद्योग नहीं लगाती है अपितु उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराती है। वर्तमान में कुशलगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में सीमेंट कारखाना लगाने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(5) कुशलगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक एक ही उद्योग मैसर्स अम्बर इलेक्ट्रिकल्स उद्योग की स्थापना हुई है। वर्तमान में यह इकाई भी बन्द पड़ी हुई हैं।

(उद्योग मंत्री)

(6) कुशलगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को आकृष्ट करने के लिये रीको द्वारा सम्बन्धित विभागों मे समन्वय कर जिले के समीप राज्य मध्यप्रदेश के रतलाम व इन्दौर में औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित किये गये है जिसके फलस्वरूप इन्दौर के दो उद्यमियों ने इस क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु रीको से भू-खण्ड लिये हैं। इन उद्यमियों के नाम व विवरण निम्ननुसार है :—

1. मै. राजा पेन्ट्स 1000 वर्गमीटर भूमि
2. मै. पायोरियर इण्डस्ट्रीज 1000 वर्गमीटर भूमि

वित्त निगम तथा रीको द्वारा उद्योगों में विनियोजित पूंजी पर ब्याज की वसूली

132. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्त निगम तथा रीको द्वारा नये उद्योगों के लिए उद्यमियों को पूंजी विनियोजन अनुदान के रूप में काफी बड़ी राशियां दी हुई हैं ? परन्तु सरकार द्वारा इन संस्थाओं को इसका पुनर्भरण नहीं किये जाने के कारण रीको तथा वित्त निगम द्वारा उद्यमियों से पूंजी विनियोजन अनुदान राशि पर ब्याज वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसी कुल राशि कितनी है और उद्यमिगों से इस राशि पर कुल कितना ब्याज वसूल किया गया ?

(2) उद्योगों की इस समस्या का निराकरण सरकार कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 के अन्तर्गत राज्य के बजट में प्रावधित राशि के अतिरिक्त राशि का आवंटन कराने के उपरान्त भी अनुदान के अधिक क्लेम प्राप्त होने की स्थिति में रीको एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्वयं के फण्ड से राशि उपलब्ध करायी जाती है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्वयं के 4.40 करोड़ रुपये एवं रीको द्वारा 118.84 लाख रुपयों की राशि अग्रिम के रूप में दी हुई है। जिसका पुर्नभरण किया जाना है। वित्त निगम द्वारा दी गई राशि पर उद्यमियों से ब्याज की राशि 1-4-94 को देय होने के पश्चात् वसूल की जायेगी तथा रीको द्वारा 7.66 लाख रुपये की राशि ब्याज के रूप में उद्यमियों से वसूल की गई हैं।

(2) इस समस्या के निराकरण हेतु भविष्य में पूंजी विनियोजन अनुदान के लिए बजट में अधिक राशि का प्रावधान करवाने तथा चालू वित्तीय वर्ष में प्रावधित राशि के अतिरिक्त और राशि अन्य मदों की बचत से प्राप्त कर इन संस्थाओं को आवंटित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जिला जोधपुर में लाइम स्टोन के खनन हेतु भूमि का आवंटन

133. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा लीज पर जोधपुर जिले के हरियाणा गांव के पास खनिज लाइम के खनन हेतु क्षेत्र आवेदित कर रखा है ?

(2) क्या यह सही है कि निगम की पिछले तीन वर्षों से विकास की गतिविधियों को देखते हुए खनिज अभियन्ता, जोधपुर ने निगम को यह क्षेत्र लीज पर देने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो यह क्षेत्र अभी तक लीज पर क्यों नहीं दिया गया है ?

(3) अब सरकार निगम को लीज के लिए आवेदित क्षेत्र कब तक स्वीकृति करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

(3) निगम द्वारा 330 है. क्षेत्र के लिए खनन पट्टे हेतु आवेदन किया गया था इसमें से 30 हैक्टेर क्षेत्र पूर्व में ए. सी. सी. द्वारा धारित पूर्वक्षण अनुज्ञा पत्र से विरोधित होता है । जो राजपत्र में रिक्त घोषित नहीं हुआ है । शेष 300 हैक्टयर क्षेत्र पर निगम राजकीय अभिकर्त्ता के रूप में कार्यरत हैं । फलस्वरूप उक्त क्षेत्र का खनन पट्टा दिये जाने की स्थिति नहीं है ।

बिजोलियां (भीलवाड़ा) में अवैध खनन

134. श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बिजोलियां ऊपरमाल क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए विगत तीन वर्षों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या राजस्थान अप्रधान खनिज रियासती नियम 1986 के नियम 48 के तहत प्रकरण दर्ज हुए हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(3) राजस्व वसूली के अलावा खान विभाग द्वारा "पंचनामा" "औजार जब्ती" 'प्राथमिकी" इत्यादि कितने प्रकरण अवैध खनन के दर्ज कराये गये हैं ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले के तहसील माण्डलगढ़ खण्ड बिजौलिया ऊपरमाल क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिये विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय पर व विशेष अभियान चलाकर क्षेत्र की चैकिंग की जाती रही है । गत तीन वर्षों में क्षेत्र में पकड़े गये मामलों व की गई वसूली का विवरण निम्ननुसार है :—

(खनिज मंत्री)

वर्ष	पकड़े गये मामले	वसूली	औजार जब्ती (वर्जन किलो में)	खनिज जब्त	एफ. आई. आर. दर्ज
91–92	233	9,16,322/–रु.	479	37 ट्रक	—
92–93	88	6,44,210/–रु.	398	36 ,,	4
93–94	89	6,93,207/–रु.	402	34 ,,	—

विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में अवैध खनन के नियन्त्रण हेतु "15" बाऊड्रिज में कुल 801 ब्लाक/प्लाट आवंटित किये गये हैं, जिससे क्षेत्र में अवैध खनन पर अंकुश लगा है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48 के तहत विगत 3 वर्षों में "410" मामले बनाये गये।

(3) प्रश्न का उत्तर भाग–1 के जबाब में निहित है।

पाली शहर के उद्योगों में प्रदूषण निवारण यन्त्र

135. **श्री भीमराज** (पाली) : क्या वन (पर्यावरण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली शहर में वर्तमान में कितने जल प्रदूषण निवारण संयंत्र कब से कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या यह संयंत्र सारी फैक्ट्रियां से निकल रहे सम्पूर्ण दूषित जल को स्वच्छ करने हेतु सक्षम हैं ? यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही हैं ?

(3) क्या पाली नगर परिषद् द्वारा रंगाई-छपाई के फैक्ट्री मालिकों से प्रति गांव प्रदूषण के निवारण हेतु राशि एकत्रित की जा रही है ? यदि हां, तो इस मद में इकट्ठी हुई धनराशि से दूसरे जल प्रदूषण निवारण संयंत्र का निर्माण कार्य कब शुरू करवाया जा रहा है एवं इस मद में कितनी धनराशि एकत्रित कर ली गई हैं ?

उत्तर

(1) पाली शहर में वर्तमान में एक संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र (सी. ई. टी. पी.) वर्ष 1983 से कार्यरत है।

(2) जी नहीं। पाली में रंगाई-छपाई उद्योग से निकल रहे दूषित जल को प्रदूषण रहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान संयंत्र की क्षमता बढ़ाने व अन्य दो संयुक्त उच्छिषठ उपचार संयंत्र (सी. ई. टी. पी.) को लगाने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) जी हां। अब तक जमा राशि करीब 2·52 करोड़ रुपया जमा है। इस

(वन (पर्यावरण) मंत्री)

राशि तथा अन्य स्रोतों-भारत सरकार/राज्य सरकार/नगर परिषद् व अन्य से प्राप्त कुल राशि का उपयोग वर्तमान संयंत्र की क्षमता बढ़ाने तथा दूसरे दो और संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार सयंत्र (सी. ई. पी. पी.) के निर्माण हेतु किया जाना प्रस्तावित है।

पर्यावरण निवारण हेतु वन विकास योजना

136. श्री दलीचन्द (दानपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पर्यावरण की गम्भीर समस्या हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में क्या-क्या योजनायें बनाई जा रही हैं ?

(2) इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार कहां तक दृढ़ सकल्प है ?

(3) वर्तमान में एवं पूर्व में दानपुर विधान सभा क्षेत्र में वन विकास सम्बन्धित गतिविधियां एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में क्यों कर शिथिलता बरती जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र की लाखों हैक्टर भूमि बंजर पड़ी हुई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) पर्यावरण की गम्भीर समस्या के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम/योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

1. वन विभाग के माध्यम से वृहद स्तर पर परिभाषित वन भूमि को त्वरित गति से वृक्षादित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य में यह कार्य मुख्य रूप से जापान सरकार के सहयोग से इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण योजना, अरावली परियोजना अन्तर्गत तथा भारत सरकार की सहायता से मरुस्थल विकास कार्यक्रम, एकीकृत पडत भूमि विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा नियमित रूप से निम्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं—

1. जल व वायु संसाधनों को वहन क्षमता का पता लगाना एवं प्रबन्धन
2. केन्द्र सरकार की मिनार (MINAR) योजना के तहत राज्य के मुख्य जन स्रोतों का परिवीक्षण
3. केन्द्र एवं राज्य मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत अलवर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर शहरों में वातावरण की वायु की सतत् परिवीक्षण
4. राज्य के बड़े शहरों में वातावरण में ध्वनि प्रदूषण का परिवीक्षण
5. पर्यावरण क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान कार्यों में सहायता
6. पर्यावरण क्षेत्र में जन जागरण कार्यक्रम।

राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल द्वारा प्रस्तावित योजनाएं—

1. उदयपुर शहर की झीलों के आसपास के क्षेत्रों में भूमिगत जल का परीवीक्षण

(वन मंत्री)

2. भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय नदीकार्य योजना के तहत चम्बल नदी में कोटा से केशोरायपाटन तक जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु।

3. पश्चिम राजस्थान के पाली, जोधपुर एवं बालोतरा शहर में रंगाई-छपाई के लघु उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम हेतु इन शहरों में संयुक्त उपचार संयत्र की स्थापना।

4. राजस्थान में भूगर्भिय जल की गुणवत्ता का परिवीक्षण

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की सहायता से राज्य मण्डल की केन्द्रीय प्रयोगशाला का सुदृढ़िकरण किया जा रहा है।

3. पर्यावरण विभाग के माध्यम से निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं :—

1. राष्ट्रीय नम भूमि योजना के अन्तर्गत सांभर झील, पिछोला व फतेहसागर झीलों में पर्यावरण सुधार कार्यक्रम।

2. केन्द्र सरकार की नेशनल लेक कन्जरवेशन प्लान के अन्तर्गत उदयपुर स्थित फतेहसागर पीछोला, उदयसागर सहित अन्य झीलों में पर्यावरण संरक्षण कार्य।

पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जन चेतना जाग्रत करने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है तथा छात्र-छात्राओं के लिए राज्य/जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन, वर्ग पहली, पर्यावरण फिल्म प्रदर्शन, नाटक प्रदर्शन आदि-आदि।

(2) राज्य सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भरसक दृढ़ संकल्प है।

(3) वन विकास कार्यों में दानपुर विधान सभा क्षेत्र में तो पूर्व में और न ही वर्तमान में कोई शिथिलता बरती जा रही है। गत चार वर्षों में 1300 हैक्टर वृक्षारोपण लक्ष्यों के विरुद्ध शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति की गई है तथा वर्तमान में 1993-94 में 1131 हैक्टर वृक्षारोपण लक्ष्यों के विरूद्ध पूर्ण लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं।

(4) ऐसी स्थिति नहीं है, फिर भी सरकार प्रयत्नशील है।

विधान सभा क्षेत्र चौरासी (डूंगरपुर) के गांवों का विद्युतीकरण

137. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) डूंगरपुर जिले की चौरासी विधान सभा क्षेत्र के कुल कितने ऐसे गांव हैं जिनमें विद्युतीकरण नहीं हुआ है? सरकार कब तक इन ग्रामों का विद्युतीकरण करने का इरादा रखती है?

(2) क्या ग्राम मोण्डा में एक 32 के. वी. का जी. एस. एस. पिछले कई वर्षों से स्वीकृत पड़ा है? यदि हां, तो उसका कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? कार्य अधूरा रहने के क्या कारण हैं?

(श्री शंकरलाल अहारी)

(3) महुडीपाल जिसमें कर्मफले, नया गांव (सुराना) माल चौकी जो कि लम्बे समय से विद्युतीकृत हो चुके हैं, उक्त ग्रामों में कितने ऐसे परिवार हैं जिनको कुएं पर, घरों में बिजली का कनेक्शन दिया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले की चौरासी विधान सभा क्षेत्र में कुल 249 ग्रामों में से 210 ग्रामों का अब तक विद्युतीकरण किया जा चुका है। 39 ग्राम सभी अविद्युतिकृत हैं, जिसमें से 5 ग्राम वे हैं जो चालू वित्त वर्ष के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं। इनके इसी वर्ष विद्युतीकरण हो जाने की संभावना है शेष बचे हुये ग्रामों का विद्युतीकरण योजना मद में आवंटित वित्त एवं घोषित वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार आगामी वर्षों में वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पश्चात् कर पाना सम्भव होगा।

(2) टी. आफ भीण्डा 33 के. वी. लाईन तथा 33 के. वी. सब-स्टेशन भीण्डा स्वीकृत है। टी. आफ भीण्डा 33 के. वी. लाईन कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 33 के. वी. सब-स्टेशन का कार्य प्रगति पर है। जापान की उपलब्धि के अनुसार इसके इसी वर्ष पूर्ण किये जाने की संभावना है।

(3) प्रश्न में वर्णित ग्रामों में से एक ग्राम माल चौकी में 25 घरेलू एवं एक लघु औद्योगिक इकाई को कनेक्शन दिया गया है। प्रश्न में वर्णित अन्य ग्रामों में अभी कोई कनेक्शन नहीं है।

कामां (भरतपुर) के पंचायत मुख्यालयों का विद्युतीकरण

138. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र में ऐसे कितने पंचायत मुख्यालय हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं किया गया है ?

(2) क्या इन पंचायत मुख्यालयों का सरकार शीघ्र ही विद्युतीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं किया गया है :—

1. घोलेट
2. धारभीका
3. घोसिंगा

(2) उपरोक्त तीनों पंचायत मुख्यालयों में से घोसिंगा चालू वित्तीय वर्ष 1993-94 में विद्युतिकरण हेतु प्रस्तावित है। शेष दोनों पंचायत मुख्यालयों का योजना मद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित वित्त एवं घोषित वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों के वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित कर विद्युतीकरण कर पाना सम्भव हो सकेगा।

चम्बल नदी पर राहुघाट पन बिजली योजना

139. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चम्बल नदी पर राहुघाट पन बिजली योजना का सर्वे करवाया गया है ? यदि हां, तो कब ? सर्वे एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना का शिलान्यास भी किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब तथा किसके द्वारा ?

(3) शिलान्यास के बाद योजना की क्या प्रगति हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना को कब तक पूरा करवा लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा जून, 1987 में राहुघाट पर 40 मेगावाट की 4 इकाइयां लगाने हेतु एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट केन्द्र विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई थी। योजना प्रतिवेदन से सायलेण्ट फीचर्स का उद्धरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) चूंकि शिलान्यास ही नहीं हुआ है अतः उसके बाद क्रियान्विति की प्रगति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) योजना की स्वीकृति मिलने के पश्चात् ही इस बारे में बताया जा सकता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

कृषि हेतु विद्युत आपूर्ति

140. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में किसानों को कृषि कार्यों हेतु 8 घण्टे बिजली आपूर्ति की जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि 8 घंटे विद्युत् आपूर्ति करने के सरकारी आदेशों के बावजूद नागौर जिले में यह आपूर्ति केवल 5 घंटे या 6 घंटे ही हो पाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) नागौर जिले में मार्च, 1994 तक कितने किसानों को कृषि कनेक्शन देने बकाया हैं ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान में किसानों को कृषि कार्य हेतु 8 घन्टे ब्लाक्स (दिन रात की पारी) में तकनीकी व्यवधान एवं अपरिहार्य कारणों से हुई विद्युत कटौती को छोड़कर, विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) नागौर जिले में 132 के. वी. जी. एस. एस. नागौर से सम्बन्धित क्षेत्रों

(ऊर्जा मंत्री)

को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 8 घन्टे प्रतिदिन तकनीकी एवं अपरिहार्य कारणों से होने वाले व्यवधानों को छोड़कर 8 घन्टे ब्लाक्स (दिन रात की पारी) में कृषि कार्य हेतु किसानों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है। 132 के. वी. जी. एस. एस. नागौर से सम्बन्धित क्षेत्रों को वहां ट्रांसफार्मर क्षमता पर्याप्त नहीं होने के कारण, दिसम्बर, 1993 से प्रतिदिन 6-6 घन्टे ब्लाक्स में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। 132 के. वी. जी. एस. एस. नागौर पर ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(3) नागौर जिले में वर्ष 1993-94 में 1859 कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया, जिसके सापेक्ष 15 फरवरी, 1994 तक 1319 कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा लक्ष्यों के शेष 540 कृषि कनेक्शन मार्च, 1994 के अन्त तक दिये जाने की सम्भावना है। इन बकाया 540 कृषि कनेक्शन की तहसीलवार संख्या सूची "अ" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें।)

जिला जोधपुर में औद्योगिक कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन

141. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) औद्योगिक उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने की मण्डल में क्या प्रक्रिया है? क्या इसका कोई नियत समय है? यदि हां, तो क्या नियत समय में कनेक्शन जारी कर दिये जाते हैं?

(2) जोधपुर जिले में 3 वर्षों से कितने-कितने कनेक्शन विचाराधीन हैं? क्या इनके कनेक्शन नियत अवधि में जारी नहीं हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से तथा कब तक ये जारी हो जायेंगे, इसके विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मण्डल ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) औद्योगिक कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार तकमीना बनाने की कार्यवाही कर तकनीकी दृष्टि से साध्य पाये जाने वाले आवेदन पत्रों को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने पर श्रेणीवार प्राथमिकता के आधार पर मांग पत्र जारी किया जाता है। मांग पत्र की राशि व एल फार्म प्राप्त होने के पश्चात् वरीयता क्रम से औद्योगिक कनेक्शन सामान की उपलब्धता के आधार पर दिये जाते हैं। जनरल कण्डीशन आफ सप्लाई के नियम के अनुसार कनेक्शन 45 दिन में दिये जाने की समयावधि का प्रावधान है। सामान्यतः निश्चित अवधि में उपरोक्त सभी प्रक्रियायें विशेषतः आवेदकों द्वारा सभी औपचारिकताएं समय पर पूर्ण नहीं हो पाती हैं। अतः सभी आवेदकों को कनेक्शन समय पर दिया जाना सम्भव नहीं हो पाता।

(2) वर्तमान में जोधपुर जिले में 3 वर्षों से 285 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

इन विचाराधीन आवेदकों को उपरोक्त कारणों से नियत अवधि में कनेक्शन दिया जाना सम्भव नहीं हो सका। इन आवेदकों द्वारा वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् वरीयता क्रम में प्राथमिकता से कनेक्शन दिये जायेंगे। इसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में शराब निर्माण

142. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में शराब निर्माण और उसके बेचने सम्बन्धी कोई नियम बने हुए हैं ?

(2) सरकार को शराब की खपत से प्रतिवर्ष किस प्रकार और कितनी आय होती है ?

(3) क्या संविधान में मद्यपान के उपयोग करने सम्बन्धी कोई प्रावधान/नियम बने हुए हैं ?

(4) क्या उक्त नियमों का सर्वथा पालन किया जाता है ?

(5) क्या सरकार के अधीन लोक कल्याण की दशा में शराब की खपत कम करने सम्बन्धी कोई योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) हां, राज्य में मदिरा निर्माण एवं विक्रय के लिये राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 राजस्थान आश्वनशाला नियम, 1976 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 बने हुए हैं।

(2) राज्य में आबकारी शुल्क, वेण्ड फीस, परमिट तथा अनुज्ञा शुल्क आदि से विगत तीन वर्षों में निम्न रुपयों की आय हुई (करोड़ों में)।

वर्ष 1990-91	256.08
वर्ष 1991-92	338.80
वर्ष 1992-93	397.77

(3) संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 47 में मद्य-निषेध नीति का प्रावधान है। मद्य-निषेध के सम्बन्ध में अलग से कोई नियम बने हुए नहीं हैं।

(4) वर्तमान में राज्य सरकार की मद्य-निषेध नीति घोषित नहीं है।

(5) वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं।

जिला जोधपुर के सहायक अभियन्ता कार्यालयों पर व्यय

143. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सिंचाई जोधपुर के अन्तर्गत कितने सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं तथा इनका मुख्यालय कहां-कहां पर है ?

(2) सन् 1990-91 से 1993-94 तक प्रतिवर्ष इनके कार्यालयों पर वेतन

(श्री माधवसिंह दीवान)

टी. ए. डी. ए., डीजल, गाड़ी का खर्च कितना-कितना आया ? सहायक अभियन्तावार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं के अन्तर्गत वर्ष 1990–91 से 1993–94 तक विभिन्न मदों में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संभाग, जोधपुर के अधीन 40 सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं। इनके मुख्यालय का ब्यौरा परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) सन् 1990–91 से 1992–93 एवं 1993–94 में माह जनवरी, 1994 तक प्रतिवर्ष इनके सहायक अभियन्ताओं के कार्यालयों पर वेतन, टी. ए., डी. ए, डीजल गाड़ियों का खर्चा का ब्यौरा सहायक अभियन्तावार अलग-अलग परिशिष्ट ब–1 से ब–20 में सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(3) उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं के द्वारा वर्ष 1990–91 से 1992–93 एवं 1993–94 के माह जनवरी, 1994 तक के विभिन्न मदों में किये गये खर्चे का ब्यौरा परिशिष्ट स–1 से स–23 में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला बारां में तालाब निर्माण की स्वीकृति

144. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले के पलिया व उतावली सिंचाई तालाबों की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या विभाग द्वारा उक्त दोनों सिंचाई तालाबों पर कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया ? यदि हां, तो कितना कार्य हो चुका है ?

(3) क्या वर्तमान में भी इन तालाबों पर विभाग द्वारा कार्य करवाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक कार्य प्रारम्भ करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इनकी स्वीकृति क्रमशः दिसम्बर, 1984 व जनवरी, 1985 में दी गई है।

(2) जी हां। इन योजनाओं पर क्रमशः 18.22 लाख व 19.86 लाख रुपये का कार्य किया जा चुका है।

(3) जी नहीं। जवाहर रोजगार योजना से धन उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही कार्य प्रारम्भ करवाये जा सकेंगे।

51

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में एनीकट निर्माण

145. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में कितने और कहां ऐसे स्थान हैं जहां एनीकट बनाये जा सकने की संभावना है ?

(2) क्या निकट भविष्य में इनके निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इन एनीकट्स पर अनुमानित लागत प्रत्येक की अलग-अलग, कितनी-कितनी आने की संभावना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) ऐसा कोई सर्वे नहीं किया गया है, जिसके आधार पर यह बताया जा सके कि किस-किस स्थान पर एनीकट बनाये जाने की सम्भावना है ।

(2) जी नहीं ।

(3) उपरोक्तानुसार ।

नायब तहसील इन्द्रगढ़ में इन्द्राणी बांध का निर्माण

146. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इन्द्रगढ़ नायब तहसील के इन्द्राणी बांध में किसानों की भूमि में पूरी सिंचाई हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इस बांध की दीवार को ऊंचा कर इसकी भराव क्षमता बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) बांध की भराव क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में तकनीकी आंकलन किया जा रहा है ।

आदिवासी क्षेत्रों में बरसाती पानी को रोकने की योजनायें

147. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्रामीण एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जो बरसाती पानी बहकर चला जाता है उसको ग्रामीण एवं जनजाति क्षेत्रों में ही रोकने की क्या सरकार की कोई योजना है ? जिससे पानी का उक्त क्षेत्र के आदिवासी एवं ग्रामीण जनता सिंचाई के लिए उपयोग कर सके ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, जिला उदयपुर में इस प्रकार की क्या-क्या योजनायें अभी विचाराधीन है विवरण सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या होगा तथा उक्त योजनायें कहां-कहां प्रारम्भ किये जाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर की जो सिंचाई योजनाएं अभी विचाराधीन है उनका विवरण परिशिष्ट "अ" में प्रस्तुत है। लाभ लागत के आधार पर योजना की स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें।)

उपखण्ड नैनवा की सिंचाई परियोजना

148. **श्री शान्ति कुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नैनवा उपखण्ड के गोठड़ा बांध और पाईबालापुरा बांध की सिंचाई परियोजना के विस्तार के लिए सिंचाई विभाग द्वारा योजना का प्रारूप क्या है? क्या इस हेतु 2 करोड़ 67 लाख रुपये की मांग की गई थी? क्या प्रस्तावित परियोजना के कार्यक्षेत्र का विश्व बैंक के अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण भी किया जा चुका है? यदि हां, तो विश्व बैंक से बातचीत का क्या परिणाम सामने आया है?

(2) हाड़ौती (कोटा) सम्भाग में 6 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर चल रहे कार्य की प्रगति क्या है उनमें से कौनसी परियोजना कब तक पूरी होनी थी?

(3) कोटा (हाड़ौती) सम्भाग की किन-किन लिफ्ट सिंचाई योजना पर कार्य चल रहा है तथा उनके पूरे होने की अवधि क्या है?

(4) कोटा (हाड़ौती) सम्भाग में नई लिफ्ट सिंचाई योजना कहां-कहां प्रस्तावित है?

(5) केन्द्रीय सरकार तथा सैन्ट्रल वाटर बोर्ड के पास हाड़ौती सम्भाग की कौन-कौनसी सिंचाई योजना मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी है?

उत्तर

(1) नैनवां उपखण्ड के गोठड़ा एवं पाईवालापुरा बांध के नहर सिस्टम के सुचारू रूप से संचालन के लिए विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से नेशनल वाटर मैनेजमेन्ट स्कीम के तहत प्रस्ताव तैयार किये गये थे, जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः 202 लाख एवं 65.53 लाख रुपये थी। इस प्रोग्राम के तहत नहर सिस्टम एवं इन पर बने पक्के कार्यों को मोडीफाई करके जल वितरण को अधिक प्रभावशील बनाया जाना था। इस सम्बन्ध में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण किया जा चुका है। रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(2) हाड़ौती (कोटा संभाग) में मध्यम सिंचाई परियोजनायें सावन भादो, विलास परवन लिफ्ट, भीमसागर, छापी तथा हरिश्चन्द्र सागर प्रगति पर है, जिनकी प्रगति परिशिष्ट "अ" में दर्शाई गई है, ये परियोजनायें क्रमशः 1995–96, 1994–95, 1996–97, 1994–95, 1996-97

(सिंचाई मंत्री)

तथा 1994-95 में पूर्ण होने की सम्भावना है ?

(3) कोटा सम्भाग में काचरी, सोरखण्ड, गणेशगंज, अमलाखेदा, भूमरा लिफ्ट योजनाओं पर कार्य चल रहा है तथा उनकी क्रमश: 1994–95, 1994–95, 1994–95, 1994–95 तथा 1993–94 तक पूर्ण होने की सम्भावना हैं।

(4) प्रस्तावित नई लिफ्ट योजनाएं परिशिष्ट "ब" में दर्शायी गई हैं।

(5) केन्द्रीय सरकार (केन्द्रीय जल आयोग) के पास गरडदा, पीपलाद, लाखी व चाकन परियोजनाएं विचाराधीन है तथा चेतली व चौली परियोजनाओं की केन्द्रीय योजना आयोग से स्वीकृति अपेक्षित है जबकि टी. ए. सी. द्वारा इन दोनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

इन्दिरा गांधी नहर में लाइनिंग निर्माण

149. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1988-89 से अब तक वर्षवार कितनी लम्बाई की नहर (जिन में डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर इत्यादि अलग-अलग बताते हुए) की लाईनिंग करने का लक्ष्य रखा गया था ? इनमें कितनी एक टाइल की लाईनिंग की थी तथा कितनी दो टाइल की तथा कुल दोनों ही प्रकार की लाईनिंग कितने वर्ग मीटर की होनी थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1988-89 से लेकर अब तक प्रश्न के भाग (1) में उल्लेखित कार्यों में से वास्तविक रूप में कितना कार्य हुआ ? यदि कमी रही, तो उनके क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के अनुसार 31 जनवरी, 1994 तक कितनी उपलब्धि हो गयी है ? क्या लक्ष्य पूरे कर लिये जायेंगे ?

(4) नहर की लाईनिंग पर 1988-89 से अब तक बजट प्रावधान कितने रुपयों का था ? तथा कितना व्यय किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1988-89 से अब तक लक्ष्य के अनुसार नहर की वितरण प्रणाली की लाईनिंग निम्नानुसार की जानी थी :—

वर्ष	लम्बाई किलोमीटर		योग
	(बीकानेर सम्भाग)	(जैसलमेर सम्भाग)	
1988–89	161.70	163.58	325.28
1989–90	112.42	112.50	224.92

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

1990–91	129.70	161.10	290.80
1991–92	164.00	100.05	264.05
1992–93	112.70	95.86	208.56
1993–94	160.50	123.50	284.00

नोट :–लक्ष्यों का निर्धारण वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई में किया जाता है अलग-अलग प्रकार की लाईनिंग एवं क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं किया जाता। नहर विभाग में मुख्य लक्ष्य नहरों के पूर्ण होकर कितने अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिली उसको माना जाता है।

2) लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक प्राप्ति/कार्य को बीकानेर सम्भाग की सूचना प्रपत्र "अ" व जैसलमेर सम्भाग की सूचना प्रपत्र "ब" में दी है। लक्ष्यों से कम प्राप्ति के मुख्य कारण निम्न प्रकार है :—

(1) कार्यों की प्रगति वास्तविक धनराशि की उपलब्धि (बजट) के अनुरूप रही है।

(2) लक्ष्य सामान्यतया अधिक निर्धारित किये जाते हैं ताकि यदि अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हो तो उसका उपयोग किया जा सकें। वैसे भी लक्ष्य कुछ अधिक रखना ही उचित रहता है ताकि भिन्न-भिन्न प्रकार की कठिनाइयां आने के कारण यदि कुछ कम प्राप्तियां हो तो बजट की धनराशि को समर्पित (Surrenaer) न करना पड़े।

(3) चालू वित्तीय वर्ष 1993–94 में बीकानेर सम्भाग में 160.50 कि. मी. लाईनिंग का लक्ष्य रखा गया था जिसमें जनवरी, 1994 तक 103.76 कि. मी. लाईनिंग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। शेष कार्य के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। इसी प्रकार जैसलमेर सम्भाग में 123.5 कि. मी. के लक्ष्य की तुलना में 53.63 कि. मी. की प्राप्ति हुई। शेष कार्य पूर्ण कर लेने की संभावना है।

(4) बीकानेर सम्भाग में बजट प्रावधान शाखाओं व वितरिका तथा माईनरों पर वर्ष 1988–89 से 1993–94 तक 11659.17 लाख रुपये था। जिसमें से जनवरी 1994 तक 9525.22 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। इसी प्रकार जैसलमेर सम्भाग में 11006.3 लाख रुपये के प्रावधान के विरुद्ध जनवरी, 1994 तक 8592.13 लाख रु. व्यय किये जा चुके हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें।)

इंदिरा गांधी नहर पर व्यय

150. **श्री रामेश्वरलाल भाटी** (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर इस वर्ष कितना व्यय किये जाने का प्रावधान था तथा इस वर्ष अब तक कुल कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की जा चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस वर्ष तक प्रावधित कुल राशि व्यय होने की स्थिति में नहर निर्माण कार्य में कौन-कौन से लक्ष्य प्राप्त किये जा सकेंगे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1993–94 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए धन राशि के प्रावधान तथा जनवरी, 1994 तक व्यय की सूचना निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपये)

	राज्य योजना मद		बी. ए. डी. पी. मद में केन्द्रीय सहायता		योग	
	वर्ष 93-94 का प्रावधान	जनवरी 1994 तक खर्चा	वर्ष 93-94 का प्रावधान	जनवरी 1994 तक खर्चा	वर्ष 93-94 का प्रावधान	जनवरी 1994 तक खर्चा
प्रथम चरण	1200	403.70	—	—	1200	403.70
द्वितीय चरण	6800	4045.26	5200	3485.01	12000	7530.27
योग :	8000	4448.96	5200	3485.01	13200	7933.97

यह राशि मिट्टी के कार्यों, लाईनिंग व पक्के कार्य व परियोजना पर अन्य मदों पर व्यय की गई है ।

(2) मार्च, 1994 तक अनुमानित खर्च व लक्ष्य की सूचना निम्न प्रकार है :—

	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	योग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
—मार्च, 1993 तक व्यय (करोड़ रुपया)	285	791	986	

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

1	2	3	4	5
—वर्ष 1993-94 का प्रावधान (करोड़ रुपया)	12	120	132	
—मार्च, 1993 तक मुख्य नहर कार्य पूरा किया गया (किलो मीटर)	393	256	649	मुख्य नहर दिसम्बर, 86 में पूरी हो गई थी।
—मार्च, 1993 तक वितरक नहरों का का पूरा किया गया (किलो मीटर)	3129	1600	4720	
—वर्ष 1993-94 में वितरक नहरों को पूरा करने का लक्ष्य (किलो मीटर)	प्रथम चरण में छोटी नहरों के शेष कार्य, पक्के काम इत्यादि किये जा रहे हैं।	272	272	
—मार्च, 1993 तक वास्तविक सिंचाई (लाख हैक्टेयर)	6.15	0.71	6.86	
—मार्च, 1993 तक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई (लाख हैक्टेयर)	5.79	2.57	8.36	
—वर्ष 1993-94 में सिंचाई क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य (लाख हैक्टेयर)	—	0.45	0.45	

राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेजा (भीलवाड़ा) में अध्यापिकाओं के रिक्त पद

151. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेजा तहसील माण्डल में अध्यापिकाओं के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पदों पर अध्यापिका पद स्थापित है ?

(2) रिक्त पदों पर सरकार कब तक पदस्थापन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेजा में निम्नानुसार पद स्वीकृत एवं कार्यरत हैं :—

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	प्रधानाध्यापक (द्वितीय वेतन श्रृंखला)	1	1	—
2.	अध्यापक (तृतीय)	3	3	—

(2) कोई पद रिक्त नहीं है।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

152 श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेजा तहसील माण्डल को माध्यमिक विद्यालय में अब तक क्रमोन्नत नहीं किया गया है ? जबकि इससे छोटे रा. उ. प्रा. विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया गया। क्या उक्त विद्यालय को सरकार माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) उक्त विद्यालय को कितना भू-भाग आवंटित है ? विद्यालय के भू-भाग में से पंचायत द्वारा गैर कानूनी रूप से कब-कब और किस-किस को आवंटन पत्र जारी किये गये ? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने विद्यालय जमीन पर जबरन कब्जा कर वर्षों से कृषि कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो विद्यालय जमीन के आवंटन पत्र की प्रति, पंचायत द्वारा जारी गैर कानूनी रूप से आवंटन पत्र की प्रति, जबरन कब्जा जमाए लोगों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विद्यालय जमीन पर हुये कब्जा खाली करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ? यदि इस सम्बन्ध में सरकार जांच कराने का विचार करती है, तो किस स्तर के अधिकारी द्वारा और कब से ? विवरण सदकी की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां. प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुणों के आधार पर वित्तीय सीमा में विचार किया जा सकेगा।

(शिक्षा मंत्री)

(2) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को 81·4 बीघा भू-भाग आवंटित है। विद्यालय की जमीन पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। न ही किसी ने अतिक्रमण कर रखा है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, इटावा (कोटा) को भूमि आवंटन

153. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पीपल्दा तहसील के इटावा सीनियर हायर सैकेण्ड्री विद्यालय में कृषि का विषय है? यदि हां, तो इसके लिये भूमि कहां आवंटित की गई है?

(2) भूमि आवंटित नहीं कराई गई है तो सरकार कब तक भूमि आवंटन कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। इस विद्यालय में कृषि विषय है। मगर भूमि का आवंटन अभी तक नहीं किया गया है।

(2) निदेशालय द्वारा दिनांक 8-8-91 को जिला कलक्टर, कोटा को भूमि आवंटन हेतु लिखा गया है। जिला कलक्टर द्वारा भूमि आवंटन करने पर ही विद्यालय को भूमि उपलब्ध करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण

154. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है? यदि हां, तो क्या जन जाति क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 15 दिन का प्रशिक्षण पर्याप्त है?

उत्तर

जी हां।

राज्य में विद्यालयों के भवन निर्माण

155. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्यों में स्कूलों के भवन निर्माण एवं विस्तार के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है?

(2) जोधपुर जिले में कौन-कौन सी शालाओं के भवन निर्माण एवं विस्तार के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं एवं उन्हें स्वीकृत करने के क्या मानदण्ड है? क्या ये प्रस्ताव स्वीकृत मानदण्ड पूरा करते हैं? यदि हां, तो ये प्रस्ताव कब तक स्वीकृत हो जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सीमा में स्कूल भवनों के निर्माण एव विस्तार हेतु राशि आवंटित की जाती है।

(2) जोधपुर जिले के निम्न विद्यालयों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

1. रा. बा. मा. विद्यालय, महामन्दिर
2. रा. बा. मा. विद्यालय, मथानिया
3. रा. पूर्व प्रा. विद्यालय, शास्त्रीनगर

स्वीकृत करने हेतु निर्धारित मानदण्ड नहीं हैं। वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता

(शिक्षा मंत्री)

होने पर गुणावगुण के आधार पर स्वीकृति दी जाती है।

विद्यालय क्रमोन्नयन के मानदण्ड

156. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के क्या-क्या मापदण्ड हैं ?

(2) उक्त मापदण्डों के तहत बेगूं विधान सभा क्षेत्र में कितने और कौन-कौन प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने की अर्हिताएं रखते हैं ?

(3) उक्त अर्हितता रखने वाले विद्यालयों में से कितने और कौन-कौन से विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का सरकार निकट भविष्य में विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय को और कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करते समय निम्न मापदण्डों को ध्यान में रखा जाता है :—

1. जनसंख्या
2. छात्रसंख्या
3. फिडर विद्यालय
4. भवन की स्थिति
5. निकटतम उपलब्ध शिक्षा सुविधा
6. बजट की उपलब्धता
7. जनप्रतिनिधियों की मांग एवं गुणवगुण आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(2) सत्र 94-95 में बजट उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य विद्यालयों को क्रमोन्नत करते समय बेगूं विधान सभा क्षेत्र के विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने पर गुणवगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(3) बजट उपलब्ध होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ बेगूं विधान सभा क्षेत्र के विद्यालय क्रमोन्नति प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

मेवात क्षेत्र में उर्दू विद्यालय

157. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तृतीय भाषा-संस्कृत एवं उर्दू के विद्यालय, एस. टी. सी. राजस्थान में कहां कहां पर व कितने हैं ?

(2) अलवर, भरतपुर में राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय कितने हैं ?

(3) क्या यह सही है कि मेवात क्षेत्र में उर्दू विद्यालय एक भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे विद्यालय खोलने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तृतीय भाषा संस्कृत एवं तृतीय भाषा उर्दू का राज्य में कोई पृथक से विद्यालय नहीं है। संस्कृत एवं उर्दू तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। राज्य में संस्कृत के दो तथा राजकीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, महापुरा, जयपुर एवं निम्बार्क शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, उदयपुर तथा उर्दू के लिए अल्प भाषायी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, अजमेर में 40 सीटें तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान टोंक में 15 सीटें स्वीकृत है।

(2) अलवर व भरतपुर में राजकीय व मान्यता प्राप्त विद्यालय निम्नानुसार है :—

राजकीय

जिला	सी.उ. मा.वि	मा.वि.	उ.प्रा.वि.	प्रा.वि.
भरतपुर	27	133	327	85
अलवर	47	155	452	89
योग	74	288	779	174

मान्यता प्राप्त

जिला	सी.उ. मा.वि.	मा.वि.	उ.प्रा.वि.	प्रा वि.
भरतपुर	06	12	87	125
अलवर	08	24	114	266
योग	14	36	201	391

(3) जी नहीं।

राज्य की साक्षरता योजना

158. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या साक्षरता प्रतिशत में बढ़ोतरी हेतु राज्य में विभिन्न योजनाऐं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? जिलों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पंचायत समिति नैनवां में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बन्द करने के पश्चात् सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के लिये कोई अन्य योजना प्रारम्भ की गई है ? यदि हां, तो कौनसी योजना ? कब से ? यदि नहीं, तो अब कौनसी योजना प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में औद्योगिक शिक्षा विद्यालयों के अतिरिक्त सात्ररता प्रतिशत बढ़ोतरी हेतु निम्न योजनायें संचालित की जा रही है :—

1. अनौपचारिक शिक्षा वर्ष 1975 से प्रारम्भ हुई। वर्तमान में राज्य के 30 जिलों में यह योजना संचालित है।
2. व्यापक साक्षरता कार्यक्रम वर्ष 1986 से समस्त राजस्थान में संचालित है।
3. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1988 से लगातार-बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर में।

(शिक्षा मंत्री)

4. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम 1990-91 लगातार अजमेर, डूंगरपुर, भरतपुर, सीकर, टोंक, बारां एवं पाली में।

5. शिक्षाकर्मी परियोजना 1987-88 से एवं लोक-जुम्बिश परियोजना 1992 से संलग्न सूची में चिन्हित जिलों में संचालित है।

(2) जी हां। राज्य में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से विभिन्न जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। बून्दी जिले को भी सम्पूर्ण साक्षरता अभियान अन्तर्गत आगामी वर्षों में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें।)

जिला नागौर में पशु चिकित्सालय

159. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार वर्तमान वर्ष 1994-95 के दौरान नागौर जिले में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने औषधालय खोले जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पशु चिकित्सालय खोलने का मानदण्ड सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं?

(3) क्या यह सही है कि जिला नागौर के कई पशु चिकित्सालयों में डॉक्टर, कम्पाउण्डर एवं अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने व कब से? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पशु चिकित्सालयों में 373 डॉक्टरों के रिक्त पदों में से 150 पदों पर दिनांक 23-2-94 को नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। शेष पदों को भरने के लिये डिग्रीधारी पशु चिकित्सक की उपलब्धि के अनुसार पदों को भरा जावेगा। इसके पश्चात् ही नये पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

(2) नया पशु चिकित्सालय खोलते समय पशु संख्या, क्षेत्र में पूर्व से कार्यशील पशु चिकित्सा संस्था से दूरी एवं आवश्यक सुविधाएं जैसे भवन, डाक व्यवस्था, आवागमन के साधन आदि को ध्यान में रखा जाता है।

(3) नागौर जिले में एक शल्य पशु चिकित्सक तथा 22 डॉक्टरों के पद रिक्त थे, इनमें से 10 पदों को भरने के लिए दिनांक 23-2-94 को नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं। अब 12 डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। एक पद पशु चिकित्सा सहायक तथा 4 पद पशु धन सहायकों के भी रिक्त हैं। जिनकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र दानपुर (बांसवाड़ा) में चिकित्सालय

160. श्री दलीचन्द (दानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा के दानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चिकित्सा से सम्बन्धित कितनी पी. एच. सी. रेफरल हॉस्पिटल डिस्पेन्सरियां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दूर-दराज एवं पहाड़ी क्षेत्रों में अभी तक चिकित्सा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो सरकार ऐसे क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत रेफरल हॉस्पिटल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्रों द्वारा चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है। सम्पूर्ण राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 40 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाते हैं। वर्ष 1993–94 तक लगभग प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जा चुका है। वित्तीय संसाधन के अनुरूप सम्पूर्ण राज्य में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार हेतु कारगर प्रयास किये गये हैं परन्तु भारत सरकार से वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण लगभग तीन, चार वर्षों से राज्य में कोई भी नवीन उप केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें।)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुचेरा (नागौर) में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद

161. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुचेरा (नागौर) में जो डाक्टरों के चार पद सृजित हैं उन पदों में से विशेषज्ञ डाक्टरों के दो पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो कब तक इन पदों को भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुचेरा में महिला चिकित्सक का पद लम्बे समय से रिक्त है ? यदि हां, तो कब तक इस रिक्त पद पर नियुक्ति कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि एक्स-रे मशीन कुचेरा के अस्पताल में जब से लगी थी तब से बंद पड़ी है ? यदि हां, तो इसकी रिपेयरिंग कब तक करवाकर चालू करवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुचेरा में डॉक्टरों के चार पद निम्न प्रकार स्वीकृत हैं :—

1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन सर्जरी)-2
2. वरिष्ठ चि. अ. (महिला)–1
3. चिकित्सा अधिकारी–1

कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) पर डा. आर. सी. दिनकर नियुक्त हैं जो दिनांक 4-4-92 से अनुपस्थित है।

कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद के विरुद्ध डा. टी. आर. चौधरी (एम. एस.) चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित हैं।

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (महिला) के पद के विरुद्ध डा. केसरसिंह उदावत पद-स्थापित हैं।

चिकित्सा अधिकारी के पद पर डा. हरवंस सिंह बरार पदस्थापित हैं जो फिलहाल ऐनेस्थसिया प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(2) जी हां। महिला चिकित्सक उपलब्ध होने पर पदस्थापित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) कुचेरा में एक्स-रे मशीन 1991-92 में क्रय की गई तथा चालू हो गई थी, किन्तु गारन्टी अवधि में दिनांक 30-1-93 से ट्यूब खराब हो जाने से मशीन बन्द है जिसके लिये सम्बन्धित कम्पनी को रिप्लेस करने हेतु कार्यवाही चल रही है।

पंचायत समिति में रेफरल चिकित्सालय की स्थापना

162. श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रत्येक बड़ी पंचायत समिति में एक से अधिक रेफरल चिकित्सालय खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

(2) क्या सरकार बिजौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल तथा उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक ही प्रकार की संस्था है अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

चुनाव के दौरान मेडिकल महाविद्यालयों में स्थानान्तरण

163. श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 10वीं विधान सभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने स्थानान्तरणों पर रोक लगायी थी ? यदि हां, तो सम्बन्धित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेशों की अवहेलना करके राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर एवं लैक्चरर्स के स्थानान्तरण रिक्त पद अथवा रिक्त पद के विरुद्ध किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे स्थानान्तरण आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) चुनाव आयोग के निर्देशों के विपरीत ऐसे स्थानान्तरणों को क्या राज्य सरकार उचित मानती है ? यदि नहीं, तो अब कब तक ऐसे स्थानान्तरण निरस्त कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार ने यह सूचना चुनाव आयोग को दी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार अब ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करके स्थानान्तरण किये ? कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दसवीं विधान सभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने स्थानान्तरण पर रोक लगाई थी। सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। कॉलेजों में कार्यरत प्रोफेसर, रीडर एवं लैक्चरर्स के स्थानान्तरण रिक्त पद अथवा रिक्त पद के विरुद्ध किये गये हैं जो कि चुनाव आयोग के द्वारा जारी आदेश के अनुरूप ही है।

(3) चुनाव आयोग के निर्देशों के विपरीत स्थानान्तरण विभाग द्वारा नहीं किये गये हैं। अतः स्थानान्तरणों को निरस्त किये जाने की आवश्यकता ही नहीं है।

(4) चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत विभाग द्वारा कोई स्थानान्तरण नहीं किये गये।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

जिला उदयपुर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

164. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) एवं **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले की पंचायत समिति झाड़ोल एवं कोटड़ा में किस-किस श्रेणी के चिकित्सालय/चिकित्सा केन्द्र कहां-कहां पर हैं तथा प्रत्येक में कौन-कौन सी श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृत पदों के अनुसार सभी चिकित्सालयों/केन्द्रों में अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो कहां-कहां पर कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं तथा इनके रिक्त रहने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकारी प्रतिबन्ध होने के बाद भी यहां नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों को अन्यत्र प्रतिनियुक्ति

(श्री कुबेर सिंह)

पर पदस्थापित कर रखा है ? यदि हां, तो इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसको निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या कार्यरत चिकित्सक अपने मुख्यालयों पर रहते हैं ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, कुछ एक पद रिक्त है। रिक्त पदों का विवरण प्रश्न के भाग एक की सूची में अंकित है।

प्रशिक्षित एवं पात्र अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं हो पाने तथा कुछ एक वर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो पाने आदि के कारण कुछ वर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के पद रिक्त हैं।

(3) जी नहीं।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(4) जी हाँ।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल में रजिस्ट्रार का पद

165. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल में पूर्णकालीन रजिस्ट्रार का पद सृजित है ? यदि हां तो उस पर वर्तमान में कौन व्यक्ति किस योग्यता के आधार पर कार्यरत हैं ?

(2) क्या कौन्सिल में सेवा निवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने के नियम हैं ? यदि हां, तो किस आयु तक के कर्मचारियों की कितने वर्ष तक सेवा लेने का नियम है ? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में कौन-कौन सेवा निवृत्त कर्मचारी कब-कब से किस-किस पद पर कार्यरत है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस पद पर वर्तमान में श्री रामावतार मेहता नर्सिंग अधीक्षक-प्रथम अंशकालीन रूप से कार्य सम्पादन कर रहे हैं जो इस पद हेतु पूर्व निर्धारित पूर्ण पात्रता एवं योग्यता रखते हैं।

(2) जी हां, कौन्सिल द्वारा नर्सिंग कौन्सिल एक्ट की धारा 9 के अन्तर्गत नियुक्त करने का प्रावधान है। नियमों में आयु सीमा का उल्लेख नहीं है। अधिनियम की प्रति संलग्न है।

(3) वर्तमान में तीन सेवा निवृत्त कर्मचारी कार्यरत है, जिसका विवरण निम्न है :—

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

1. श्री बलवन्त सिंह क्लर्क 1-3-80
2. श्री प्रकाशचन्द यादव क्लर्क 1-10-88
3. श्री चांदमल शर्मा क्लर्क 1-6-93

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

प्रदेश में एड्स रोगी

166. **श्री रामेश्वरलाल भाटी** (सुजानगढ़), **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) एवं **श्री बनवारीलाल भिण्डा** (फतेहपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में एड्स के रोग के सम्बन्ध में क्या राजस्थान में कोई सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो राज्य में ऐसे कितने रोगी किन-किन जिलों में पाये गये ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि उक्त सम्बन्ध में कोई सर्वे नहीं कराया गया तो क्यों ? सरकार इस रोग की रोकथाम हेतु क्या कारगर कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। सवाई मानसिंह चिकित्सालय के माइक्रोबायलोजी विभाग में स्थित राज्य के एक मात्र सर्वेलेन्स सेन्टर द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेष दल भेज कर सर्वे कराने का वर्तमान में प्रावधान नहीं हैं। इस सर्वेलेन्स सेन्टर में दिसम्बर, 1993 तक अस्पताल में भर्ती व बाह्य रोगियों के खून की जांच एच. आई. वी. संक्रमण हेतु की जाती रही।

जनवरी, 1994 से राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन भारत सरकार के निर्देशानुसार योन रोगियों व गर्भवती महिलाओं के एच. आई. वी. संक्रमण की सम्भावित दर ज्ञात करने के लिये सर्वेलेन्स सेन्टर द्वारा सर्वे कार्य उक्त माइक्रोबायलोजी विभाग द्वारा किया जा रहा है।

अब तक के नतीजों में 397 गर्भवती महिलाओं में से एक भी एच. आई. वी. संक्रमण से पीड़ित नहीं पाई गई। जबकि 85 योन रोगियों में से 5 में एच. आई. वी. संक्रमण पाया गया। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी मेडिकल कालेजों के अस्पतालों के ब्लड बैंक में रक्त दाताओं के खून की जांच एच. आई. वी. संक्रमण हेतु की जाती है।

दिसम्बर, 93 के अन्त तक राज्य में एच. आई. वी. संक्रमण से पीड़ित पाये गये कुल व्यक्तियों की जिलेवार सूची संलग्न हैं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता। एड्स रोग की रोकथाम हेतु भारत सरकार के एड्स नियन्त्रण संगठन द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमानुसार संलग्न 7 सूत्रीय कार्यक्रमानुसार कारगर कदम उठाये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें।)

प्रदेश के मेडिकल महाविद्यालयों में प्रवेश

167. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में चल रहे मेडिकल कालेजों में राज्य के बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों को अलग-अलग क्लासों में भर्ती किया जाता है ? यदि हाँ, तो इसके लिये क्या नियम बने हुए हैं ?

(2) वर्ष 1988-89 से 1993-94 के वर्ष तक जिन लोगों को भर्ती किया उनकी सूचना निम्न प्रोफार्मा में देने का कष्ट करें :—

वर्ष 1988-89	नाम कालेज जहां भर्ती किया	नाम कालेज जहां से भर्ती होने वाला आया
1	2	3
वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष इत्यादि 1993-94	नाम विद्यार्थी पिता के नाम सहित	विशेष कारण यदि हो
4	5	6

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि राज्य में चल रहे मेडिकल कालेजों में राज्य के बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों को अलग-अलग कक्षाओं में भर्ती किया जाता है बल्कि राज्य के बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों का माइग्रेशन प्रथम एम. बी. बी. एस. उत्तीर्ण करने के तीन माह के अन्दर चतुर्थ सेमिस्टर (द्वितीय एम. बी. बी एस.) में किया जाता है। ये छात्र 18 महीनें अध्ययन के पश्चात् द्वितीय एम. बी. बी. एम. परीक्षा में बैठने के योग्य होते हैं। ऐसा भारतीय चिकित्सा परिषद् नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत किया जाता है। भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा जारी गाइड लाइन्स की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1988–89 से 1993–94 तक जिन लोगों को भर्ती किया गया है उनकी सूचना वांछित प्रपत्र में संलग्न है।

(प्रति एवं सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राजस्थान पर्यटन निगम द्वारा आदेशों की अवमानना

168. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम को गत तीन वर्षों में कोई डाइरेक्टिव्ज, आदेश अथवा निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो किस-किस विषय में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निगम ने सरकार द्वारा दिये गये डाइरेक्टिव्ज, आदेश एवं निर्देशों का पालन किया है ? यदि हां, तो किस-किस रूप में ? यदि नहीं, तो किस-किस डाइ-

(श्री विष्णु मोदी)

रेक्टिव, आदेश अथवा निदेश का पालन नहीं किया है और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने निगम द्वारा पालना नहीं किये जाने के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा निगम को, निम्न डाइरेक्टिव्ज, आदेश अथवा निर्देश जारी किये हैं :—

1. निगम कर्मचारियों पर पेंशन नियम लागू करना।
2. कर्मचारियों को 9, 18, 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।
3. निगमों की अधिवेष कर्मचारियों को समायोजित करने के क्रम में।
4. घाटे के संस्थानों में नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध।
5. राज्य सरकार से गारन्टी ऋण पत्रों के सम्बन्ध में।
6. बोनस भुगतान के सम्बन्ध में परिपत्र था।
7. राजकीय व्यय में मितव्ययता बरतने के सम्बन्ध में।

उक्त के अतिरिक्त निगम के कार्यकलापों में सुधार हेतु राजकीय उपक्रम विभाग (बी. पी. ई.) की बैठकों में लिये गये निर्णय की अनुपालना में दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत निगम द्वारा कार्यवाही की जाती है, व की गई कार्यवाही का त्रैमासिक विवरण राजकीय उपक्रम विभाग को भिजवाया जाता है, एवं उस क्रम में प्राप्त दिशा निर्देशों की अनुपालना की जाती है।

(2) जी हां। डाइरेक्टिव्ज, आदेश एवं निर्देशों की पालना की गई है, जो निम्न प्रकार हैं—

1. निगम ने 1-4-91 से पेंशन नियम लागू कर दिये हैं, जिसके आदेश पत्र क्रमांक–एफ. एस./ई. पी. एफ/91–92/2628 दिनांक 10-6-91 को जारी किये जा चुके हैं।
2. निगम ने 9, 18, 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान दिये जाने के आदेश पत्रांक पी. जी. ए.–II/93–94/18950 दिनांक 20-12-93 के द्वारा प्रसारित कर दिये हैं।
3. निगम को ऐसा कोई मामला नहीं भिजवाया गया।
4. निगम लाभ की स्थिति में होने के कारण यह लागू नहीं होता।
5. राज्य सरकार के निर्देशों की पालना की जा रही है।
6. इसकी पालना की गई है, तथापि वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में 1% अतिरिक्त एक्सग्रेशिया का भुगतान

(पर्यटन राज्य मंत्री)

संचालक मण्डल की अनुमति से किया गया।

7. निर्देशानुसार अनुपालना की जा रही है।

(3) चूंकि निगम द्वारा निर्देशों की पालना की गई है, अतः इसका प्रश्न ही नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर भीलवाड़ा के पर्यटक स्थल

169. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति जहाजपुर तथा पंचायत समिति कोटडी के भाग में पर्यटन क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पर्यटनों को तथा ऐतिहासिक स्थलों को बढ़ावा तथा संरक्षण देने की नीति रखती है ? यदि हां, तो क्या जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के पर्यटन स्थल तथा ऐतिहासिक स्थानों का सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी क्षेत्र में कोई स्थल विशेष पर्यटन स्थल की तरह चिन्हित नहीं किये जाते हैं।

(2) जी हां। विभाग ने भीलवाड़ा जिले का पर्यटन दृष्टि से सर्वेक्षण कराने हेतु वर्ष 1993–94 में रुपये 20,000/- का प्रावधान किया है। इसके तहत ही जहाजपुर का भी सर्वेक्षण निहित है।

कार्य जल्द ही पूर्ण करवाने हेतु जिलाधीश को कहा जायेगा।

जिला पाली में पोषाहार कार्यक्रम

170. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की कितनी पंचायत समितियां हैं तथा इनमें से किस-किस समिति (ब्लाक) में पोषाहर कार्यक्रम चल रहे है तथा कब से ?

(2) इस कार्यक्रम पर प्रति ब्लाक वर्ष 1990–91 से 1993–94 तक प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) शेष बचे ब्लाकों में उक्त कार्यक्रम कब से लागू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) पाली जिले में कुल 10 पंचायत समितियां हैं इनमें से चार पंचायत समितियों तथा पाली शहरी सीमा में बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। विवरण निम्न प्रकार है :—

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

क्र.सं.	नाम परियोजना	संचालन वर्ष
1.	बाली (ग्रामीण)	82-83
2.	जैतारण (ग्रामीण)	83-84
3.	पाली (शहरी)	84-85
4.	रायपुर (ग्रामीण)	85-86
5.	रोहट (ग्रामीण)	89-90

(2) उपरोक्त परियोजनाओं में वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक परियोजनावार, वर्षवार राशि निम्न प्रकार व्यय की गई :—

वर्ष	नाम परियोजना	राशि लाख रुपये में
1	2	3
1990-91	बाली	11.44
1991-92		11.55
1992-93		13.69
1993-94	1/94 तक	12.98
1990-91	जैतारण	10.83
1991-92		11.18
1992-93		14.47
1993-94	1/94 तक	13.34
1990-91	पाली (शहरी)	8.37
1991-92		8.72
1992-93		10.55
1993-94	1/94 कत	8.82
1990-91	रायपुर	10.30
1991-92		10.95
1992-93		12.02
1993-94	1/94 तक	12.03
1990-91	रोहट	1.62
1991-92		6.62
1992-93		7.95
1993-94	1/94 तक	7.57

(3) शेष छः पंचायत समितियों (पाली, सुमेरपुर, खारची, देसूरी, रानी स्टेशन तथा सोजत) में यह कार्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा, क्योंकि परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा अपने स्तर से जारी की जाती है। राज्य सरकार द्वारा सभी जिले की शेष रही पंचायत समितियों में परियोजनाएं स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव पत्र क्रमांक 5537। दिनांक 8-11-90 द्वारा प्रेषित किये गये है।

जिला डूंगरपुर की जीवनधारा योजना

171. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में जीवनधारा योजना के अन्तर्गत कुल कितने कुओं का निर्माण करवाया गया ? क्या कुछ कुएं अपूर्ण हैं ? यदि हां, तो क्या अधूरे कुओं को पूर्ण कराने का सरकार इरादा रखती है ?

(श्री शंकरलाल अहारी)

(2) डूंगरपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कितने कुओं के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जिनमें कितने पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं ? क्या सरकार अपूर्ण कुओं को किसी अन्य योजना में लेकर पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही हैं कि चौरासी विधानसभा क्षेत्र में उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कुओं का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर भी अभी तक भुगतान किया जाना शेष है ? यदि हां, तो ऐसे कितने कुएं हैं तथा बकाया का भुगतान सरकार कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में अब तक जीवनधारा योजना में 6051 कूप निर्माण की स्वीकृति जारी की गई। इनमें से माह जनवरी, 94 तक 4412 कूप पूर्ण किये गये हैं एवं 1639 कूप निर्माणाधीन है। अधूरे कुओं को स्वीकृत राशि में ही नियमानुसार पूर्ण करवाने के लिए पूर जोर प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में अब तक जीवनधारा योजनान्तर्गत 1981 कूप निर्माण की स्वीकृति जारी की गई। जिनमें से 1070 कूप पूर्ण हो चुके हैं एवं 911 कूप अपूर्ण हैं। अधूरे कुओं को जीवनधारा योजनान्तर्गत ही पूर्ण कराया जावेगा।

(3) चौरासी विधान सभा क्षेत्र में जीवनधारा योजनान्तर्गत 327 कूप पूर्ण है जिनका अन्तिम किश्त का भुगतान होना शेष है। उक्त कुओं का शेष भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कर दिया जावेगा।

जिला भीलवाड़ा की निर्बन्ध योजना

172. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निर्बन्ध योजनान्तर्गत राशि आवंटन की जाती है, यदि हां, तो इसके मानदण्ड, नियम व शर्तें सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस योजना हेतु सरकार द्वारा जिला भीलवाड़ा में राशि का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो 1989-90 से 1993-94 में कितनी राशि का आवंटन किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना में स्वीकृत राशि का उपयोग जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति, जहाजपुर एवं कोटडी भाग जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस कार्य में वर्ष 1989-90 से 1993-94 में खर्च हुआ ? वर्षवाइज कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस योजनान्तर्गत दोनों पंचायत समितियों में स्वीकृत कार्य पूरे हो चुके हैं और इस राशि का उपयोग हो चुका है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(5) क्या स्वीकृत कार्य के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी हो चुके हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1989-90 से 1992-93 तक के दोनों पंचायत समितियों के अन्तर्गत कार्यों की पूर्णता तथा राशि के उपयोग के जारी प्रमाण पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार महंगाई के कारण निर्माण कार्य की लागत बढ़ने से निर्बन्ध की राशि की सीमा बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी सीमा तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। मार्ग-दर्शिका की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। जिला भीलवाड़ा को निर्बन्ध योजनान्तर्गत राशि का आवंटन किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	आवंटित राशि (लाखों में)
1989-90	25.15
1990-91	29.90
1991-92	33.90
1992-93	52.14
1993-94	51.18

(3) जी हां। निर्बन्ध योजनान्तगत स्वीकृत राशि का उपयोग जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र को पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी में किया गया है। वर्ष वाइज विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) निर्बन्ध राशि योजनान्तर्गत वर्ष 1989-90 से 1992-93 तक इन दोनों पंचायत समितियों में कुल 68 कार्य स्वीकृत किये गये, जिसके विपरीत 59 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष 9 कार्य निर्माणाधीन हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(5) वर्ष 1989-90 से वर्ष 1992-93 तक स्वीकृत 68 कार्यों के विपरीत 59 कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी हो चुके हैं तथा कार्यों की पूर्णता तथा राशि के उपयोग का विवरण परिशिष्ट-"2" पर प्रस्तुत है।

(6) निर्बन्ध राशि योजनान्र्गत लिये जाने वाले कार्यक्रम का आधार वर्षवार निर्धारित किया जाता है, जो निर्माण कार्यों की लागत में वृद्धि जैसे बिन्दुओं पर निर्भर नहीं है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल प्रावधान आगामी वर्ष में बढ़ाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के छात्रावास भवनों का निर्माण

173. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(1) पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के इटावा में क्या कोई अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास हैं ? यदि हां, तो उक्त छात्रावास का भवन आज किस दशा में है ?

(2) यदि छात्रावास भवन क्षतिग्रस्त व जीर्ण-क्षीर्ण है तो क्या सरकार उक्त भवन का दुबारा निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। इटावा का राजकीय अनुसूचित/जनजाति का छात्रावास ग्राम पंचायत, पंचायत इटावा के भवन में संचालित है। भवन मरम्मत योग्य है।

(2) ग्राम पंचायत इटावा का भवन छात्रावास हेतु 300/– रुपये प्रतिमाह किराये पर है। जिसकी मरम्मत ग्राम पंचायत, इटावा/पंचायत समिति इटावा द्वारा कराई जानी है, जिस हेतु उनसे कार्यवाही की जा रही है। जहां तक छात्रावास हेतु भवन निर्माण का प्रश्न है यह राज्य सरकार के संसाधन एवं स्थिति के आंकलन पर निर्भर करता है।

उदयपुर संभाग के छात्रावास

174. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर संभाग के कितने राजकीय छात्रावास किराये के भवनों में संचालित हैं, एवं कहां-कहां पर ?

(2) क्या समाज कल्याण विभाग इन छात्रावासों के भवनों का निर्माण आवास के मापदण्ड के अनुसार करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उदयपुर सम्भाग में किराये के भवनों में 77 राजकीय छात्रावास संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट–'अ' पर उपलब्ध है।

(2) किराये के भवनों में संचालित छात्रावासों के भवनों का निर्माण सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें।)

प्रदेश की स्वयंसेवी संस्थाओं को विदेशी सहायता

175. श्री शम्भुदयाल बड़गुजर (केकड़ी) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग से सम्बन्धित किसी स्वयंसेवी संस्था को विदेशों से भी सहायता मिलती है ? यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितनी सहायता अब तक प्राप्त हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या किसी स्वयंसेवी अनुदानित संस्था की शिकायत आने पर जांच की जाती है और क्या जांच पूरी न होने तक उसको दिये जाने वाला अनुदान रूकवा

(श्री शम्भुदयाल बड़गुजर)

दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या इन नियमों की पालना पूरी तरह की जाती है।

उत्तर

(1) विदेशों से विभाग के माध्यम से समाज कल्याण की प्रवृत्तियों के संचालन करने हेतु किसी स्वयंसेवी संस्था को सहायता नहीं मिलती है।

(2) जी हां। किसी अनुदानित स्वयंसेवी संस्था की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच कराई जाती है तथा जांच पूरी न होने तक उसको देय अनुदान रोक दिया जाता है। जांच पूर्ण होने पर जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

जिला जयपुर के अभावग्रस्त गांव

176. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जयपुर के ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी तहसील के कौन-कौन से ग्राम अभावग्रस्त घोषित हुए हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अभावग्रस्त घोषित ग्रामों के प्रभावित नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस-किस विभाग से कौन-कौन से राहत कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनमें से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हो चुके हैं ? विभागवार प्रस्तावित व सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर जिले की 11 तहसीलों के 1731 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-'क')

(2) अभावग्रस्त घोषित ग्रामों के प्रभावित नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के 97, सिंचाई विभाग के 47 एवं पंचायत समितियों के 44 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। इनमें से सार्वजनिक निर्माण विभाग के 70, सिंचाई विभाग के 19 एवं पंचायत समितियों के 42 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं। प्रस्तावित कार्यों एवं स्वीकृत कार्यों की सूची क्रमशः परिशिष्ट-"ख" व "ग" पर है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

मेवों को आवंटित भूमि

177. श्री तैयब हुसैन (कामा) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मेवों को क्लेमेज के बदले आवंटित जमीन की खातेदारी देते समय कीमत एवं ब्याज तथा पेनल रेट वसूल की जा रही है ?

(2) क्या यह पुनर्वास नीतियों के अनुरूप उचित है ? यदि नहीं, तो सरकार

(श्री तैयब हुसैन)

ऐसी नाजायज कीमत, ब्याज एवं पेनल रेट की वसूली पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। किन्तु भरतपुर जिले में 3-4-1975 के पश्चात् जिन विस्थापितों को कम्पनसेशनपूल से बाहर की भूमि का आवंटन किया गया है, उनसे आदेश दिनांक 14-12-1984 के अनुरूप आवंटित भूमि की कीमत मय ब्याज वसूल की जा रही है। इसके बाद ही खातेदारी दी जा रही है।

(2) जी हां। कम्पनसेशन-पूल के अन्तर्गत आवंटित जमीन की खातेदारी देते समय आवंटियों से कीमत एवं ब्याज या पेनल रेट वसूल नहीं की जाती है। जिन्हें कम्पनसेशन-पूल से बाहर की भूमि आवंटित की जानी है केवल उन्हीं से भूमि की कीमत मय ब्याज वसूल की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर (बांसवाड़ा) में पशु चिकित्सालय

178. **श्री दुलीचन्द (दानपुर)** : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले के दानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने पशु औषधालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के दूर-दराज के इलाकों में कोई भी पशु चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोलने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले के दानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पांच पशु औषधालय क्रमशः सालिया, छोटी बदरेल, सुखानियां, बजवाना एवं बूडवा में कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं। बांसवाड़ा में 27 पशु चिकित्सालय, 25 औषधालय एवं 2 चल पशु चिकित्सा इकाई द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। वर्तमान में पशु चिकित्सालयों में 373 डाक्टरों के रिक्त पदों में से 150 पदों पर दिनांक 23-2-1994 को नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। शेष पदों को भरने के डिग्रीधारी पशु चिकित्सक की उपलब्धि के अनुसार पदों को भरा जावेगा। इसके पश्चात् ही नये पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

पशु चिकित्सालय खोलने के मानदण्ड

179. **श्री कुबेर सिंह (फलासिया)** : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) पशु चिकित्सालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं ? जिला उदयपुर में किस-किस श्रेणी के पशु चिकित्सालय कहां-कहां पर है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पशुओं की मात्रा एवं भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए

(श्री कुबेर सिंह)

सरकार उक्त जिले में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या विभाग ने उक्त जिले में पशुओं का सर्वे कराया है ? यदि हां, तो कब तथा प्रत्येक की पंचायत समितिवार संख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब इसका सर्वे कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नया पशु चिकित्सालय खोलते समय पशु संख्या, क्षेत्र में पूर्व से कार्यशील पशु चिकित्सा संस्था से दूरी एवं आवश्यक सुविधाएं जैसे भवन, डाक व्यवस्था, आवागमन के साधन आदि को ध्यान में रखा जाता है। जिला उदयपुर में एक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, 41 पशु चिकित्सालय, 17 पशु औषधालय कार्यरत हैं। स्थानों की सूची "क" सलग्न है।

(2) पशु चिकित्सालयों में 373 डाक्टरों के रिक्त पदों में से 150 पदों पर दिनांक 23-2-1994 को नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। शेष पदों को भरने के लिये डिग्रीधारी पशु चिकित्सक की उपलब्धि के अनुसार पदों को भरा जावेगा। इसके पश्चात् ही नये पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

(3) पशुओं की गणना विभाग द्वारा नहीं कराई जाती। रेवेन्यू बोर्ड द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में पशु गणना कराई जाती है। गत पशु गणना 1992 में कराई गई है। पंचायत समितिवार गणना नहीं कराई जाती, तहसीलवार करायी जाती है। उदयपुर जिले की तहसीलवार पशु गणना 1988 की सूची "ख" संलग्न

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट--16 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :—

श्री रामस्वरूप मीणा एवं 2 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में बेरोजगार आयुर्वेद चिकित्सकों की दशा सोचनीय होने तथा उन्हें नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही हैं और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री महादेव सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले के खण्डेला कस्बे में चरमरायी हुई विद्युत व्यवस्था से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

यह तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं आप, तीन बार नहीं थे, आज नहीं बोलेंगे

(श्री अध्यक्ष)

तो आइन्दा आपका 295 नहीं लगेगा। तीसरी बार बोल रहा हूं मैं।

(2) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा गुलाब के फूल पर कृषि मण्डी टैक्स लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के सम्बन्ध में।

(4) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले की तहसील लक्ष्मणगढ़ की उप तहसील गोविन्दगढ़ के कतिपय गांवों को अकालग्रस्त घोषित कर अकाल राहत में कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामनारायण, सदस्य, विधान सभा की ओर से मानसिक रोगियों के रोग की मुक्ति हेतु सामुदायिक मीटिंग तथा मनोरोग सामाजिक व्यावसायिक कार्यकर्त्ता के प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से लालकोठी विधायक नगर पूर्व की रोड के निकट निर्माणाधीन नगर निगम कार्यालय भवन का मलबा पड़ा होने से जन-सामान्य को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(7) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से शेखावाटी क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से बेगूं विधान सभा में अन्तरराज्यीय सम्पर्क सड़कें तथा नदबई से घरछा एवं जावदा से टोलों का सुलारिया के निर्माण के सम्बन्ध में।

(9) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में सरकार द्वारा चलाये जा रहे अकाल राहत कार्यों में कथित धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई बांधों की मरम्मत नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास के कतिपय गांवों की अधूरी पड़ी पेयजल योजनाओं को पूरा करके पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री अमराराम (धोद), सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद के विभिन्न गांवों में हुई चोरी की वारदातों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री शिवकिशोर सनाढ्य। (व्यवधान).... मैं बुला रहा हूं एक-एक को, मेरे पास चिट आयी है उन सबको बुला रहा हूं। श्री शिवकिशोर सनाढ्य।....(व्यवधान).... मैं सबको बुला रहा हूं आप बैठिये, आपका निवेदन बाद में सुनूंगा। जितनी चिट आयी है पहले उनको बुलाऊंगा।

श्री रामेश्वर लाल : आप मेरा एक निवेदन सुन लीजिये।....(व्यवधान) ... जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया था उसमें मेरे क्षेत्र का भी एक मामला था।

श्री अध्यक्ष : कौनसा स्थगन ?

श्री रामेश्वरलाल : कल जो जवाब दिया गया है सरकार के द्वारा ...

श्री अध्यक्ष : हो गया वह तो खतम।

श्री रामेश्वर लाल : मेरा निवेदन है, मेरे क्षेत्र का इसमें एक मामला था। मेरे सम्बन्धी के यहां मौत हो गयी इसलिए मैं हाजिर नहीं हो सका, मेहरबानी करके अगर दो मिनट का टाइम दे दें....

श्री अध्यक्ष : आज नहीं मिलेगा और और किसी तरीके से उठाइये। वह प्रश्न समाप्त हो गया।....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल कब पेश होगा, चार तारीख को तो डिस्कशन रख दिया और अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, बिल हाउस में आया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, पहले इनकी सुन लीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : साहब, यह बहुत बाद में पेश करेंगे। हम अमेण्डमेण्ट आपके सामने रख नहीं पायेंगे। आज कम से कम यह पेश होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : इस पर विचार करने के लिए पूरी सुविधा मिलेगी लेकिन आप कृपया अपने स्थान पर आकर बोलिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सुविधा कितने दिन की मिलेगी, कितने घण्टे की मिलेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको पूरा समय मिलेगा, आपको संतुष्ट कराकर ही बिल पारित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिये। कम समय में बोलिये, ज्यादा भाषण मत दीजिये (व्यवधान)....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के सदन पर शिक्षक दस्तक देने के लिए उपस्थित हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 20 मार्च, 1991 को भी उन्होंने प्रदर्शन किया था और उस समय भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनको आश्वासन दिया था कि शिक्षकों के प्रतिनिधि मण्डल के साथ बैठकर के, अधिकारियों के साथ बैठ करके मैं इनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। 11 अक्टूबर, 1991 को माननीय मुख्य

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

मंत्रीजी ने अधिकारियों और उनके साथ बैठ कर चर्चा की और उसके बाद उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जो आदेश हैं वे निकल जायेंगे लेकिन अधिकारियों ने उन आदेशों को नहीं निकाला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आश्वासन मेरे रिकार्ड पर है क्या ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : नहीं, राजस्थान विधान सभा के रिकार्ड में हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आपकी मिनिट्स में होगा, सरकारी मिनिट्स में नहीं है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह राजस्थान के रिकार्ड के आधार पर ही कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मान गये, मान गये। चलो आगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि 26-2-1992 को यहां पर जब मैंने 295 के अन्तर्गत इस प्रश्न को उठाया था, उजलाजी भी उस समय बोली थीं और उस समय शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि इसी सत्र के अन्तर्गत इसका निर्णय कर दिया जायेगा क्योंकि जो अस्थाई व्याख्याता लगे हुए हैं कालेजेज में और विश्वविद्यालय में, यह 1985 से लेकर अब तक कार्यरत हैं। यह सारी अपनी एज्युकेशन भी जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसे पूरा करते हैं लेकिन विभाग ने पी. एस. सी. को रिक्विजिशन नहीं भेजा और इसलिए आज भी वह लोग टेम्प्रेरी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश; हरियाणा और कर्नाटक यह विभिन्न राज्य हैं वहां पर अस्थायी शिक्षकों को स्थायी कर चुके हैं, अध्यादेश के द्वारा। मध्यप्रदेश की सरकार ने भी किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने भी 1978 में किया था।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मान्यवर, उसके बाद भी उन्होंने किया है। पिछली सरकार जब बनी थी तब भी उन्होंने किया है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : पंजाब और उड़ीसा की सरकार ने भी कर दिया।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनके अन्दर एक बहुत बड़ा असंतोष व्याप्त है और इसकी वजह से वह बार-बार आपके सामने प्रदर्शन करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए आ रहे हैं। मैं नम्र शब्दों में आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय, अपने दिये हुए आश्वासन को, इस सदन में दिया हुआ आश्वासन है उसको पूरा करने के लिए आप उन लोगों को स्थायी करें और....

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : खास करके पी. एस. सी. को जो रिक्विजिशन भेजा

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

गया है उसको रोकें। यदि पी. एस. सी. ने वह वाण्ट्स निकाल दी तो उनका भविष्य अंधकार में हो जायेगा। मेरी यह आपसे नम्र प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अस्थायी व्याख्याताओं के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 1978 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आर्डिनेंस के जरिये इनको परमानेण्ट किया था क्योंकि दस-पन्द्रह साल से यह + + + काम कर रहे थे, अधिकांश ओवर एज हो और अब नयी क्वालिफिकेशन के आधार पर लोक सेवा आयोग ने दुबारा से चयन के लिए आमंत्रित किया है तो यह सब लोग रह जायेंगे। ओवर एज हो गये और मध्य प्रदेश, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार से आर्डिनेंस के जरिये से हुआ है और यहां भी हुआ है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, इसके ऊपर विचार करके और इसमें कोई ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ेगा, इनको निश्चित रूप से आर्डिनेंस के जरिये परमानेण्ट करना चाहिये। मैं मुख्य मंत्रीजी से यह अनुरोध करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी करना चाहता हूं कि पी. एस. सी. ने जो विज्ञप्ति निकाली है उसमें आपको आपत्ति है कि यह ओवर एज हो गये, यदि एज का रिलेक्सेशन कर दिया जाय तो आपको आपत्ति नहीं होगी ? ... (व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : साहब, जब इनका अपाइण्टमेण्ट हुआ था उस समय यह शैक्षणिक योग्यता रखते थे, अब जो क्वालिफिकेशन लोक सेवा आयोग ने निकाली है उसके हिसाब से यह अयोग्य हो जाते हैं। यह बैठ ही नहीं पायेंगे, + + + यह बैठ ही नहीं पायेंगे.... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप।— (व्यवधान)....श्री रामस्वरूप के अलावा और किसी का अंकित मत करिये, केवल रामस्वरूप जी का अंकित करिये। (व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : केवल राम।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये आप।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अस्थायी व्याख्याताओं के बारे में मैं निवेदन कर रहा था। हमारे जिले के भी दस-बारह ऐसे शिक्षक हैं जो

× × × माननीय अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रामस्वरूप)

+ + + पहले से काम कर रहे हैं, लगातार वर्षों से लगे हुए हैं, लेकिन उनको दुबारा हटाया जा रहा है। साहब, यह उनके साथ घोर अन्याय होगा। ओवर एज उनकी होने जा रही है। अभी कालीचरण साहब ने जो बात कही थी वह वास्तव में सत्य है। इसलिए मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है, पुरजोर मांग है कि ऐसे अस्थायी व्याख्याताओं को स्थायी कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मेरी चिट भी है। मैंने आपके पास भेजी है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास आपकी कोई चिट अभी तक नहीं पहुंची है। यह मेरे पास सारी चिट्स हैं। आप विराजिये। श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सनाढ्य साहब के साथ ही था।

श्री अध्यक्ष : नहीं हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अच्छा तो आप अनुमति दे दें। दो मिनट में मैं मेरी बात कह लूं।

एक माननीय सदस्य : सीनियर मेम्बर हैं, साहब बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : अच्छा। उजला जी को बोलने दीजिये। मीनाजी, आप बैठ जाइये। उजला जी आप बोलिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अभी आर. पी. एस. सी. से सलेक्शन के लिए आपने निकाला है। अगर उस सलेक्शन के लिए उसको अध्यादेश के द्वारा रोका नहीं गया तो यह सारे बेकार हो जायेंगे। इनके पास आपके नोटिस तक पहुंच चुके हैं। मेरा यह निवेदन है कि आपने 1977-80 के बीच में विश्वविद्यालय के जो लोग थे, उनके लिए किया था, इनके लिए आज तक कभी नहीं हुआ। मेरा आपसे आग्रह है, आप उसी प्रकार से इनको स्थायी करने के लिए एक अध्यादेश को निकाले और इसी सत्र में इनके सम्बन्ध में निर्णय लें तथा उनका आंकलन करने के लिए आप कोई कमेटी बना दें, यह निश्चय किया जाना बहुत जरूरी है। राजस्थान में इतनी महिलाओं और पुरुषों की यहां पर, अस्थायी शिक्षक 18–18 साल से हैं और उनको अगर अधरझूल में डाल दिया तो वह + + + क्या करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि 26 तारीख को जो आपने कहा था, मैं वह पढ़ कर सुना रही हूं।

"मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि आज कोई अचानक यह मामला पैदा हो गया है और इसका तुरन्त समाधान करना है। कल्ला साहब भी इस समस्या से मेरे से ज्यादा परिचित हैं। इस समस्या का समाधान करने में हमारी तरफ से कई बार चर्चा हुई है और मैं विश्वास करता हूं कि

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सदन का सत्र स्थगित होने के पहले इन टीचर्स और यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स के स्थायीकरण और इन सब मामलों क निपटारा हम निश्चित रूप से कर देंगे और इसकी जानकारी मैं सदन को भी दे दूंगा।" यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 26 तारीख को सदन में कहा था। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगी यह मामला अभी भी वैसे ही लटका हुआ है और आपके द्वारा नहीं, बल्कि राष्ट्रपति शासन में जून के महीने में यह मामला इनको रेफर नहीं किया गया था और इनके लिए यह तलवार लटका दी कि आर. पी. एस. सी. से सलेक्शन होने के बाद जो लोग होंगे, उनको लिया जायेगा तो आपने जो उदारता अपना रखी थी 1992 में, उसी उदारता की हम माँग करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्या ने जो सुझाव दिया है, उस सारे मामले की जांच कर निर्णय करने के लिए कमेटी अपाइण्ट कर दी जाय, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, अलवर जिले में खैरथल तहसील में पानी की एक टंकी का निर्माण हो रहा था, वह टूट जाने के कारण कई मजदूर उसके नीचे दब गये .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आपकी बात हो गयी। और लोगों को बोलने दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह बात कहना चाहूंगी, आपने एक कमेटी बनायी थी....।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, उनको स्थायी करने के लिए सदन में घोषणा की जाय। जब तक इनको स्थायी नहीं किया जायेगा, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप इसको देख लें। इस मामले पर आज ही कोई भूमिका करें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह मामला बाद के लिए रिटायर मत कीजिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले आश्वासन दिया है....

श्रीमती मीना अग्रवाल : पानी की टंकी का निर्माण हो रहा था तथा टंकी की छत टूट जाने से कई मजदूर उसके नीचे दब गये। कई बार उनको कहा गया कि मेटेरियल सही नहीं लग रहा। मगर इसके बारे में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया....

श्री रामस्वरूप : व्याख्याताओं की तो घोषणा करिये, साहब। दूसरा ले लिया....

श्री अध्यक्ष : यह आप बीच-बीच में क्या कर रहे हैं। आप चुपचाप बैठिये। वह बोल रही है।

श्रीमती मीना अग्रवाल : एक मिनट, आप बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप चुपचाप बैठिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल : इस लापरवाही में पैसे का नुकसान, मतलब टंकी का सही निर्माण नहीं होने से टंकी की छत टूटकर गिर पड़ी जिससे मजदूर घायल हो गये हैं। अब सम्बन्धित अधिकारी और ठेकेदारों के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है, माननीय मंत्री महोदय जी यह बतायें। इस घटना में जो 11 मजदूर घायल हुए हैं, क्या उनका इलाज सरकार करा रही है? उनमें से एक व्यक्ति की डैथ भी हो गयी है। टंकी टूटने के कारण जो डैथ हुई है, उनको प्रशासन ने पांच हजार रुपये दिये हैं। सरकार उनकी धर्म पत्नी और बच्चों को कितने रुपये देगी और क्या रुपये सरकार देगी और दोषी आदमी, अधिकारी को क्या दण्ड मिलेगा? और यह पैसे जो दिलाये जायेंगे अधिकारी से दिलायेंगे या सरकार ही देगी? इन परिवारों को, बच्चों को नौकरी वगैरह की व्यवस्था के लिए मैं मांग कर रही हू। इसके लिए आप लोग बराबर यह निर्माण, जो काफी समय से ऐसे निर्माण चल रहे हैं. अलवर में भी टंकी बनी थी, वह भी लीक कर रही थी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि इस तरफ ध्यान दें। जो ऐसे ठेकेदार हैं, उनके लाइसेंस रद्द किये जायें। अधिकारी, जो लापरवाही करते हैं, उनको भी इस बारे में जांच करवा कर दोषी को कड़ा दण्ड दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र चम्बल सिंचित क्षेत्र के तहत आता है। मैं निवेदन करूंगा कि आज मार्च हो गयी है और किसानों की जो जनवरी के दूसरे सप्ताह में सोइंग हुई है, उसमें अभी तक पानी नहीं मिला है तथा बंधे में पर्याप्त पानी है। रात-दिन कहने के बाद भी अधिकारियों की मात्र लापरवाही से आज वहां 7–8 हजार हैक्टेयर भूमि में पानी नहीं मिलने से फसल बरबाद हो रही है। किसान बरबाद होने के कगार पर खड़ा है और दूसरी तरफ 2–3 हजार हैक्टेयर में ऐसा है, जिसमें जलमग्न हो रहा है। मैं फोटो लेकर आया। मैं शनिवार को जब अपने विधान सभा क्षेत्र में विधान सभा छोड़कर गया, मुझे वहां 50–60 किसान ट्रेक्टर-ट्राली लेकर मिले। मैं कलक्टर साहब से जाकर मिला, सम्भागीय आयुक्त महोदय को लिखा और बार-बार अधिकारी 295 के भी ऐसे जवाब देते हैं कि वहां कहीं कोई जमीन बरबाद नहीं हो रही है, कहीं पानी नहीं भरा है और केवल मात्र थोड़ी देरी हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दो में मांग करूंगा कि इस समय विशेष सन्देश के माध्यम से उन अधिकारियों को पाबन्द किया जाय कि वे एक्टिव होकर नहरों पर खड़े हों और इस समय सप्ताह भर में पानी मिल जायेगा तो 5–7 हजार हैक्टेयर में फसल बच जायेगी और अन्तिम

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

छोर के किसानों को कुछ खाने को मिल जायेगा। अधिकारीगण तो असत्य रिपोर्ट देते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि यहां बैठ करके पाबन्द किया जाय, बजट दिया जाय। एक तरफ पानी भरा है और वही पानी जो टैल पर जाकर किसानों को खुशहाली दे सकता है और दूसरी तरफ वही पानी किसान की बरबादी का कारण बना हुआ है। इस समस्या का समाधान हो।

आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण (नैनवां) : साहब इतने या....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। आपने जो दिया है, साहित्य एकेडमी का।

श्री रामनारायण : मान्यवर, मेरा कल वाला....

श्री अध्यक्ष : अब कल वाला हो गया। अब साहित्य अकादमी का दिया है।

श्री रामनारायण : माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान में एक नयी परिपाटी पैदा की जा रही है जो बहुत भयंकर और घातक है। साहित्य परिषद् अकादमी वगैरह में जिस तरह से राजनैतिक दबाव और हिन्दी साहित्य परिषद् को काम करने से रोका जा रहा है, बहुत अहम मामला है। संचालिका के सदस्य नियुक्त कर दिये, प्रोजेक्ट ले रखे हैं हजारों रुपये की किताबें खरीदने के, घोटाले वालों को बचाने के लिए एक ही वाहन पर दो-दो को ऋण दिये गये हैं। उनको बचाने के लिए जो अकादमी के अध्यक्ष हैं, वेदव्यास जी, उनको काम करने से रोका जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि साहित्य अकादमी में राजनीतिकरण नहीं किया जाय, गुरु विशेष की संस्था नहीं बनने दिया जाय और चूंकि मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, सारी बात उनके ध्यान में मैं, यदि शिक्षा मंत्री उसको आर. एस. एस. का अखाड़ा बनाने दें तो मुख्य मंत्रीजी चाहे तो बनाने दें क्योंकि सरकार उनके हाथ में हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा ऐसा प्रवृत्तियों को तुरन्त रोका जाय और संचालिका के ऐसे सदस्यों को काम —

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री महादेव सिंह।

श्री रामनारायण : करने के लिए पूरी छूट दी जाय, साधन दिये जायं ताकि साहित्य अकादमी बराबर बढ़ती रहे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, हो गया। श्री महादेव सिंह। पढ़िये 295।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

खण्डेला में विद्युत व्यवस्था

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निम्न लोक महत्व के तथ्यों पर प्रस्ताव रखता हूं :—

(श्री महादेव सिंह)

सीकर जिले के खण्डेला क्षेत्र में अधिकांश जनता गोटा उद्योग पर ही निर्भर है, यहां से गोटा निर्यात होता है। बड़े दुःख का विषय है कि इस विद्युत आधारित उद्योग में लगे हजारों मजदूरों को आये दिन हड़ताल व धरने करने पड़ते हैं। जबकि एक दिन कार्य ठप्प होने पर पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा जाता है।

दूसरी ओर इस अव्यवस्थित विद्युत सप्लाई से किसान सीधे प्रभावित होते हैं तथा फसल खड़ी-खड़ी जल जाती है या अधिकांश भूमि तो बंजर ही रहती है, जिसके कारण लोगों में हरदम रोष व्याप्त होता है।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि विद्युत सप्लाई सुचारू करने हेतु 132 के. वी., जी. एस. एस. के दो अलग-अलग ग्रीड स्टेशन (पावर हाउस) की स्थापना की जाय। इसके साथ ही निकटतम बड़ी तार लाइन से क्षेत्र को जोड़ते हुए इस भयंकर समस्या से जनता को राहत पहुंचायें। विद्युत सप्लाई से परेशान होकर मजदूर व किसान वर्ग अपनी रोजी-रोटी के लिये पड़ौसी राज्यों एवं विदेशों में भी पलायन करने लगे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस अत्यन्त लोक महत्व के मुद्दे पर हमें माननीय विद्युत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर चर्चा करने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

गुलाब के फूलों पर मण्डी टैक्स

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय को सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं।

राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या प. 10/35/कृषि/ग्रुप-2/85 दिनांक 19 नवम्बर, 1993 द्वारा गुलाब के फूल पर कृषि मण्डी टैक्स लगाया गया है। गुलाब राजस्थान के चन्द क्षेत्रों में ही अधिक मात्रा में पैदा होता है और इसे सारे काश्तकार पैदा नहीं करते हैं। पुष्कर क्षेत्र में भी गुलाब की खेती की जाती है, परन्तु गुलाब के फूल को रोजाना ताजा ही तोड़ना पड़ता है और यदि समय पर नहीं तोड़ा जाय तो वह स्वतः ही नष्ट हो जाता है। केवल मार्च और अप्रेल माह में ही इसकी ज्यादा पैदावार होती है और अन्य माह में यह बहुत ही कम मात्रा में पैदा होता है। मार्च और अप्रैल माह के अतिरिक्त इसकी पैदावार प्रति बीघा 2–3 किलो से अधिक नहीं होती है।

गुलाब एक ऐसा फूल है जो तोड़े जाने के 2–3 घण्टे पश्चात् खराब हो जाता है और कम मात्रा में गुलाब बाजार में या मण्डी में ले जाना न तो सम्भव है और न ही काश्तकार को उससे कोई लाभ मिल सकता है। गुलाब को सूखा कर बेचना भी बहुत महंगा सौदा होता है, क्योंकि उस पर निगरानी यदि निरन्तर नहीं रखी जाय तो या तो हवा से उड़ जाता है या नम हवाओं से उसका रंग भी खराब हो जाता

(श्री विष्णु मोदी)

है। गुलाब के फूल पर किसी प्रकार का कोई टैक्स लगाना उचित नहीं है। फूल खाद्य पदार्थ नहीं है और इस पर किसी भी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार ने टैक्स नहीं लगाया है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गुलाब के फूल पर कर लगाना न्यायोचित नहीं है और यदि किसी प्रकार का कोई टैक्स लगाया तो गुलाब के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

पुष्कर क्षेत्र में काश्तकारों के कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जो काश्तकारों से माल इकट्ठा करते हैं और उन्हें बाजार में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार जो गुलाब का सग्रहण करते हैं वह उनसे पूरा खर्चा और लाभ की राशि भी काश्तकारों से वसूल करते हैं। इस प्रकार के ग्रुप कोई व्यापारी नहीं है फिर भी कृषि मण्डी के अधिकारियों द्वारा उन्हें व्यापारी मान कर नोटिस जारी करते हैं।

पुष्कर में अभी कोई मण्डी नहीं है और मण्डी टैक्स केवल मण्डी क्षेत्र में की जाने वाली खरीद-फरोख्त पर ही लगाया जा सकता है। स्थिति यह नहीं है कि फूल उत्पादकों के माल को कोई आढ़तिये खरीदते हों और व्यापारियों को बेचते हों।

अतः उपरोक्त स्थिति में किसी प्रकार का मण्डी टैक्स लगाया जाना उचित नहीं है और यह आवश्यक है कि रुपये 1.60 प्रति सैंकड़ा की दर से जो मण्डी शुल्क जमा करने के आदेश हुए हैं उन्हें निरस्त किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री शिव किशोर सनाढ्। (अनुपस्थित) श्री जुबेर खान।

गोविन्दगढ़ में अकाल राहत कार्य

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सदन की प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ निवेदन आपके माध्यम से सरकार से करना चाहूंगा कि जिला अलवर के अधिकांश ग्राम अकालग्रस्त घोषित कर दिये हैं जिसकी आवश्यकता थी। परन्तु दुःख की बात है कि तहसील लक्ष्मणगढ़ के अन्तर्गत उप तहसील गोविन्दगढ़ का एक भी ग्राम अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है जबकि यदि जिले के गांवों की बरसात और फसल के आधार पर तुलना की जाये तो उप तहसील गोविन्दगढ़ के ग्रामों में सबसे कम वर्षा हुई एवं सबसे कमजोर फसल हुई है।

आसपास दूर-दूर तक रोजगार के भी कोई साधन नहीं हैं क्योंकि गोविन्दगढ़ लगभग 65 किलोमीटर अलवर से पड़ता है। अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उप तहसील गोविन्दगढ़ की ग्राम पंचायत सैदमपुर, म्चाणा, दोगड़ी, सेमला खुर्द, भैंसडावत, रामबाग, गोविन्दगढ़, फाररी, खेड़ा महसूद, नसवारी के सभी ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित किया जाय और शीघ्र ही इन ग्रामों में राहत कार्य प्रारम्भ कराये जाये जिससे कि गरीब लोगों को रोजगार मिल सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो स्थानीय लोगों के साथ अन्याय होगा। अतः मेरा सरकार से एक ही निवेदन है, अगर माननीय मंत्री महोदय चाहे तो दुबारा से

(श्री जुबेर खान)

कलक्टर महोदय को लिख कर इसकी गिरदावरी करवा कर देख लें। अगर आप यह पाते हैं कि अलवर जिले में यह गांव के साथ एक अन्याय बरता गया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन गांवों को भी अकालग्रस्त घोषित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

मानसिक रोगियों के रोग की मुक्ति हेतु उपाय

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जयपुर मानसिक चिकित्सालय में रोगियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको कैसे दुरस्त किया जाय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित मनोरोग चिकित्सालय, जयपुर में रोगियों के मानसिक रोग मुक्ति के लिए सुधारात्मक तरीके की तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मानसिक रोग मुक्ति के लिए रोगी को सहानुभूति एवं सामान्य जन व्यवहार आवश्यक होने के बावजूद जयपुर स्थित चिकित्सालय में परस्पर सामूहिक मीटिंग व क्रिया प्रतिक्रिया को महत्व नहीं दिया जाता है। साइकाथ्रेरेपी जिसमें सोशल थेरेपी समूह, व्यक्तिगत थेरेपी, संगीत, कविता, फिल्म दिखाकर साइकोड्रामा, इनसोमनीया दवाइयों व विद्युत करण्ट (ई.सी.टी.) आदि 70 तरीके हैं, को मनोचिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत अपनाये जाते हैं। मानसिक रोगियों के उपचार की मूल चिकित्सा पद्धति (साइकोसोशल-थेरेपी) चिकित्सालय को समुदाय मानते हुए दिन विशेष को स्टाफ व कुछ सुधरे हुए रोगियों साथ मीटिंग आदि को नजर-अन्दाज कर अन्य रोगों की भांति जो औषध एवं विद्युत करंट (ई. सी. टी.) से रोगी को रोग मुक्त करने का तरीका पूर्णतया सही नहीं है। रोगी का सदैव के लिये रोगी बनकर रह जाना सामान्य बात हो रही है। रोगी व संरक्षक आये दिन अस्पताल के बन्द दरवाजों को खट-खटाते रहते हैं। औषध उपचार के साथ-साथ अन्य पद्धतियों से मानसिक रोग नियन्त्रण में सफलता मिलती है। पूर्व में मनोरोग चिकित्सालय में एम. एस. डब्ल्यू., डी. पी. एस. डब्ल्यू के पद श्री ऋषिराज की नियुक्ति की हुई थी। साइकेट्रिक सोशियल वर्कर का 1984 से रिक्त चला आ रहा पद तुरन्त भरा जाना असहाय मरीजों के हित में आवश्यक है।

अतः मानसिक रोगियो के सही उपचार की व्यवस्था हेतु मनोरोग चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस से रोका जाकर चिकित्सालय में रोगियों की तरफ ध्यान दिलाने तथा साईकेट्रिक सोशल वर्कर के 1984 से रिक्त चले आ रहे पद को अविलम्ब भरने हेतु व्यवस्था की जाने के आदेश प्रदान करके इस आदेश की पालनार्थ ध्यान दिया जाकर पालना करवाये जाने की कृपा करें।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

नगर निगम जयपुर के निर्माणाधीन भवन के मलवे से असुविधा

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 295 के अन्तर्गत लालकोठी, विधायक नगर-पूर्व में जो पहुंच रोड है उस पर मलवा गिट्टी वगैरह डाली हुई है उसके बारे में मेरा प्रस्ताव पढ़ रहा हूं। महोदयजी, लालकोठी, विधायक नगर-पूर्व पर पहुंच रोड पर नगर निगम के निर्माणाधीन भवन के नीचे व आगे-पीछे रोड पर रेत, मिट्टी, गिट्टी, पत्थर आदि डाल दिये गये हैं। फलस्वरूप आने जाने वाले रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा, जीप, कार आदि वाहनों के चलाने में भारी समस्या आ रही है। यह मलवा करीब दो वर्षों से पड़ा हुआ है। बार-बार सूचना देने के बाद भी यह मलवा नहीं हटाया गया है। अगर इस मलवे को यथा-शीघ्र नहीं उठाया गया तो बहुत ही जल्दी कोई एक्सीडेण्ट होने की संभावना है। इस रोड की हालत ऐसी हो गयी है कि अगर लाइट की व्यवस्था नहीं हो तो पैदल चलने वाले व्यक्ति भी गिर सकते हैं।

मैं, आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करता हूं कि लालकोठी, विधायक नगर-पूर्व में पहुंच सड़क पर बेकार पड़े मलवे को शीघ्रातिशीघ्र हटाया जाय। साथ ही यह भी निवेदन है कि नगर निगम का भवन निर्माणाधीन है, आगे जो भी मेटे-रियल, रेत, मिट्टी, पत्थर आदि डाले तो रोड पर नहीं डाले, अन्य स्थान काफी है, वहां डाला जावे। अतः आगे से विभाग को पाबन्द करावें कि कोई मेटेरियल हो रोड साइड पर नहीं डालें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

शेखावाटी क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से विकास

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, नियम 295 के अन्तर्गत शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन विकास के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शेखावाटी क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक हवेलियां अपनी प्राचीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। पुरानी गढ़ियां तथा उनमें रखा सामंतकालीन सामान तस्वीरें, हथियार आदि भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। पर्यटकों का आना इस क्षेत्र में कुछ शुरू हुआ है लेकिन अभी तक पुरानी हवेलियों तथा सामंती गढ़ों तक ही सीमित है और वह भी सिर्फ उन गढ़ों में चलाये जा रहे हैं।...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : होटलों के मालिकों के प्रचार के कारण ही सम्भव हो पाया है। राजस्थान के पर्यटन विभाग ने इस ओर कोई प्रयत्न नहीं किया है।....

शेखावाटी क्षेत्र में ऐसे अनेक स्थल हैं जिनको यदि विकसित किया जाए और पर्यटन मानचित्र पर लाया जाय तो पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाना निश्चित है। लोहार्गल का तीर्थस्थल है जो पाण्डवों के अज्ञातवास काल से जुड़ा हुआ है। बाखण्डी की चोटी इस स्थान पर है जो अरावली पर्वत श्रृंखला में आबू के बाद सबसे ऊंचाई की पर्वत चोटी है तथा कभी-कभी विदेशी पर्यटक भी इस चोटी पर आते

(श्री शिवनाथ सिंह)

रहते हैं। शाकम्भरी देवी का मन्दिर जो उत्तरी भारत में मशहूर है इसी के पास में है। किरोडी के गर्म व ठण्डे जल के स्रोत बारहों महीने बहते रहते हैं। वे इसी स्थान पर हैं। खेतड़ी की तांबे की खानें यहीं हैं। अकबरकालीन सिक्के ढालने का कारखाना इसी क्षेत्र में है। मन्सा देवी का मन्दिर जहां अनेकों श्रद्धालू आते रहते हैं। इनके अलावा अनेकों अन्य स्थल हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

इसी क्षेत्र में खेतड़ी क्षेत्र वह स्थान है जिसने नरेन्द्र नामक प्रतिभाशाली युवक को स्वामी विवेकानन्द में रूप में विश्व प्रसिद्ध किया। खेतड़ी के तत्कालीन राजा ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानन्द का जाना सम्भव किया था। पहाड़ की चोटी पर वह स्थल मौजूद है जहां विवेकानन्द जी घण्टों ध्यान मग्न बैठते रहे हैं तथा राजा के वे महल भी मौजूद हैं जहां विवेकानन्द जी काफी अर्से तक रहे हैं। इन सब स्थलों की आज दयनीय स्थिति है। जीर्ण-शीर्ण है। इनका जीर्णोद्धार किया जाकर इनके महत्व को प्रचारित किया जाये तो अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकते हैं।

शेखावाटी क्षेत्र पर्यटन विभाग की तरफ से पूर्णतया उपेक्षित रहा है तथा आज भी उपेक्षित है। अतः सरकार इस ओर ध्यान देकर इस क्षेत्र के पर्यटन स्थलों का का विकास करे, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

नन्दवाई से चरछा एवं जायदा से टोलो का लुहारिया अन्तरराज्यीय सम्पर्क सड़कों की वित्तीय स्वीकृति

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत बेगूं विधान सभा क्षेत्र में अन्तरराज्यीय सम्पर्क सड़कें (1) नन्दवाई से चरछा एवं (2) जावदा से टोलो का लुहारिया के निर्माण हेतु ध्यान आकर्षित करता हूं:—

(1) उक्त दोनों सम्पर्क सड़कें बहुत ही महत्व की हैं। नन्दवाई से चरछा की कुल लम्बाई 12 किलोमीटर है जिसमें से डेढ़ किलोमीटर डामर की सड़क है बाकी साढ़े दस किलोमीटर कच्ची है। इस सड़क के बन जाने से बेगूं पंचायत समिति का एक पंचायत मुख्यालय अनोपपुरा जुड़ेगा। राजस्थान से मध्य प्रदेश का कस्बा जाट जुड़ेगा। यह क्षेत्र पहाड़ी है, जनजाति है। इस मार्ग पर वर्तमान में चार बसें संचालित हैं। इस रूट पर चलने वाली बसों में जाट-कनेरा, जावदा होते हुए व्यापारिक नगर निम्बाहेड़ा कृषि उपज मण्डी में माल बिकने जाता है, किन्तु सड़क पक्की नहीं होने से बरसात में यातायात गाड़ियों, ट्रकों आदि का आवागमन बन्द पड़ जाता है जिससे कृषक वर्ग अपने उत्पादन को समय पर मण्डी नहीं ले जा पाते और उचित मूल्य पाने से वंचित रह जाते हैं। इस सम्पर्क मार्ग से जुड़ने वाले गांव हैं:—जालमपुरा, घट्टा बाव, ऊमर का खाल, अनोपपुरा, लील्या का माल, खेड़ी, फत्तेपुर, जावदिया चरछा, पीपल्दा, जो सभी राजस्थान में है।

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

सर्वप्रथम सन् 1946 में निम्बाहेड़ा कनेरा-जाट होती बसें बेगूं इसी मार्ग से पहुंची थीं जो आज 48 साल बाद भी अधूरा है। शीघ्र पक्की डामर रोड बनायी जाये।

(2) कुआखेड़ा से टोलों का लुहारिया-जावदा नीमड़ी क्षेत्र बेगूं विधान सभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिसके तीन ओर मध्य प्रदेश की सीमा है और सम्पर्क सड़क के अभाव में अलग-थलग पड़ा हुआ क्षेत्र है। जावदा में सैकण्डरी स्कूल है, बैंक है, आयुर्वेद औषधालय है, सब सेण्टर (हैल्थ सेण्टर) है। अधिकांश गांव राणा प्रताप सागर बांध की डूब के हैं। जैसे कुआखेड़ा (जवाहर नगर) पतलोई, कंवर-पुरा, देवपुरा, चितोड़िया, खांकरा का खेड़ा आदि, जो इस सड़क से जुड़ते हैं। क्षेत्र पहाड़ी है। अधिकांश गांव माडा के हैं। कच्चा मार्ग होने से बरसात में आवागमन ठप्प हो जाता है। आकस्मिक दुर्घटना के समय इस क्षेत्र से बीमार को इलाज हेतु बाहर निकाल कर अन्यत्र नहीं ले जाया जा सकता, बीमार तड़फ-तड़फ कर मर जाता है। कोई मेडिकल सहायता उपलब्ध नहीं करायी जा सकती। इस जावदा नीमड़ी क्षेत्र में चार पंचायत मुख्यालय जावदा, बलकुंडी, देवपुरा, कुआखेड़ा (जवाहर नगर) पड़ते हैं। इस रोड का बहुत सा मार्ग 35 किलोमीटर डामर का पड़ा हुआ है। सिर्फ राजस्थान की सीमा में 8 किलोमीटर कच्चा है जावदा से टोलो का लुहारिया। इस रोड के पूर्ण हो जाने पर जावदा से रतनगढ़ मध्य प्रदेश का बड़ा कस्बा जुड़ जायेगा जहां से बेगूं मुख्यालय मात्र 35 किलोमीटर दूर है, वो भी जुड़ जायेगा जहाँ क्षेत्र के हर ग्राम काश्तकार, व्यापारी, विद्यार्थी का काम पड़ता है।

अतः माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी उक्त दोनों अन्तरराज्यीय सड़कें (1) नन्दवाई से चरछा 10.5 किलोमीटर एवं (2) जावदा से टोलो का लुहारिया 8 किलोमीटर; दोनों सम्पर्क सड़कें बनाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल अहारी।

डूंगरपुर जिले में अकाल राहत कार्यों में धांधली

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत जिला डूंगरपुर में सरकार द्वारा चलाये- जा रहे अकाल राहत के कार्यों में कुछ लोगों द्वारा धांधली करने से जो स्थिति पैदा हुई है, वह मैं आपके सामने पढ़ कर बता रहा हूं।

महोदय, डूंगरपुर में इस वर्ष भयंकर अकाल है। माह फरवरी, 1994 से अकाल के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिसमें राज-नैतिक रंग कुछ लोगों द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मेट और मजदूर भी चिट्ठियों से लगाये जा रहे हैं जिससे चालाक, अवसरवादी लोग ही कार्य पर लग रहे हैं। वास्तविक भूखे रहने वाले लोगों को इस कार्य से वंचित रहना पड़ता है। यहां तक पता लगा है कि विभागीय उच्च अधिकारी एवं निचला स्टाफ भी कुछ अवसरवादी लोगों का सहयोग करते हैं।

(श्री शंकरलाल ग्रहारी)

ग्रत: मैं ग्रापके माध्यम से सरकार को निवेदन करता हूं कि जिले में इस प्रकार ग्राये दिन गलत गतिविधियां व ग्रनियमितता बरती जा रही है। इस गम्भीरता को देखकर सम्बन्धित विभागों के ग्रधिकारियों को तत्काल पाबन्द कराने के ग्रादेश प्रदान करावें ताकि ग्रसली मजदूर को मजदूरी मिल सके। ग्रन्यथा भूखा मरता ग्रादमी कुछ भी कर सकता है जिससे शान्ति भंग भी हो सकती है।

धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

सांगानेर में सिंचाई सुविधा

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाग्रों के बारे में नियम 295 के तहत यहां यह बताना चाहती हूं।

महोदय, निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में पिछले काफी समय से बाधों की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ये बांध 1981 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गये थे। गूलर का बन्धा, मेवटा, चिरोटा एवं रामचन्द्रपुरा एवं चन्दलाई का बन्धा।

इन बांधों की मरम्मत न होने से किसानों की सिंचाई की समस्या खड़ी हो गयी है। रामचन्द्रपुरा के बंधे में तो किसानों ने कुछ पैसा इकट्ठा करके मरम्मत करवायी है किन्तु वह पुख्ता काम नहीं है। इन बांधों की तुरन्त मरम्मत नहीं करवायी गयी तो सिंचाई की समस्या के साथ-साथ पीने के पानी की समस्या भी खड़ी हो जायेगी क्योंकि इन बांधों के न भरने से ग्रास-पास के कुग्रों का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है।

ग्रत: श्रीमान् से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के उपर्युक्त बांधों की मरम्मत करवाने की शीघ्र व्यवस्था करावें ताकि ग्रामों की बिगड़ती हुई पानी एवं सिंचाई की समस्या को सुधारा जा सके एवं ग्राने वाली वर्षा ऋतु में इन बांधों में पानी इकट्ठा किया जा सके।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री हीरालाल मीणा।

बामनवास की ग्रधूरी पेयजल योजनाएं

श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : ग्रध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के ग्रन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र बामनवास जलप्रदाय योजना के तहत ग्राम बिछोछ, माण्डल गांव, रामसिंहपुरा, बरनाला, फुलवाड़ा तहसील बामनवास एवं तहसील बोंली के ग्राम ग्रलूदा, पुनेता, गादोता, देवला, हरसोली, कोडियाई को पीने का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ध्यान ग्राकर्षित करता हूं :—

उक्त विषय में वास्तविकता यह है कि ग्रब गर्मी के दिनों में उक्त ग्रामों में पानी का बहुत विकट संकट पैदा हो गया है जबकि पानी मुहैया करने हेतु उपरोक्त ग्रामों में ग्रधूरी पड़ी हुई योजनाग्रों का कार्य बिल्कुल ठप्प पड़ा हुग्रा है। सरकार बिछोछ पनघट योजना के दूसरे स्रोत से पानी लाने का इरादा रखती है या नहीं।

(श्री हीरालाल मीणा)

उक्त ग्रामों के गरीब परिवार पीने के पानी के अभाव में दु:खी हैं और दिन पर दिन गर्मी का मौसम आता जा रहा है, वैसे-वैसे पीने के पानी की किल्लत होती जा रही है। मैं विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करता हूं कि उपरोक्त ग्रामों को किसी भी योजना से एक हैण्डपम्प के जरिये पीने का पानी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम (धोद)।

धोद विधान सभा क्षेत्र में चोरी की वारदातें

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, धोद विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हुई चोरी की वारदातों की ओर सदन का ध्यान कार्य संचालन प्रक्रिया नियम 295 के तहत लाना चाहता हूं।

मैं सदन में धोद विधान सभा क्षेत्र के खूड़ गांव में कपड़े की दुकान से सम्पूर्ण कपड़ा चोरी चला जाना और इसके दो ही दिन बाद 7 दुकानों के ताले टूटना एवं कुछ ही दिनों बाद ग्राम मूण्डवाड़ा के जैन मन्दिर से चांदी के बर्तन एवं नगदी कुल मिलाकर 80 हजार रुपये के करीब माल एवं कासली गांव के जैन मन्दिर से 9 मूर्तियों का चोरी चले जाना यह सम्पूर्ण घटनाएं एवं माण्डोता ग्राम की गल्ले, माल की दुकान का ताला तोड़कर सामान चोरी चला जाना जिनमें से एक भी चोरी बरामद नहीं होना बड़ा सोचनीय विषय है और ग्राम जनता में असुरक्षा की भावना घर करती जा रही है तथा खूड़ गांव में दो दिन बाजार बन्द रहे हैं तथा उग्र गांववासियों ने रास्ता रोका था जिसको खुलवाने मैं गया था जहां सीकर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही चोरियां बरामद की जायेगी लेकिन आज तक एक भी चोरी बरामद नहीं की। पुलिस निष्क्रियता बरत रही है।

अत: मैं गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि उक्त चोरियों को तुरन्त बरामद करवाकर दोषियों को दण्डित करके ग्राम जनता में विश्वास पैदा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

उदयपुर में इंजीनियरिंग कालेज

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय; विधान सभा के प्रक्रिया तथा नियम 295 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान उदयपुर में इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलने हेतु आकर्षित करता हूं :—

उदयपुर में सन् 1964 में प्रौद्योगिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय (सी. टी. ए. ई.) स्थापित किया गया। इसी महाविद्यालय में सन् 1973 में राजकीय पोलीटेक्निक विलयकर मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और माइनिंग इंजीनियरिंग विषय प्रारम्भ किया गया जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा कृषि अभियांत्रिकी में डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करता रहा। यह पहले सुखाड़िया विश्वविद्यालय तथा बाद में कृषि विश्वविद्यालय का अंग बना। सी. टी. ए. ई. अभी अपूर्ण है। सी टी. ए. ई. में एक

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

पूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज के लिये आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। अभी, उदयपुर को छोड़ कर राज्य के प्रत्येक संभाग में एक पूर्ण इंजीनियरिंग महाविद्यालय है।

उदयपुर में एक नये इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने में जहां कम से कम लगभग 10 करोड़ रुपये का व्यय होता है वहां इस राशि की तुलना में इसको क्रमोन्नत करने पर मात्र 80 लाख रुपये का व्यय भार राज्य सरकार पर आयेगा और इससे इस संभाग में इंजीनियरिंग में दक्ष छात्र तैयार हो सकेंगे।

उदयपुर दक्षिण राजस्थान का महत्वपूर्ण अंचल है और आदिवासी क्षेत्र में है। इस क्षेत्र के आदिवासी बहुत गरीब वर्ग के हैं और उनके लिये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना और दूसरे अंचलों में जाना कठिन है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र खनिज उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहां पर हिन्दुस्तान जिंक प्रतिष्ठान भी है। खनिजों की बहुलता को देखते हुए अन्य प्रतिष्ठान भी हैं।

इस क्षेत्र की जनता व छात्र पूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग निरन्तर करते आ रहे हैं। वे बराबर ज्ञापन दे रहे हैं। उनकी मांग को नहीं स्वीकारने पर आक्रोशित होना स्वाभाविक है। यह एक महत्वपूर्ण लोकहित का प्रश्न है।

अतः इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी तथा तकनीकी व उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए मांग है कि उदयपुर में सी. टी. ए. ई. कॉलेज को डिग्री का पूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज बनाये जाने की घोषणा की जाये।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): अजमेर संभाग में भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति

श्री कपिलदेव गौतम, स्वतन्त्रा सेनानी के निधन पर

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता सेनानी श्री कपिलदेव जी का 27-2-94 को प्रातः सात बजे आकस्मिक निधन हो गया। श्री कपिलदेवजी 1930 से लेकर 1942 तक क्रान्तिकारियों के साथ इस देश की आजादी के लिए लड़ते रहे। वह जेल में भी गये और उन्होंने सारी कठिनाइयों की चिन्ता किये बिना ही स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में इस देश की बहुत सेवा की है और आजादी में उनका बहुत भारी योगदान रहा है। वे हमारे बीच में से उठ गये। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री कपिलदेव जी से व्यक्तिगत रूप से भी मेरा बहुत सम्पर्क रहा है। बहुत ही मृदु भाषी थे, व्यवहार कुशल थे और साथ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ही स्वतन्त्रता आन्दोलन की जो रोचक कहानियों और घटनाओं का जिक्र वे अपने मुंह से करते थे उसमें एक कमिटमेण्ट उस सारे आन्दोलन के साथ, उनका कितना था, इसका कमिटमेण्ट अपने आप ही झलकता था। ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में से उठ गया हमें इसका बहुत खेद है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, श्री कपिलदेव जी गौतम, स्वतन्त्रता सेनानी के निधन पर सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शोकाभिव्यक्ति की है। मैं भी मेरी ओर से और प्रतिपक्ष की तरफ से हार्दिक संवेदना श्री गौतम के देहावसान पर पेश करता हूं। मैं कपिलदेवजी से व्यक्तिगत तौर से सम्पर्क में नहीं था लेकिन मैं सुनता रहा हूं। उनका देश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, वे क्रान्तिकारियों में से थे। देश को आजादी दिलाने वाले योद्धा एक एक करके जा रहे हैं। वे हमारे लिये, जब थे और अब भी, जो बचे हैं वे प्रेरणा के स्रोत हैं। हम उनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। भगवान ने उन्हें हमारे बीच से उठा लिया इसका हमें बहुत दुःख है और मैं अपनी ओर से शोकाभिव्यक्ति पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष : फतेहसिंह।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, श्री कपिल देव गौतम स्वतन्त्रता सेनानी थे। व्यक्तिगत उनसे मेरा परिचय नहीं है पर मैं यह मानता हूं कि यह एक तन्त्रीय हुकूमत के टाइम पर इन्होंने काफी संघर्ष किया होगा और देश के लिये काफी परिश्रम करके जेल में भी गये होंगे और उसी का परिणाम है कि आज हम स्वतन्त्र देश में और आजाद देश में हैं। इनका जो स्वर्गवास हुआ है वह हमारे देश के लिये एक क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिवार जो दुःखी हैं उनको शक्ति प्रदान करे। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री अमराराम : अध्यक्ष महोदय, जो शोक प्रस्ताव सदन के नेता ने रखा है, श्री कपिलदेव गौतम स्वतन्त्रता सेनानी थे और ऐसे समय जब कि हमारी स्वतन्त्रता पर आज खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, चाहे वह आर्थिक स्वतन्त्रता हो, चाहे राजनैतिक स्वतन्त्रता हो, ऐसे समय में जो हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं वह हमारे बीच से चले गये यह बड़े दुःख का विषय है और मैं मेरी ओर से उस शोक में सम्मिलित होते हुए श्री गौतम जी के परिवार को कष्ट सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने स्वतन्त्रता सेनानी श्री कपिल देव गौतम के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और संवेदना प्रकट की है उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से शरीक करता हूं।

स्वतन्त्रता सेनानी श्री कपिलदेव गौतम का जन्म 3 सितम्बर, 1911 को जयपुर में

(श्री अध्यक्ष)

हुआ। आपने विशारद और भिषगाचार्य शिरोमणि की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री कपिलदेव गौतम ने देश की आजादी के लिये चलाये गये अनेक आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। सन् 1930 में भारतीय सैनिकों के नाम पंडित नेहरू की अपील के पर्चे नसीराबाद की छावनी में बांटकर सैनिकों में राष्ट्रीयता और विद्रोह जगाने का साहसपूर्ण कार्य करने पर आपको गिरफ्तार किया गया। आपके विरुद्ध ब्रिटिश सेना में विद्रोह फैलाने का अभियोग लगाकर नसीराबाद कोर्ट में मुकदमा चलाया गया जिसमें आपको एक वर्ष की सख्त कैद की सजा दी गयी।

श्री गौतम हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सक्रिय सदस्य रहे। डोगरा शूटिंग केस में पुलिस ने आपको सन्देह में गिरफ्तार कर तीन माह तक हिरासत में रखा। सन् 1932 में कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित करने के बाद कांग्रेस का साहित्य वितरित करने के अपराध में आपको प्रेस एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चार माह की सजा दी गयी।

सन् 1932 से 1942 तक आप कांग्रेस से सम्बद्ध रहे। वर्ष 1936 से 1940 तक आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य रहे।

आपका रचनात्मक जीवन रींगस के गांधी आश्रम में खादी उत्पादन के प्रशिक्षण से शुरू हुआ। यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप वर्धा आश्रम में विनोबा भावे के पास 6 माह रहे और उसके बाद 1 माह गांधी जी के सानिध्य में रहे। वर्धा से आप खादी उत्पादन का प्रशिक्षण देने महाराष्ट्र के सांवली खादी आश्रम चले गये।

देश प्रेम के प्रति अटूट आस्था रखने वाले श्री गौतम अद्भुत आत्मिक बल और साहस के धनी थे। किसी भी सभा समारोह में आपकी उपस्थिति मात्र से विरोधियों के हौंसले पस्त होने लग जाते थे।

श्री कपिलदेव गौतम का 17 फरवरी, 1994 को जयपुर में निधन हो गया। मैं दिवंगत स्वतन्त्रता सेनानी को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिवार जन को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें एवं श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(तदनन्तर सदन दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान वित्त निगम का वार्षिक (1991-92) प्रतिवेदन

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त निगम अधिनियम,

(श्री अनंग कुमार जैन)

1951 की धारा 38(3) के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1991–92 के अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट एवं इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन लि. का वार्षिक (1991–92) प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेण्ट एण्ड इन्वेसमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1991–92 सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री रामनारायण (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

कुण्डालिया, रुघनाथपुरा ग्राम को विद्युतीकृत घोषित करने विषयक

(1) तहसील एवं जिला बूंदी ग्राम पंचायत नया गांव के ग्राम कुण्डालिया, रुघनाथपुरा को विद्युतीकृत घोषित किये जाने बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

हनोत्या से खटकड़ (बूंदी) तक सड़क निर्माण करवाने विषयक

(2) जिला बूंदी, ग्राम पंचायत रुयावदा के ग्राम हनोत्या से खटकड़ डिस्टीब्यूटी तक दो किलोमीटर सड़क निर्माण करवाने बाबत, 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

(3) जिला बूंदी, ग्राम पंचायत खजूरी के ग्राम अर्जुनपुरा एवं फटुकड़ा के मध्य अपूर्ण पुलिया को पूरा करवाये जाने बाबत, 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं बूंदी जिले में सीमेंट उद्योग स्थापित करवाये जाने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय मैं एक याचिका अजमेर-अजयसर-अम्बा-मांवता-पीसांगन-रीछमालिया-पीपाड़ सिटी-जोधपुर सड़क को तार रोड (डामर) नहीं बनाये जाने के कारण उस सड़क का अभी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अजमेर से जोधपुर जाने के लिये यह सबसे छोटा सड़क मार्ग है। यदि इस सड़क को तार रोड बना दिया जाता है तो अजमेर जोधपुर के बीच 60 किलोमीटर का फासला कम हो जायेगा जिससे जहां एक ओर यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी, वहीं इससे पेट्रोल और डीजल की भी काफी बचत होगी। इस सड़क मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित करके इसका विकास और संसाधारण किये जाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए बचा हुआ समय इस प्रकार है :—

भारतीय जनता पार्टी	3 30 घण्टे
कांग्रेस पार्टी	1.33 घण्टे
जनता दल	0.30 घण्टे
सी. पी. एम.	0.05 घण्टे
निर्दलीय	1.25 घण्टे

इसको ध्यान में रखते हुए आज माननीय सदस्य बोलें। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दसवीं राजस्थान विधान सभा के द्वितीय सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा उस अभिभाषण पर माननीय श्री टीकमचन्द जी कांत ने जो प्रस्ताव रखा और श्री अर्जुनदास जी मदान ने जिसका समर्थन किया उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

(12 58)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, इस अभिभाषण में में राजस्थान विधान सभा के पिछले सत्र में और इस सत्र में चर्चा से कुछ तथ्य सेटल्ड हो गये हैं उन तथ्यों के बारे में मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। पहला तथ्य तो यह सेटल हो गया कि जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब-तब विकास की गति द्रुत गति से चली। यह आंकड़ों से भी सेटल्ड है और सदन ने इसको स्वीकार भी कर लिया है। इसी प्रकार से एक बात यह भी सेटल हो गयी कि उस विकास में ग्रामीण विकास की ओर जितना ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, योजनाओं पर जितना ध्यान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया और योजनाओं का प्रारूप जिस प्रकार बढ़ा वह अपने आप में एक अद्भुत घटना है और यह राजस्थान के इतिहास में सेटल्ड फैक्ट हो चुका है इसलिये उसके बारे में मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। इस अभिभाषण में कुछ चार पांच बातें इस प्रकार की हैं—यह अभिभाषण संकेत भी है और इस अभिभाषण में संकल्प भी व्यक्त किया गया है और इस अभिभाषण में राजस्थान के विकास का दिशा-निर्देश भी निश्चित किया हुआ है। इसके परिणामस्वरूप चार पांच बातें ऐसी हैं जिनको ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि नये ढंग से बातें राजस्थान के सामने आयी हैं। पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कहा गया है कि शहर, गांव. यातायात, विद्युत. सिंचाई इसमें 9वीं पंचवर्षीय योजना में जितना पैसा हमको चाहिये और किस प्रकार के संसाधनों का विकास करना होगा वह पैसा राज्य सरकार या भारत सरकार अपने साधनों से उपलब्ध नहीं करा सकती और योजना के आकार का फैसला नहीं हो सकता। इसके लिये एक प्रस्ताव किया गया है कि प्राइवेट फाइनेंसिग कम्पनीज, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को इस प्रकार का प्रारूप बना कर भेजा जाये, विचार-विमर्श किया जाये जिसमें करोड़ों रुपयों का खर्च हो....

(13.00)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और उन संस्थाओं के माध्यम से विकास के लिए पैसा लिया जाये। एक नयी बात इसमें कही गयी है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा, इस अभिभाषण में जोधपुर की पेयजल योजना के बारे में 40 लाख गैलन पानी की सप्लाई की बात कही गयी है लेकिन जयपुर के पानी के बारे में इसमें विचार नहीं किया गया है, जयपुर के पानी के बारे में नहीं कहा गया है और मैं मानता हूं कि आगे आने वाले तीन साल में, इस साल भी अगर रामगढ़ के बांध में पानी नहीं आया, बरसात नहीं हुई तो जयपुर राजस्थान में सबसे खराब पेयजल वाला नगर होगा। जो तीन दिन में, दो दिन में एक बार ट्यूबवैल्स से पानी सप्लाई किया जा सकता है, इस योजना पर विचार हुआ लेकिन 6 अरब 20 करोड़ रुपये राज्य सरकार जयपुर की पेयजल योजना के लिए व्यय नहीं कर सकती। राज्य सरकार इस काम को भारत सरकार के सहयोग से भी नहीं कर सकती इसलिए राज्य सरकार ने एक योजना दी कि जयपुर में पानी कैसे आये, नगरों का विकास कैसे हो, सीवर लाइन कैसे डालें या खेती की सिंचाई के लिए बड़े बांध कैसे बनाये जायं। पहली बार राज्य सरकार ने फैसला करके एक योजना का दिशा-निर्देशन दिया है कि प्राइवेट फाइनेंस कम्पनी से, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इस मॉडल को बनाकर भेजा जाय और मैं समझता हूं कि राजस्थान के विकास के लिए सभी दल और सभी माननीय सदस्य इस बात के लिए सहमत होंगे कि द्रुत गति से विकास करने के लिए इस की महति आवश्यकता है। यह पहला महत्वपूर्ण कदम और दिशा-निर्देश राजस्थान सरकार ने इस अभिभाषण में प्रकट किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा, सॉरी साहब। मुझे याद पुराना आ रहा है। आप अब सभापति हैं। मैं उधर बैठता था तब आप उपाध्यक्ष थे।

श्री सभापति : नहीं, आप सभापति ही बोलें। I am obliged.

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : तिवाड़ी साहब, आप यह बताइये कि आपको इनको इस कुर्सी पर देखकर खुशी होती है या नहीं होती ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बहुत खुशी होती है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या उपाध्यक्ष पद विपक्ष को नहीं मिल सकता ? इस पर आप अपनी सलाह दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : खैर, इस विषय पर अपन चर्चा कर लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, तीसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि योजना के बारे में भी इस अभिभाषण में एक नयी बात कही है। मैं योजना के आकार पर नहीं जाना चाहता हूं। योजना का आकार आंकड़ों में है। योजना का आकार आप लोगों ने समझा है लेकिन योजना के विकेन्द्रीकरण के जो इसमें प्रारूप तय किये

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गये हैं वे अपने आप में अभूतपूर्व हैं। जैसे सभी माननीय सदस्यों को इस बात का पता है कि मुख्य मंत्रीजी के चीफ सैक्रेटरी के अधीन योजना समन्वय समिति बनी हुई है लेकिन सचिवालय की योजना समन्वय समिति ठेठ तक इसको कार्यान्वित नहीं कर सकती इसलिए इस अभिभाषण में कहा गया है कि स्टेट लेवल पर इस प्रकार की समिति बनेगी, जिला लेविल पर इस प्रकार की समिति बनेगी।

माननीय सभापति महोदय, आपको ध्यान है कि जिस प्रकार से संविधान संशोधन पंचायत और नगरपालिकाओं के हुए हैं, जो संशोधन संसद ने पास किया है उसमें जिला अभियोजन समितियां बनाने के प्रारूप का प्रावधान किया गया है इसलिए मैं स्वागत करता हूं कि राज्य सरकार ने भी जिला लेवल पर यह किया। पहले स्टेट लेवल पर था, मानिटरिंग के लिए अब डिवीजनल लेवल पर भी इस प्रकार की व्यवस्था की है। यह इस अभिभाषण में योजना का कार्यान्वयन ठीक से करने के लिए उठाया गया एक उचित कदम है।

इसी प्रकार, आम जनता को राहत दिलाने के लिए मड़ोंच समिति की सिफारिश के बारे में कहा गया कि वित्तीय सिफारिश को लागू करने की व्यवस्था की गयी है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है उनको भी लागू किया जाये। इस विषय पर मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि आम जनता, आम आदमी सरकार से हां दुःखी होता है। आम व्यक्ति प्रशासन की बीमारी के कारण सरकार को देखता है। जब तक उस व्यक्ति का कलक्ट्री में काम नहीं होता, तहसील में काम नहीं होगा, ए. ईएन, जे. ईएन. के दफ्तर में काम नहीं होगा, जब उसको तीन-तीन साल तक, चार-चार साल तक हम उसके काम के लिए घुमाते रहेंगे तो इसको प्रशासन की संवेदनशीलता नहीं मानी जायेगी और इसमें कहा गया है कि मड़ोंच समिति की सिफारिश के आधार पर यह सरकार कोशिश करेगी कि आम आदमी को तुरन्त राहत मिल सके। एक-एक फाइल अगर सेक्रेटेरिएट में आ गयी, आने के बाद फाईनेंस डिपार्टमेंट में आयेगी, आने के बाद विधि विभाग के पास चली गयी, विधि विभाग से पी. पी. सी. की कमेटी बनी उसके पास चली गयी और जब फैसला नहीं करना हो तो उस फाइल को तीन बार, चार बार, दस बार घुमाते रहे, उसका फैसला नहीं होगा। इसीलिए सरकार ने यह घोषणा की है। सरकार की घोषणा के साथ-साथ मैं यह भी मांग करता हूं कि राजस्थान में इस प्रकार के प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जाय तो इन सारी प्रक्रियाओं को ठीक करके नयी दिशा दे। आज अगर आम आदमी को सबसे बड़ी तकलीफ है तो वह प्रशासनिक जटिलता से है, राजस्थान सरकार ने इसके बारे में पहल की है और मैं मांग करता हूं कि इस जटिलता को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से, गरीबों को राहत देने की इसमें कुछ बात कही गयी है, बाकी बातें बजट में आयेंगी। जैसे पांचवीं तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें देना।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह भारत के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, राजस्थान के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि इस योजना का तुरन्त कार्यान्वियन हो और इस योजना में गांव में प्राइमरी तक पढ़ने वाला कोई गरीब इस पाठ्य-पुस्तक के मामले में बचे नहीं। इसी प्रकार से कर्मचारियों के बारे में इसमें एक बड़ी बढ़िया बात कही गयी है। श्रीमान् ललितकिशोर जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने यह फैसला किया है कि जिस दिन कर्मचारी रिटायर होगा, उस दिन पेंशन का कागज हाथ में पकड़ा दिया जायेगा। यह बहुत बड़ा काम है जिसका राजस्थान सरकार ने निश्चय किया है और राजस्थान सरकार इस काम को करना चाहती है।

इसी प्रकार से राजस्थान सरकार ने एक और काम जो किया है वह है सातवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में 203.41 करोड़ करना। कृषि इस देश का आधार है। कृषि से भारत जाना जाता है, कृषि भारत में सकल उत्पादन का महत्वपूर्ण अंग है। आज तक कृषि की बहुत बड़ी उपेक्षा हुई है लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चय किया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि पर 1286.92 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा, यानी 6 गुणा अधिक। कृषि की ओर ध्यान देने का अभूतपूर्व कार्य सरकार ने किया है। यह भी एक संकेत है और यह संकेत ही नहीं है, संकल्प है कि कृषि का ठीक रूप से और उचित विकास हम करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, विद्युत राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या है और पिछले अधिवेशन से इस अधिवेशन के बीच में बिजली को ठीक करने के लिए राजस्थान सरकार को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। 250 मेगावाट विद्युत नेशनल ग्रिड से प्राप्त करना एक उपलब्धि है और मार्च में जो कोटा की पांचवीं यूनिट आ जायेगी तो 450 मेगावाट यूनिट राजस्थान को अतिरिक्त मिलने लग जायेगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बिजली को लेकर पहले ध्यान किसानों पर देगी और किसानों को किसी भी कीमत पर एक महीने तक 8 घन्टे लगातार मिलेगी। इस बात का हर कीमत पर अगर सरकार फैसला कर पायेगी तो सरकार की सबसे बड़ी सफलता मानी जायेगी। वरना तो आप 250 मेगावाट ले लें, चाहे 400 मेगावाट ले लें, जब तक किसान के खेत तक बिजली नहीं पहुंचायेंगे इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है और मैं आशा करूंगा कि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है।

सभापति महोदय, अन्य बातों पर जाने के बजाय मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, इसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा की गयी है कि पिछड़े वर्ग को हम 21 प्रतिशत आरक्षण देंगे। मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिलना चाहिए। लेकिन सभापति महोदय, यह हमारे देश का भी और राजनैतिक नेताओं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का भी दुर्भाग्य है कि हम कथनी और करनी में फर्क नहीं कर पाते। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार कहा था, बजट में प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम एक करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे पाये। इसी प्रकार से मैं आशा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था राजस्थान में इस बार, कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलेगा, वह होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ सवर्ण वर्ग के गरीब लोगों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। मुझे दुःख है कि हमारे हित में उन व्यक्तियों का 10 प्रतिशत आरक्षण नहीं हुआ। मैं आशा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में हुए निर्णयानुसार, चुनाव घोषणा पत्र में कहे अनुसार और केन्द्रीय भारतीय जनता पार्टी की नीति के अनुसार भी इस अभिभाषण के जवाब में, बजट में या विनियोग विधेयक के समय माननीय मुख्य मंत्रीजी यह घोषणा करेंगे कि जिस प्रकार 21 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया गया है उसी प्रकार से 10 प्रतिशत आरक्षण सवर्ण वर्ग के गरीब बच्चों को भी दिया जायेगा। यह सर्वोच्च न्यायालय की मंशा है, यह भारतीय जनता पार्टी की मंशा है और मैं चाहूंगा कि इस मंशा को पूरा करने के लिए सरकार कदम उठाये। यह भारत सरकार की भी मंशा है, सर्वोच्च न्यायालय की भी मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की भी मंशा है। इससे आप भी शायद सहमत हों इसलिए इस बारे में सरकार निश्चित रूप से कदम उठाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात राजस्थान के सन्दर्भ में कहकर इस अभिभाषण के मूल पाठ पर आऊंगा, वह है जनसंख्या का हौवा। हमारे देश में जनसंख्या का जबरदस्त हौवा खड़ा किया जा रहा है। इस समय जो पीढ़ी राज कर रही है उसमें राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं है, जिस पीढ़ी ने 46 साल तक राज किया उसमें राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं है। अगर आपके पास जनसंख्या इतना महत्वपूर्ण पहलू है तो इसके लिए कानून क्यों नहीं बनाये गये? हम छोटी-छोटी बातें करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं....

श्री परसादीलाल मीणा : राज चला गया हमारा एक बार इस चक्कर में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम प्रोत्साहन देते हैं, पुरस्कार बांटते हैं, नतीजा क्या है? नतीजा सिफर है, सिफर। धोखा दिया जा रहा है। यूरोपियन कण्ट्री जो इसका हौवा खड़ा कर रहे हैं उनसे कम भारत में जनसंख्या का घनत्व है। यह एक बहुत बड़ा हौवा है और आज तक जितने भी काम हुए हैं उनमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अगर राजनैतिक इच्छा शक्ति 46 साल तक राज करने वालों में होती, मैं पीढ़ी की बात कर रहा हूं फिर वे चाहे रामनारायण जी चौधरी हों, चाहे ललित किशोर जी चतुर्वेदी हों, आप लोगों ने कानून क्यों नहीं बनाया कम्पलसरी स्टरलाइजेशन का? चीन में यह कानून लागू किया गया है। मैं मांग करता हूं कि या तो इस परिवार नियोजन के कानून को ही समाप्त कर दिया जाये, इसके बारे में प्रचार नहीं किया जाये और अगर इसकी आवश्यकता है तो कम्पलसरी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

स्टरलाइजेशन का कानून निश्चित रूप से पारित किया जाना चाहिए और सब पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : यहां पर घोषणा क्यों नहीं करते ? माननीय सदस्य, अभी घोषणा करें कि आज के बाद बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे। करो घोषणा आप में हिम्मत है तो। मैंने कल घोषणा की थी कि मैं कोई बच्चा पैदा नहीं करूंगा आज के बाद। परिवार नियोजन की बातें करते हैं, घोषणा करो आप।

श्री सभापति : आपने घोषणा कर दी, बैठ जाइये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : घोषणा सरकार करेगी। मेरी घोषणा से अगर नसबन्दी किसी की होगी तो मैं रामस्वरूप जी की कर सकता हूं, मेरे मित्र हैं, बाकी सबकी कम्पलसरी मैं नहीं कर सकता, यह सरकार करेगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं तो मेरी घोषणा करता हूं कि आज के बाद बच्चे पैदा नहीं करेंगे। आप भी कर दो इसी तरह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब मैं दो पैराओं की तरफ ध्यान आकर्षित कर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपकी इजाजत हो तो चार पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। इस अभिभाषण में कहा गया है, केन्द्र सरकार द्वारा "गैट" प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाद कमजोर वर्गों के लिए हमको सुरक्षित कवच बनाना पड़ेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत सरकार ने यह समझौता करने के पहले राज्यों की राय नहीं ली। जिस प्रकार का बजट कल पेश हुआ है और बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण जो भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है वह हमारी आंख खोलने वाला है। उसकी चार लाइनें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। 1993–94 की आर्थिक समीक्षा में इस तथ्य को याद किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की विश्व सूची में भारत का स्थान 173 देशों में 134वां है। इसमें प्रगति एवं विकास के बीच की गहराती खाई के प्रति सरकार को सावचेत किया गया है। समीक्षा के आंकड़ों ने रहस्योद्घाटन किया है कि 1992–93 के बीच राष्ट्रीय आय में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन व्यक्तिगत आय में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारे विकास कार्यक्रमों में कहीं कुछ बुनियादी खोट है जिसके कारण उन्होंने यह भी आगे कहा है, बाकी कण्ट्री—चीन, मलेशिया, वियतनाम आदि में उदारीकरण के कारण से गरीबी में कमी आयी है जबकि भारत में उदारीकरण के कारण से विकास का बुनियादी ढांचा नहीं बन सका और उसमें कमी आयी है। यह आंकड़ा साफ प्रकट करता है कि 173 देशों में भारत आज 134वें नम्बर पर है। इस स्थिति पर देश को किसने पहुंचाया ? दूसरा सबसे बड़ा चोट का कारण है कि राष्ट्रीय आय 7.8 प्रतिशत बढ़ती है और प्रति व्यक्ति आय 3.6 प्रतिशत बढ़ती है। आप यह काम किसके लिए कर रहे हो ? यह सारा उदारीकरण और सारी वित्त योजनाएं उन लोगों के लिए हैं जो सारे देश की सम्पत्ति पर कुण्डली मारकर बैठे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। आज उदारीकरण का सबसे बड़ा यह कारण विश्व बैंक की रिपोर्ट में हमारे सामने आया है।

क्या भारत इस स्थिति में था? आज राज करने वाली पीढ़ी से पूछना चाहता हूं कि जिस दिन भारत आजाद हुआ था भारत की क्या स्थिति थी? और आज 46 साल के बाद भारत की क्या स्थिति है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमको जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी। आंकड़े स्वयं इस बात को बोलते हैं कि क्या स्थिति थी। जिस समय भारत आजाद हुआ, भारत विश्व का सातवें नम्बर का साहूकार देश था 1947 में। हमारे पास पौण्ड और स्टर्लिंग का जो संचित मुद्रा कोष था उस कोष के आधार पर भारत विश्व का सातवें नम्बर का साहूकार था। उस समय विश्व के व्यापार में, विश्व के सम्पूर्ण उत्पादन में भारत का योगदान 3.5 प्रतिशत था। अगर 100 मन अनाज पैदा होता था, या 100 चीजें पैदा होती थीं, या हजार रुपये का सकल उत्पादन था तो 3.5 प्रतिशत उसमें भारत का हिस्सा होता था। लेकिन आज स्थिति आकर यहां पहुंच गयी है कि विश्व के सकल उत्पादन में हमारा जो हिस्सा है वह 2.5 प्रतिशत रह गया है और विश्व व्यापार में 0.5 प्रतिशत हमारा हिस्सा रह गया है। 1947 में 3.5 और 46 वर्ष के बाद 2.5....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ये कहां से ले आये?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये आंकड़े विश्व बैंक की रिपोर्ट और भारत सरकार का सर्वेक्षण जो लोक सभा में पेश किया गया है उसमें हैं। आप कहो तो उसकी प्रति सदन के पटल पर रख दूं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : रख ही दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, रख ही दूंगा। आप इसका खण्डन कर देना। अभी क्या हुआ है, मोदी जी, अभी तो देखो, आ रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पहले इस पर फैसला कर लो, आर्थिक सर्वेक्षण को पटल पर रख दो और इस पर अलग से आधा घण्टे की चर्चा करवा लो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नम्बर कई के आयेंगे, नम्बर कई के कटेंगे। कई आये, कई चले गये, लेकिन यह देश परमानेण्ट है, यह समाज परमानेण्ट है। राष्ट्र और समाज के हित की बात पर हमको काम करना चाहिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की बाबत आधा घण्टे की चर्चा सीकर कर लो, उस पर यह फैसला हो जायेगा कि भारत की क्या स्थिति है अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप बोलना आपका टाइम आये तो।

मैं कहना चाहूंगा, इसका क्या कारण था कि महात्मा गांधी की नीति का भारत ने त्याग कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

था कि देश को चार चीजें करनी होंगी। पहला उन्होंने कहा था कि कोई भी देश अन्य देश की नकल का लाभ नहीं उठा सकता, सबकी समस्याएं एवं राष्ट्रीय आकांक्षाएं भिन्न-भिन्न हैं। जब यह माडल तैयार हुआ था उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि हमको इस पर नहीं चलना चाहिए। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी उस समय एक बात उनको कही कि भगवान ने सब देशों को अलग-अलग प्रश्न-पत्र दिये हैं इसलिए सबकी एक-सी बात नहीं हो सकती। इसी में वेल्स ने कहा था कि ईस्ट इज ईस्ट एण्ड वैस्ट इज वैस्ट। दुर्भाग्य से 1947 में हम जो माडल बनाना चाहते थे, हमने पश्चिम का अन्धानुकरण किया। उसका परिणाम हमारे सामने है। हमने माडल कौन सा तैयार किया? हमने 956 में महाल ने विस का माडल हमारे उद्योगों के लिए माना। उस माडल के बारे में अभी 30 जनवरी को हमारे प्रधान मंत्री ने 500 आई. ए. एस. अफसरों के बीच भाषण देते हुए एक बात कही थी कि यह समाजवाद हमारे देश का सबसे बड़ा शत्रु है। समाजवाद ने इस देश को 40 वर्ष तक भ्रष्टाचार में फंसाया है। यह बात भारत के प्रधान मंत्री पी. वी. नरसिंह राव ने 500 आई. ए. एस. अफसरों की मीटिंग में कही है। उन्होंने कहा कि उदारीकरण की ओर हमको बढ़ना चाहिए, इस समाजवाद से हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गयी है। प्रधान मंत्री के इस भाषण को सुनकर मुझे एक ऐतिहासिक बात याद आती है। जब स्टालिन मर गया था, स्टालिन के मरने के बाद ख्रुश्चेव भाषण दे रहा था। उसने कहा, स्टालिन ने बहुत ज्यादतियां की हैं और सारे रूस को तबाह कर दिया है। 40 साल तक स्टालिन के साथ ख्रुश्चेव लगा रहा तब वह नहीं बोला और ये पण्डित नरसिंह राव जी 20 साल तक नेहरू परिवार की छत्रछाया में पलते रहे, भ्रष्टाचार को पनपाते रहे, समाजवाद की बात करते रहे, कुछ नहीं बोले और प्रधान मंत्री बनने के बाद उन्होंने उसको गलत साबित किया और उसके खिलाफ बोलने लगे। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हमने पश्चिमी माडल को स्वीकार कर इस प्रकार की बात की। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, 40 साल तक जिस पर आप काम करते रहे, आपात काल में संविधान का संशोधन करके जिस समाजवाद के पाखण्ड और धर्मनिरपेक्षता के पाखण्ड को आपने कांस्टीट्यूशन के प्रिएम्बल में शामिल किया उस समाजवाद के पाखण्ड के खिलाफ इतना बोलने लगे हैं तो हिम्मत होनी चाहिए कि सबसे पहले इस पाखण्ड को दूर करें और समाजवाद के शब्द को भारतीय संविधान की भूमिका में से निकाल बाहर करें।

उसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारी स्थिति क्या हो गयी है। आज हमारे पर 3 लाख करोड़ रुपये का विदेशी कर्ज हो गया है। क्या यह हमारे पर कर्जा था? 1970 में भारत का और चीन का विश्व व्यापार 2.2 मिलियन डालर था। चीन का भी इतना था और भारत का भी इतना था लेकिन आज हालत क्या है, आज चीन का व्यापार एक लाख 32 हजार करोड मिलियन डालर भारत से अधिक बढ़ गया

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है। चीन हमारे से मजबूत हो गया है। आज कारण क्या है? जापान हमारे से मजबूत हो गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : क्यों हो गया, इसलिए हो गया कि चीन ने 10 साल पहले उदारीकरण की नीति को अपना लिया और आज आप 10 साल पीछे हो और आज भी उदारीकरण का आप विरोध कर रहे हो। आपके नेता ने अमरीका में जाकर सबसे पहले उदारीकरण का समर्थन किया और प्रधान मंत्री पी. वी. नरसिंहराव की नीतियों का खुला समर्थन किया और यह कहा कि भारत वर्ष को पहला प्रधान मंत्री मिला है जो अपने उद्देश्यों में ईमानदार और सच्चा है और आज उन पर कटाक्ष कर रहे हो। आडवाणीजी का पढ़ो आप, अमरीका में वे क्या बोले।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, रामनारायण जी तो बहुत वरिष्ठ हैं, मेरे पर वैसे भी कृपा है. मैं आपका स्वागत करता हूं. मैं उदारीकरण का विरोध नहीं कर रहा हूं. कहां है? भारतीय जनता पार्टी भी उदारीकरण का विरोध नहीं कर रही। मैं तो यह उदारीकरण का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। उदारीकरण के दो अर्थ हैं। उदारीकरण का अर्थ है देश के अन्दर उदारीकरण। उदारीकरण का यह मतलब नहीं है कि सीमा शुल्क में आप लगातार छूट देते जाओ, उत्पादन शुल्क में लगातार बढ़ोतरी करते जाओ। विदेशी वस्तुएं सस्ती होकर भारत के बाजार में आती रहे और वह सारा पैसा उत्पादन शुल्क लगाकर भारत की इण्डस्ट्रीज से खरीदते रहो। विदेशी माल सस्ता और भारत का माल भारत में महंगा। मैं इसका विरोध करने जा रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि उदारीकरण हमको करना चाहिये भारत में। भारत में जितने प्रतिबन्ध लगाये थे अत्यधिक केन्द्रीयकृत अर्थव्यवस्था के नाम पर....(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, नहीं, यह विवाद का विषय नहीं है, आप अलग समय में बोलियेगा। This is no way to talk.

यह कोई तरीका नहीं है। प्लीज सिट डाउन। सुनने का धैर्य रखें। Not to be recorded.

श्री रामनारायण वर्मा : × × ×

श्री सभापति : कहा है, आप बैठ जायें। यह बीच-बीच में क्या तरीका है बोलने का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगर हम सुन लें तो हमको प्रसन्नता होगी। मैं आपका जवाब सुनने के लिए तैयार हूं। मैं कह रहा था कि मैं और मेरी पार्टी इसके खिलाफ नहीं है कि उदारीकरण किया जाय लेकिन अन्धाधुंध बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को यहां आने की छूट देने के खिलाफ हैं। अगर विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, हाई टेक्नोलोजी के मामले में अगर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आकर हमारी मदद करती हैं तो उनका स्वागत है। मैं, माननीय रामनारायणजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा

× × × माननीय अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कि चीन का जैसे आपने उदाहरण दिया है, चीन में उदारीकरण की नीति, आज के 12 वर्ष पहले प्रारम्भ कर दी गयी थी, रूस ने नहीं की थी इसलिए रूस का सत्यानाश हो गया। चीन ने प्रारम्भ कर दी लेकिन चीन ने 12 वर्ष तक किसी विदेशी कम्पनी को चीन में नहीं फटकने दिया। उसने पहला काम यह किया कि चीन की अफीम छुड़ाई और चीन को मेहनती चीन बनाया। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि आपकी पीढ़ी ने, आजादी की पीढ़ी ने आपको विरासत में दिया है सेवा-भाव, राष्ट्रवाद और 46 साल तक राज करने वाली पीढ़ी ने हमको विरासत में दिया, जी. टी. वी., नशीली दवाइयां और + + + का भारत। यह + + + का जो भारत बनता जा रहा है, यह नशीली दवाइयों का सेवन करने वाला भारत बनता जा रहा है, यह टेलीविजन पर नंगे नाच देखने वाला जो भारत बनता जा रहा है, उसमें राष्ट्रवाद नहीं पनप सकता और विकास नहीं हो सकता। चीन ने इस पर प्रतिबन्ध लगाया। चीन ने चीन को एक राष्ट्रवादी चीन के रूप में, मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा किया। आज वह विदेशियों को आमंत्रित कर रहा है, आइये, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत अर्थ-व्यवस्था हो गयी है। आज भारत की अर्थ-व्यवस्था इतनी कमजोर अर्थव्यवस्था है कि हमने विदेशियों को बुलाया। जैसे आज टाटा के टिमको को हिन्दुस्तान लीवर खा गयी है, जिस प्रकार सीबा खा रही है, जिस प्रकार से कारगिल खा रही है। ये आपकी सारी कम्पनियां ऊंट के मुंह में जीरे के समान चली जायेगी और हमारी अर्थव्यवस्था गुलामी की ओर बढ़ जायेगी।

एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि इस देश के सकल उत्पादन का 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि से हमारे पास आता है और विश्व व्यापार में 0.5 प्रतिशत हमारा है। इस 0.5 प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हम सारी शक्ति झोंक रहे हैं और इस 70 प्रतिशत को तबाह करने पर तुले हुए हैं। एक समझौता हालैण्ड की एक कम्पनी से हुआ है उसको सुनकर आश्चर्य होगा कि हम 1200 करोड़ रुपये का खल उनको भेजेंगे और 6 करोड़ रुपये साल का गोबर उनसे आयात करेंगे। भारत, श्री कृष्ण का देश, गौपालक का देश, उसको हालैण्ड से गोबर आयात करना पड़ेगा। हमने तो गाय को ठुकरा दिया, हमने गोबर को भी ठुकरा दिया, हमने किसान को भी ठुकरा दिया। भारत जिस समय आजाद हुआ था, तीन प्रतिशत लोग ऐसे थे जो डोमिनेटिंग क्लास के माने जाते थे, जो अंग्रेजी पढ़े-लिखे थे, उनके हाथ में भारत की राज सत्ता थी और आज हालत क्या है, 46 साल के बाद में इनकी संख्या बढ़कर 16 प्रतिशत हो गयी। यह 16 प्रतिशत की जो डोमिनेटिंग क्लास है जिसको उच्च मध्यम वर्ग की श्रेणी से विभूषित किया जा सकता है, हिन्दुस्तान की 35 प्रतिशत सम्पदा पर इनका अधिकार है और जो बाकी 84 प्रतिशत बचे हैं उनके पास 65 परसेण्ट हैं। इतने लोग गरीबी

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री धनश्याम तिवाड़ी)

की रेखा के नीचे हैं कि वे रोजमर्रा का काम भी नहीं कर सकते ।

यह डंकल प्रस्ताव, यह गैट का समझौता उन 16 प्रतिशत लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है । उन दो करोड़ लोगों के लिए आप भारत के किसान की आस्था पर चोट करना चाहते हो । आवश्यकता डंकल की नहीं है । मैं, सभापति महोदय, मांग करना चाहता हूं कि भारत से डंकल बाहर रहना चाहिये । जिस प्रकार दृढ़ता से चीन ने कह दिया हमको डंकल की आवश्यकता नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि भारत को अगर मजबूत होना है तो भारत को कृषि पर ही ध्यान देना होगा । भारत को मजबूत होना है तो उसको किसान पर ही ध्यान देना पड़ेगा । भारत को मजबूत होना है तो उसको गोबर पर ही ध्यान देना पड़ेगा, भारत को मजबूत होना है तो उसको गाय पर ही ध्यान देना पड़ेगा ।

आज भारत में अगर सारे किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराने की स्कीम बनायी जाय, विश्व बैंक का आंकड़ा है, 100 वर्षों में भारत की स्थिति किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं करा सकती । अगर हम भारत में सभी 7 लाख गांवों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान करें, सड़क बनाने की कोशिश करें तो हिमालय को छोड़कर सारे पर्वतों की गिट्टी बनाकर बिछा दें तो भी 7 लाख गांवों में सड़क नहीं बनेगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत को एग्रीकल्चर पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं, मैं चाहूंगा कि बजट में इस प्रकार का प्रावधान करें । हिन्दुस्तान में आज पहला हक उद्योग को दिया गया है । मैं निष्ठापूर्वक मांग करता हूं कि उद्योग का पहला हक समाप्त करके भारत में कृषि को पहला स्थान दिया जाना चाहिये । कृषि प्रधान देश भारत तब दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है । मैं यह भी मांग करता हूं कि हमारी गायों की नस्ल और उनकी सुरक्षा के लिए जितने भी गांवों में चरागाह है उन चरागाहों को इस शर्त के आधार पर कि गऊ शालाएं या पशुओं के लिए 5 प्रतिशत, दो प्रतिशत या एक प्रतिशत जमीन आरक्षित कर दी जाय और बाकी सारे चरागाह को रिजर्व करके उनको गऊ शालाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाय । यह उस गांव के लोग खुद करें । उसमें केटल ब्रीडिंग फार्म बनाया जाय, उसमें टिश्यू कल्चर खोला जाय, उसमें हाइब्रिड क्वालिटी का बीज दिया जाय और चरागाह डिप्लोयमेंट के लिए वहां फव्वारों की सिंचाई से भिन्न-भिन्न प्रकार की घास पैदा की जाय और भारत के गौ धन को, जो हमारा प्रमुख धन है, बढ़ाया जाय और चरागाह विकास को भारत सबसे मजबूत कदम के रूप में ले ।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से केन्द्र का बजट आया है और इस बजट में जिस प्रकार की कार्यवाही की गयी है उससे भारत की अर्थव्यवस्था गिरवी रखने की तरफ जा रही है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारत पर पांच शर्तें लगायी थी । पहली शर्त यह थी कि सीमा शुल्क को समाप्त किया जाय । 5 वर्षों में धीरे-धीरे उसको समाप्त कर दिया जाय । दूसरी शर्त थी कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उसकी क्षति-पूर्ति करने के लिए उत्पादन शुल्क को बढ़ाया जाय और लगातार तीन वर्ष में 8 हजार करोड़ रुपये का सीमा शुल्क माननीय मनमोहन सिंहजी ने मुक्त कर दिया है और इसी प्रकार से हिन्दुस्तान में उत्पादन कर लगाया जा रहा है। आने वाले 2–3 सालों में समय आयेगा कि सबसे पहले हमारे घर में बिकने वाली सारी चीजें महंगी होंगी। आज आपने क्या किया है। इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स पर पैसा कम किया है सीमा शुल्क का। आपके बाजार में आकर विदेश का सामान बिकेगा। सभापति महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद हम महात्मा गांधी को भूल गये। महात्माजी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। "अंग्रेजों भारत छोड़ो" के साथ विदेशी कपड़ों की होली....(व्यवधान)

श्री शांतीकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : महात्मा गांधी को राजघाट पर आप लोगों ने 1977 में क्या कहा था, इस पर भी विचार करेंगे? 1977 में सब इकट्ठे होकर गये थे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप इनको कहने दीजिये।

श्री सभापति : अभी तो आप प्रस्तावना पर और सैन्ट्रल बजट पर बोले हैं, अभिभाषण पर बोले ही नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : समय है, 3 घण्टे का समय है हमारा।

श्री सभापति : वैलकम। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो इनको आगाह कर रहा हूं सिर्फ यह कि आपने प्रस्तावना पर ही कहा है और बजट पर बोले हैं, अभिभाषण पर कुछ नहीं बोला है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभिभाषण पर बोल देता हूं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम महात्मा गांधी को भूल गये। महात्मा गांधी ने "अंग्रेजो भारत छोड़ो" आन्दोलन के साथ-साथ सारे विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई और स्वदेशी आन्दोलन भी प्रारम्भ किया। आजादी के बाद सबसे पहले हम स्वदेशी को भूल गये और विदेशी के बाद हमने विदेशी चीजों का हर शौक पाला। आज हमारे करोड़ों रुपये साल के क्रीम, पाउडर और दूसरी अन्य विदेशी चीजों पर खर्च होते हैं। सबसे बड़ा खर्चा, आंकड़े मुझे याद नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा हमारा खर्चा क्रीम, पाउडर, सौन्दर्य प्रसाधन आदि अन्य चीजों पर खर्च होता है। इसी प्रकार की अन्य चीजों को हमारे यहां आयात किया जाता है जिनका हमसे कोई मतलब नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ेगी, इस सारी स्थिति से राजस्थान को बचाने के लिए हमको कुछ प्रतिबन्ध लगाने चाहिए। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने हमको कहा कि प्रतिबन्धित जो सूची है उस सूची को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, प्रतिबन्धित आइटम्स की सूची है उसे समाप्त कर दिया जाय और धीरे-धीरे भारत सरकार प्रतिबन्धित आइटम्स की सूची को कम करती जा रही है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और विदेशी व्यापार का हमारे यहां इन्फ्लूएंस बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से सारे कानून करते-करते भारत सरकार अब डकल प्रस्ताव पर आ गयी है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सबसे खतरनाक तीन चीजें कांग्रेस के नेताओं ने भी स्वीकार की है। कांग्रेस के माननीय सदस्य शायद इस बात का विरोध करेंगे तो उन्हें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के एम. पीज. और कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों की हस्ताक्षरित किताब है जो सारे भारत वर्ष में वितरित की जा रही है जिस पर श्री बसन्त साठे के हस्ताक्षर हैं, कांग्रेस के एम. पीज के हस्ताक्षर हैं। वह किताब मेरे पास इस समय नहीं है, पर वह वितरित की गयी जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर के हस्ताक्षर हैं, श्री बसन्त साठे के हस्ताक्षर है और कांग्रेस के दो लोगों के हस्ताक्षर हैं। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि डकल प्रस्ताव आने से हमको तीन चीजों का सबसे बड़ा खतरा होगा। पहला खतरा यह होगा कि हमारे यहां रोजगार के अवसर कम हो जायेंगे, दूसरा खतरा होगा कि हमारे यहां दवाइयां महंगी हो जायेगी और तीसरा खतरा होगा कि छोटे किसानों की जोत अलाभकारी हो जायेगी और उनको छोड़ना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देकर कहना चाहता हूं कि डंकल प्रस्ताव लागू होने से, भौतिक सम्पदा कानून बन रहा है, पेटेंटीकरण होने के बाद में हमारे यहां सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि गरीब के मुंह से दवाइयां छीन ली जायेगी। उदाहरण देकर मैं सिर्फ आपको दो दवाइयों के नाम बताना चाहूंगा जिससे प्रमाणित हो जायेगा कि डंकल प्रस्ताव से हमारे यहां क्या होने वाला है।

सभापति महोदय, "रेनीटिडीन" नामक एक औषधि है, जेनेटिक 300 मिलीग्राम, ग्लासको कम्पनी की है, क्योंकि भारत में प्रक्रिया पेटेंट नहीं है इस समय इसलिए भारत, पाकिस्तान और अमेरिका में इसकी क्या स्थिति है उसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। भारत में यह दवाई 29 रुपये में मिलती है, पाकिस्तान में 200 40 में मिलती हैं, इंग्लैण्ड में 487.31 में मिलती है और अमेरिका में यह 444.65 में मिलती है। इसी प्रकार से "गोगरास" नामक औषधि है जो हड्डियों को जोड़ने और दर्द में काम आती है—यह दवाई भारत में 5.67 में मिलती है, पाकिस्तान में 55.80 में मिलती है, इंग्लैण्ड में 95 84 में और अमेरिका में ~39.43 में मिलती है। इस प्रकार से और भी दवाइयों की लिस्ट है और यह साधारण गोगरास आपको इतने में मिलती है लेकिन जिस दिन, 16 अप्रेल को भारत सरकार भारत को गुलामी की ओर ले जाने वाले डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेगी, यह दवाई आपको -00 रुपये में मिलेगी। आयुर्वेद की दवाइयों का भी पेटेंटीकरण हो जायेगा, वनस्पति प्रजातियों का पेटेंटीकरण होगा। जो तुलसी आज आप मन्दिर में चरणामृत में लेते हैं शायद उसका भी पेटेंटीकरण हो जायेगा।.... (व्यवधान)

श्री शांतीकुमार धारीवाल : "रेनीटिडीन" का आपने जिक्र किया है, आपके ध्यान में है कि रेनीटिडीन एक साल पहले किस कीमत पर भारत में बिका करती थी?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (ग्रासीन्द) : यह ग्रल्सर के काम में ग्राती है, पेगमेट्स से शुरू हुई है।

श्री शांती कुमार धारीवाल : ग्रल्सर के लिए नहीं है, टी.बी. की दवाई है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह ग्रल्सर के लिए है ग्रौर पेगमेट्स से शुरू हुई है, बिलकुल सही कह रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल : रेनीटिडीन किसी भी डाक्टर से पूछ लीजिये, टी.बी. की दवाई है ग्रौर इसकी कीमत 150 रुपये होती थी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : क्या बात करते हैं। शर्त हो जाये, ग्राप जानते नहीं है।

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह किस चीज की दवाई है ग्रौर किस चीज की नहीं है, लेकिन मैं ग्रापको कीमत का ग्रन्तर बता रहा हूं, जब पेटेंट कानून होगा यह दवाई इस स्तर पर हमारे पास पहुंचेगी।

सभापति महोदय, इस ग्रभिभाषण का एक पैरा ग्रापके सामने पढ़कर ग्रपनी बात समाप्त करूंगा। 48 नम्बर पर लिखा है—

"माननीय सदस्यगण, ग्राज सारा देश समय की एक दुरभि संधि पर खड़ा है। देश की सामाजिक एवम् ग्रार्थिक व्यवस्था से तेजी से व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। एक ग्रोर जहां हमारे व्यापार का ग्रन्तर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है वहीं दूसरी ग्रोर हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन पर पड़ती विदेशी छाया स्पष्ट परिलक्षित होती है। हमें ग्रपनी सामाजिक एवम् सांस्कृतिक धरोहर एवम् विरासत को बनाये रखते हुए विश्व में हो रहे व्यापक परिवर्तनों का लाभ उठाना है।"*

ग्राज समय की दुरभि संधि पर यह देश कैसे खड़ा हुग्रा है, देश को समय की दुरभि संधि पर लाकर खड़ा करने का प्रयत्न किसने किया? जापान ने भी हमारे साथ विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ की थी। ज्वालामुखी के विस्फोटों से घिरा हुग्रा देश, जिसके पास ग्रपने स्वयं के साधन नहीं है, ग्राज ग्रपने किसानों को चावल पर 700 प्रतिशत सब्सिडी देता है, ग्राज ग्रमेरिका को ग्रांखें दिखा रहा है, ग्रार्थिक क्षेत्र में ग्रमेरिका की बात मानने के लिए तैयार नहीं है ग्रौर भारत को ग्राज बंगला देश ग्रौर पाकिस्तान ग्रांखें दिखाते हैं। यह इजरायल वाले 1948 में, 1800 साल बाद दुनिया की ठोकरें खाते हुए यहूदी फिर रहे थे, इजरायल में ग्राकर बसे ग्रौर ग्राज हमारा मंत्रिमण्डल ग्रौर मुख्य मंत्री वहां जा रहे हैं उनसे सीखने के लिए कि हम खेती का किस तरह से विस्तार करेंगे। यह चीन जिसको ग्रफीमची कहते थे उसके बारे में मैंने ग्रापको बताया ही है। यह सारे राष्ट्र जब इस स्थिति पर पहुंच गये तो भारत क्यों नहीं पहुंचा? तो मैं कहना चाहता हूं कि 46 वर्ष तक शासन करने वाले लोगों ने भारत वर्ष में राष्ट्रवाद की भावना को खत्म किया। हमने ग्राजादी तो प्राप्त कर ली थी किन्तु हमें विरासत में क्या मिला था? महात्मा गांधी की विरासत मिली, पण्डित जवाहरलाल नेहरू की विरासत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मिली। कौन लेकर आये महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजनीति में ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : गांधीजी का नाम तो लेते हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गांधीजी तो मेरे आदर्श हैं, मेरी पार्टी के लिए भी आदर्श हैं और देश के लिए भी गांधीजी आदर्श हैं और गांधीजी एक दिन विश्व के लिए आदर्श बनेंगे इसको कोई नहीं रोक सकता है। आज भी आदर्श हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कभी भी नहीं अपनाया और मन्दिरों के घण्टे कभी भी नहीं बजाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जानकारी के लिए बता देऊं कि महात्मा गांधी ने कभी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण ही नहीं की।....(व्यवधान)

श्री सभापति : नो, नो। प्लीज सिट डाउन।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कांग्रेस में राष्ट्र भक्ति रही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र भक्ति है इसलिए वह हमारे थे और रहेंगे।

श्री विष्णु मोदी : आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी की ज्ञान वृद्धि करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सदस्य नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए आपकी ज्ञान वृद्धि करने के लिए इतना और कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को यह सलाह दी कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाय।

श्री विष्णु मोदी : आप यह कह रहे हैं कि सदस्य ही नहीं रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : मुख्य मंत्रीजी, सही बात है कि गांधीजी सदस्य थे, अध्यक्ष थे, कांग्रेस का आन्दोलन उन्होंने चलाया और आप यह कह रहे हैं कि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। यह बात सत्य से बहुत परे हैं और इस मामले में अपना ज्ञानवर्द्धन जरूर कीजिये।

श्री सभापति : माननीय घनश्याम तिवाड़ी।

श्री शांती कुमार धारीवाल : कांग्रेस के सिर्फ एक बार अध्यक्ष उनकी मरजी के खिलाफ बने थे नहीं तो हर बार जिसको भी वह अध्यक्ष बनाना चाहते थे वह अध्यक्ष बना है।

श्री सभापति : बात हो गई ना।

श्री रामनारायण चौधरी : मुख्य मंत्री जी, आपको मालूम है कि 1916 से लेकर 1946 तक उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया और कांग्रेस ने वही किया जो महात्मा गांधी ने सलाह दी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आजादी कौन लाया ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम लाये, हमारी पार्टी लाई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये नहीं आये राष्ट्रवाद की भावना, पंडित नेहरू राजनीति में नहीं आते तो वह रईस का जीवन जी सकते थे लेकिन जब पहली बार उन्होंने जिस दिन खादी पहनी तो फफोले हो गये थे। राष्ट्रवाद की भावना के कारण से वह आये, कांग्रेस को राष्ट्रवाद की भावना दी। आजादी के बाद राज करने वाली पीढ़ी ने इस पीढ़ी को क्या दिया, देश को भ्रष्टाचार दिया, देश को बोफोर्स दिया, देश को प्रतिभूति घोटाला दिया, देश को जातिवाद दिया, देश को परिवारवाद दिया। कांग्रेस की रिपोर्ट आई है गाडगिल की, चुनावों के बारे में कि कांग्रेस की पराजय परिवारवाद, जातिवाद और टिकटों के कारण से हुई। इस पीढ़ी ने जब आगे बढ़कर नई पीढ़ी को ये दिया और अब ये नई पीढ़ी के लिए कहते हैं कि नई पीढ़ी देश के लिए क्या करेगी ? सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं नई पीढ़ी देश के लिए क्या करेगी ? जब 56,000 करोड़ रुपये का कर्जा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को चुकाना था तो भारत के सेठों, व्यापारियों और उद्योगपतियों ने नहीं चुकाया। भारत का पैसा चुका जो मजदूर, डाक्टर और इंजीनियर गल्फ कंण्ट्रीज में, विदेशों में काम करते थे, उनसे वह 56,000 करोड़ रुपया आया और उस पैसे से वह चुका। भारत की आज भी ताकत श्रम की और कृषि की है, इस सिद्धान्त को हमको मानना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा, नई पीढ़ी में अगर कपिल देव और गावस्कर ने बल्ला पकड़ा तो भारत का नाम किया। जहां भी उनको मौका मिला वहां पर नाम किया लेकिन दुर्भाग्य से नई पीढ़ी के अन्दर, जो आजादी के बाद राज करने वाली पीढ़ी है, उसने संस्कृति हटाई, वोटों की राजनीति चलाई। वोटों की राजनीति से पार्टी के पक्ष में, पार्टी से जाति के पक्ष में और जाति से फिर परिवार के पक्ष में, उदाहरण तो इस-इस प्रकार के दिये जाते हैं कि परिवारवाद और जातिवाद तो हिन्दुस्तान में बहुत पुराना है।

शंकरजी, शिवजी महाराज क्यों पूजे गये ? उन्होंने कहा कि मैं नहीं, फिर मेरी पत्नी पार्वती को भी पुजाओ। पार्वती की पूजा हो गई। उन्होंने कहा, मेरे बेटे गणेश को भी पुजाओ, गणेश की पूजा हुई, कार्तिकेय की पूजा हुई और इसके साथ में उन्होंने कहा कि नन्दी की पूजा करो, मेरे शेर की पूजा करो। आजादी के बाद इस प्रकार की जो प्रजातांत्रिक जागीरदारी हिन्दुस्तान में कायम हुई है....

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो भारत की संस्कृति है, यह जो आप बता रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। माननीय घनश्याम जी, समाप्त करिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं उदाहरण बता रहा हूं। आप मेरी बात सुनिये। मैं समाप्त कर रहा हूं सभापति महोदय। मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की बात जो है, आज पुनः समय आ गया है, समय की दुरभि संधि पर राष्ट्र खड़ा है तो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के विकास के बारे में जिस प्रकार का संकल्प, संकेत और दिशा-निर्देश इस अभिभाषण में दिये गये हैं, जिस प्रकार की बातें हैं, दुरभि संधि पर राष्ट्र खड़ा है, नई पीढ़ी को देने के लिए कम से कम एक प्रस्ताव तो पास करें कि जी. टी. वी. और एम. टी. वी. पर जिस प्रकार के कार्यक्रमों से हमारी इस संस्कृति पर हमला हो रहा है, इस संस्कृति पर हमले को हमको निश्चित रूप से रोकना चाहिये। जिस प्रकार से मादक द्रव्यों की तस्करी हमारे देश में हो रही हैं और जवान पीढ़ी को बेकार किया जा रहा है, इन मादक द्रव्यों की तस्करी पर हमको प्रहार करना चाहिये। जिस प्रकार से राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास हो रहा है, उस आधार पर शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना चाहिये। सभापति महोदय, आज समय आ गया है, यह समय स्वदेशी का है, यह समय स्वराज्य का है, यह समय स्वाभिमान का है। भारत आज इस स्थिति में पहुंच गया है जिस प्रकार एक बार वन्दे मातरम् कहकर महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने का झण्डा उठाया था, हम सबको मिलकर भारत की आर्थिक आजादी और सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वह आजादी स्वदेशी से आयेगी, वह आजादी राष्ट्र के स्वाभिमान से आयेगी और इन सब बातों का संकेत, संकल्प और दिशा-निर्देश इस अभिभाषण में दिया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने यह अभिभाषण विधान सभा के सामने दिया और इस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है उस पर विचार-विमर्श हो रहा है, मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य डंकल और गेट में उलझ रहे थे। मैं भारत और राजस्थान के विकास के लिए यह कहना चाहता हूं जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, आजादी और प्रदेश का विकास कोई मायने नहीं रखेगा। गांवों का विकास, गांवों की पचायत, गांवों की प्राइमरी स्कूल और गांवों में ग्राम सेवा सहकारी समिति, ये गांवों के तीन आधार हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज न तो गांवों में प्राइमरी स्कूल ठीक से काम कर रही है, न आज गांवों में ग्राम पंचायतें हैं और न ही आज गांवों के अन्दर ग्राम सेवा सहकारी समिति ठीक से काम कर रही है। अगर हम गांवों को बनायेंगे तो हमारा प्रदेश बनेगा और यदि हमने गांवों को बनाने पर ध्यान नहीं दिया तो हमारा प्रदेश किसी भी हालत में खुशहाल नहीं हो सकता। आज बड़े अफसोस और दुःख की बात है, गांवों में प्राइमरी स्कूल बिना अध्यापक के पड़ी हुई हैं, गांवों में हाई स्कूल, गांवों में मिडल स्कूल बिना हैड मास्टर और बिना अध्यापकों के खाली पड़ी हुई है। आज गांवों के अन्दर स्वास्थ्य की दृष्टि से जो हैल्थ सेन्टर खोले गये हैं, जो

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खोले गये थे, उनमें डाक्टर नहीं हैं। डाक्टर्स सारे के सारों ने शहरों में, 30-30, 40-40 किलोमीटर जाकर अपने क्लिनिक खोल रखे हैं। वहां से डेली, 7 दिन में एक बार अप-डाउन करते हैं। गांवों की यह स्थिति हो रही है मान्यवर, तो जब तक गांवों में विकास नहीं होगा, हमारा प्रदेश किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ सकता। गांवों के अन्दर ग्राम पंचायतें थीं, पंचायतें अपने शैशव काल में चल रही थी। हमारी वर्तमान सरकार, माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब दूसरी बार मुख्य मंत्री बने तो उनका पहला प्रहार ग्राम पंचायतों पर हुआ। ग्राम पंचायतों के अन्दर प्रशासक बना दिये। ग्राम पंचायतों के प्रशासक ग्राम सेवा सहकारी समिति में प्रशासक बना दिये। पूर्व में हमारे ऊपर, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप जब सत्ता में थे तो आपने पंचायतों के चुनाव नहीं कराये, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये। कांग्रेस ने बराबर चुनाव कराये लेकिन 13 वर्ष का ऐसा समय निकला, उसमें भी कांग्रेस ने ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों और जिला परिषदों को यथा स्थिति के अन्दर रखा, वह एक जनतंत्रीय स्वरूप था। आज ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्, वे कितनी भी कमजोर हो जाय, निर्बल हो जाय, नकारा हो जाय। इसमें भी जो नौकर है, उससे हजारों दर्जे लोगों का जनतंत्र का जो तरीका है वह अच्छा है, उसमें अच्छे होंगे। तो उनको आपने सबसे पहले आते ही, प्रथम बार जब आप मुख्य मंत्री बने थे तो उन तमाम ग्राम पंचायतों को डिजोल्व किया, पंचायत समितियों को डिजोल्व किया, जिला परिषदों को डिजोल्व किया। सब में प्रशासक बैठा दिये। इतना जरूर किया कि ग्राम पंचायतों के चुनाव उन्होंने प्रथम कार्यकाल में करवाये लेकिन पंचायतों के चुनाव करवाने के बाद न पंचायत समितियां बनाई, न जिला परिषदों के चुनाव कराये। कहते ही रहे कि हम पुनर्गठन कर रहे हैं, वह पुनर्गठन हुआ ही नहीं और समय यूं ही निकल गया। अब की बार दुबारा मुख्य मंत्री बने, ग्राम पंचायतों के ऊपर उन्होंने प्रहार किया, जो प्रथम बार में उन्होंने किया था। अब की बार तो उन्होंने चुनाव ही नहीं कराये, अब की बार पंचायतों के पुनर्गठन के नाम पर उन चुनावों को और लम्बा खींच दिया। यह ठीक है कि आपने उस कार्यकाल में पुनर्गठन तो कर दिया था लेकिन चुनाव नहीं करवाये। आज गांवों में न ग्राम पंचायतें हैं, न पंचायत समितियां हैं और न ही जिला परिषद् है। गांवों में प्रशासन पूरी तरह से नौकर के हाथ में है। आज आप जानकारी कर लीजिये मुख्य मंत्री महोदय, आपकी इंटेलिजेंस बहुत बड़ी है। ग्राम सेवक जिनके पास साइकिल भी नहीं थी, पैदल चलते थे, आज कितनों के पास जीपें हैं और कितनों के पास हीरो होण्डा मोटर साइकिल है। तमाम ग्राम सेवक के पास है। कोई ग्राम सेवक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास में हीरो होण्डा मोटर साइकिल, नहीं हो। कहाँ से आ गई ये सब ? ग्राम पंचायतों के द्वारा जो पैसा खर्च हो रहा है वह सारा का सारा पंचायतों के मार्फत, ग्राम सेवकों की मार्फत खर्च होता है। यह उदाहरण है मुख्य मंत्रीजी।

(श्री रामनारायण चौधरी)

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जे. आर. वाई. और दूसरे जितने भी डवलपमेंट के काम ग्राम पंचायतों के द्वारा करवाते हैं, ग्राम सेवक, यहां पर मुझे नहीं मालूम, लेकिन सीकर, झुन्झुनूं और चूरू साइड में पैसा ले जाकर गांवों के अन्दर यदि 60,000 का काम है, उसको 45,000 रुपये में किसी भी मिस्त्री को ठेके पर दे देते हैं और 45,000 रुपये में काम कर देते हैं। 45 हजार का जब काम होता है तो 15 हजार तो उसमें ऊपर के ऊपर ही रह जाते हैं। वह सीधा का सीधा पैसा ग्राम सेवक के पास रहता है और इस 15 हजार का बंटवारा कहां-कहां होता है यह आप अपने तरीके से जानकारी कर लीजिये।

अभी झुन्झुनूं में अभाव-अभियोग समिति की बैठक हुई थी। इस समिति में आपने विधायकों को भी मेम्बर बना रखा है। मुझे भी उसमें शिरकत करने का मौका मिला। जिला कलक्टर उस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे तो उसमें एक विकास अधिकारी कह रहे थे कि इतनी महिलाएं उसमें आनी चाहिए, इतने हरिजन आने चाहिए, इतने स्माल फार्मर्स आने चाहिए, इतने भूमिहीन लेबर आने चाहिए और इस फार्मूले के अन्दर इतने लेबर आने चाहिए। मैंने कलक्टर को कहा कि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है, जितने भी काम हैं वे सारे ठेकों पर हो रहे हैं। समिति में इस बात को अप्रत्यक्ष और तरीके से स्वीकार किया गया और एक विकास अधिकारी ने यहां तक कह दिया कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक भी विकास का काम नहीं होगा। कलक्टर ने पूछा कि क्यों नहीं होगा ? उसने कहा कि ग्राम सेवक तो मेनुपलेट करके ठेके पर यह काम करवा देता है वरना सारी रकम लेप्स हो जायेगी। कलक्टर ने इसमें सीरियस नोट लिया। शिवनाथ सिंह जी भी उस मीटिंग में थे। आप जानकारी करवा लीजिये।

आपने एक साला योजना बनायी। उस एक साला योजना में आपने अच्छा प्रावधान किया है। उन प्रावधानों का लाभ जनता को तभी मिल सकता है जब उसमें जनता के प्रतिनिधियों का और जनता का इनवोल्वमेन्ट गांवों का इनवोल्वमेन्ट हो। जो जरूरी काम हैं वे होने चाहिए, गैर जरूरी काम नहीं होने चाहिए। हमने एक वर्ष के प्लान देखे, ग्राम सेवक ने बनाये थे। सभापति महोदय, ग्राम सेवकों ने गांव के प्लान अपने आप ही बना रखे हैं, पंचायत वाला को किसी को नहीं पूछता। मुख्य मंत्रीजी, आप उनको हिदायत कर सकते हैं कि जब तक पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे तब तक ग्राम सभा ही प्लान बनायेगी। ग्राम सभा का अध्यक्ष पंचायत का प्रशासक है, पहले सरपंच होता था। प्रशासक ग्राम सभा को तो बुला ही सकता है। उसमें विकास अधिकारी जाय, उसमें एम. एल. ए. जाय, एम. पी. जाय, उनके सामने वह एक वर्षीय योजना बनायें। आज जो एक वर्षीय योजना बनी हुई है उसमें गैर जरूरी काम भी हैं, जो होने चाहिए वे भी है और जो नहीं होने चाहिए वे भी हैं। यहां पर पशु चिकित्सालय भवन, पशु चिकित्सालय वहां है ही नहीं। यहां पर अस्पताल की बिल्डिंग, अस्पताल वहां है ही नहीं। मकान बन जायेगा, पैसा लग जायेगा और वह पैसा

(श्री रामनारायण चौधरी)

डूब जायेगा। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से चाहता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए आप घोषणा कीजिये कि ग्राम पंचायतों के आप चुनाव करायेंगे। ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियों और जिला परिषदों, इन तीनों को आप मजबूत नहीं बनायेंगे तो विकास की जो गंगा बहाना चाहते हैं, ऊपर से नीचे तक लाना चाहते हैं, वह गंगा नीचे नहीं आयेगी, वह जटा के अन्दर ही लटक जायेगी और वह जटा है नौकरशाही। नौकरशाही को आप सत्ता में रखेंगे तो अपनी वाह-वाही तो होती रहेगी लेकिन जनता से उसका कोई सम्पर्क नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि ग्राम की बेसिक यूनिट ग्राम पंचायत, ग्राम सेवा सहकारी समिति और प्राइमरी स्कूल इन तीनों को आप मजबूत बनायें। आप एश्योर कीजिये कि गांव का अध्यापक हर सूरत में वहां रहे। आज जिस प्राइमरी स्कूल के अन्दर दो टीचर हैं वहां एक टीचर चला जाता है, दूसरा सात दिन तक अकेला रह जाता है। फिर वह आ जाता है तो वह चला जाता है। जब तक हम गांवों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं होगा।

अभी चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य भारत के बजट का जिक्र कर रहे थे, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम भारत के बजट की चिन्ता न करके राजस्थान के बजट की और राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, जो नीति और कार्यक्रम इसमें उनके मुंह से कहलवाये गये हैं उन पर ध्यान दें। राज्यपाल महोदय ने एक वर्षीय योजना का जिक्र किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति बनी हुई है। उस समन्वय समिति ने एक वर्षीय योजना बनायी। उसमें राजस्थान के टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने एक योजना बनायी। वह प्लान लेकर भारत सरकार के पास मुख्य मंत्रीजी गये। भारत सरकार में, प्लानिंग कमीशन में प्रणव मुखर्जी, जो कर्मशियल मिनिस्टर भी हैं, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन भी हैं उनके सामने पेश किया। उन्होंने देखा। देखने के बाद एट ए ग्लेंस उन्होंने उसको डिफेक्टिव बताया और बताकर कहा कि आप तो 2400 करोड़ की लाये हो, मैं आपको 2450 करोड़ देता हूं। उनका प्लान ही सारा डिफेक्टिव था। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में समन्वय समिति बनी हुई है वह एक वर्षीय योजना बनाये और उसमें 50 करोड़ का गैप रह जाय और भारत सरकार सजेस्ट करे कि आप इतना पैसा और ले जाइये। आप लाने गये थे 24 करोड़। डरते-डरते जा रहे थे लेकिम भारत सरकार ने 2450 करोड़ रुपया दे दिया। उसका जिक्र तो आपने इसमें नहीं किया। प्रधानमंत्री के लिए आप कुछ लिखते, उसमें आपने इतनी कंजूसी की। इसमें थोड़ा लिख देते तो इसमें क्या दिक्कत होती थी, आपका बड़प्पन होता। इसमें आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं था।

चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य डंकल का जिक्र कर रहे थे। माननीय सभापति जी, मैं इसमें जाना नहीं चाहता लेकिन राज्यपाल महोदय से कहलवाया गय

(श्री रामनारायण चौधरी)

है कि इस पर प्रदेश की सरकारों से सलाह-मशविरा केन्द्र सरकार ने नहीं किया। जितने भी अन्तर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट होते हैं उनमें प्रदेश की सरकारों से सलाह-मशविरा आज तक दुनिया में किसी केन्द्र सरकार ने नहीं किया है, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसमें जिक्र आया है और जो डर दिखाया गया है तो इसमें, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह डरते हुए क्यों लिखा कि अभी हाल में भारत सरकार ने व्यापार हेतु जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उरुग्वे राउण्ड आफ नेगोसियेशन्स में किया है उसमें सन्निहित डंकल प्रस्तावों से किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की चिन्ता व्यक्त की जा रही है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से सलाह लेनी चाहिए थी।

इनको स्पष्ट लिखना चाहिए था कि यह खतरनाक है। इस प्रकार चिन्ता प्रकट करने की क्या आवश्यकता थी। क्योंकि डंकल प्रस्ताव और गैट का विरोध करना भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नीति है इसलिए राष्ट्रीय नेताओं को दिखाने के लिए, चिन्ता का विषय है इसमें यह लिख दिया।

मान्यवर, गैट जिसको कहते हैं, जनरल एग्रीमेण्ट ऑन ट्रेड एण्ड टैरिफ, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था है। मैं इस पर कोई समय नहीं लूंगा। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 17 देश शामिल हुए और उन 17 देशों में भारत भी अगुआ था, इसका फाउण्डरी मेम्बर था और चीन भी शामिल था। आज इस गैट में 117 देश शामिल हैं। 117 देशों में अब सबसे ज्यादा आतुर चीन है। वह चाहता है कि इसमें शामिल हो जाऊं लेकिन इसकी टर्म्स एण्ड कंडीशंस ऐसी है कि चीन उसको स्वीकार नहीं करना चाहता। इसलिए वह गैट में शामिल नहीं हो सकता। यही स्थिति आज रूस की है। रूस भी चाहता है कि वह इसमें शामिल हो जाय क्योंकि आज व्यापार द्विपक्षीय और बहुपक्षीय है। आज द्विपक्षीय ट्रेड जहां-जहां भी है, वह घाटे का है

(14 00)

और बहुपक्षीय है उसके बगैर काम चल नहीं सकता। आज अमेरिका, कनाडा, जापान और जर्मनी, इन चार देशों से भारत का 70 प्रतिशत ट्रेड है और चारों ही गैट के प्रमुख हैं। आप जिस संस्था में रहते हैं तो गिव एण्ड टेक, एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना भी पड़ता है। उस आधार पर कुछ कन्सेन्शस चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : चीन का, एशिया का जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार है वह हिन्दुस्तान से कम है या ज्यादा है? जबकि वह बहुपक्षीय में नहीं है तो भी उनका व्यापार हमसे ज्यादा है।

श्री सभापति : माननीय रमाकान्तजी।

श्री रामनारायण चौधरी : चीन का व्यापार भारतवर्ष से बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि दस-बारह साल से वहां पर उदारीकरण की नीति चल रही है और भारत

(श्री रामनारायण चौधरी)

के अन्दर वह नहीं है और उसको हम अब लाना चाहते हैं। आज के प्रधान मंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव साहब का यही प्रोग्राम है। जो प्रोग्राम उन्होंने चलाया है उसका सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जो आज दिल्ली के अन्दर प्रतिपक्ष में है उसके उस जमाने के लीडर आफ अपोजीशन आडवाणी साहब ने सबसे पहले जोरदार समर्थन किया था। वह अब चालू हुआ है इसलिए भारत का ट्रेड भी अब बढ़ रहा है।

श्री रमाकान्त शर्मा : राष्ट्रीय उदारीकरण की बात थी, अन्तर्राष्ट्रीय उदारीकरण की नहीं।

श्री सभापति : यह सवाल-जवाब कैसे कर रहे हैं आप ?

श्री रामनारायण चौधरी : इस उदारीकरण की नीति से चीन का व्यापार बढ़ा। लेकिन अगर चीन का व्यापार अपने आप ही बढ़ रहा है तो वह गैट में क्यों आना चाहता है, यह भी एक प्रश्न है। अगर उसने व्यापार बढ़ा लिया और आज वह खुशहाल होता जा रहा है तो वह गैट में शामिल होने के लिए क्यों प्रयत्न कर रहा है ? क्यों रूस उसमें शामिल होने के लिए प्रयत्न कर रहा है ? क्यों इस समाज, विश्व के समुदाय के अन्दर वह भी बढ़ाना चाहता है, उससे फायदा उठाना चाहता है ?

दवा का जिक्र कर रहे थे, एक दवा का नाम लिया। सभापति महोदय, आपने बार-बार सुना है। जब-जब भी इस मामले में शंकाएं पार्लियामेण्ट में उठीं, पार्लियामेण्ट में प्रणब मुखर्जी साहब ने इसका उत्तर दिया। उत्तर देने के बाद सेण्ट्रल हाल के अन्दर मैं भी था, मैंने प्रतिपक्ष के नेताओं को और सब उन लोगों को, जिन्होंने डंकल का और गैट का विरोध किया था, यह कहते हुए सुना कि हमें तो यह पता ही नहीं था कि यह स्थिति है। यह अगर आप पहले बता देते तो हम इसका विरोध ही नहीं करते।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी) : यही हालत यहां पर है।

श्री रामनारायण चौधरी : एक दवा का जिक्र कर रहे थे। सभापति महोदय, यह सबसे पहले भारत सरकार ने कहा है कि थोड़ा-सा दवाइयों में अन्तर पड़ेगा, फिर भी हम कानूनी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि दवाओं को महंगा नहीं होने देंगे। हम लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू करेंगे, दवाओं को महंगा नहीं होने देंगे, किसान को नुकसान नहीं होने देंगे। दो ही बातों पर जोर लग रहा है कि दवा महंगी हो जायेगी, किसान को खाद नहीं मिलेगा। तो दोनों ही के बारे में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम गैट के दुष्प्रभावों को देश में लागू नहीं होने देंगे। हमारे कानून से, हमारी दूसरी व्यवस्थाओं से, हमारे लाइसेंसिंग सिस्टम से हम उसका नियंत्रण करेंगे और देश की जनता पर उसका कुप्रभाव नहीं होने देंगे।

सभापति महोदय, सरकार बनी समाज के अन्दर। पहले तो ऐसा नियंत्रणहीन मलंग समाज था। जब मलंग समाज नहीं

(श्री रामनारायण चौधरी)

चला तब यह सोचा गया कि इस समाज को व्यवस्थित करें। व्यवस्था करने पर जब सरकार का रूप आया, यह मान कर समाज ने सरकार को स्वीकार किया था कि समाज के लिए जो सबसे हितकारी चीज है उसको सरकार स्वीकार करेगी और जो समाज के लिए अहितकारी है उसको सरकार स्वीकार नहीं करेगी। बुनियादी तौर पर, फण्डामेण्टली और तुरन्त यह समझा जाता है. सरकार किसी की भी हो, जो कुछ कदम उठायेगी वह बहुपक्षीय समाज के पक्ष में ही कानून बनायेगी, पक्ष में ही काम करेगी। कोई भी सरकार हो, किसी की भी हो, न समाज के खिलाफ कदम उठा सकती है, न समाज के खिलाफ कोई कानून बना सकती है, न समाज के खिलाफ एक्शन कर सकती है क्योंकि समाज को सरकार बनाना चाहती है, उसको प्रफुल्लित करना चाहती है, विकसित करना चाहती है, वह उसको नष्ट नहीं करना चाहती। फिर वह राज किस पर करेगी ? तो कोई भी सरकार हो, दिल्ली के अन्दर नरसिम्हाराव जी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, वह ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई पॉलिसी लागू नहीं कर सकती देश के ऊपर, जो देश को नुकसान पहुंचाती हो। फिर टिकेगी कैसे कोई भी ?

आज लोग चर्चा भी करते हैं कि इसका स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। कई लोगों से मैंने चर्चा की। बोले, जब सामने व्यवहार में आयेगा और इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, लोग अपने आप ही कन्साइले कर लेंगे, मान जायेंगे, यह तो फालतू का प्रोपेगंडा था। तो यह ऐसी चीजें हैं, सभापति महोदय, कि कोई भी सरकार सोच समझ कर ही करती है, समाज के हित के लिए करती है। यह एग्रीमेण्ट जो डंकल का नाम है, डंकल तो उस जमाने का चेयरमैन था वह आया-गया हो गया, वह अमेरिकन था। अब अमेरिका का यह हो जायेगा, यह बात सही है कि भारत को कई चीजें विरासत में मिलीं, भारत को यूरोप की नाराजगी भी विरासत में मिली क्योंकि किसी जमाने में हम यूरोप की कालोनी थे, कहीं पुर्तगाली थे, कहीं हालैण्डी थे, अंग्रेज सब जगह छाये थे, वह यूरोप था और अमेरिका भी इसी यूरोप का ही एक हिस्सा है, अमेरिका की नाराजगी भी हमें विरासत के अन्दर मिली है।

(14.05)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, अमेरिका के आज जो विचार भारत के सम्बन्ध में हैं वह विचार कोई नये नहीं हैं। आजादी के, 1947 के ठीक बाद भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी नेहरू जब अमेरिका गये थे तब वहां के राष्ट्रपति एच. ट्रूमेन थे। एच. ट्रूमेन से वह मुलाकात करने गये तो उस मुलाकात को एच. ट्रूमेन ने पसन्द नहीं किया और जवाहरलाल जी की बातों को भी उन्होंने पसन्द नहीं किया और देश के बारे में जो कुछ कहा उसको भी उन्होंने पसन्द नहीं किया, उनके गले नहीं उतरी। यह आप मुझसे पूछेंगे, सभापति महोदय, कि मुझे कैसे मालूम हुआ। चेस्टर बाउल्स, जो हमारे यहां राजदूत रहे

(श्री रामनारायण चौधरी)

हुए हैं उन्होंने एच. ट्रूमेन के संस्मरण लिखे हैं। वह उसके बाद उनसे मिले। तो ट्रूमेन ने उनको कहा कि भारत के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू यहां आये, उनका ड्राइंग रूम था, आफिस था व्हाइट हाउस में, अमेरिका में, इशारा किया कि यहां आये और एकदम आते ही कुर्सी में धंस गये और बैठते ही, धंसते ही व्याख्यान देना शुरू कर दिया भारत के बारे में और वह ऐसे बोल रहे थे जैसे एक कम्युनिस्ट बोल रहा हो। तो वह बोले, मुझे ऐसा लगा कि भारत कम्युनिस्ट होने वाला है। फिर उन्होंने उसी में बोलते हुए कहा कि मिस्टर बाउल्स, क्या है भारत में? भारत के अन्दर तीन चीजें हैं। भारत में गंगा, भारत में गाय और भारत के अन्दर भुखमरी है। कौन वहां जाना चाहेगा और कौन भारत के अन्दर क्या करेगा। भारतवर्ष में उसके राजदूत बनने की बात आयी। यह तीन चीजें उसने उस वक्त कहीं कि भारत में क्या है। भारत में गंगा की बात करते हैं, भारत में गाय की बात करते हैं, भारत में भुखमरी की बात करते हैं, यह चीजें भारत में हैं। यह तो उस वक्त 1947 के जस्ट आफ्टर जब भारत आजाद हुआ था तब अमेरिका के विचार हैं। आज भारत आगे बढ़ रहा है। सभापति महोदय,, आप तो विद्वान हैं और आपने सारे संसार को देखा है, आज भारतवर्ष साइंस और टेक्नोलाजी में उन सक्षम देशों में से है जिनको आप अंगुली पर गिनते हैं। कहीं पर 4–5–6–7 में आ जायेगा, कहीं पर 1–2–3–4 में आ जायेगा और कहीं पर 1–2–3 में आ जायेगा तो कहीं पर 1 और 2 में आ जायेगा। मैं आपको क्या बताऊं, आप तो खुद टेक्नोक्रेट हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका सफल रहा है, आज भारत के अन्दर इन्जीनियरिंग और साइंस में जितनी मैनपावर हैं उतनी संसार के किसी भी देश के पास नहीं है। आज जितनी स्किल्ड लेबर भारत के पास है उतनी संसार में किसी के पास नहीं है। सौ करोड़ का चाइना इण्डिया से फोरबिहाइण्ड है। इण्डिया, आपका देश उसमें आगे है। वह देश आगे बढ़ रहा है। आज तरह-तरह के आप रिसर्च कर रहे हैं, दूसरे और एक्सपेरीमेण्ट्स कर रहे हैं। आज आप वह एक्सपेरीमेन्ट्स कर रहे हैं जिनसे अमेरिका का मुकाबला हो रहा है। भारतवर्ष उसको इसलिए पब्लिश नहीं करना चाहता कि उससे कोई फायदा नहीं है; लेकिन हकीकत यह है कि भारत एक उभरती हुई ताकत है, भारत एक राइजिंग स्टार है, भारत आगे बढ़ रहा है। यह किसी को बरदाश्त नहीं है। कोई दबा हुआ आदमी आगे बढ़ता है वह बरदाश्त नहीं होता। समाज में भी दबा हुआ तबका आगे बढ़ेगा तो लोग उसको पसन्द नहीं करेंगे। तरह-तरह के उसके ऊपर रिमार्क्स कसेंगे, उसको दबायेंगे, मतलब उसको दबा कर चलाना चाहेंगे। तो यह भारत के साथ में आज है। मान्यवर, यह तो आप भी मानेंगे, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसका जिक्र किया था, मैं, सभापति महोदय, मेरी बात उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस गैट प्रस्ताव से जितने स्किल्ड लेबर, साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी के जितने भी आपके जानने वाले हैं और जितनी भी, मान्यवर, मैनपावर इस क्षेत्र में है, उसको इस गैट

(श्री रामनारायण चौधरी)

जनरल एग्रीमेण्ट आन ट्रेड एण्ड टैरिफ के लागू होने से सबसे अधिक फायदा होगा। इस मैनपावर को एम्प्लायमेण्ट विदेशों में मिलेगा। उसमें भारत का एक करार है कि हमारे मैनपावर को लेना होगा, आपको उनके रास्ते खोलने होंगे।

मैं कोई अधिकृत वक्ता नहीं हूं गैट का, भारत क्या कर रहा है उसका, लेकिन मैंने जो मेरे तरीके से जानकारी हासिल की है उस पर मैं बोल रहा हूं। मैं कोई अधिकृत वक्ता नहीं हूं, मैं मेरी बात कह रहा हूं, फायदे, मान्यवर, कि हमारी स्किल्ड लेबर को, हमारे इन्जीनियर्स को, हमारे डाक्टर्स को सर्विसेज में जितना फायदा विदेशों में मिलेगा, उतना किसी भी मुल्क को नहीं मिलेगा। यह सबसे बड़ा फायदा हमारे युवकों को होगा, वह बाहर जायेंगे। अमेरिका भयभीत है आज भारत से कि भारत की स्किल्ड लेबर, भारत का टेक्नोक्रेट, भारत का साइंटिस्ट आज अमेरिका वालों से आगे निकल रहा है। और जिस तरह लोग आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका को डर लग रहा है कि जो स्थान आज अमेरिका का है, भारतवर्ष 10-15 वर्ष के अन्दर वह स्थान नहीं ले ले। मैनपावर है, दूसरा टेक्नोलॉजी और साइंस है। तो, मान्यवर, इस सम्बन्ध में अपने विचार मैंने व्यक्त किये।

मान्यवर, जब तक शिक्षा, सहकारिता, बिजली, सिचाई इन सब कामों में बिजली को प्राथमिकता हम नहीं देंगे तब तक किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेनिन को रूस के अन्दर सत्ता मिली थी तो आपने वहां उस जमाने के तत्कालीन प्रशासकों को बुलाकर लेनिन ने एक ही प्रोग्राम दिया था कि आप मुझे रूस के लिये बिजली दीजिये, मैं विकास करना चाहता हूं, मैं डवलप करना चाहता हूं मेरे कण्ट्री को। जब तक हम भी बिजली को नहीं बढ़ायेंगे, आप तो स्वयं बिजली के इन्जीनियर रहे हुए हैं, टैक्नोक्रेट हैं, जब तक बिजली देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर नहीं होगी, किसी भी सूरत में कोई भी प्रदेश, किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। आज आधार, फाउण्डेशन किसी भी मुल्क की, गवर्नमेण्ट की बिजली है। कैसे भी, सब कुछ करके हमें बिजली पैदा करके काश्तकारों को देनी चाहिये। आज काश्तकारों का खेत जल रहा है। मान्यवर, 8 घन्टे का वादा किया था सरकार ने। आठ घण्टे कुछ दिनों तक दी। मैं कंजूसी नहीं करूंगा यह कहने में, मुख्य मंत्री जी, कि वह घोषणा 8 घण्टे वाली कुछ दिनों तक तो चली लेकिन, मान्यवर, आज वह गड़बड़ा गयी। आज किसानों की पैदावार को एकदम सख्त जरूरत है पानी के लिये। किसान की फसल आज जल रही है। कुछ तो अंधड़ ने किसानों के चने की फसल को नष्ट कर दिया, कुछ जमीन को सुखा दिया। जौ और गेहूं की थी और सरसों की थी, ऊपर से बिजली नहीं मिल रही है इसलिए पानी नहीं मिल रहा है। आज किसान बेहद परेशान हैं।

सहकारिता के अन्दर माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने कह ही दिया कि न राजस्थान को-आपरेटिव बैंक के चुनाव होंगे, न भूमि विकास बैंक के चुनाव होंगे

(श्री रामनारायण चौधरी)

क्योंकि वह समामेलन कर रहे हैं। वह समामेलन इनकी उम्र में तो होने का नहीं और गांव के लोगों को न सहकारिता का लाभ मिलने वाला है। इधर तो उन्होंने फुलस्टाप लगा दिया और बिजली की आज यह स्थिति है।

शिक्षा की, मान्यवर, यह स्थिति है, आज स्कूलों में, यूनिवर्सिटी, जयपुर में जो प्राइवेट कॉलेजेज, डिग्री कालेजेज हैं, उन डिग्री कालेजेज को साल के शुरू में यूनिवर्सिटी ने एम.ए. क्लासेज चलाने की अनुमति दे दी, अब कनोडिया कालेज व दूसरे कालेज, जयपुर में जितने भी कालेजेज हैं, उनके यहां एम. ए. की क्लास चल रही है उनकी मान्यताओं को यूनिवर्सिटी वापस लेना चाहती है। इधर जुलाई में दे दी, इधर अब वापस लेना चाहती है। आप विसंगतियां देखिये, आप निर्णय के अन्दर ढुलमिल नीति को देखिये, आप निर्णय के अन्दर यह हालत देखिये कि छह महीने पहले आप एम. ए. की क्लासेज खोलने की इजाजत देते हैं, आज विदड्रा कर रहे हैं। मान्यवर, आप निरीक्षण कीजिये उसके अन्दर। उन लड़कों और लड़कियों का क्या होगा। जिन्होंने एम. ए. क्लासेज के अन्दर एडमिशन ले लिया, मार्च-अप्रेल में उनकी परीक्षाएं होने वाली हैं ?

आज होगा क्या ? नतीजा यह होगा वह सबके सब प्राइवेट डिक्लेयर होंगे और कालेज का उनका अनुभव नहीं होगा, कालेज का नाम उसके अन्दर नहीं होगा। तो यह क्या है ? क्या निर्णय है ? सभापति महोदय, यह कोई निर्णय है ? ऐसा क्या बच्चों का खेल है, एक दिन आप एम. ए. क्लासेज देते हो, दूसरे दिन आप 6 महीने बाद वापस ले लेते हो। तो इस प्रकार के जो निर्णय हैं वह किसी की भी सरकार हो उस पर चार-चांद नहीं लगेंगे। सभापति महोदय, इससे बदनामी होती है, विकास में अवरोध होता है।

आपने मुझे बहुत टाइम दिया, आप घंटी बजायें, मुझे डर लग रहा है।....

श्री सभापति : नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपके प्रति और सदन के माननीय सदस्यों के प्रति कि आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आपने मुझे समय दिया, अपनी बात समाप्त करता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री शिव किशोर सनाढ्य।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, एक सबमिशन है। समय का बंटवारा करते वक्त माननीय अध्यक्ष जी ने जो निर्दलीय सदस्य हैं, जनता दल के सदस्य हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं उनके लिये भी समय का आवंटन किया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम निर्दलीयों को अभी तक सिर्फ 15 मिनट मिले हैं। 1 घंटा 40 मिनट हमको दिया गया था। अब क्रम यह है, इस तरह से चलता रहा तो हमारा समय खतम हो जायेगा और फिर अन्त में आसन की तरफ से आ जायेगा, मैं क्या

(श्री शिवनाथ सिंह)

करूं, दूसरे सदस्यों ने समय ले लिया। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा····

श्री सभापति : नहीं, आपका समय आपको ही मिलेगा।

श्री शिवनाथ सिंह : और फिर हम ऐसा भी नहीं चाहते कि हमको आखिर में बुलाया जाये। इसलिए आप इधर से एक बुलवायें, उधर से एक बुलवायें और हमारा समय बीच में....(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय,सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय टीकमचन्द जी कांत द्वारा प्रस्तुत और अर्जुनदासजी मदान द्वारा समर्थित धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर मैं सदन का समय अधिक नहीं लेकर केवल कुछ क्षेत्रों के बारे में संकेत देता हुआ मेरी बात को समाप्त करूंगा। मैं बहुत अधिक समय सदन का इसके लिए नहीं लूंगा।

माननीय सभापति महोदय, भारत को आजादी 15 अगस्त, 1947 को प्राप्त हुई। उसके पहले सविधान निर्मात्री सभा ने जो हमारा संविधान बनाया उस संविधान की धारा 46 के अन्तर्गत जो जनजाति यहां थी इस देश की, उन व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिये ध्यान रखा। कितना दुर्भाग्य रहा कि संविधान निर्मात्री सभा ने तो इस बात का ध्यान रखा लेकिन जिन लोगों के हाथ में शासन आया उन लोगों ने उनके बारे में चिन्ता नहीं की। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 1300 करोड़ रुपये जनजाति के आर्थिक विकास के लिये, इनके क्षेत्रीय विकास के लिये आये। यदि देखा जाये तो जनजाति का क्षेत्रीय विकास और जनजाति के व्यक्तियों का विकास, इन दोनों में अन्तर करके चलना पड़ेगा। स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि हमने तो 100 रुपया भेजा लेकिन 85 रुपया तो बीच में ही रह गया और 15 रुपया ही वहां पर पहुंचा। इससे सिद्ध होता है कि 1300 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी आज जनजाति का जो व्यक्ति है उसकी माली हालत, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति और उसकी शैक्षणिक स्थिति सही नहीं है। महिलाएं 1.40 प्रतिशत शिक्षित हैं। यह इनका साक्षरता का स्तर है। यह आर्थिक स्थिति है। आज भी आधे पेट सैंकड़ों लोग रहते हैं और अपना तन ढकने के लिए उनके पास वस्त्र नहीं हैं, क्योंकि जो वन था, उनका जो जंगल था, जो उपज वह प्राप्त करते थे उससे अधिकार छीन लिये गये हैं। उसकी लकड़ी, उसका अधिकार छीन लिया गया। उन लोगों के उत्थान के लिये, उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए जहां वह छोटी-छोटी पहाड़ियों पर जमीन स्थापित करके खेती करते थे उस खेती के लिये कभी ट्यूबवैल लगाकर उसको सिंचाई की सुविधा नहीं दी गयी, उन पहाड़ियों पर छोटे एनीकट बनाकर उसके लिए सिंचाई की सुविधा नहीं दी गयी।

(श्री शिवकिशोर सनाढय)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण के अन्दर राजस्थान सरकार की एक इच्छाशक्ति व्यक्त होती है। जनजाति क्षेत्र के सन्दर्भ में जो संविधान में दिया हुआ उनका अधिकार था उस अधिकार के सन्दर्भ में, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के बारे में राजस्थान सरकार ने उनके स्वावलम्बन की बात सोची है। इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, 'शिक्षा से स्वावलम्बन'। आज तक उन्हें अवलम्बित बनाया गया है। जो योजनाएं वहां पर बनाई गयीं उससे वह भिखारी हो गया है। वह जो स्वावलम्बी व्यक्ति था, जिसमें श्रम की क्षमता थी वह आश्रित होकर रह गया है उन योजनाओं के कारण से। मैं राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने उस परिश्रमी जाति को, उस साहसी जाति को पुनः स्वावलम्बन की दिशा में ले जाने का सोचा। उनके जो विद्यालय हैं, आश्रम विद्यालय हैं, राजकीय और गैर राजकीय, उन दोनों के सन्दर्भ में जो उसने विचार किया है उनकी उन्नति की दृष्टि से, उसकी वजह से निश्चित रूप से पचास प्रतिशत से, अधिक जहां जनजाति संख्या है उनके गांवों में, उनके क्षेत्र में उनकी योजनाएं बनें। जो योजनाएं राजस्थान से बन कर के जाती हैं या दिल्ली से बन करके आती हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही योजनाएं बनें, यह इसमें व्यक्त किया गया है।

सभापति महोदय, राजस्थान की लोकप्रिय सरकार को एक विवादित ढांचे का नाम लेकर समाप्त किया। राष्ट्रपति शासन के दौरान जनजाति क्षेत्र के 1993–94 की जो योजना बनी थी उसमें 214.10 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था लेकिन उसमें से खर्च हुआ दिसम्बर, 1993 तक मात्र 45.17 करोड़ रुपया। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल शासन के दौरान जनजाति जो विकास होना क्षेत्र के व्यक्ति का विकास नहीं चाहिये था वह हो सका।

मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि जो रुपया खर्च होने वाला था, इसकी योजना बनायें और नीचे से योजना बनायें। गांव के स्तर से योजना बनेगी उस व्यक्ति के आर्थिक उत्थान के लिये योजना बनेगी। उसमें बिजली की बहुतायत होनी चाहिये। उस क्षेत्र में बिजली पहुंचे, सिंचाई सुविधा पहुंचे। उन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए समय पर बीज पहुंचे, जो बीज उनके पास समय पर नहीं पहुंच पाता। जो वन की सम्पदा है उस सम्पदा में उस व्यक्ति को अधिकार दिया गया है वह प्राप्त करे। उस उपज को मार्केट में लाकर रखें तब उसकी आर्थिक स्थिति बढ़ने वाली है। उन वनों का संरक्षक फारेस्ट डिपार्टमेण्ट नहीं है, वन विभाग नहीं है। जब तक वनों की रक्षक जनजाति क्षेत्र के लोगों, जो उन वनों में रहते हैं, को नहीं बनाया जायेगा तब तक उनकी उन्नति नहीं हो सकती। महात्मा गांधी ने कहा था, हमारे देश की आज भी 75 प्रतिशत आवश्यकताएं लघु उद्योग और कुटीर उद्योग पूरी करते हैं। इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुटीर व लघु उद्योग उस क्षेत्र में लगाये जायें। हमारे यहां गोगुन्दा का क्षेत्र है, कोटड़ा का क्षेत्र

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

है, यहां का जो जल है वह गुजरात में बह कर के चला जाता है। उस पानी को रोकने की योजना बनाई जाये तो उसका जनजाति क्षेत्र के अन्दर निश्चित रूप से सिंचाई में उपयोग होगा। एक ओर जो पानी केवल बहकर चला जाता है उस बहते हुए पानी को भी रोक लिया तो उसको आर्थिक स्थिति ठीक होगी।

सभापति महोदय, शिक्षा की दृष्टि से जिस तरीके से उनके लिये सोचा गया है, कि आश्रम स्कूल और विद्यालय शुरू करके उनकी स्वावलम्बी बनाया जायेगा उसी तरीके से पिछड़ी जाति और जनजाति क्षेत्र के व्यक्तियों को सुविधा मिली हैं आरक्षण की 21 प्रतिशत नौकरियों में। लेकिन नौकरियों में उनके उत्थान की दृष्टि से जिस तरीके से इससे भाव व्यक्त किये गये हैं, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जो कैटेगिरीज हैं नौकरी की, उनमें एक से छः तक की जो कैटेगिरी है, 1986 से आज तक प्रतिबन्ध लगा रखा है, उसमें नौकरियां नहीं मिलती हैं। तो 21 प्रतिशत यदि आरक्षण दे भी दिया तो नौकरियां आने वाली कहां से हैं? कम से कम यह प्रतिबन्ध सरकार को हटाना चाहिए। ऊपर के जितने लोग हैं वह पद तो बढ़ाये चले गये चाहे वह किसी भी सर्विसेज में थे, जिनको अच्छी तनख्वाह मिलती है उनके पद तो बढ़ाये गये चाहे वह पुलिस विभाग हो, सारे आई. ए. एस जो सैक्रेटेरियट में लगे हुए हैं इन सबके पद तो बढ़ाये गये, लेकिन जो चपरासी हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, इन छोटी-मोटी नौकरियों पर प्रतिबन्ध लगाकर राजस्थान की वित्तीय स्थिति को नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पिछड़ी जाति और जनजाति क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं इनको नौकरियां तभी मिलेंगी जब नीचे से प्रतिबन्ध हटायेंगे।

मैं इस तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमारे यहां जो उद्योग हैं, खासकर के जो खनिज उद्योग हैं उनमें जनजाति क्षेत्र के मजदूर लगे हुए हैं, जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है उनका एक तरीके से शोषण हो रहा है, खास तौर से महिलाओं का शोषण हो रहा है। उनको कम मजदूरी मिलती है। 22 रुपया मिनिमम मजदूरी रखी है लेकिन वहां सर्वे किया है उस सर्वे रिपोर्ट में उन संस्थाओं ने यह सिद्ध किया है कि वहां पर उनको केवल 15–16 रुपया दिया जाता है। जो चाइल्ड लेबर है उनका भी शोषण किया जा रहा है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमने उद्योगों के लिए उद्योगपतियों को तो अपने यहां आमन्त्रित किया है लेकिन जब किसी भी उद्योगपति से बात हुई है तो वह कहता है कि राजस्थान के अन्दर जमीन के नियमन के लिए जाओ तो दर-दर भटकना पड़ता है। उद्योग लगाने के लिए पैसा खर्च करें, उद्योग लगायें तो मुख्य मंत्रीजी से या मंत्रीजी से मिलना तो सम्भव है लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं उन अधिकारियों से मिलने के भी हमको लाले पड़ते हैं। हम तो पैसा लगाने के बाद भी अपमानित होते हैं। न समय पर बिजली मिलती है, न जमीन मिलती है। पर्यावरण

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

विभाग प्रदूषण का अड्डा बन गया है। इण्डस्ट्रीज को जब कभी भी यह एन. ओ. सी. जारी करते हैं तो बड़ी मुश्किल से जारी करते हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बिजली विभाग, उद्योग विभाग, आर. एफ. सी., इन सब विभागों को मिलाकर कोई ऐसी योजना बनायें कि वह जो उद्योगपति हमारे यहां पर उद्योग लगाना चाहता है, जिसकी वजह से हमारे गरीब लोगों को रोजी-रोटी मिलती है, उसको पूरी सुविधाएं दें ताकि वह बढ़ सकें।

मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को कि जनजाति क्षेत्र के लिए नीचे के धरातल पर ही 12·44 प्रतिशत पैसा प्रत्येक विभाग का जनजाति क्षेत्र के लिए खर्च होने वाला है। लेकिन जनजाति विभाग अलहदा है, उसका कमिश्नर अलहदा है और योजनाएं बनाते हैं विभाग में, उसका तालमेल नहीं होने की वजह से जनजाति क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है आज उन जनजाति क्षेत्रों के अन्दर क्रास रोड्स नहीं हैं इसलिए वह सभ्यता से जुड़ नहीं पाये हैं। मैं निवेदन करूंगा पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब से कि उनके विभाग का पैसा जनजाति क्षेत्र पर खर्च होने वाला है, उन क्रास रोड्स को बनायें ताकि जनजाति क्षेत्र के लोग उन सुविधाओं से वंचित हैं वह वंचित नहीं रहें।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं सिंचाई विभाग के मंत्रीजी से भी यह निवेदन करूंगा कि वह इस तरह की योजनाएं और एनीकट्स बनायें और राजस्थान का फालतू पानी गुजरात में बह जाता है उसे रोकने की कृपा करें।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ आपके प्रति भी धन्यवाद देता हुआ मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री महादेव सिंह।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में मैं भी मेरे कुछ विचार रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें बताई गयी हैं उन बातों के आधार पर हमें बहुत-सी बातों की कमियां नजर आ रही हैं। शिक्षा के मामले में जब हमारे मुख्य मंत्री जी ने खुद ने माना है कि हमारा प्रान्त दूसरे प्रान्तों की तुलना में शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है, कहने का मतलब नीचे से नम्बर दो पर है, जब हमारी सरकार यह चाहती है कि हमारे प्रान्त के सभी व्यक्ति शिक्षित हों, इसके लिए वह प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा भी काफी पैसा खर्च कर के यहां के निवासियों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहती है, सभापति महोदय, मेरा निवेदन

(श्री महादेव सिंह)

है कि आज हमारी स्कूलों के अन्दर अध्यापकों की बहुत कमी है, अगर सरकार ट्रेण्ड व्यक्तियों को स्कूलों में लगाये तो विद्यार्थियों को अध्यापक उपलब्ध होंगे और बहुत-से बेरोजगार जो पढ़े-लिखे विद्यार्थी घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा।

इसी प्रकार से सिंचाई के मामले में मैं आपकी मार्फत सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। खण्डेला विधान सभा क्षेत्र, जो भौगोलिक स्थिति के आधार पर सारा अरावली पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ है, में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। किसानों को अपनी कृषि के लिए तो क्या गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को भी पानी पीने तक के लिए भी उपलब्ध नहीं होता है। मेरा सुझाव है कि सरकार पहाड़ से गिरने वाले पानी को ज्यादा से ज्यादा बांध बंधवा करके रुकवाये जिससे पशु और पक्षियों को तो पानी मिलेगा ही साथ ही जमीन का जल स्तर भी ऊंचा आयेगा। इसी प्रकार से हमारे प्रान्त में कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है और सदा बहने वाली नदियों का भी अभाव है। इन सारी बातों को देखते हुए जितना ज्यादा से ज्यादा पानी बांधों के द्वारा रोका जाये उतना ही किसानों को लाभ होगा।

सभापति महोदय, बिजली का जहां सवाल है, अब हम हाउस में तो अनाउन्स कर देते हैं....

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, मैं बीच में आपसे यह निवेदन करूंगा कि जनता दल की ओर से कोई नहीं बोला है और जनजाति क्षेत्र के हिसाब से हमको भी मौका दिया जाये ताकि इनके बाद में हम भी बोल लें।

श्री सभापति : जरूर-जरूर, आपके 30 मिनट हैं, मिल जायेंगे आपको।

श्री महादेव सिंह : हाउस के अन्दर जब माननीय मुख्य मंत्रीजी अनाउंस करते हैं कि 10 घण्टे नहीं आठ घण्टे बिजली देंगे लेकिन इस समय जब किसानों की फसल पकने जा रही है, बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि इस समय यदि किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जाये। एक महीने का ही सवाल है, तो किसानों की फसल पकने में बहुत सुविधा होगी। मैं खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में बिजली पिपराली से आती है और दूसरा 132 का ग्रिड स्टेशन गोपतपुरा, रींगस में है। दोनों की ही दूरी चालीस-पचास किलोमीटर के करीबन पड़ जाती है। लाइनें काफी लम्बी होने की वजह से किसानों के कुओं पर वोल्टेज नहीं पहुंचता है और उनकी मोटर पानी नहीं उठा पाती है और मुश्किल से घण्टे, दो घण्टे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए यदि सरकार खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में 132 के. वी. का ग्रिड स्टेशन व तैंतीस-तैंतीस के. वी. के दो-तीन जगह ग्रिड

(श्री महादेव सिंह)

स्टेशन लगाये तो जो बिजली जाती है वह तो उनको पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगी, यह मेरा सरकार को सुझाव है।

सभापति महोदय, रोजगार के मामले में इस अभिभाषण में कुछ नहीं है। बिजली का जहां तक सवाल है हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 2450 करोड़ की जो योजना बनाई है उसके अन्दर जहां तक मुझे जानकारी है, ज्यादा पैसा कर्जे से लिया गया है और जब बजट पास हो जाएगा उसके बाद में सरकार 250 करोड़ रुपए के बॉण्ड जारी करेगी जिसके ऊपर कम से कम दो रुपये सैंकड़े का ब्याज लगेगा। साढ़े सोलह प्रतिशत, सारा खर्च मिला करके दो रुपये सैंकड़े का होता है। यह राशि जहां तक मुझे पता लगा है सरकार किसी बिजली की परियोजना पर ही खर्च करेगी और जो बिजली का उत्पादन होगा वह बहुत महंगी होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर बिजली का भार पहले ही बहुत बढ़ा हुआ है इसलिए किसानों को सस्ती दर पर ज्यादा से ज्यादा और दिन में बिजली दिलवायें। यही मेरा सरकार से निवेदन है। सभापति महोदय, आपको जो बातें मैंने बताई हैं वह सरकार के ध्यान में जरूर लाने की कृपा करें।

चिकित्सा के मामले में जहां तक हमारे अस्पतालों की हालत है, उनमें मरीज बाहर बैठे-बैठे चिल्लाते रहते हैं, डॉक्टर जाते तक नहीं। यह हमारी कांस्टीट्यूएंसी का हाल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए इस अभिभाषण में बहुत-सी कमियों को देखते हुए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री फतेह सिंह।

श्री फतेह सिंह : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण यहां पढ़ा गया उसके बाद में उसके समर्थन में चर्चाएं होने जा रही हैं। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि इस अभिभाषण के अन्दर जो सुझाव, प्रस्ताव सुझाए गये हैं, यह बात सही है कि उस प्रपोजल और प्रोग्राम के अनुसार हमारे क्षेत्र और प्रान्त में कोई विकास हो लेकिन जब तक इस प्रान्त में भ्रष्टाचार के ऊपर कण्ट्रोल नहीं होगा तब तक हमारा विकास नगण्य होगा।

मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि सारी योजनाओं का सारा पैसा शुरू से अब तक हमारे प्रान्त में और दूर-दराज के इलाके में या शहरों में खर्च हुआ है। करोड़ों-अरबों रुपया खर्च हुआ है। राज्यपाल महोदय के मुंह से यह कहलवाया जाता है कि हम यह-यह करने जायेंगे और हमारा यह इतना प्रावधान है लेकिन मैंने देखा है जो पैसा यहां लिया जाता है उसमें से 50 प्रतिशत पैसा ही उस काम पर लगता है और बाकी पैसा, मैं यह कहना चाहूंगा, छोटे कर्मचारी से लगा करके ऊपर नेताओं तक बांटा जाता है और विकास के

(श्री फतेह सिंह)

काम अधूरे रह जाते हैं। वह अधूरी योजनाएं हमारी ज्यों की त्यों रह जाती हैं। छोटी योजना में लोगों को आप लाभ दिलाने जा रहे हैं, जैसा डी. आर. डी., अन्त्योदय योजना है, अन्त्योदय योजना के तहत जो प्रोग्राम चला उसके अन्दर गाय, बैल, भैंस, बकरे, वाटर पम्प, जीवन धारा, कुआं यानी सब तरह की योजनाएं पंचायत समिति के माध्यम से चलायी जाती हैं उसके अन्दर भारी घपला होता है। देखने के लिए कोई है नहीं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब तक यह पंचायती राज जिन्दा था, पंचायत की बॉडी कायम थी तब तक प्रधान और प्रमुख और सरपंचों का थोड़ा अंकुश था। कहीं बे-ईमानी सरपंचों में और प्रधानों में और प्रमुखों में भी हो सकती है लेकिन जो स्थिति आज बनी हुई है उसकी तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो मैं सरकार से यह चाहूंगा कि जो हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली, जिसको हम गांव से मानते हैं, आजादी का जो मूल स्तम्भ हमारा है, वह गांवों से है और गांव की इकाई जो प्रजातन्त्र से जुड़ी हुई थी उसको ही हमने खतम कर दिया तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पंचायत राज में जिन योजनाओं के माध्यम से, डी. आर. डी. के पंचायत समिति के माध्यम से जो काम किये जा रहे हैं उसमें क्या व्यवस्था की जा रही है? आज लाखों-करोड़ों रुपया खर्च होता है। पिछले हमारे माननीय सदस्य बोल गये कि इस तरह की ककियां हैं, बेईमानियां हैं। वैसे मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि जिस क्षेत्र का विकास करने के लिए, जिस गरीब तबके को ऊंचा उठाने के लिए योजनाओं के माध्यम से जो पैसा आता है उसका दुरुपयोग होता है। उसकी रोकथाम कैसे की जाये, इसके ऊपर सरकार को मंत्रणा करनी है और ऐसी व्यवस्था करनी है कि पंचायत इकाइयां या पंचायत समिति इकाई तक जनता का व्यक्ति वहां पर भागीदार बने। जब तक पंचायत राज के चुनाव नहीं हों तब तक योजना का लाभ सारे लोगों को दिया जाता है उसके अन्दर भ्रष्टाचार के ऊपर रुकावट कैसे हो, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप पूर्व प्रधान और पूर्व प्रमुख को उसमें अगर रखते हैं तो हो सकता है कि कुछ कण्ट्रोल हो।

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि हमारे इलाके में सिंचाई के काफी अधूरे काम हैं। पूरे प्रदेश में हो सकते हैं। राजस्थान का जो पिछड़ा इलाका है, आदिवासी इलाका जिसको कहते हैं हर व्यक्ति उसकी दुहाई देता है ऐसी-ऐसी कि लोगों का उत्थान हो, महिलाओं का उत्थान हो। राजस्थान के अन्दर आदिवासी हरिजन महिलाओं और गैर आदिवासी लोगों में भी गरीब तबके के लोग हैं और उनकी हालत ऐसी है कि वे सिंचाई के ऊपर यानी खेती के ऊपर निर्भर हैं। खेती छोटी है। खेती से पैदावार होती है उसके ऊपर वो अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। अब सिंचाई के साधन नहीं हैं। अधूरे तालाब या अधूरे कुएं हैं। अकाल राहत में कई अधूरे तालाब शुरू किये थे लेकिन उनको अधूरा का अधूरा छोड़ दिया। तो मैं यह चाहूंगा, सरकार से मेरा यह निवेदन है कि उन अधूरे कामों

(श्री फतेह सिंह)

को इस अकाल राहत में लिया जाये। जो सिंचाई के अधूरे व्यक्तिगत कुएं हैं, जो सिंचाई के अधूरे छोटे तालाब और बड़े तालाब हैं उनको इस योजना के अन्दर यानी अकाल राहत के अन्दर लिया जाकर पूरा किया जाये ताकि उस इलाके के छोटे किसानों और मजदूरों को लाभ मिले। हमारे देश में, उस पिछड़े इलाके में हालत यह है कि वहां का आदिवासी या हरिजन या गैर आदिवासी एक जोड़ी कपड़े रखता है, नदी के ऊपर या तालाब के ऊपर नहाने जाता है, वो अपने खुद के कपड़े उतारकर लंगोटी लगाकर वह कपड़े धोकर वहां सुखाता है, वो कपड़े सूखते हैं तब तक नहा लेता है, नहाने के बाद उन्हीं कपड़ों को पहनकर वापस अपनी रिश्तेदारी या काम-काज या खेती-बाड़ी में लगता है। ऐसी स्थिति हमारे मुल्क की है, उस दूर-दराज के इलाके की है जहाँ मैं रहता हूं। तो इतना समय निकलने के बाद, इतनी योजनाएं चलाने के बाद, आजादी का इतना समय गुजरने के बाद हमारे ग्राम का व्यक्ति अब तक जूते नहीं पहन सका, दो जोड़ी कपड़े नहीं रख सका, पेट भर रोटी नहीं खा सका तो फिर हम इस स्टेट में सरकार चलाने के हकदार नहीं हैं।

मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में, पूरे स्टेट के दूरदराज के इलाके में यह सर्वे किया जाये कि अब तक हमने जितना धन खर्च किया है, चाहे विकास के नाम पर, चाहे सिंचाई के नाम पर, चाहे रोड के नाम पर, चाहे बिजली के नाम पर ट्राइबल क्षेत्र के हिसाब से, उसमें क्या विकास हुआ, उन पैसों का उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ। जब इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम वहां देखते हैं कि लोग एक ही लगोटी पहनकर, एक जोड़ी कपड़े से नंगे पांव से मेहनत करते हैं और खाने के लिए उनको पेट भर अनाज नहीं मिलता, आये दिन अकाल पड़ता है तो सरकार को यह चाहिए कि पूरे क्षेत्र का सर्वे कराया जाये। सर्वे कराने के बाद यह देखें कि किस क्षेत्र में हमें किस योजना के माध्यम से विकास करना है और इस गरीबी को हमें दूर करना है और विकास की गति को हमें आगे बढ़ाना है तब मैं यह मानूंगा कि हम जो यहां विधान सभा में जनता का वोट लेकर आते हैं उनका कोई विकास हम करना चाहते हैं। वरना हमारे यहां आने से कोई मतलब नहीं निकलता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई प्रभावशाली योजना बनायें। पूरे क्षेत्र का सर्वे करें। सर्वे करने के बाद में उस क्षेत्र में विकास का काम करायें। गाय, बैल, बकरे वगैरह जो देते हैं उससे कोई मतलब हल होने वाला नहीं है।

मैं तो एक बात आपके सामने, सभापति महोदय, यह कहना चाहूंगा कि एक बार डाक्टर राममनोहर लोहिया ने एक नारा दिया था "आकाश बांधो, पाताल फोड़ो, हर हाथ में काम दो, हर खेत में पानी दो।" यह एक नारा बुलन्द किया था। इसका मतलब है ऊपर से जो बरसात होती है, उसको तो बांधकर उसके पानी को रोका जाये, ट्यूबवैल लगा करके उस जमीन से पानी ऊपर उठाया जाये और उसके बाद उस खेत में पानी दिया जाये, हर किसान, हर मजदूर को काम दिया जाये। यह एक

(श्री फतेह सिंह)

नारा लगा था। उस बात को लेकर अब तक कोई सरकार मंथन करती तो मैं यह समझता हूं कि हमारे क्षेत्र में काफी विकास होता। बरसात का पानी बहकर चला जाता है। काम अधूरे रह जाते हैं। हम नारा देते हैं गरीब को हम कीचड़ से ऊपर उठा रहे हैं। गरीब उलटा कर्जे में डबा है। मैं यह चाहूंगा कि इस तरह की कोई योजना बनायें और गरीब और अमीर की खाई को पाटने की कोई व्यवस्था करें तब तो कुछ हो सकता हैं। लेकिन आज हम देखते हैं जितनी योजनाएं होती हैं, जितना पैसा हमारे मुल्क में या स्टेट में आता है वह सारा का सारा पैसा शहरों में लगता है या ऐसी जगह लगता है जहां सक्षम लोग हैं और दूरदराज के इलाके में आज सड़कें नहीं हैं, सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं।

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे क्षेत्र में कसारवाड़ी में एक सैकण्डरी स्कूल है, वहां पर पूरा स्टाफ था, 27 लड़के या 28 लड़के उसके अन्दर सैकण्डरी में पढ़ रहे थे, और पिछली बार जब रिजल्ट आया उसमें एक लड़का बड़ी मुश्किल से पास हुआ। तो लाखों-करोड़ों रुपया शिक्षा के नाम पर जब हम खर्च करने जा रहे हैं और कोई विकास नहीं, शिक्षा में कोई बढ़ोतरी नहीं तो उसका क्या लाभ है। मैं यह चाहूंगा कि यह कमजोरी कहां है ? जो अध्यापक दूरदराज इलाकों में नहीं जाते हैं वह इसलिए नहीं जाते हैं कि वहां रोड़ नहीं हैं, आवागमन के कोई साधन नहीं हैं, साईकल पर पहुंच नहीं सकता, वहां पर अकेला रह नहीं सकता। यह स्थिति कुछ इलाकों में है इसलिए वहां पर कमजोरी है। लेकिन कहीं-कहीं इलाकों में सड़कें भी हैं, आवागमन के रास्ते भी हैं परन्तु एक दूसरे की सिफारिश करवा कर डेपुटेशन के ऊपर इधर-उधर रह जाते हैं और स्कूल में जा करके हाजिरी लगाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो आदिवासी इलाके में शिक्षा की इतनी हालत खराब है। मैं यह चाहूंगा सरकार से कि इस स्थिति को सुधारे ताकि आदिवासी इलाके में या गैर आदिवासी इलाके में जहां दूरदराज के इलाके में लोग रहते हैं उनका शिक्षा में विकास हो।

दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि हॉस्पिटल हैं, देहात के अन्दर हर पंचायत क्षेत्र में एक-एक सब सेण्टर कायम है, क्वार्टर भी बने हुए हैं, ए. एन. एम. की पोस्ट भी है, वहां पर कम्पाउण्डर भी है लेकिन वहां पर कोई रहता नहीं है और न ही दवाइयां उनके पास हैं। तो जो जनता को लाभ मिलना चाहिए वह उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मैं यह चाहूंगा कि जो हमारा बजट मेडिकल के ऊपर, लोगों के इलाज के लिए खर्च किया जा रहा है उसका सही लाभ लोगों को मिले ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार करे, यह मेरा कहना है।

सड़कों का अभाव है हमारे इलाके में। डूंगरपुर वाले भी कह रहे थे, खैरवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में पैसा काफी खर्च हुआ है, लाखों-करोड़ों रुपये फेमिन के माध्यम से खर्च हुए हैं।

(श्री फतेह सिंह)

एक सड़क 10 लाख में बननी थी उसके बाद उसके ऊपर 15 लाख रुपये खर्च भी हो चुके हैं और अब भी उसका एस्टीमेट, रेश्यो बढ़ कर महंगाई के हिसाब से 20 लाख रुपया खर्च होगा तब जाकर वह सड़क बनेगी। ऐसी स्थिति वहां पर आज सड़कों की है। तो मैं सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा कि आदिवासी इलाके में कम से कम पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़ने की को हजार या डेढ़ हजार की आपकी पालिसी बनी हुई है उसके मुताबिक उन गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाये जिससे आवागमन के रास्ते बनेंगे, सिंचाई के भी साधन होंगे, लोग अपनी उपज को लाकर के शहरों में बेचेंगे, लड़के अपनी साइकल से या कोई न कोई विकल्प ढूंढ़ करके स्कूल में आ करके पढ़ाई भी करेंगे और शिक्षा में आगे भी बढ़ेंगे।

इस इलाके की हालत एक दूसरी ओर है, वह है बिजली की समस्या। बांसवाड़ा में एक डेम बना हुआ है, वहां पर कुछ बिजली का उत्पादन भी होता है लेकिन कुशलगढ़ और आनन्दपुरी का इलाका 60-70 किलोमीटर दूर है और वहां तक तो बिजली पहुंचती भी नहीं है। बांसवाड़ा से बागीदौरा और बागीदौरा से कुशलगढ़, एम. पी. और गुजरात की सीमा तक जाते हैं तो वहां पर 11 के. वी. का सब-स्टेशन लगा हुआ है सज्जनगढ़ में, हमारे क्षेत्र की बात कर रहा था, वहां पर कुछ लोगों ने कनेक्शन ले रखे हैं तो उनको टाइम पर बिजली नहीं मिलती है। कइयों ने तो मोटर भी लगा रखी हैं। तो उनकी खेती भी सूखती है। तो यह भी मैं निवेदन करूंगा कि सज्जनगढ़ पंचायत समिति हैड-क्वार्टर पर 133 के. वी. का सब-स्टेशन बने तब जा करके उस इलाके में बिजली की व्यवस्था हो सकती है।

हमारे यहां पर बांसवाड़ा जिले में कुछ लड़के पढ़-लिख कर एस. टी. सी. ट्रेण्ड हैं, बी. एड. करके वे बैठे हुए हैं। अब चक्कर यह पड़ा कि पूरे राजस्थान की एक मेरिट, एक ही पालिसी तय की है। वहां के लड़के कम पर्सेण्टेज से निकले हुए हैं। तो उन लड़कों को इस लाभ से वंचित रहना पड़ता है। तो मैं यह चाहूंगा कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के जितने भी लड़के ट्रेण्ड हैं, उनका पर्सेण्टेज कम है तो ट्राइबल इलाके के हिसाब से उनका अलग रेश्यो कायम किया जाये और वहां पर जिस ग्रेड की उन्होंने ट्रेनिंग ली है, जो योग्यता है उस हिसाब से उनको सर्विस दी जाये। यह एक आपको मेरा कहना है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री फतेह सिंह : मैं ज्यादा बोलता नहीं हू और मैं तो इन पूरे आंकड़ों की तरफ भी नहीं जाना चाहता हूं, यह दिल्ली की सरकार क्या करने जा रही है उसके ऊपर भी नहीं जाना चाहता, मैं तो लोकल समस्या के ऊपर आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस इलाके के अन्दर कई तरह की कमियां हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए, उस क्षेत्र का विकास करने के लिए अगर राज्य सरकार मन बना ले तो जिला कलक्टर को यह निर्देश

(श्री फतेह सिंह)

देवें कि उस इलाके का सर्वे करवा लें। सर्वे करवाने के बाद में जो कमी वहां पर है उस कमी को पूरा करने के लिए अगर सरकार मन बनाकर काम करती है तो मैं यह समझता हूं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो बैकवर्ड एरियाज पड़ते हैं वहां की शिकायत आपके यहां तक यानी राजस्थान में हमेशा अकाल-अकाल की दुहाई बोलते हैं वह शिकायत हमको नहीं बोलनी पड़ेगी। इस मौके पर, अभी वहां पर अकाल है, अकाल के अन्दर कुछ काम खोल रखे हैं। बांसवाड़ा जिले में सिर्फ 5 हजार मजदूर लगे हैं। 5 हजार मजदूर से वहां पर कोई पूरा पड़ेगा नहीं। 5 हजार लेबर रखने के बाद में क्या होता है कि एक जगह 50 मजदूर, एक जगह 25 मजदूर और एक जगह 100 मजदूर रखते हैं। मजदूरों की भीड़ आती है, आपस में टकराव होता है, झगड़ा होता है। तो सरकार से मेरा यह निवेदन है कि बांसवाड़ा जिले में कम से कम इस महीने 25 हजार लेबर नहीं लगायेंगे तब तक वहां पर शांति नहीं रहेगी क्योंकि आबादी ज्यादा है, हर व्यक्ति मजदूरी के लिए आता है और किसी को हम रखें, किसी को नहीं रखें इससे झगड़ा होता है।

मैं अन्त में यही कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले या डूंगरपुर जिले में जो मजदूरों की भरमार है, उन लोगों को राहत देने के लिए अकाल राहत में मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाये और अधूरे जितने भी काम हैं वह इस अकाल के बजट के माध्यम से पूरे किये जाये। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, जो इस सदन में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं और मैं इसका विरोध इसलिए करता हूं कि इस सरकार ने अभिभाषण को, कभी भी इस रूप में नहीं लिया कि अभिभाषण एक संकल्प है, सरकार का दिशा देने का निर्देश है कि किस दिशा में वह साल भर तक काम करेगी।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि 1990 में जब माननीय शेखावत साहब की सरकार बनी उस वक्त के तत्कालीन गवर्नर देवीप्रसाद चटोपाध्याय ने 16 मार्च, 1990 को यह अभिभाषण पढ़ा। इस अभिभाषण में जो कुछ बातें कहलवायीं उन बातों पर आज तक कोई काम नहीं हुआ।

"सरकार के कार्य में जनता की भागीदारी स्थापित करना सरकार का कर्त्तव्य है, इस कर्तव्य निवर्हन के लिए सरकार कृत संकल्प है, इस भागीदारी के आधार पर ही सरकार की नीतियां बनेंगी। इसके लिए नीति निर्धारण के वर्तमान ढांचे में आवश्यक परिवर्तन किया जाये।"

आज तक नहीं हुआ।

(श्री विष्णु मोदी)

जनतांत्रिक संस्थाओं के समय पर चुनाव होने आवश्यक हैं। नगरपालिकाओं, नगर परिषद् व कृषि उपज मण्डियों के चुनाव पिछले कई वर्षों से नहीं कराये गये हैं। जन प्रतिनिधियों के स्थान पर प्रशासक लगा कर इन स्थानीय संस्थाओं को सरकार के विभागों के रूप में चलाया गया है जो नितान्त अनुचित है। नयी सरकार द्वारा नगरपालिका वार्डों के पुनर्सीमन की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। इन सभी संस्थाओं के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र करवाये जायेंगे। इसी प्रकार सहकारी संस्थाओं के चुनाव भी समय पर करवाये जायेंगे।"

इस सदन के सभी सदस्य भलीभांति जानते हैं कि कितने चुनाव कराये या चुनाव हुए हों तो भी खतम कर दिया। मुख्य मंत्रीजी, श्री भैरोंसिंह शेखावत के सुझाव पर मुख्य मंत्रीजी के आचरण को लोकायुक्त के कानून के अन्तर्गत लाने का निर्णय सरकार ने लिया, कानून में इस आशय का संशोधन किया जायेगा। आज तक उसका कोई संशोधन नहीं पेश किया गया।

(15.00)

शीर्ष स्थानों पर बैठे व्यक्तियों का यह दायित्व है कि वे स्वयं ईमानदारी बरतें तभी दूसरों को सही आचरण के लिए प्रेरित कर पायेंगे और गलत काम करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर पायेंगे। सरकार द्वारा उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का पुनरावलोकन किया जायेगा जिनके कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है। दस्यु प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया जायेगा। नये कुओं के लिए बीमा व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जायेगा। बजट का 60 प्रतिशत भाग कृषि व ग्रामीण विकास पर, घाटे के सरकारी उद्योग बन्द करने पर विचार।

यह 1990 में जब माननीय शेखावत साहब दुबारा मुख्य मंत्री बनकर आये उस वक्त का अभिभाषण है। यह जो बातें मैंने आपको बतायीं उनके ऊपर इस सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। फिर 28 फरवरी, 1991 को दुबारा चट्टोपाध्याय जी ने अभिभाषण पढ़ा उसमें राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया तबादला नीति निर्धारण की गयी। कोई जानकारी नहीं है इस सदन को। तिलम् संघ की स्थापना, खाद्य तेल उद्योग के विकास के लिए तिलहन पैदा करने वाले किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। वह लाभ मिला या नहीं मिला लेकिन तिलम् संघ कोई 32–33 करोड़ रुपये के घाटे में चला गया। अगले पांच वर्ष में दो लाख सिंचाई के कुएं खुदवाने की योजना पर विचार। गांवों में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों हैं तो जनता के विकाष के आधार पर अतिरिक्त व्यवस्था को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैंने यह इसलिए पढ़ा है कि इस सरकार का यह संकल्प ही नहीं है। इन्होंने तो एक मात्र औपचारिकता ले रखी है कि गवर्नर का अभिभाषण होना है, विधान सभा शुरू होगी। क्या इसमें लिखा है इस पर कुछ कार्यवाही साल भर में होनी है, अगला

(श्री विष्णु मोदी)

अभिभाषण पढ़ा जायेगा उसके पहले जो कुछ संकल्प दोहराये हैं उन पर कुछ करेंगे या नहीं, उसकी न कोई सरकार को जरूरत है, न कुछ इन्होंने इस बात की चिन्ता महसूस की है।

मान्यवर, पिछली बार बहुत सारे मंत्री चुनाव हारे। कई जगह चर्चा हुई कि इतने मंत्री चुनाव हारे। कई बुद्धिजीवियों में, पत्रकारों में, राजनीतिक शास्त्र के ज्ञाताओं में इन्टरएक्शन हुआ तो उन्होंने बताया कि मंत्री इसलिए हारे कि यह सरकार परफोर्म नहीं कर पायी। तो मंत्रियों पर सीधी बात आयी कि इस कारण ज्यादा मंत्री हारे। मैंने सोचा कि पिछली बार परफोर्म नहीं कर पाये। मान्यवर, मुख्य मंत्रीजी से जब भी बात होती है तो उनमें इच्छाशक्ति नजर आती है उनका एक अपना व्यक्तित्व है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और उनको राजस्थान के हितों की चिन्ता भी है और मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं कि जब राजीव गांधी और लोंगोवाल समझौता होने वाला था उस समय आदरणीय जसवन्तसिंह जी राज्य सभा में थे, लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य लोक सभा में नहीं था तो आदरणीय शेखावत साहब इस बात से परेशान थे कि इस समझौते से जो राजस्थान के अहित होने वाले हैं उनको किस तरह से उठाया जाये। तो उन्होंने मुझे फोन किया, तीन घण्टे तक उन्होंने समय खर्च किया और मुझे सारा बताया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की और उस बात को वहां लोक सभा में उठाया। तो उनको चिन्ता है, इच्छा भी है लेकिन जब मैंने सोचा कि आखिर क्यों नहीं होता है? तो कोई भी सरकार के परफोर्म करने, न करने की कुछ मूल बातें होती हैं। मैंने जो 95 माननीय सदस्य जीतकर आये उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल की तो कुल मिलाकर यह लगा कि इस सरकार में तीन मुख्य इन्ग्रेडिएंट्स हैं। एक तो आदरणीय आडवाणीजी की लीगेसी के हैं, मैं उसको आगे डिस्क्राइब नहीं करना चाहता और एक आदरणीय भैरोंसिंह जी शेखावत की लीगेसी के हैं। भाई घनश्याम जी कई बार इधर-उधर हो जाते हैं। अभी जो आंकड़े वे बोले वह समीक्षा के नहीं, गोविन्दाचार्य जी के आंकड़े हैं और उसी में गड़बड़ हो जाता है। तीसरा वह इन्ग्रेडिएंट है जो जनता दल और कांग्रेस से इम्पोर्ट करके भैरोंसिंह जी बी. जे. पी. में लाये हैं। तो जब तीन गेंद हों, तीन इन्ग्रेडिएंट्स हों और दो हाथ से तीन गेंद खेलता रहे तो उसको हमेशा यह ध्यान में रखना पड़ता है कि एक गेंद हमेशा हवा में रहे क्योंकि तीन गेंद दो हाथों से कैसे खिलायेगा। तो उनका सारा समय इन तीन इन्ग्रेडिएंट्स में, उनका जो एक को हमेशा हवा में रखने का चाहता है और कन्सन्ट्रेशन भी बहुत करना पड़ता है कि कहीं कोई गिर न जाये। तो मान्यवर, यह सरकार परफोर्म न कर पायी थी, न कर पायेगी और यह जो अभिभाषण है उसको तो यह इतना केजुअली लेते हैं कि शायद उसको पता ही नहीं कि यह होना है इसलिए हो जायेगा।

सबसे पहली बात अभिभाषण में कही गयी है कि यह सरकार संवेदनशील सरकार है। तीन ही गेंद है। एक तो आडवाणीजी

(श्री विष्णु मोदी)

लीगेसी है, शेखावत लीगेसी है और एक इम्पार्टेड लीगेसी है।....(व्यवधान)…. वह आप मुझे ज्ञानवर्द्धन कर देना। संवेदनशील सरकार है। इस संवेदनशीलता का तो उसी बात से पता चलता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गेंद जेब में रहती है और कभी-कभी उधर जाकर बोल जाती है।

श्री विष्णु मोदी : धन्यवाद, आपको बहुत-बहुत।

संवेदनशील सरकार है। राजस्थान में लॉ कमीशन बना हुआ है और उसके चेयरमैन ने यह कहा है कि राजस्थान में एक हजार कुछ कानून बने हुए हैं उसमें 720 कानून आब्सोलीट हैं या एक-दूसरे से कन्ट्राडिक्ट्री हैं। अगर आप संवेदनशील सरकार की बात करते तो आप इस अभिभाषण में बताते कि आप उन कानूनों को बदलने की क्या प्रक्रिया शुरू करते हैं? लेकिन उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। मावली से जो माननीय सदस्य आये हैं वह भाषण कर रहे थे कि हमने गरीब को गणेश माना। मैंने जितना-सा सुना वह याद है। गरीब को गणेश माना है। सभापति महोदय, अभी तीन दिन पहले, चार दिन पहले जयपुर में रिक्शे वालों के ऊपर इस सरकार ने डण्डे बरसाये हैं। इस जयपुर शहर ने रिक्शे के लाइसेंस पिछले कई वर्षों से बन्द हैं। हो क्या रहा है कि कुछ ठेकेदार हैं वे किराये पर चलाते हैं, अन-लाइसेंस्ड हैं क्योंकि लाइसेंस सरकार ने बन्द कर रखे हैं। पकड़े जाते हैं, रिश्वत दी जाती है फिर वापस आक्शन में वही रिक्शे चलते हैं। मैं समझता हूं कि अगर संवेदनशील सरकार है, गरीब को गणेश माना है तो रिक्शे वालों पर डण्डे बरसें और उनकी समस्या का कोई निदान न हो तो यह संवेदनशीलता दूर की बात है।

सभापति महोदय, मैं इस व्यक्ति को जानता नहीं हूं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट के एक सज्जन हैं, जसवन्तसिंह। मुझे इन्होंने पत्र लिखा। यह संवेदनशीलता का सिर्फ मैं नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूं। पिछले चार साल से इनके जो जूनियर थे उनका प्रमोशन हो गया। जब इन्होंने रेवेन्यू बोर्ड को लिखा कि मेरे से जूनियर का प्रमोशन हो गया, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो इनको लिखा गया कि आपके खिलाफ चौमूं के मुंसिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय में मुकदमा लम्बित है इसलिए आपका प्रमोशन नहीं हुआ। इन्होंने वापस उसकी नकल लेकर पेश की कि साहब, यह जो आप लम्बित बता रहे हैं उसका दो साल पहले ही फैसला हो चुका है और मैं निर्दोष पाया गया हूं। जब यह भेज दिया गया तो नयी बात आयी कि आपके खिलाफ 17 सी. सी. ए. में एक इन्क्वायरी चल रही है इसलिए आपका प्रमोशन नहीं हुआ। इसे कलक्टर चूरू ने 15 दिसम्बर, 93 को निरस्त कर दिया। चूरू कलक्टर ने कहा कि इनकी 17 सी. सी. ए. की कार्यवाही नहीं बनती है। यह व्यक्ति दो महीने बाद में रिटायर हो गया। पहले कहा कि मुकदमा लम्बित है फिर कहा कि 17 सी. सी ए. में इन्क्वायरी बाकी है और वह कहता फिर रहा है कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं है। यह मैं सिर्फ उदाहरण आपको दे रहा हूं। यह कागज

(श्री विष्णु मोदी)

भी अभी रख दूंगा और वह इसलिए कि यह कितनी संवेदनशील सरकार है।

सभापति महोदय, एक स्पेसिफिक चार्ज मैं लगा रहा हूं इस संवेदनशीलता पर कि कोटा हिज-हाइनेस की कुछ प्रोपर्टी डिफेंस डिपार्टमेंट को किराये पर दी गयी। 3 करोड़ 80 लाख रुपये का चैक डिफेंस डिपार्टमेंट कलक्टर कोटा को भेजा और खाली कलक्टर को एक पोस्टमैन का काम करना था कि वह चैक हिज-हाइनेस कोटा को दे। लेकिन कोटा कलक्टर ने 6 महीने तक वह चैक, वह ड्राफ्ट हिज-हाइनेस कोटा को नहीं दिया। आप 3 करोड़ 80 लाख रुपये का अगर ब्याज बैंक की दर से लगायें तो 50 लाख रुपये का ब्याज का नुकसान हुआ। उसके बाद भी वह चैक, ड्राफ्ट नहीं दिया और बैंक गारण्टी दी जिसका कोई औचित्य नहीं है। यह संवेदनशील सरकार है? मैं तो यह कहता हूं कि यह अंधी और बहरी सरकार है जिसमें दोनों तरफ कोई समस्या ही नहीं है। कोई सुनवाई ही नहीं होती। फिर कहते हैं कि हम साफ प्रशासन देंगे। मैं यह नहीं कहना चाहता कि किस व्यक्ति ने इस व्यक्ति का प्रमोशन कराया लेकिन 92 से शीप एण्ड वूल डिपार्टमेण्ट के लिये सारे राजस्थान के अखबार छपे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, उसमें जो डायरेक्टर हैं वह डायरेक्टर बन ही नहीं सकते जिस व्यक्ति का सीनियोरिटी लिस्ट में छठा नाम है, सर्विस रूल्स में साफ लिखा गया है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को उसका चार्ज दिया जायेगा लेकिन शीप एण्ड वूल में उस व्यक्ति को डायरेक्टर बनाया गया गया जिसके खिलाफ लाखों रुपये के करप्शन के चार्जेज हैं। वह आज भी डायरेक्टर बने हुए हैं और आलम यह है कि उनके खिलाफ शिकायत होती है और शिकायत की जांच उन्हीं को दे दी जाती है। शेखावत साहब जब प्रतिपक्ष के नेता थे तो उन्होंने भी इनके खिलाफ आरोप लगाये और अब नये प्रकरण में तो इन्होंने कई ट्रांसफर, पोस्टिंग्स इस तरह की हैं जो रूल्स में प्रोवाइडेड ही नहीं है और यहां तक उनके खिलाफ आरोप हैं कि साहब से सैटिंग है, कर्मचारियों के काम के दाम लगेंगे। वहां भेड़, बकरियां मर रही हैं उस चारे से जिसकी उन्होंने खरीद की है। उसके ऊपर इस सरकार का कहीं कोई लेना-देना नहीं है और....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : गवर्नर साहब के रूल के अन्दर उनको बचाया गया है या नहीं, इसका भी तो जवाब दे दें आप।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, सबसे पहले 30 अक्टूबर, 1992 को छपा है। नवभारत टाइम्स की खबर है। आरोपों से घिरे अफसर को तरक्की मिली। जयपुर, 29 अक्टूबर। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच की आंख से अब तक बचे भेड़ एवं ऊन विभाग के सयुक्त निदेशक डाक्टर श्रीधर कल्ला को आज विभाग के निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया। 1992 में तो गवर्नर साहब थे नहीं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अजीत कुमार सिंह एम. डी. थे, उन्होंने भी उन पर चार्ज लगाया था। तो यह गवर्नर रूल में हुआ था या नहीं, इसका भी जवाब दे दें।

श्री विष्णु मोदी : मैं गवर्नर का कोई प्रवक्ता नहीं हूं यहां पर कि मैं उस वक्त का जवाब दूं। लेकिन अब गवर्नर के वक्त में बचाया तो आपकी सरकार आये तीन महीने हो गये, आप संवेदनशीलता की बात करते हैं, लाखों करोडों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, भेड़, बकरियां मर रही हैं, इस विभाग में कुत्ते, बिल्लियों की कोई दवाई काम नहीं आती लेकिन कुत्ते बिल्लियों की दवाई की खरीद की जा रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाह रहा हूं कि यह सरकार संवेदनशील नहीं है। जिस सरकार के सामने भ्रष्टाचार के मामलों से अखबार रंगे पड़े हैं, शिकायतों पर शिकायतें उनके सामने पड़ी हैं और वह शिकायतें अगर किसी के पास पहुंचती हैं तो उन्हीं श्रीमान् के पास पहुंचती हैं कि आप जांच करें। यहां तक स्थिति है, कल ही मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि ब्यावर से एक ट्रक जयपुर पहुंचता है तो दो सौ रुपये उसको रिश्वत देनी पड़ती है, डेढ़ सौ रुपये रिश्वत देनी पड़ती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जितनी फ्लाईंग हैं उनमें हरेक का सौ रुपये बंधा हुआ है। तो आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं और आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता है—व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, आपने घण्टी बजा दी मुझे तो अभी....

श्री सभापति : कांग्रेस का जो टोटल अलाटेड समय है, वह खतम होने जा रहा है इसलिए घण्टी बजायी। पांच जने और बोलना चाहते हैं।

श्री विष्णु मोदी : आप थोड़ा-सा समय दें मुझे।

अभी भाई घनश्याम जी बहुत जोर-शोर से भाषण करके गये थे कि हम इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि अगली पंचवर्षीय योजना में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं को हम ऐसी योजनाएं बनाकर भेजें जिससे लोन मिल सके। अभी आस्ट्रेलिया की सरकार अपने दूतावास के माध्यम से पुष्कर के अन्दर वाटर कन्जर्वेशन पर कुछ काम करा रही है तो आस्ट्रेलिया के फर्स्ट सैक्रेटरी मुझको मिले और उनसे इस बात की जानकारी मिली कि आस्ट्रेलिया के अन्दर डाउन दी लाइन यह बात परकोलेट की हुई है कि राजस्थान सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। उन्होंने जो हवाला दिया उसमें यह कहा कि तीन साल पहले जब भैरोंसिंह जी की सरकार थी उस वक्त हमारे एम्बेसेडर को ऊर्जा मंत्रालय ने बुलाया था और यह कहा कि आपके एम्बेसेडर की मध्यस्थता मैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार एक करार करना चाहती है। आस्ट्रेलिया के एम्बेसेडर वहां चले गये। भारत सरकार के अधिकारी मौजूद थे। राजस्थान सरकार के अधिकारी दो घण्टे तक तो गये ही नहीं और जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई

(श्री विष्णु मोदी)

इन्स्ट्रक्शंस नहीं हैं। वहां अन्तर्राष्ट्रीय जगत में डाउन दी लाइन यह बात कही हुई है कि राजस्थान की सरकार की न ब्यूरोक्रेसी सुनती है, न पालिटिकल लीडरशीप सुनती है। आप जो बात करने जा रहे हैं वह अच्छी बात है लेकिन पहले जो आपकी छवि बनी हुई है उसको सुधारें। बहुत बढ़-चढ़ कर पहले अभिभाषण में भी और जब भी कोई मौका आता है तो कहा जाता है कि हमारी योजना इतनी बढ़ गयी। 2400 करोड़ रुपये बढ़ी। नवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल तय किया है कि जो डवलप्ड स्टेट्स हैं उनकी योजना के आकार में कटौती की जायेगी और जो पिछड़े हुए स्टेट्स हैं उनके आकार में बढ़ोतरी की गई है। योजना का जो आकार बढ़ा है वह नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन की इस पालिसी के ऊपर बढ़ा है। जिस तरह से महाराष्ट्र 6.68 था उसको घटाकर उन्होंने 5.84 कर दिया, गुजरात का 3.77 था उसको 3.50 कर दिया, पंजाब का 1.64 था उसको 1.57 कर दिया। इसी तरह से उड़ीसा का 4.48 था जो 5.20 हुआ, राजस्थान का 4.25 था जो 6.15 रहा। तो इसमें आपकी कोई बहुत कारगुजारियां नहीं हैं जिससे कि आप जब भी कोई मौका आये तो कहें कि हमने योजना का आकार इतना बढ़ा दिया। मान्यवर....

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : पिछले चार साल से यह तो 1.57 चलता आ रहा है। उसी वजह से मजदूरों को जो लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। 1.57 पिछले चार साल से चलता आ रहा है।

श्री विष्णु मोदी : इस सदन में पहले भी और कई बार बात उठी है और अभी जब माखीजा का जो मर्डर हुआ, उस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी बता रहे थे कि चारों तरफ वातावरण इस तरह का है। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि हमारी बड़ी लम्बी सीमा पाकिस्तान से लगती है और तस्करी एक तरह का नासूर बन गया है और राजस्थान उसका एक सेण्टर बन गया है। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बल सतर्क, उग्रवादियों की घुसपैठ। इसमें यह है कि सरकारी सूत्रों ने इस बात की है कि 23 फरवरी को जम्मू कश्मीर में जिस विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया उसके अन्दर आर.डी.एक्स. विस्फोटक होने के संकेत हैं। इस विस्फोट में चार लोगों की मृत्यु हो गयी थी। जम्मू-कश्मीर में यह विस्फोटक पंजाब और राजस्थान होकर लाये जाने की खबर है। कल की खबर है, अरबों रुपये के नशीले पदार्थ राजस्थान सीमा पर जमा। सभापति महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरह से राजस्थान की सीमा का बड़ा भू-भाग जो लगता है उसका दुरुपयोग होने लगा है, सरकार का विशेष उत्तरदायित्व बन जाता है। विशेष ध्यान देने का अगर इसमें जिक्र होता तो ज्यादा अच्छा होता।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, इस सदन में पिछले अभिभाषण के वक्त और उसके बाद इंकल

(श्री विष्णु मोदी)

का बहुत जोर से शोर-शराबा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी डंकल के लिए एक बार कुछ कहती है और फिर कुछ कहने लग जाती है। इसी अभिभाषण के दसवें पैराग्राफ में तो कहते हैं कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने व्यापार हेतु जो ड्राफ्ट एग्रीमेण्ट तैयार किया है उसमें कहा है कि राज्य सरकारों से बात करनी चाहिये मैं इस बात मे सहमत हूं कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से बात करनी चाहिये। लेकिन आप डंकल का एक हौवा खड़ा कर रहे हैं। आपने पिछली बार भी कहा कि हम अहित नहीं होने देंगे। पिछली बार तो चलो कम समय था लेकिन आप कम से कम यह क्लासीफाइड तो कर लीजिये, लिस्ट तो बता दीजिये कि इससे किसानों का यह नुकसान होगा और उसको इस तरह से राज्य सरकार रोक के उपाय कर रही है। नहीं तो आप एक नैसेसरी काम पैण्डिंग करके क्या राजनैतिक फायदा उठाना चाहते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं।

मैं शार्ट कर रहा हूं, मान्यवर।

इसी में पैराग्राम 13 में, 12 में कहा गया है आर्थिक उदारीकरण के कारण कृषि निर्यात की पर्याप्त सम्भावनाएं बनी हैं। निर्यात के लिए कृषि उत्पादन का एक विशेष कार्यक्रम बनाया जायेगा ताकि किसानों को अन्तराष्ट्रीय मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके। प्रदेशों में फलों व फूलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी विशेष विनियोग किया जायेगा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जायेंगी।

सभापति महोदय, जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में 1902 में जितने हैक्टेयर में खेती होती थी, 1993 में उसमें 10 प्रतिशत की कमी हो गयी और उस पर निर्भर रहने वालों में सिर्फ 4 प्रतिशत की कमी हुई है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के अन्दर अच्छी तकनीक से कृषि हो। राजस्थान के अन्दर पानी की कमी है, पीने के पानी की कमी है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन से कृषि हो। अच्छी बात है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इजरायल जा रहे हैं। इजरायल ही नहीं जहां कहीं भी दुनिया में जो अच्छी टेक्नालॉजी है, जिससे हम राजस्थान का कृषि उत्पादन बढ़ा सकें। वह लायें तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही अच्छी बात होगी।

यह सरकार केजुअल है, अप्रोच ही केजुअल है। उदारीकरण की यहां पर बात की। पिछले तीन साल में भारत सरकार की तो उदारीकरण की योजना एक के बाद एक आती जा रही हैं लेकिन राजस्थान सरकार ने आज तक इस पर चलना भी शुरू नहीं किया है। अभी डेवोस के अन्दर, जो दुनिया में साल भर में एक कांफ्रेंस होती है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अपना पूरा डेलीगेशन लेकर और वहां की फीस जमा कराकर गये। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु ने इगलैण्ड के सारे टाप इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को वहां बुलाया और कहा कि आप बंगाल को इसमें कहां अप करना चाहते हैं। अभी उदयपुर से आने वाले साथी कह रहे थे कि यहां उद्योगपति आ तो जाता है

(श्री विष्णु मोदी)

लेकिन उसको जमीन नहीं मिलती है और जितना हमारा सरकारी तन्त्र है उसकी जितनी जटिलताएं हैं मैं नहीं समझता कि हम यहां कुछ कर पायेंगे। सभापति महोदय, पिछले 4 साल में चिमन भाई पटेल ने गुजरात में 26 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेण्ट कराया और हमारे यहां....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए। बहुत लोगों को बोलना है और जवाब भी आना है सरकार का।

श्री विष्णु मोदी : 5 मिनट और चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : जवाब कल है।

श्री सभापति : कोई बात नहीं, जवाब कल है पर लम्बी लिस्ट है और आपका टाइम कुल मिलाकर एक घण्टे का बचा हुआ है, सारा ही कांग्रेस का और उधर का तीन घण्टे का समय बचा हुआ है।

श्री विष्णु मोदी : राजस्थान में नये उद्योगों में पूंजी लगाने की चिन्ताजनक स्थिति है। पूंजी निवेश की दृष्टि से देश में तेरहवां स्थान है। उड़ीसा, बिहार, हिमाचल तक भी आगे हैं। सेण्टर ऑफ मानीटरिंग ऑफ इण्डियन इकानामी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्ष 1996–97 तक नये उद्योगों पर मात्र 18422 करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश होगा। इसी रिपोर्ट में यह कहा है कि महाराष्ट्र में इतना, गुजरात में इतना। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में क्रूड ऑयल, गैस रिफाइनरी, उत्पादक, एक्वाकल्चर चीनी, वनस्पति, टैक्सटाइल, चमड़ा उत्पादन, ऊनी वस्तुएं, पल्प पेपर प्रोडक्ट्स, कीटनाशक, रसायन, रबड़ के उत्पादन, नॉन मैटेलिक मिनरल प्रोडक्ट, पिग आयरन, स्ट्रांग आयरन, फैरो अलॉय, कास्टिंग ट्यूब व पाइप, कृषि उद्योग एवं मशीनरी, इलैक्ट्रिकल मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट व एनसिलियरिज प्रोडक्ट्स व रेलवे के क्षेत्र में कोई पूंजी निवेश प्रस्तावित नहीं है।

आज हम औद्योगीकरण की बात करते हैं। सभापति महोदय, हम पिछड़ गये हैं, पिछड़ रहे हैं और पिछड़ते जायेंगे जब तक हम औद्योगिक क्रान्ति इस प्रदेश में नहीं लायेंगे। हमारी योजनाएं और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आज मैं दोष कोई भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं दे रहा हूं लेकिन आज वस्तु स्थिति यह बनी हुई है कि पिछले 47 सालों में हम सड़क नहीं बना सके, बिजली नहीं ले जा सके और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सके। तो आगे इससे भी बदतर स्थिति बनती जायेगी और हमारी फाइनेन्शियल सिचुएशन ठीक नहीं होगी। वह तब ठीक होगी जबकि हमारे यहां इण्डस्ट्रियलाइजेशन होगा।

विद्युत के बारे में, सभापति महोदय, इसमें बहुत लम्बी चौड़ी बात कही है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है कि विद्युत की वह चर्चा करायेंगे तो मैं अपने आपको दो सुझावों तक सीमित रख रहा हूं। हमारे यहां लाइन लोसेज जो है वह 22% है। आज किसी भी कारखाने का

(श्री विष्णु मोदी)

जेस्टेशन पीरियड पांच वर्ष से छह वर्ष है। ग्राप जो भी टैरिफ तय करना चाहते हैं तय कर दें लेकिन दस पैसा एक सरचार्ज लगा दें ग्रौर उस दस पैसा सरचार्ज से करीब-करीब जितनी ग्राज बिजली कंज्यूम होती है सौ करोड़ रुपया सालाना ग्रापके पास आयेगा। जहां तक लाइन लासेज का सवाल है वह दो पार्ट में ग्रायेगा। एक तो इक्विपमेंट्स की कमी के कारण ग्रौर दूसरा थैफ्ट के कारण। सौ करोड़ के इक्विपमेंट्स से एक साल के ग्रन्दर ही, ग्रापको 30 से 40 मेगावाट बिजली एक साल में ज्यादा उपलब्ध हो जायगी। पैसा ग्रापको पहले महीने में मिलना शुरू हो जायेगा, उस सरजार्ज को स्ट्रिक्टली ग्राप लगा दें। ग्राप उसको कुछ करें भी नहीं लेकिन उसके साथ में जो ढाई लाख कनेक्शन की एप्लीकेशन्स ग्रापके यहां पेंण्डिग हैं, ग्राप उस सरचार्ज को इस कण्डीशन पर लगायें कि ग्रगले दो साल में, तीन साल में एज ग्रॉन टूडे जितनी एप्लीकेशन्स ग्रार. एस. ई. बी. के ग्रन्दर हैं उन कुग्रों पर बिजली की पड़ी हैं उनको वह कनेक्शन दे,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो मैं समझता हूं कि ग्राप कुछ कर पायेंगे, नहीं तो जिस तरह ग्रभी 37% की कमी है ग्रगले साल 44·9% की कमी हो जायेगी ग्रौर न ग्राठ घण्टे बिजली मिलने वाली है ग्रौर न कुछ ग्रौर मिलने वाला है।

सहकारिता के ऊपर बड़ी बातें कहीं गयी हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए। बहुत समय हो गया।

श्री विष्णु मोदी : माननीय मंत्री महोदय खुद कहते हैं कि सहकारिता में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को कह रहा हूं कि हमारे डिपार्टमेण्ट को ही बन्द कर दिया जाये।

मैं एक बात ग्रपनी करके खतम करना चाहता हूं। पेयजल के मामले में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय भंवरलालजी शर्मा साहब को ग्रापके माध्यम से कि उन्होंने वाटर कंजर्वेशन की बात कही। हम ग्रंधी दौड़ में चले जाते हैं। हैण्डपम्प ही हैण्डपम्प लगाते चले जायेंगे। तमिलनाडु में मद्रास के ग्रन्दर, सभापति-महोदय, एक कानून बना है। वहां भी एक्यूट ड्रिंकिंग वाटर शार्टेज है। एक कानून बना है कि वहां बारिश का पानी कहीं भी किसी भी अहाते में बिल्डिंग में गिरेगा तो सड़क पर नहीं बहेगा, उसको नीचे परकोलेट किया जायेगा जो कि रिचार्ज होगा। ग्राज जयपुर शहर को ग्रापने पूरा पक्का कर दिया। ग्रमानीशाह का नाला था उसको पक्का कर दिया। जयपुर शहर की यह स्थिति है कि जो नौ जगह जोन ग्रापने बना रखे हैं उसमें 5 डार्क जोन हैं। जो ग्राज ग्रजमेर ग्रौर ब्यावर की स्थिति है उससे ज्यादा खराब स्थिति ग्रगर ग्रापने ध्यान नहीं दिया तो जयपुर शहर की होने वाली है।

(श्री विष्णु मोदी)

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में इस सदन में रोज प्रश्न के माध्यम से या किसी भी माध्यम से चर्चा होती है। जनसंख्या के बारे में भी जिक्र हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि आदरणीय संजय गांधी ने जो 20 साल पहले अभियान शुरू किया था उस वक्त तो उन्होंने उसका विरोध किया था क्योंकि उनको विरोध करना था, 77 में फायदा मिला उस वक्त शासन में आये, अब फिर पिछली बार कुछ जगह शासन में आये, अबकी बार कुछ जगह हार गये, कम जगह रहे तो उन्होंने इस बात को महसूस किया. स्वागत करता हूं कि 20 साल बाद में अक्ल आयी। आपको अक्ल तो आयी कि जनसंख्या की वृद्धि हमारा सबसे बड़ा कारण है जिससे कि हमारा विकास रुका है। सभापति महोदय, मैं शिक्षा के मामले में....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कम्पलसरी स्टरलाइजेशन करना चाहते हैं, हमने यह कहा है।

श्री विष्णु मोदी : आप जो भी इस मामले में पालिसी बना कर लाना चाहते हैं, कांग्रेस उसमें आपको कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि कम्पलसरी स्टरलाजेशन के पक्ष में हैं क्या आप ?

श्री विष्णु मोदी : आप हैं या मैं हूं या मैं नहीं हूं इससे कोई काम नहीं चलता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इससे फर्क पड़ता है।

श्री विष्णु मोदी : आप बैठ कर के गम्भीर चर्चा कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें फर्क है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस समर्थन देगी ?

श्री विष्णु मोदी : कांग्रेस बहबूदी के लिए कमिटेट है और 77 में भी हम चुनाव हार गये। लेकिन हमने यह नहीं कहा कि हमारा यह कार्यक्रम गलत था और प्रोग्राम बन्द नहीं किया आज तक। आप बजट पर बड़ी लम्बी चौड़ी चर्चा कर रहे थे। कल भी फाइनेन्स मिनिस्टर ने 1276 करोड़ रुपये परिवार नियोजन के मद में रखे हैं। हम समझते हैं इस बात को।

श्री सभापति : माननीय मोदीजी, कृपया समाप्त करें। आपने बहुत समय ले लिया है। आधे घण्टे से ऊपर समय हो गया आपका। किसी ने भी 10 मिनट से ऊपर समय नहीं लिया। आधे घण्टे से ऊपर हो गया है।

श्री विष्णु मोदी : शिक्षा के विषय में इतना ही कहना चाहता हूं कि नयी शिक्षा नीति आदरणीय राजीव गांधी ने दी उसके माध्यम से हर जिले में नवोदय विद्यालय खोले लेकिन हमारे सरकारी विद्यालयों की यह स्थिति बनी हुई है कि कहीं टीचर नहीं हैं, कहीं स्कूल बिल्डिंग नहीं है। कुल मिला कर के हम जो वहां से प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसकी क्या स्थिति है,

(श्री विष्णु मोदी)

इसके ऊपर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक विचार है और मैं समझता हूं कि वह ठीक इस बात पर सोचते हैं....

श्री सभापति : कृपया डिस्टर्ब नहीं करें। इनको समाप्त करने दीजिए। फिर पार्टी का समय नहीं बचेगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : ताज्जुब की बात यह नहीं है क्या कि एच. आर. डी. के अन्दर एजुकेशन है लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर ही नहीं हैं आपके। यह सही है या नहीं ? एजुकेशन जैसे इम्पार्टेण्ट सबजेक्ट में मिनिस्टर ही नहीं है। दस साल से नहीं है। एच. आर. डी. के अन्दर यह पाठ है।

श्री विष्णु मोदी : ह्यूमन रिसोर्सेस डिपार्टमेण्ट इसलिए बनाया था कि इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस की जितनी भी चीजें हैं जिसकी शिक्षा सबसे बड़ा अंग है इसलिए बनाया था, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हां लेकिन हद होती है।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, क्वान्टीटेटिव बात कर लेते हैं। मैं मंत्री जी का स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस बात को पहचाना है कि क्या हमारी शिक्षण संस्थाओं की स्थिति हुई लेकिन क्वान्टीटेटिवली के बजाय क्वालीटेटिवली बात करें कि हम प्राडक्ट क्या निकाल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय एक व्यवस्था का प्रश्न है मेरा। कांग्रेस पार्टी का जो निर्धारित समय था वह समाप्त हो चुका है....

श्री सभापति : थोड़ा सा बाकी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज सुबह अध्यक्ष महोदय ने 1 घण्टा 30 मिनट बताया था वह माननीय रामनारायण जी और विष्णु मोदी जी के बोलने के बाद समाप्त हो चुका है। अब जो समय बचा है वह भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ही माननीय सदस्य बोलेंगे और श्री अमराराम जी बोलेंगे।

श्री सभापति : मैं समय का ध्यान रख रहा हूं निश्चित रहिये आप। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, एक घंटा निर्दलीयों का बचा हुआ है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है।

श्री सभापति : कृपया बिराजिये मैं सब को समय दूंगा जो आपका एलाटेड समय है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आपके बोलने का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का समय खतम हो गया है।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने सदन में जो अभिभाषण प्रस्तुत किया उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री टीकमचन्द जी कांत ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करती हूं। माननीय मदान साहब ने उसका समर्थन किया इसलिए इनका भी धन्यवाद। सभापति महोदय, यह अभिभाषण राजस्थान के बहुआयामी विकास का दस्तावेज है। अभिभाषण में सभी वर्गों का विकास हो ऐसा दृष्टिकोण रखा है। गरीबों की हिमायती हमारे श्री भैरोंसिंह जी शेखावत के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने क्या-क्या कार्य किये और अब क्या करना चाहते हैं इस अभिभाषण में उसकी झलक है। सभापति महोदय, अभिभाषण पर पिछले 4 दिनों से वाद-विवाद चल रहा। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों को इस अभिभाषण में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और उन्हें नजर आ भी नहीं सकता क्योंकि उन्हें मात्र इसकी आलोचना करनी है और वे आलोचना कर रहे हैं। सभापति महोदय, विकास की दृष्टि से हमारा राजस्थान पिछले 46 वर्षों से भारतवर्ष की तुलना में किस स्थान पर आया है। अगर विपक्ष के माननीय बंधु सच्चे मन से अपने दिल पर हाथ रखकर विचार करें तो पायेंगे कि इसमें नीचे से दूसरे या तीसरे नम्बर पर ही क्यों रहा। वैसे तो हमारे माननीय अजमेर से आने वाले सदस्य उठकर जा रहे हैं। सच्चाई मान भी चुके हैं कि 46 वर्षों में न तो हमने सड़कें बनायी, न हमने चिकित्सालय खोले और हम कुछ भी नहीं कर पाये। यह अभी स्वीकार कर चुके हैं। खुद के विकास के लिए विकास किया है।

सभापति महोदय, कल केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने बजट रखा है। अभी हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य गांधीजी को याद कर रहे थे। मैं इस पवित्र सदन में यह कहना चाहूंगी कि यह जो बजट रखा है इसका आगे आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा....

श्री शान्ति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : कार्यकारी महिलाओं को कितनी छूट दे दी।

श्रीमती तारा भण्डारी : आप तो सारी छूट को खा गये और सुन भी लो सुनते ही हैं तो। बजट के पहले माननीय सभापति महोदय, सारी उपभोक्ता चीजों के भाव बढ़ा दिये चोर दरवाजे से। जब लोक सभा में हिन्दुस्तान का सारा जन प्रतिनिधि बैठता है, हमारी 8 लाख, 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधि जनता की वकालत करने के लिए देश की सर्वोच्च संस्था में बैठता है, उन लोगों के विचार जाने बिना, जनता की संवेदनाओं को छुए बिना बजट से पहले गैस के दाम बढ़ा दिये, गेहूं के दाम बढ़ा दिये, शक्कर के दाम बढ़ा दिये, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिये। कौन-सा भला तुमने महिलाओं का किया ? सभापति

(श्रीमती तारा भण्डारी)

महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि 100 दिन में महंगाई को कम करने का वादा करके आये थे और आज 800 दिन से ज्यादा हो गये, महंगाई कहां पहुंच गयी? क्या स्तर रहा? यह महंगाई तो रोक भी नहीं पाये और आज उसका दुगुने से ज्यादा महंगाई का मूल्यांकन हुआ है। यह केवल हिन्दुस्तान की जनता के साथ धोखा नहीं बल्कि महिलाओं के साथ भी सरासर धोखा है। अगर हमारे माननीय विपक्ष के बंधु सुनना चाहें तो यह भी सुनें कि यह उदारीकरण की नीति की प्रशंसा कर रहे हैं। इस बजट में हमारे हिन्दुस्तान में जो भी उत्पादन होने वाला है उसका शुल्क बढ़ाया है और आयात शुल्कों में कमी की है।

सभापति महोदय, सभी विद्वान् लोग यहां बैठे हैं यह विचार करें कि हमारे बाजारों की क्या स्थिति होगी। हमारा उत्पादन महंगा होगा और विदेश से आने वाला उत्पादन सस्ता होगा। तो बिक्री किसकी होगी? महंगी चीजों की होगी या सस्ती चीजों की? प्रभाव कहां जायेगा? हमारे उद्योग जो आज भी बहुत बुरी दशा में हैं धीरे-धीरे बंद होने को आयेंगे और विदेशी बाजार में आज अमेरिका में जो मंदी छायी है उस बाजार को हिन्दुस्तान में ढूंढ़ा है। श्री मनमोहनसिंह जी ने केन्द्रीय बजट पेश करते समय विदेशी बैंकों के दबाव में आकर यह निर्णय लिया है। सभापति महोदय, आज स्थिति यह क्यों हुई है कि हमारे यह रुग्ण उद्योग बन्द हो जायेंगे। जो 8 करोड़, 10 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों का आंकड़ा है लेकिन इस मंदी से जो भी हमारे देश के बेरोजगारों की स्थिति आने वाली है उसकी कल्पना आज ही हम लोगों को करनी चाहिये। सीमा शुल्क और आयात शुल्क को कम करने का हमारे हिन्दुस्तान के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बजट की बात बढ़ा-चढ़ाकर करते हैं। डंकल प्रस्ताव की बात करते हैं। यह डंकल प्रस्ताव हमारी बौद्धिक गुलामी है। यह देश जो विश्व के अन्दर गुरु का पार्ट अदा करता था। यहां एक से एक अच्छी टेक्नालाजी थी, एक से एक अच्छी यहां पर विशेषताएं थीं आज हम इस डंकल प्रस्ताव के जरिये दूसरे देशों की गुलामी ग्रहण करने जा रहे हैं। इसका कारण है, सभापति महोदय। हिन्दुस्तान का अधिकतम वर्ग गरीबी की सीमा से नीचे है और मध्यम वर्ग रोजी-रोटी से जूझ रहा है और यह जो पेटेण्टी का कानून बनाया है यह कानून बनाने से किसी भी चीज पर आविष्कार करने का हमारे देश के लोगों को समय नहीं मिलेगा और जो आज विकसित देश है, विकसित श्रेणी के लोग हैं उनका काम यह रह जायेगा कि यहां की अच्छी से अच्छी वस्तु को पेटेन्ट कर ले। फिर वह वस्तु हमारे किसी भी उद्योग को ही प्रभावित क्यों नहीं करे, हमारी किसी फैक्टरी को ही प्रभावित क्यों नहीं करे, जिस चीज का भी डंकल प्रस्ताव के जरिये दूसरे देश के लोग अपनी बौद्धिक सम्पदा जिस-जिस को नहीं मिलेगी उसका उपयोग हम नहीं कर पायेंगे। यह इस तरह के जो हमारे यहां पर प्रभाव आने वाले हैं उसके बारे में आप विचार करें। हमारे देश का गडरिया फारेस्ट की सीमा को जान नहीं सकता कि फारेस्ट कहां पर है और दूसरी जमीन कहां पर है, वह इस डंकल प्रस्ताव को क्या

(श्रीमती तारा भण्डारी)

समझेगा ? हिन्दुस्तान की जमीन जहां दो-दो कोस पर दूसरे तरह की है, जहां 5–5 कोस पर पानी दूसरा है वह विदेशी बीज का उपयोग किस प्रकार से करेगा ? मैं डंकल प्रस्ताव की विवेचना में अधिक नहीं जाकर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि इस डंकल प्रस्ताव पर सदन के सभी लोगों से सलाह कर एक दिन की खुली बहस कर लें ताकि विपक्ष के माननीय बंधुओं को भी थोड़ी बौद्धिक सम्पदा मिल सके कि इसके क्या कुप्रभाव होने वाले हैं।

सभापति महोदय, अभिभाषण में बहुत सारे ऐसे बिन्दु, बहुत सारे ऐसे प्रावधान किये गये हैं जो हमारे राज्य की कल्याणकारी छवि को प्रस्तुत करते हैं। अभिभाषण में राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन से ही पेंशन आदि के भुगतान के कागजात देने का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, आप सरकारी नौकरी में रहे हुए हैं, आपने कई लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद इस राजधानी जयपुर के चक्कर लगाते देखा होगा केवल पेंशन, ग्रेच्युटी और पी एफ. के निपटारे के लिए। क्या यह बहुत बड़ा काम नहीं है ? यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारा जो कर्मचारी 30–35 वर्षों तक सेवा करके अपने घर जाता है उसको सेवानिवृत्ति के जो भी भुगतान हों उनके कागजात उसी दिन हम देकर भेजें।

आज हमारा राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से नीचे से दूसरे नम्बर पर है। अभिभाषण में पांचवीं तक के बच्चों को नि.शुल्क पुस्तकें देने का प्रावधान किया गया है। अभिभाषण में अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आवासीय शालाओं की बात कही गयी है। मैं उनका हार्दिक समर्थन करती हूं और धन्यवाद देती हूं हमारी सरकार को कि उसका ध्यान गांवों की तरफ गया तो सही। आज ग्रामीण क्षेत्रों में 10–10, 8–8 साल के बच्चे बकरियां चराने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं उनकी पुस्तकों के अभाव में पढ़ाई नहीं होती। अगर आवासीय शालाओं का प्रादुर्भाव हो और उनको निःशुल्क पुस्तकें मिलेंगी तो मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान शिक्षा के दृष्टिकोण से अपना स्थान ऊपर बनायेगा।

इस अभिभाषण में नहरों का पानी अन्तिम छोर तक देने की बात की गयी है। कृषि संसाधनों पर भी अधिक ध्यान देने की बात कही गयी है। यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब नहर चलती है तो प्रभावशाली लोग उस नहर का पानी उपयोग में ले लेते हैं और अन्तिम छोर वाले के एक बूंद भी हाथ नहीं आती। अगर हमारी सरकार इस बात पर फैसला कर लें और अन्तिम छोर तक लोगों को अगर पानी मिलने की बात हुई तो यह एक सामाजिक न्याय में हमारा बहुत बड़ा कदम होगा।

औद्योगीकरण की नयी नीति की बात कही गयी। अच्छा होगा कि हम उद्योगों के गिरते स्तर को देखते हुए जन भावनाओं को शामिल करके और कुछ नया करके उद्योगों को मजबूत बना सकें। माननीय भैरोंसिंह जी के सुप्रयासों से आज राजस्थान

(श्रीमती तारा भण्डारी)

में लोग उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हो रहे हैं, राजस्थान में उद्योगों का वातावरण बन रहा है। लेकिन जैसा कि विपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे, उद्योग लगाने में बहुत जटिलता है। जमीन मिल जाती है ..

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बड़ी मुश्किल से अवसर मिला है, आपने अभी से बैल बजा दी। मेरी तो कोई बात भी नहीं हुई।

श्री सभापति : 15 मिनट हो गये।

श्रीमती तारा भण्डारी : ठीक है, मैं शॉर्ट करती हूं।

उद्योगों को लगाने के लिए कुछ बातों पर विचार हम करें। बिजली की स्थिति हम से छिपी हुई नहीं है। मैं बिजली बोर्ड को धन्यवाद देती हूं कि वह महंगी दरों पर बिजली खरीद कर उपभोक्ताओं को, काश्तकारों को सस्ती दर पर बिजली दे रहा है। बिजली बोर्ड का घाटा दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, एक बात का ध्यान तो बिजली बोर्ड को भी रखना पड़ेगा कि ये जो बड़े-बड़े उद्योग बिजली बोर्ड की बड़ी-बड़ी राशियां दबाकर बैठे हैं उनसे पैसा वसूल कर ले। ऐसी कोई योजना बनानी पड़ेगी। अगर एक गरीब काश्तकार अपना बिल कुछ दिन तक नहीं भर सके तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन जो लोग कोर्ट से स्टे इत्यादि लेकर बैठे हैं उनसे लाखों की राशि बिजली विभाग नहीं ले सकता है। बिजली की चोरी रोकने के भी प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। एक ट्रांसफार्मर जल जाता है तो काश्तकार ए. ईएन. कार्यालय के रात-दिन चक्कर काटता है। ट्रैक्टर लेकर आता है, वापस चला जाता है, फिर आता है। इस सबको रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा।

सभापति महोदय, राज्य में उद्योगों का वातावरण बनाने के लिए सेल्स टैक्स और मण्डी टैक्स पर भी ध्यान देना है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान का 80 प्रतिशत चना राजस्थान में होता है। चने की इतनी बम्पर क्राप राजस्थान में हो रही है लेकिन टैक्स की विषमताओं के कारण—हरियाणा में एक प्रतिशत है दिल्ली में एक प्रतिशत भी नहीं है और गुजरात में भी कम प्रतिशत है, हमारी सारे चने की उपज पड़ौसी राज्यों में चली जा रही है। यहां की कम से कम 150 दाल मिलें बन्द हो चुकी हैं। यदि मण्डियों के आंकड़े लिये जायं तो पिछले दिनों में मण्डियों में चने की आवक में कितनी गिरावट आयी है, स्पष्ट हो जायेगा। यही स्थिति रायड़े की है, पेस्टिसाइड की है। सेल्स टैक्स की हमारे प्रदेश में जो असमानता है उसके कारण हमारी उपज बाहर जाती है और हमारे उद्योग कम्पिटीशन में नहीं आ पाते। राजस्व की भयंकर चोरी होती है क्योंकि जब हमारी उपज बाहर चली जाती है तो सेल्स टैक्स नहीं मिलता, मण्डी टैक्स नहीं मिलता, आक्ट्राई नहीं मिलती। इस सारे के लिए मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि आगामी बजट प्रस्तुत करते समय सेल्स टैक्स के बारे में अन्य राज्यों की तुलना में समानीकरण करने की बात पर विचार करें।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सभापति महोदय, इस अभिभाषण में संवेदनशीलता की बात कही गयी है। बहुत अच्छी बात है, इसकी सराहना करनी चाहिये और मैं धन्यवाद देती हूं पिछली सरकार को जिसने इस ओर कुछ कोशिशें की थीं। परन्तु पिछले 1 वर्ष से राजस्थान में कोई चुनी हुई सरकार नहीं होने से ऐसा लगता है कि अधिकारियों में तानाशाही आ गयी है। मैं एक उदाहरण से अपनी बात खतम करना चाहूंगी। माननीय भंवरलाल जी, स्वायत्त शासन मंत्री बिराजे हैं, सुन लें कि सिरोही में राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत एक होटल मालिक को फायदा देने के लिये हजारों रुपयों की रिश्वत खाकर वहां के नगरपालिका प्रशासक ने सैंकड़ों केबिन वालों को बेघरबार कर दिया। बुलडोजर फिरवा दिया, उनकी दाल सड़क पर फेंक दी, उनकी रोटी सड़क पर फेंक दी। चावल, दाल, दूध, दही सब सड़क पर फेंक दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ऐसा निर्मम अत्याचार कभी नहीं देखा। सभापति महोदय, थोड़ा-सा अवसर और दें, मैं फिर अपनी बात स्वतः ही समाप्त कर दूंगी।

उस प्रशासक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, उसका हौसला बढ़ गया। पिछले दिनों हमारे सिरोही में एक मिडिल स्कूल–घाटकड़ा स्कूल में, जिसमें 800 से अधिक संख्या में बच्चे हैं, अभिभावकों ने घर-घर से 10-10 रुपये इकट्ठा करके एक पेशाब घर बनाया था छात्रों के लिए। उस पेशाब घर को बनने दिया नगर पालिका ने, कुछ नहीं बोली। जब वह पूरा हो गया तो नगर पालिका कर्मचारियों ने तोड़ दिया। छात्र कलक्ट्रेट परिसर में रोज जाकर हाय-हाय करते थे। वहां के जन प्रतिनिधियों ने सरकार को तार दिये, फैक्स दिये, प्रतिवेदन दिये। माननीय शिक्षा मंत्री गुलाब चन्द जी कटारिया सिरोही आये तब उनका घेराव किया। मैं बाहर से आयी, मैंने कलक्टर को पूछा कि यह पेशाब घर तोड़ने का क्या कारण है? उन्होंने कहा कि यह तो अतिक्रमण था। सिरोही में नगर पालिका ने जितने भी पेशाब घर बनाये वे सब सड़क पर हैं, फुटपाथ से भी अन्दर हैं। सिरोही में जितने भी नाले की जमीनें हैं वे या तो नगर पालिका ने बेच दी हैं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : रिश्वत खाकर लोगों ने अवैध निर्माण कराये। मैं एक नहीं 50 उदाहरण दे सकती हूं जहां नगर पालिका के लोगों ने अपनी रैकरिंग इनकम कायम करने के लिए इतने अवैध कब्जे करवा रखे हैं और तो और सभापति महोदय, नगर पालिका ने एक दुकान का निर्माण करवाया था, उसकी नीवें भर दी और उसके बाद नगर पालिका कर्मचारियों ने उस पर अवैध कब्जे करवा दिये, लेकिन वे सब अवैध कब्जे जायज थे। परन्तु स्कूलों में जो मूत्रालय का निर्माण हुआ, सड़क से 15 फुट की दूरी पर है। सभापति महोदय, इनको नगर पालिका प्रशासक ने तोड़ दिया क्योंकि वहां से कुछ भी मिलने वाला नहीं था। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि संवेदनशीलता कायम करने से

(श्रीमती तारा भण्डारी)

पहले हमें यह विचार करना पड़ेगा कि हम राज्य में कौनसी छवि कायम करना चाहते हैं। जब तक राज्य के नीचे के लोगों को पटवारी से राहत नहीं मिलेगी, कम्पाउण्डर से राहत नहीं मिलेगी, ग्राम सेवक से राहत नहीं मिलेगी, तब तक न संवेदनशीलता कायम हो सकती है और न ही लोगों में कल्याणकारी राज्य का एहसास हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, आपने घण्टी तो बजा दी लेकिन दो-एक बातें कहना बहुत आवश्यक है।

श्री सभापति : तीन बार बजा दी हैं, अब आप समाप्त कीजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : शिक्षा मंत्रीजी भी बैठे हैं, चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं। ये सौभाग्य से मेरे सिरोही गये थे।

श्री सभापति : टेलीग्राफिक लैंग्वेज में फटाफट कह दीजिये जो कहना चाहते हैं, व्याख्या मत कीजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : साहब, मशीन तो नहीं है, मुंह है।

श्री सभापति : मैंने टेलीग्राफिक लैंग्वेज बोला है, टेलीग्राफिक मशीन थोड़े ही बोला है।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, इतना पक्षपात मत कीजिये। महिलाएं तो बहुत कम है, कुछ तो वैसे भी नहीं आती हैं और तो आप बोलने नहीं देते हैं फिर मैं चुप कर जाती हूं। अगर आप नहीं बोलने देंगे तो मैं चुप हो जाऊंगी।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करने का प्रयास कीजिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, सब में कोटा है, यहां कोटा क्यों नहीं है? 6 महिलाएं बोलने वाली हैं, दो को मिनिस्टर बना दिया। 6 महिलाएं बोलने वाली हैं उनको भी आप बार-बार रोकते हो।

श्री सभापति : विराजिये आप।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, जो पक्षपात शब्द काम में लिया है, आसन के प्रति जो पक्षपात शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसको....

श्री सभापति : कोई बात नहीं She doesn't mean that. करिये, करिये प्लीज।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, सिरोही चिकित्सालय की हालत आपसे कहने में मुझे कुछ हिचक नहीं है क्योंकि मंत्रीजी वहां जा चुके हैं। इन्होंने अपनी आंख से देखा है, लोगों ने इसके बारे में ज्ञापन दिये, सुझाव दिये, शिकायत की है। वहां के डाक्टर दूसरे अस्पतालों में जाकर प्राइवेट प्रेक्टिस कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं लेकिन सिरोही नगर में आने वाले लोगों की दवा-दारू नहीं कर सकते। वहां पर कम्पाउण्डर आने वाले मरीजों को

(श्रीमती तारा भण्डारी)

बोलता है, यहां मरने के लिए क्यों आये हो, गुजरात जाओ। ताकि उसको मोटी फीस गुजरात पहुंचाने की मिले और गुजरात के अस्पतालों से कमीशन मिले। सभापति महोदय, मुझे खेद इस बात का है कि हमारे चिकित्सा मंत्री लम्बे-चौड़े वायदे करके सिरोही से आये थे लेकिन राजधानी की चकाचौंध में सब भूल गये। सारे दुःख-दर्द भूल गये। इन्होंने उन पत्रों में से एक का जवाब नहीं दिया, एक पर कार्यवाही नहीं की। भ्रष्ट कम्पाउण्डर, जो चरित्रहीन हैं उनको वहां से नहीं हटाया। सभापति महोदय, आज बाहर महिलाएं क्रन्दन कर रही हैं, न्याय मांग रही हैं।

श्रीमती मीना अग्रवाल : दहेज के बारे में।

श्रीमती तारा भण्डारी : दहेज हत्याओं के बारे में। गीता की मौत का न्याय माग रही है, कौशल्या देवी की मौत का न्याय न्याय मांग रही है। यह महिला अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। सभापति महोदय, और महिलाएं जो घर-गृहस्थी की रौनक थीं वे आज सड़क पर न्याय मांगने के लिए आयी हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगी कि केन्द्रीय बजट में तो गरीबों का, श्रमिकों का, महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया लेकिन आप तो इससे सबक लीजिये और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिये कोई कारगर कार्यवाही कीजिये। यह अखबारों में छपा है, कल ही आया है, महिलाएं धरना देंगी। आये दिन महिलाओं को जिन्दा जलाना, महिलाओं को जहर देकर मार देना, दहेज वसूली के लिए उत्पीड़न देना, आखिर कब तक इस हिन्दुस्तान में आजादी के 45 साल बाद भी 50 प्रतिशत हिन्दुस्तान की आबादी इस प्रकार से चोट खाती रहेगी।

सभापति महोदय, अभी बाहर जो अस्थायी लैक्चरर्स हैं, वे भी चीख रहे हैं। सुबह चर्चा में भी आया था, ज्यादा लम्बी बात तो नहीं कहूंगी लेकिन 10–15 वर्षों से जो लैक्चरर्स हैं जिनकी घर-गृहस्थियां बस गयीं, जिनके बजट बन गये, जिनका कामकाज इस नौकरी के आधार पर शुरू हो गया उनको आप आर. पी. एस. सी. सलेक्शन में भेजेंगे। उनके बौद्धिक और शैक्षणिक योग्यता में आज लम्बा-चौड़ा अन्तर हो गया वे कैसे इस कम्पीटीशन से पार पायेंगे। सभापति महोदय, इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहती हूं, पता नहीं उन लैक्चरर्स को पसन्द आयेगा या नहीं, सरकार को भी पसन्द आयेगा या नहीं लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, इन अस्थायी लैक्चरर्स के पास या कई के पास तो एक घण्टा भी नहीं, किसी के पास दो पिरियड भी नहीं, कुछ ऐसे हैं जिनका 7-7 दिन में कोई नम्बर ही नहीं आता। सभापति महोदय, आज हमने सीनियर स्कूल्स कायम कर दिये हैं जहां 12वीं तक कक्षाएं चल रही हैं, वहां सब्जेक्ट टीचर नहीं, वहां पर प्रीसिंपल नहीं। अगर हम किसी तरह से समझौता करके कभी इस बात पर आ सकें कि वहां भी लैक्चरर का पद है, यहां भी लैक्चरर का पद है।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

महाविद्यालय की जगह सीनियर स्कूल में पढ़ाने से ग्रेड कम नहीं हो जायेगी। इस बात पर भी आयेंगे तो सरकारी खजाने का सदुपयोग होगा और पढ़ाई के बिना जो बच्चों के स्तर में गिरावट आ रही है उनका स्तर भी उठेगा।

सभापति महोदय, पेन्शन के कानूनों में संशोधन की बहुत जरूरत है। विधवा महिला को पेन्शन देने में 5 बीघा जमीन का अड़ंगा लगा रखा है। जमीन का जहां अड़ंगा है वह तो ठीक है लेकिन यह तो ठीक है तो देख लीजिये कि वह सिंचित है या असिंचित है। पांच बीघा अगर बंजर भूमि भी है तो उस विधवा को पेन्शन नहीं मिलेगी, उस वृद्धा को पेन्शन नहीं मिलेगी। विकलांग को पेन्शन इसलिए नहीं मिलेगी कि उसका बाप समर्थ है, विकलांग को पेन्शन इसलिए नहीं मिलेगी कि उसकी पत्नी समर्थ है, विकलांग को पेन्शन इसलिये नहीं मिलेगी कि उसका पति समर्थ है। सभापति महोदय, आज के जमाने में इस महंगाई में कौन किसकी सेवा कर सकता है। कौन भाई अपने विकलांग भाई को कुछ दे सकता है और पेन्शन भी 100 रुपये, इस महंगाई के जमाने में कुछ नहीं होता। सभापति महोदय, इन पेन्शन के प्रावधानों में भी मानवीय आधार पर हमें संशोधन करना होगा। सवेरे विपक्ष के माननीय सदस्य खेतसिंहजी राठौड़ अकाल के भुगतान की बात कर रहे थे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये, बहुत समय हो गया। और सब भी अच्छे सुझाव देने वाले हैं. आप ही क्यों समझती हैं कि आप ही अच्छे सुझाव दे सकती हैं, और भी देंगे, आधा घण्टा हो गया।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, आज राजस्थान में भीषण अकाल है, सरकार ने समय पर काम शुरू किये हैं, पिछले अकाल में भी सरकार ने काम किये थे, भुगतान भी बराबर दिया था यह बात मैं कह सकती हूं लेकिन विपक्ष से आने वाले माननीय सदस्यों को थोड़ा संशय है क्योंकि पिछले 1983 से 1989 तक के अकाल में कहीं दो रुपये का भुगतान हुआ, कहीं बारह आने का भुगतान हुआ, कहीं पर डेढ़ रुपये का भुगतान हुआ इसलिए उनको आज शक है। उनको यह भी शक है कि चारे के अनुदान में घोटाला होगा क्योंकि मोपेड के नम्बर ट्रक के बता-बताकर बहुत सारे अनुदान उठाये हैं। इस बात के लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा कि कोई मोपेड का नम्बर ट्रक का नम्बर बताकर अनुदान न ले लें, लोगों की फर्जी हाजरियां कायम नहीं हों, जो मस्टरोल पर काम करते हैं यदि उतने ही लोगों की हाजरी होती तो निश्चित रूप से पूरा भुगतान मिलेगा।

कल पुलिस अत्याचार पर बड़ी चर्चा हुई। मैं पुलिस अत्याचार की हामी नहीं हूं लेकिन आज यह विकृति आयी कहां से ? सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र से बूटासिंहजी सांसद हैं जो किसी जमाने में गृह मंत्री, बड़े पावरफुल मंत्री थे और एस. सी. के हैं। उन बूटासिंह जी के गृह मंत्री काल में मेरे क्षेत्र पोलासया का एक हरिजन 25 वर्ष का नौजवान बंशीलाल को पुलिस घर से

(श्रीमती तारा भण्डारी)

पूछताछ के लिए उठाकर ले गयी । इतना मारा कि वह मर गया और मरने के बाद सड़क पर फेंक दिया और उसको जीप दुर्घटना, आत्महत्या बता दिया । सभापति महोदय, मेरे ही क्षेत्र का नाथा नट 32 साल की उम्र, बूटासिंहजी के ही कार्यकाल में जब वह गृह मंत्री थे, उस नाथा नट को मोदरा की पुलिस उठाकर ले गयी, उसके गुप्तांगों में लकड़िया डाल-डालकर उसको समाप्त किया, उसकी आंतें बाहर आ गयी। पुलिस ने और कुकृत्य क्या किया, उन नटों की महिलाओं को जाकर डराया, धमकाया कि सालियों तुमको भी सब को कोर्ट में बन्द कर देंगे ज्यादा जबान हिलायी तो। कह दो इसके पेट में दर्द था जो मर गया । ऐसे प्रभाव का उपयोग कांग्रेस ने किया और इन कांस्टेबलों और पुलिस अधिकारियों को सिखाया। यह परम्परा वहां से चली। इसलिए आज मेरे क्षेत्र का नैनमल रावल मारा गया, पेट में दर्द था, तकलीफ से कराह रहा था लेकिन वही कांस्टेबल जो इस कांग्रेस के जमाने में तानाशाही और नादिरशाही सीखते चले आ रहे है, दारू में घुत, नशे में घुत, उसको कहा क्यों रो रहा है, उसने कहा साहब, मेरे पेट में दर्द है किसी को जगा दो, मदद करा दो। तो कहा अच्छा बेटे तेरे को मुक्ति दे देते हैं। उसको लातों, घूंसों से मार-मार कर खतम कर दिया। सभापति महोदय, आज बड़े दर्द से यह बात कहनी पड़ती है, उसी समय रोहिड़ा बन्द हुआ। पुलिस ने इंक्वायरी भी की, 302 का मुकदमा भी कायम हुआ लेकिन सभापति महोदय, थानों में जो अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ जो बलात्कार पुलिस वाले करते हैं या पुलिस वालों के द्वारा जो अत्याचार किये जाते हैं इनकी अगर इंक्वायरी पुलिस ही करेगी तो उसका अन्त एफ. आर होगा। पिछले दिनों राजस्थान पत्रिका में छपा भी था, पुलिस थानों में अत्याचार होते हैं।

(16.00)

इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ किये गये सभी मामलों में पुलिस एफ. आर. लगा देती है। मैंने पत्र लिखकर गृह विभाग से पूछा था कि ऐसे कौन-कौन से मामले हैं जिन पर आपके विभाग ने एफ. आर. लगायी है। लेकिन गृह विभाग इस बात को चबा गया। मेरा आज इस सदन के माध्यम से यही सुझाव है कि हम कल्याणकारी राज की छवि पेश करना चाहते हैं, हम मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, हम गरीबों के हिमायती हैं, हम महिलाओं के हिमायती है, हम श्रमिकों दस्तकारों और राज्य के सभी अंगों के हिमायती हैं इसलिए राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए संवेदनशील को प्राथमिकता देते हुए इस राज्य को कल्याणकारी राज्य सिद्ध करना होगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : मैंने नहीं दिया, आपने छीन लिया। श्री भीमराज भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय सभापति महोदय, मैं, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर रखे गये

(श्री भीमराज भाटी)

धन्यवाद प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी बात कहना चाहता हूं। मेरे ख्याल में यह जो महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है। उसको किसी भी सरकार के पालिसी डाकूमेंट के रूप में अपन मान सकते हैं कि यह राजस्थान सरकार क्या करने जा रही है। उसके बारे में इसमें कुछ ब्यौरा होगा, कुछ संकल्प होगा या कुछ सम्भावनाएं होंगी लेकिन खेद है कि जिस गौरवशाली राजस्थान के हम निवासी हैं उस गौरवशाली राजस्थान के निवासियों की राजस्थानी भाषा है, उस राजस्थानी भाषा के बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में राजस्थान सरकार बिलकुल शान्त है। इसका मतलब क्या यह समझा जाय कि राजस्थान वासियों की जो राजस्थानी भाषा है उसको मान्यता दिये जाने के बारे में अभी तक राजस्थान ने कोई मानस नहीं बनाया है।

दूसरी बात, ये संवेदनशीलता की बात करते हैं। यह सरकार कितनी संवेदनशील है उसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। राजस्थान की राजधानी में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कल एक सवाल खड़ा किया था। वह भी संयोग से शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, माननीय गृह मंत्रीजी भी अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, माननीय सदस्य ने कल यहां सदन में कहा था कि उस अनुसूचित जाति के छात्र के साथ हुई वारदात को 70 घण्टे हो गये, अभी तक कुछ नहीं हुआ। माननीय गृह मंत्रीजी अनुसूचित जाति के हैं, माननीय सदस्य अनुसूचित जाति के हैं, सत्ता पक्ष के हैं और इस राजस्थान की राजधानी में उस छात्र की पिटायी हुई और उस छात्र की पिटायी करने वाले लोगों के साथ 70 घण्टे में क्या हुआ, मेरे ख्याल से आज तो उसके बाद 30 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। जब राजस्थान की राजधानी में किसी अनुसूचित जाति के पढ़े-लिखे छात्र की पिटायी की जा सकती है और उसके बाद भी कुछ नहीं होता है फिर यह सरकार कितनी संवेदनशील है, इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। मैं पिछली बार जब जीत कर आया था तब मैंने यह सोचा था कि राजस्थान विधान सभा में मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों के विकास की कोई बात होगी तो मैं कर पाऊंगा, उनके साथ कोई जुर्म होगा उसके बारे में कुछ बात कर पाऊंगा। मैंने पिछली बार इस सदन में एक एडजोर्नमेण्ट मोशन दिया था। उस एडजोर्नमेण्ट मोशन को अध्यक्षीय प्रक्रिया में नहीं लिया गया, कोई एतराज नहीं है लेकिन उस शिड्यूल्ड कास्ट के मेरे भाई को मारा गया और मार कर उसका आत्महत्या का मुकदमा बनाया गया। आज डेढ़ महीना हो गया लेकिन उसके बावजूद भी उस शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी के मारने वालों का कुछ पता नहीं किया जा रहा है और आज भी पुलिस उसी प्रक्रिया में चल रही है जिस प्रक्रिया मे पहले चल रही थी।

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार कितनी संवेदनशील है उसका आपको मैं एक और दृष्टान्त देना चाहता हूं। मैंने

(श्री भीमराज भाटी)

माननीय मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिखा था। माननीय मुख्य मंत्रीजी मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरे पाली जिले के दो नौजवानों की नेपाल पुलिस द्वारा हत्या कर दी गयी। मैं यहां भाई श्री घनश्याम तिवाड़ी और श्री रामेश्वरलालजी भाटी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस प्रकरण को उठाया लेकिन इस सरकार ने जवाब क्या दिया, वही घिसा-पिटा जवाब दिया कि केन्द्र सरकार से कुछ करेंगे। माननीय सभापतिजी, इस सरकार के नेता महोदय, जो मेरे जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको एक पत्र का जवाब देने का समय नहीं है। प्रधान मंत्रीजी ने मेरे पत्र का जवाब दे दिया, विदेश मंत्रीजी ने मेरे पत्र का जवाब दे दिया लेकिन इस सरकार की अभी तक आंख नहीं खुली है और केन्द्र सरकार पर डाल कर बैठी है। केन्द्र सरकार ने तो नेपाल पुलिस का जो दोषी थानेदार था उस थानेदार को भी सस्पेण्ड करवा दिया, उस हैड कान्स्टेबल को भी सस्पेण्ड करवा दिया लेकिन इस सरकार ने क्या किया। जो मेरे पाली जिले के दो नौजवान लोग थे, जिस जिले का नेतृत्व मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं, उन नौजवानों की विधवाओं को, उन नौजवानों के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को देखें तो किसी के भी आंख में आंसू आ जाय लेकिन उन लोगों के मुआवजे के लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। खाली सदन में बात कह दी कि हम भारत सरकार को कह रहे हैं, भारत सरकार को लिख रहे हैं। क्या इसी को संवेदनशीलता कहते हैं और क्या यही संवेदनशीलता का नमूना है?

कल सदन में जुगताराम का गुप्तांग काटने के बारे में हुई बहस को सुन रहा था। सदन में बहस हुई, माननीय गृह मंत्रीजी ने बहुत अच्छा जवाब दिया और बहुत अच्छी बातें कहीं लेकिन डेढ़ महीने के बाद इतना हीनस क्राइम होने के बाद राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी जागते हैं और उस थाने के बारे में घोषणा करते हैं कि इन सरकारी कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा या बदल दिया जाएगा। तो क्या इससे ज्यादा कोई घोर अपराध कर सकता है जिस पुलिस के थाने के कर्मचारियों को बदलने के लिए डेढ़ महीने का समय लगेगा। संवेदनशील सरकार थी तो अखबार में न्यूज आ गई, अखबारों में न्यूज पढ़ ली थी, सारी बातें आ गई थीं कि एफ. आई. आर. लागू की जा रही थीं एफ. आई. आर. दर्ज की जा रही थी। अगर संवेदनशील सरकार होती तो मैं कहता हूं कि डेढ़ महीने का समय नहीं लगता, सदन का बहुमूल्य 4 घण्टे का समय व्यतीत करने के बाद फिर घोषणा की गयी। माननीय गृह मंत्रीजी पहले ही कह सकते थे, कि इनको मैं हटा देता हूं, यह दो मिनट का काम था। यही संवेदनशीलता है क्या?

दूसरा, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत अच्छी बातें भी हैं, उन अच्छी बातों की मैं तारीफ भी करता हूं। मैंने

(श्री भीमराज भाटी)

माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था कि 31 मार्च तक ओ. बी. सी. के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस अनुसार आप कर दीजिये। उन्होंने कर दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और आपकी इस सरकार को। माननीय श्रीमती ताराजी ने यह बात कही कि टेल एण्ड पर किसानों के पानी पहुंचे, वह भी आपकी अच्छी बात है लेकिन जिन किसानों की भलाई की आप बात करते हैं उनके लिए, पर राजस्थान सरकार की सिंगल पोल की स्कीम है, सर्विस लाइन की स्कीम है, आप सिंगल पोल में किसानों से पैसा ले रहे हैं और जबरदस्त राशि ले रहे हैं। सर्विस लाइन में आपका खर्चा कुछ लगता नहीं है फिर भी आप किसानों से पैसा ले रहे हैं। यह किसान की मजबूरी है इसलिए आपको वह पैसा दे रहे हैं लेकिन जिस काश्तकार ने पैसा दे दिया, सिंगल पोल की स्कीम है या जो सर्विस लाइन की स्कीम है यह तो अनरेस्ट्रिक्टेड कर दीजिये, आपको इसमें क्या तकलीफ है। जब काश्तकार ने आपको पैसा दे दिया है, सिंगल पोल की स्कीम में आपको काश्तकार 9,500 रुपये देता है फिर आप इस स्कीम को अनरेस्ट्रिक्टेड क्यों नहीं कर देते हैं? मेरी पंचायत समिति में कितना टार्गेट दिया? जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है, मरुस्थलीय है, वहां कुओं में जरा सा पानी है लेकिन टार्गेट कितना दिया? 9 का। तो 9 का टार्गेट देकर आप क्या पूरे विधान सभा क्षेत्र में, पूरी रोहित पंचायत समिति के कम से कम 99 गांव हैं उन 99 गांवों में 9 ही कुएं हैं। यह जो आपका सोच है उस सोच को अनरेस्ट्रिक्टेड कर दीजिए। सिंगल पोल है, सर्विस लाइन है और जब आप किसान से पैसा लेने में ही लगे हुए हैं और किसान अपनी गर्ज से दे भी रहे हैं तो उसमें यह सरकारी कानून और सारी सरकारी लालफीताशाही के बीच में क्यों टार्गेटस वगैरह दे रहे हैं।

दूसरी बात, मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आपका बजट आने वाला है, और उस बजट में काश्तकारों के 10 हार्स पावर के पम्पिंग सेट्स जो विद्युत कन्ज्यूम कर रहे हैं उन 10 हार्स पावर के पम्पिंग सेट्स का बिल मेहरबानी करके सरकार भरे। कर्नाटक सरकार ऐसा ही कर रही है। काश्तकारों के कुएं जिनका वाटर टेबल ऊंचा है वहां 5 हार्स पावर का बिल भरती है। कर्नाटक सरकार भरती है, महाराष्ट्र सरकार भरती है, तमिलनाडु सरकार भरती है, आन्ध्र प्रदेश सरकार भरती है, हिन्दुस्तान के अन्तिम छोर की राज्य सरकारें किसानों के 5 हार्स पावर के पम्पिंग सेट्स का बिल भर सकती है तो राजस्थान में तो चूंकि वाटर टेबल नीचा है, आप किसानों की सेवा करना चाहते हैं, उस गरीब को गणेश मानकर मदद करना चाहते हैं तो क्यों नहीं जिन किसानों को आपने 10 एच. पी. तक के विद्युत कनेक्शन दे रखे हैं, उनके बिल अपने ऊपर लेने की जिम्मेदारी लेते। आपके लेने से कई गरीब लोगों को फायदा होगा और जिस गरीब को आप वास्तव में गणेश मान रहे हैं, वह भी सोचेगा घर में बैठे-बैठे कि मेरे लिए सरकार ने कुछ किया है।

(श्री भीमराज भाटी)

दूसरी बात सभापति महोदय, मैं इस सदन को पूरे विश्वास के साथ यह कह देना चाहता हूं कि अकाल राहत के कामों में पूरी तरह से भेदभाव बरता जा रहा है। मुझे राजस्थान के अन्य जिलों का पता नहीं है। आज सुबह ही यह कह रहे थे कि मजदूर नहीं आते, मैं कहता हूं मजदूर काम पर आने को तैयार हैं। जहां तक मेरे पाली जिले का सवाल है पाली जिले के लिए आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में लिख दिया कि अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं और पाली जिले में माननीय मुख्य मंत्री महोदय के विधान सभा क्षेत्र में 19 अधूरे पड़े कार्यों को खोला गया, जबकि और किसी भी विधान सभा क्षेत्र में कोई भी अधूरा काम नहीं खोला गया, क्यों? क्या यह भेदभाव की नीति नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि बाली में विकास मत कराइये। मैं कहता हूं बाली में ही नहीं, पूरे राजस्थान में विकास की गंगा बहाइये लेकिन यह तरीका नहीं है कि आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जिले में आप इतना असंतुलन कायम कर दें कि उस असंतुलन की वजह से लोगों को यह महसूस होने लग जाय कि हमने कोई गलती की है बाली के बाजू में दूसरे इलाके भी हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

देसूरी का भी है, सुमेरपुर का भी है। कम से कम एक जिले में तो समग्र दृष्टिकोण रखकर विकास की बात कीजिए। आप जब पूरे राजस्थान में विकास की गंगा बहाना चाहते हैं तो कम से कम एक जिले के समग्र विकास की बात आपके दिमाग में तो हो, सारा राजस्थान एक सरीखा होना चाहिये। मैं आपका अधिक समय नहीं लेकर एक बात और कहना चाहूंगा कि जो कृषि उपकरणों पर टैक्स की नीति है, उस नीति में बहुत असामंजस्य है। उन उपकरणों के ऊपर जो टैक्स लगता है, सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पिग सैट के ऊपर टैक्स लगता है, सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पिग सैट से आपको कितनी रेवेन्यू मिलती है? आप बजट पेश करने जा रहे हैं, उसका पता कर लीजिये। सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पिग सैट पर टैक्स आप लगा रहे हैं, आयल इंजन पर पर टैक्स ले रहे हैं ढाई प्रतिशत, सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पिग सैट पर टैक्स ले रहे हैं ढाई प्रतिशत और आयल इंजन के जैसे छोटे-छोटे पुर्जे हैं, इंजन तो है 10,000 रुपये का, उस पर तो ले रहे हैं ढाई प्रतिशत टैक्स और जो छोटे पुर्जे हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के पुर्जे हैं उस पर आप ले रहे हैं 12 प्रतिशत टैक्स। आपका जो ट्रैक्टर है, उस पूरे पर जितना टैक्स है, ट्रेक्टर के पुर्जे पर उतना ही टैक्स है जितना पूरे ट्रैक्टर पर है। जो आयल इंजन पर टैक्स है, क्यों नहीं उस आयल इंजन पर टैक्स को, उसके पुर्जे के ऊपर भी समान रूप से लागू कर दिया जाय, नहीं तो आपको जो रेवेन्यू मिल रही है वह ही मिल रही है और अगर आपका टैक्सेंन का रेशनल स्ट्रक्चर होगा, अगर एक सरीखा टैक्स का ढांचा होगा और भारत सरकार ऐसा सोच रही है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री भीमराज भाटी)

...और आपका भी सोच है, आपको जितनी रेवेन्यू बढ़नी चाहिये, उतनी मिल रही है। टैक्स घटाने-बढ़ाने में आपकी रेवेन्यू में....

श्री सभापति : समाप्त कीजिये कृपया।

श्री भीमराज भाटी : तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, एक बात और कह देना चाहता हूं, फिर बैठ जाऊंगा, मैं आधा मिनट ही लूंगा। यह राजस्थान की सरकार संवेदनशील होने का तो दावा करती है लेकिन लिखित में झूठ बोलती है! मैं यह बात इसलिए कह सकता हूं कि मुझे कल कृषि राज्य मंत्रीजी का लिखित में जवाब मिला कि आपके विधान सभा क्षेत्र डाबर में डामरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, और लालकी में साढ़े तीन किलोमीटर डामरीकरण का काम हो चुका है और शेष डेढ़ किलोमीटर में डामर का काम चल रहा है। मैं कल सुबह ही यहां आया हूं, कल सुबह मुझे जवाब मिला है और संयोग से, बिल्कुल संयोग से, मैं परसों ही उन दोनों गांवों में गया हूं। न तो डाबर में सड़क को जोड़कर पूरा किया गया है और न लालकी में किसी तरह का काम चल रहा है। तो यह राजस्थान की सरकार पता नहीं संवेदनशील तो कितनी है लेकिन लिखित में झूठ बोलती जरूर है, यह बात मैं दावे के साथ सरकार को कह सकता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : बिराजिये। धन्यवाद। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इस सदन में माननीय सदस्य श्री टीकमचन्द जी कान्त द्वारा प्रस्तुत किये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए इस सदन में खड़ा हुआ हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, इस अभिभाषण को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, एक के बाद एक पैरेग्राफ पढ़ता गया तो आशा की किरण नजर आई, ऐसा महसूस हुआ ...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वास्तव में नजर आई आशा की किरण ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : ऐसा महसूस हुआ, मान लो, लम्बी अमावस की रात बीतने के बाद सुनहरी भोर आने वाली हो। जब यह पढ़ा कि प्रदेश की जनता को त्वरित विकास और स्वच्छ एवं संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने की सरकार की मंशा है और इससे भी उल्लेखनीय बात है कि सरकार ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से यह स्वीकार किया है कि इस प्रकार की व्यवस्था मांगने का जनता का अपना अधिकार है। अब तक जो कुछ किया गया है जनता के लिए, उसे जनता को गरीब मानकर किया गया है, एक दया मानकर किया गया है। जैसे हम देने वाले हैं, जनता लेने वाली है और हम उन पर एहसान कर रहे हैं। यह पहली बार स्वीकार किया है इस सरकार ने कि इन सब पर जनता का स्वाभाविक अधिकार है और वह अधिकार जनता को प्रदान करते हुए हम अपने कर्त्तव्य की पूर्ति मात्र कर रहे हैं। एक उल्लेखनीय बात है कि

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

स्वच्छ और संवेदनशील प्रशासन देना, मंशा प्रकट करना बहुत आसान है पर देना बहुत मुश्किल। प्रशासन का जो ढांचा बन गया है पिछले 47 वर्षों में इस प्रान्त का और इस देश का, उसमें कोई जादू का डण्डा ऐसा नहीं है कि रातों-रात सुधार हो जाय। इस सुधार की भी हमारी मंशा है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। हमने अपने पहले कार्यकाल में माननीय शेखावत साहब के नेतृत्व में ऐसे प्रयास किये भी हैं। उनके उल्लेखनीय परिणाम सामने आये हैं।

मैं उल्लेख करना चाहूंगा, सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया जो पहले थी चार साल पहले, इन चार सालों में उस प्रक्रिया में रात-दिन का अन्तर आ गया है। अब किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए सिफारिश नहीं ढूंढनी पड़ती. पैसों के लिफाफे, हरे नोटों के लिफाफे लिये हुए नहीं घूमना पड़ता। अब एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत सारी भर्ती होती है। पटवारियों की भर्ती हुई है, वैद्यों की भर्ती हुई है पिछली सरकार के समय में अध्यापकों की भर्ती हुई है, समाज कल्याण विभाग में भर्ती हुई है, महिला बाल कल्याण विभाग में भर्ती हुई है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई शिकायत ऐसी नहीं आयी जिससे यह महसूस हुआ हो कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या अनियमितता हुई है या पक्षपात हुआ है। किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं और कोई अन्य प्रकार के साधन अपनाने की आवश्यकता नहीं। जो योग्य हैं उसको नौकरी मिलेगी, उसको अवसर मिलेंगे। यह स्वच्छ प्रशासन देने की दिशा में माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब का पहला कदम था और आज सफल हुए हैं, निश्चित रूप से उसके लाभ और सुफल, सुपरिणाम अब दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पिछले कई सालों में हजारों लोग, धोखेबाज लोग अध्यापकों की नौकरी ले गये फर्जी डिग्री के आधार पर। मैं उल्लेख करना चाहूंगा, पिछली सरकार के समय में यह मुद्दा मेरे द्वारा ही विधान सभा में उठाया गया था और यह भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि 1987 में भी यह मुद्दा उठा था, इसी विधान सभा में उठा था, उस समय उठा था और दब गया। 1992 में उठा, कार्यवाही हुई और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फर्जी डिग्री खरीद कर नौकरी प्राप्त करने की जो परम्परा थी वह अब समाप्त हो गयी है। अब फर्जी डिग्री बेचने वाले मुंह छिपाते घूम रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि फर्जी डिग्री लेने वालों के खिलाफ कार्यवाही पर्याप्त हुई है, आगे भी हो रही है, यह बहुत प्रसन्नता का विषय है। परन्तु जिन लोगों ने फर्जी डिग्री सप्लाई की, बेची, मैनेज की, वे लोग अभी अछूते बैठे हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। भोले-भाले ग्रामीण युवकों को उन्होंने धोखा दिया है, वरगलाया है और उसके कारण सरकार के सामने अजीब स्थिति पैदा हुई है। उनको भी सजा मिलनी चाहिये, उनकी भी पहचान होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये। यह मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो अभाव अभियोग निराकरण समितियां, सतर्कता समितियां जिलों में काम कर रही हैं, इनके माध्यम से निपटारा तेजी से हो रहा है। उन मीटिंगों में भाग लेते समय मुझे महसूस हुआ है कि अभी इसको और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है. उनको और अधिकार दिये जाने चाहिए ताकि उनकी मामलों को निपटाने की गति और बढ़े। ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए, यह मेरा निवेदन है। जब स्वच्छ प्रशासन देना है, संवेदनशील प्रशासन देना है तो जैसा इस अभिभाषण में उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से 3 विभागों का उल्लेख किया गया है जलदाय विभाग, चिकित्सा विभाग और ऊर्जा विभाग, निश्चित रूप से इन तीनों विभागों में अधिक आवश्यकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी जगह आवश्यकता नहीं है परन्तु यह तीन विभाग ऐसे हैं जिनका जनता से सीधा सम्पर्क है, रात-दिन इनसे काम पड़ता है। यहां संवेदनशीलता बहुत आवश्यक है। दुर्भाग्य से यह विभाग ऐसे हैं जहां संवेदनशीलता में लगातार न्यूनता आयी है, कमी आयी है।

मैं विशेष रूप से चिकित्सा विभाग का उल्लेख करना चाहूंगा। कोई जमाना होता था, चिकित्सक लोग मुझे क्षमा करें, माननीय सदस्यों में भी कई चिकित्सक विराजमान हैं, जो सेवा की भावना चिकित्सकों में हुआ करती थी। वह वर्तमान चिकित्सकों में बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं यह नहीं कहता कि बिलकुल समाप्त हो गयी है परन्तु बहुत कम लोगों में मिल रही है। उन लोगों में सेवा की भावना नहीं रही। अब वह भी जैसे 10 बजे दफ्तर आ गये, 5 बजे चले गये उस रूटिन के आदी होते जा रहे हैं और समय निकालने तथा हाजरी पूरी कर लेने और उसके बाद मरीजों को देखने की जरूरत पड़ी तो उनको घर पर बुला लेना और निजी चिकित्सक के रूप में सारे प्रतिबंधों के बावजूद धड़ल्ले से यह सब करना आम बात हो गयी है। इस बात को कैसे रोका जाय, कैसे उनमें मानवीय सेवा की भावना बढ़ायी जाय इसके प्रति भी हमको प्रयास करने होंगे।

विद्युत मण्डल की तो इससे भी ज्यादा हालत खराब है। 5-7 साल पहले हमारे गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि डाक घर और विद्युत विभाग, यह दो विभाग ऐसे थे जो ईमानदार लोगों के विभाग माने जाते थे। यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कोई 5–10 साल पुरानी बात होगी। लेकिन इन दस सालों में वहां भी बेईमानी के बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित हुए हैं और लगातार एक के बाद एक इंजीनियर्स भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा रंगे हाथों पकड़े भी गये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही भी हुई है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की जड़ें उस विभाग में इतनी गहरी पैठ गयी हैं कि उन्हें जड़-मूल से निकालना कठिन तो होगा पर निकालना आवश्यक है और उसके लिए योजनाबद्ध प्रयास करने होंगे। सरकार को योजन ाबद्धकार्य करना होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : समय दौड़ता है, अपने हाथ में नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं निवेदन करना चाहूंगा, विशेष रूप से डंकल प्रस्तावों का यहां बहुत उल्लेख हुआ है, पक्ष और विपक्ष सबकी तरफ से। परन्तु डंकल प्रस्ताव पर एक ऐसा मुद्दा है जिसको अभी तक इस सदन में छुआ नहीं गया है, मैं उस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। रिपीटिशन करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, आदत भी नहीं है। राजस्थान पत्रिका में 26 फरवरी को संपादकीय छपा है। हैडिंग है "जड़ी-बूटियों का पेटेंट जरूरी"। मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़कर सुना रहा हूं। "राज्यसभा में 23 फरवरी को प्रश्नोत्तर काल में एक सदस्य ने यह मांग की कि सरकार को हमारी आयुर्वेद औषधियों का पेटेंट कर लेना चाहिए अन्यथा भारत को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आयुर्वेद भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और आज दुनिया के देशों का ध्यान इसकी गुणवत्ता की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हम पेटेंट कानून के अन्तर्गत हमारी मूल औषधि तथा उनके निर्माण की प्रक्रिया का पेटेंट करा लें। अन्यथा विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इसका लाभ उठाकर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में बाधा पैदा करेगी और हम देखते रहेंगे।" खेद की बात है कि महत्वपूर्ण पूरक प्रश्न पर सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गयी। केन्द्र की सरकार गैट के सामने + + + चुकी है, वह तो सरेण्टर हो चुकी है। उससे कुछ आशा करना निरर्थक है लेकिन इस सदन से मैं आशा करता हूं विशेष तौर से आयुर्वेद के बारे में, क्योंकि राजस्थान पूरे देश में एकमात्र प्रान्त है जहां आयुर्वेद के लिए पृथक मंत्रालय है, जहां आयुर्वेद के लिए अलग से मंत्री है। अन्य किसी प्रान्त में, यहां तक कि केन्द्र में भी ऐसा महत्वपूर्ण स्थान आयुर्वेद को नहीं दिया गया है। इसलिए आयुर्वेद के बारे में सोचने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर आती है। इसलिए हमें इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए और हमारा आयुर्वेद विभाग इस दिशा में जो कुछ कर सकता है वह निश्चित रूप से उसे त्वरित गति से करना चाहिए। अभी पिछले कुछ महीनों से लगातार अखबारों में कुछ आर्टिकल आ रहे हैं। नीम का पेटेंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा होगा। इसी प्रकार से हल्दी, धनिया, पुदीना और अदरक का पेटेंट हो गया तो उसके बाद हमारी रसायनशालाओं उनका उपयोग नहीं कर सकेंगी। ऋषि-मुनियों के समय से जो हमारी परम्परा चली आ रही है दवा निर्माण की, वह रस और रसायन की परम्परा बंद हो जायेगी। यदि उसका पेटेंट हो गया तो उसका उपयोग नहीं कर पायेंगे, उनका निर्माण नहीं कर पायेंगे। बहुत चिन्ताजनक स्थिति पैदा होने वाली है और इससे आयुर्वेद पद्धति चौपट होने वाली है। आयुर्वेद पद्धति का भविष्य नष्ट होने वाला है, ऐसी मुझे आशंका है। एक कदम केन्द्र सरकार और बढ़ा चुकी है इसको नष्ट करने की दिशा में। आयुर्वेद की जो प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा होती है उसमें संस्कृत की अनिवार्यता को समाप्त करके विज्ञान विषय की अनिवार्यता कर दी है। उसके कारण यह होने जा रहा है कि संस्कृत पढ़े हुए व्यक्ति आयुर्वेद में प्रवेश नहीं ले पायेंगे।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गए।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

जीव विज्ञान बहुत जरूरी चीज है। उसको जानने वाला व्यक्ति आयुर्वेद में आये तो अच्छा होगा लेकिन संस्कृत को हटाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी यह मान्यता है कि संस्कृत के ज्ञान के बिना आयुर्वेद को समझना इस दुनिया में असम्भव बात है और इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हो चुकी है।

दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह और भी हो गयी डंकल प्रस्तावों के द्वारा कि हमारे यहां की परम्परागत दवाइयां विदेशों में पेटेंट हो गयी तो हमारे सामने, हमारी पद्धति के सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। यह एक चिन्ता का विषय हमारे सामने है। सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पहल करें और हमारा आयुर्वेद विभाग इस पर कुछ उल्लेखनीय कार्य करे।

अभी पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य कुछ उदाहरण दे रहे थे, संवेदनशील सरकार के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। भ्रष्टाचार के मामले का उन्होंने जिक्र किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले एक साल यानि 15 दिसम्बर, 92 से 4 दिसम्बर, 93 तक जो कार्यकाल गया, उस कार्यकाल के दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा जिसमें भ्रष्टाचार की स्पष्ट बू आती है, स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचारियों को बचाने की बू आती है। एक उदाहरण है डा. जे. पी. गुप्ता का। यह नगर परिषद्, अजमेर में स्वास्थ्य अधिकारी हैं। उनको रंगे हाथों भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा पकड़ा गया, सस्पेंड किया गया और सस्पेंड करने के दूसरे ही दिन उनको बहाल कर दिया गया। जयपुर से उन्हें बहाल करने के आदेश जारी हुए।

दूसरा उदाहरण भी नगर परिषद्, जोधपुर का है। बी. डी. सोलंकी वहां विधि अधिकारी हैं। इनको रंगे हाथों पकड़ा गया। तीन महीने तक सस्पेंड रहे और तीन महीने निलम्बित रहने के बाद अगस्त या सितम्बर, 1993 की बात है उनको भी बहाल कर दिया गया। सामान्यतया इस विभाग द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद कई-कई सालों तक सस्पेंड रहते हैं और यह प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होती, जब तक यह निपट न जाये तब तक कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसके बावजूद उनको वापस बहाल कर दिया गया। इस तरह के उदाहरण अगर ढूंढने जायेंगे तो हजारों मिल जायेंगे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इस तरह के काम जहां और जिस कार्यकाल में हुए हैं उस कार्यकाल के समर्थन में लोग भ्रष्टाचार पर उंगली उठायें, यह बड़े आश्चर्य की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बारे में जो घोषणा इस अभिभाषण के माध्यम से की है वह निश्चित रूप से आशाजनक बात है एवं उत्साहजनक बात है इस तबके के लिए और शिक्षा स्वावलम्बन योजना इसमें दी गयी है उसमें जो 4 हजार ग्राम

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले हैं, मेरा निवेदन है सरकार से कि इनको शीघ्र से शीघ्र लाभान्वित करने के लिए समयबद्ध योजना बनाई जाये। एक समय सीमा निर्धारित की जाय कि दो साल के अन्दर-अन्दर इन चार हजार गांवों को जैसी हमारी योजना है, जैसी हमारी कल्पना है, वैसा स्वरूप प्रदान कर देंगे और इसके बाद इस प्रतिशत को नीचे लाना चाहिए, पचास प्रतिशत हमारे एक साल में जायें····

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उसके बाद चालीस प्रतिशत वाले, फिर तीस प्रतिशत वाले, इस प्रकार से क्रमबद्ध हमको आगे बढ़ कर इसको लागू करना चाहिए। इसके अलावा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो ओ. बी. सी को 21 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है वह भी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। इन सब बातों को मिलाकर और भी बहुत सारी बातें हैं माननीय सभापतिजी, पर समय की कमी है····

श्री सभापति : माननीय श्री घासीरामजी यादव।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं कुल मिलाकर यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक आशा की किरण इस अभिभाषण ने जगाई है और निश्चित रूप से यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि, उल्लेखनीय कदम इस राजस्थान के विकास की दिशा में होगा, ऐसी मेरी आशा है। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री घासीराम यादव (मुण्डावर) : सभापति महोदय, प्रजातंत्र या जनतंत्र की की कई परिभाषाएं हैं। सबसे अच्छी परिभाषा आज तक अब्राहम लिंकन ने लिखी है–'Government of the people, by the people and for the people.' यह जो सरकार बनी है, वह गवर्नमेंट आफ दी पिपल नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सुजानसिंहजी, आपके लिए है। आप ध्यान से सुनो।

श्री घासीराम यादव : क्यों? सीधी सी बात है कि जो कमल का फूल था, सिम्बल था उस पर 95 माननीय सदस्य जीते हैं। उसके बाद तो जोड़-गांठ कर सरकार बनी है और 95 के अलावा जो आ रहे हैं यह निर्दलीय हैं। निर्दलीय में कुछ तो हमारे साथ कांग्रेस में आ गये, कांग्रेस में ही थे और जिनमें से ज्यादातर, बल्कि एक-दो को छोड़कर सारे कांग्रेसी बैकग्राउंड के लोग हैं। दिमाग और दिल से साम्प्रदायिक भावना के खिलाफ हैं यह लोग। इन्होंने जलसे किये हैं। माननीय सुजानसिंहजी ने बहरोड़ में जलसे किये हैं कई बार, कि मेरे खून की बूंद-बूंद जब तक शरीर में रहेगी, मैं साम्प्रदायिक भावनाओं से लड़ता रहूंगा। आज भी उनके दिमाग में यह है····(व्यवधान)

श्री सभापति : डिस्टर्ब नहीं कीजिये। आर्डर प्लीज।

श्री घासीराम यादव : टोका-टाकी नहीं। और यह हमारे दूसरे डाक्टर रोहिताश्व कुमार बने हैं जो न डाक्टर हैं, न शर्मा हैं। डाक्टर रोहिताश्व कुमार शर्मा लिखते हैं। सुजानसिंह जी उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। यह तो यूथ कांग्रेस के भी वाइस प्रेसीडेंट रहे हैं। दो बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े हैं। इनके दिमाग में····

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके नहीं चाहने के बाद जीत कर आये हैं।

श्री घासीराम यादव : बीच में क्यों टोकते हो आप, सचेतक होकर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो यह कह रहा हूं आपके नहीं चाहने के बाद भी जीत कर आये हैं।

श्री घासीराम यादव : बाद में सवाल करो।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, टोकें नहीं बीच में कृपया। (व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदय, अब देखिये, सही बात कहना कितना बुरा लगता है।

श्री सभापति : बोलने दीजिये, बोलने दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) **:** इसमें आपको क्या तकलीफ हो गई, यह बताओ आप तो।

श्री घासीराम यादव : मैं सुनूंगा ही नहीं आपकी बात। मैं बाद में सुनूंगा। आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते सच्ची बात, सच्ची बात बुरी लगती है। यह लोग, दो आदमियों को छोड़ कर, दो के लिए तो मैं कहूंगा कि उनका बैकग्राउंड बी. जे. पी. का था और बाकी सब कांग्रेस के हैं। कोई मेनीफेस्टो था इनका···· (व्यवधान) सभापति महोदय, मेरी रक्षा कीजिये आप, यह क्या बात हुई।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) **:** कांग्रेस ने इनको टिकट ही नहीं दिया····(व्यवधान)

श्री सभापति : कोई बात नहीं। यह सब जानते हैं। व्यवधान न डालें। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री कालीचरण सराफ : यह तो निर्दलीय जीत हैं, कांग्रेस के विरोध में जीते हैं, यह कोई बात है। कांग्रेस को हरा कर जीते हैं। रिश्तेदारों को देखो आप और इन पर दोष डालो।

श्री सभापति : माननीय घासीरामजी। कृपया विराजें कालीचरण जी।

श्री घासीराम यादव : मैं यह कहना चाहता हूं साहब, निर्दलीय जो लोग आये थे उनमें जो हमारी तरफ आ गये, हमारी कांग्रेस पार्टी से उनका मेल खाता था, हमेशा साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ते थे, वह तो सही आये हैं और जो इधर गये

(श्री घासीराम यादव)

हैं वह निर्दलीय नहीं, वह + + + हैं। उनको निर्दलीय नहीं कह सकते। गये हैं, साथ गये भाजपा की गवर्नमेंट में चले गये, यह तो सत्य बात है। वह + + + हैं, डिफेक्टर्स हैं··· (व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय सदस्य, + + + तो तब कहते ...

श्री कालीचरण सराफ : आपने सुजान सिंहजी को पैसे का लालच दिया, वह लालच में आये नहीं। आपने तो लालच दिया था कि इतने लाख रुपये ले लो, कांग्रेस के साथ आ जाओ और यह आये नहीं आपके लालच में।

श्री घासीराम यादव : आप ज्यादा साफ करवाना चाहते हो क्या ?

श्री कालीचरण सराफ : हां, आप करो, बिल्कुल करो।

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री कालीचरण सराफ : अपनी राह पर किया था इनको और इन्होंने मना कर दिया।

श्री घासीराम यादव : सुनिये।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री घासीराम यादव : सुनिये, मैंने कहा था। सुनो सही अब। मैंने कहा था। उसने कहा—मैं ट्रान्सपोर्ट लूंगा और सुजान सिंहजी को को-आपरेटिव दिलवाऊंगा। जो लोग आपके साथ आये हैं उन्होंने महकमे छांट कर लिये और दूसरे को इतना दिलाया, वह एक करोड़ रुपये से कम की बात है क्या। कितनी है ट्रांसपोर्ट में आमदनी, आप हिसाब लगाओ, पांच लाख रुपये महीने की आमदनी है ट्रांसपोर्ट में....

श्री कालीचरण सराफ : आपने एक करोड़ की बात तो कही है, यह मानो पहले।

श्री घासीराम यादव : यह जो मोटरें, कल आप कह रहे थे, इन सब के पैसे बंधे हुए हैं, उनका जवाब नहीं दे पाये। यह लोग + + + हैं, इनके साथ सरकार नहीं चला सकते आप....(व्यवधान).....कामन प्रोग्राम होना चाहिये। देश विदेशों में भी है, जहां-जहां प्रजातन्त्र है ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह आपको शोभा नहीं देता, आप तो अपनी बात करो। यह बात कहती आपको शोभा नहीं देती।

श्री घासीराम यादव : सब जगह एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, कोएलीशन गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका कामन मेनीफेस्टो होता है। उनका मेनीफेस्टो क्या था ? इन निर्दलियों का क्या

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री घासीराम यादव)

मेनीफेस्टो था ? सुजानसिंह जी का क्या था, कि मुझे बनाओ. बीस-बीस लाख रुपये इन्होंने खर्च किये हैं, यह + + +। यह निर्दलियों को नहीं है. यह आपके साथ नहीं चल पायेगी....(व्यवधान)....अब मेरी बात को वह करवा रहे हो। निर्दलियों को कानून ने इतना छोटा माना है, इतना महत्वहीन माना है कि यह मर जायें तो चुनाव नहीं रुकता। इनके मरने पर चुनाव नहीं रुकता लेकिन यहां इन्होंने अच्छे-अच्छे पोर्टफोलियो लिये हैं, इनको हटा नहीं सकते आप। यह आपकी राजस्थान पत्रिका ने लिखा था। जो आपकी राजस्थान पत्रिका है उसने भी लिखा था कि निर्दलियों की सरकार है....

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : यह बोल किस पर रहे हो आप....(व्यवधान)....

श्री भीमराज भाटी : सभापति जी, मैं मेरा ज्ञानवर्द्धन करना चाहता हूं....

श्री घासीराम यादव : आपको सच्ची बात कड़वी लगती है।

श्री भीमराज भाटी : माननीय सभापति जी, मैं मेरा ज्ञानवर्द्धन करना चाहता हूं कि निर्दलियों के मरने से तो चुनाव नहीं होते, वह तो चुनाव के पहले की बात है—

श्री घासीराम यादव : चुनाव रुकते नहीं। रुकते नहीं। यह कानूनी बात है।

श्री भीमराज भाटी : अब चुनाव के बाद कोई मर जाय, उसका क्या होगा ?

श्री घासीराम यादव : मैं यह बात सुन नहीं रहा हूं। इसलिए माननीय सभापति जी, फिर + + + भैरोंसिंहजी को बुरा लगता है, अखबार वाले ने लिख दिया—खरीदा गया, बंद किया गया। क्यों नहीं खरीदा गया। पैसे नहीं दिये, मिनिस्ट्री दे दी। पहले ली, + + + के साथ। हां, ऐसा दिल्ली में भी हुआ है, छह महीने बाद हुआ है। आप इनको छह महीने हटा दो, अगर आपके साथ रहें तो। यह तो कांग्रेसी लोग हैं, यह तो भाग कर आ जायेंगे। इसलिए यह जनादेश की सरकार नहीं है, पहले भी नहीं थी। पहले जो जनता दल (दिग्विजय सिंह) बनी थी वह भी नहीं थी, जनता का जनादेश नहीं था. मैं साफ कहना चाहता हूं। इसीलिए वह सब लोग हारे........(व्यवधान)....अब यह बोलने ही नहीं देते। मेरी मदद कीजिये आप। मेरी बात सुनें आप। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, सवाल भी कर लेना। पहले जो चुनाव हुए थे, जनता ने यह समझ कर कहा था, वोट दिया था वह सही था कि जनता दल....(व्यवधान)....अब यह बोलने ही नहीं देते। पहला चुनाव हुआ वह भी सुनिये। पहला चुनाव बिल्कुल सही हुआ था। उस समय लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल राज करे। वह राज तो सही था। फिर दिग्विजय सिंह को लेकर, कहां है दिग्विजय, कहां है दिग्विजयसिंह की पार्टी, क्या जनता का आदेश था कि

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घासीराम यादव)

दिग्विजयसिंह के साथ सरकार चलायें और इसीलिए वह सारे हारे....

श्री गुरजन्ट सिंह (संगरिया) : आप क्यों साथ लाये उनको ?

श्री घासीराम यादव : और यही हश्र इनका होगा। यह जो आप इन लोगों का शोषण कर रहे हैं, भैरोंसिंह जी, हमारे कांग्रेसी, इनको रास्ता दिखता नहीं है, इतिहास से सबक नहीं लेते हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : घासीराम जी, आपकी संख्या कितनी है ?

श्री घासीराम यादव : शुद्ध करना है राजनीति को, तो वह लोग इस्तीफा दें; चुनाव लड़े भाजपा के साथ, भाजपा के सिम्बल पर चुनाव लड़ें। यह सुजानसिंह जी हैं, इनको कितने वोट आये हैं, बीस प्रतिशत वोट आये हैं, अस्सी प्रतिशत खिलाफ हैं। अगर यह चुनाव लड़ें तो मैं इस्तीफा देकर इनसे लड़ने को तैयार हूं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : घर ही घर में क्यों लड़ते हो।

श्री घासीराम यादव : साफ तो हो जाये कि जनता कितना चाहती है।

एक माननीय सदस्य : आप इस्तीफा देओ पहले।

श्री घासीराम यादव : भैरोंसिंह जी ने कहा कि दुबारा चुनाव न हो। कुछ लोग बूढ़े-बूढ़े मेरे पास आये, उन्होंने सही बात कही कि हम 95 ही जीते और इन्होंने, तिवाड़ी जी ने भी सही बात की कि बारह महीने इनको नहीं बनाना चाहिए, रिकार्ड में है यह तो। हम कहते हैं कि चुनाव मत करो लेकिन इसका सबसे अच्छा रास्ता है भैरोंसिंहजी राज दे दें कांग्रेस को; तब तो सही चलेगा, यह हमारी तरफ आ जायेंगे सब, इनकी कीमत होगी, उनकी कीमत हम भी दे देंगे, थोड़ी देंगे, थोड़ी नहीं देंगे। इनको दे देना चाहिए, भैरोंसिंह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए....(व्यवधान).... और भैरोंसिंह जी को इस्तीफा इसलिए भी दे देना चाहिए कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, हिन्दुस्तान की किसी राज्य सरकार में कि उसके तीन चौथाई मंत्री हार गये हों। 38 में से 33 हार गये, 34 हार गये, सिर्फ चार मंत्री जीते। बताइये। यह भी नैतिकता का प्रश्न है। और भैरोंसिंह जी के लिए एक बात कहकर मैं खत्म करता हूं।

श्री कालीचरण सराफ : आप तो अपनी कहें, हीरालाल जी देवपुरा का क्या हुआ ?

श्री घासीराम यादव : भैरोंसिंह जी ने अपनी यूटिलिटी, जो उनका था कि उनमें अच्छी खूबियां हैं, अच्छे प्रशासक हैं, बहुत उनमें खूबियां हैं लेकिन उनका टाइम आ गया, हर आदमी हमेशा के लिए नहीं होता। वह अनावश्यक असत्य बोलते हैं, बात कहते हैं, करते कुछ हैं। एक शेर कह कर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।
"इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का तू गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका।" बस।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो जनादेश के ऊपर विश्वास करते हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव टीकमचन्द जी ने रखा उसका समर्थन करते हुए कुछ मेरी बात कहूंगा।

प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वच्छ प्रशासन, संवेदनशील प्रशासन देने का वायदा करके आयी है सत्ता में इसी के तहत मनोत समिति की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसी के आधार पर कुछ प्रशासन में सुधार की प्रक्रिया भी शुरू हुई। सेवानिवृत्ति के विषय में भी माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उस कमेटी ने जो निर्णय लिये, उसके अनुसार जो कर्मचारी रिटायर होता है और उसके बाद वर्षों तक अपनी पेंशन के लिए इधर से इधर भटकता रहता है, उसे अहसास होता है कि, जब वह नौकरी पर या पद पर होता है, तब प्रशासन का क्या व्यवहार रहता है और रिटायर होने के बाद क्या स्थिति बनती है। उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए यह तय किया, जैसे रेल्वे में रिटायर होने के टाइम पर वर्षों से, उसी टाइम पेंशन के उनके सभी कागजात और चैक तैयार हो जाते थे, राजस्थान की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय किया और आज यह स्थिति है कि जो भी कर्मचारी रिटायर होता है, उसकी सारी व्यवस्थाएं समय पर हो जाती है।

इस वर्ष की योजना 1704 करोड़ रु. की है, अगले वर्ष की योजना 2950 करोड़ रुपये की जो स्वीकृत हुई है, इसका उपयोग योजनागत विनियोग में सर्वाधिक होगा। ऊर्जा में, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य, पेयजल योजना बनाकर उसका राजस्थान के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए यह पैसा लगेगा। राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से भी 1990–92 तक जो डेढ़ सौ करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं में आये वह पिछले सात योजनाओं के पाँच साल के कार्यकाल से भी कहीं अधिक है। यह इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान की सरकार, माननीय भैरोंसिहजी के कुशल नेतृत्व की ही यह उपलब्धि है। यह जो योजना है, इसमें इतना अधिक धन आ रहा है. और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का राजस्थान में जो आकर्षण है इसकी पृष्ठ भूमि बनाने में जो वातावरण बना है, वह भारतीय जनता पार्टी की ही देन है।

जहां तक कृषि का सवाल है, भारत कृषि प्रधान देश है, राजस्थान में सारे उद्योग-धन्धे कृषि पर निर्भर हैं और यह जो सरकार है, वह किसानों की, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले, झोंपड़ी में रहने वालों की सदैव हिमायती रही है और यही वजह है कि सन् 1977 में जब सरकार बनी तो "अन्त्योदय योजना", "काम के बदले अनाज योजना" प्रारम्भ की, जिसकी सारे देश में

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

प्रशंसा की गई। यह सारी योजनाएं गांवों के विकास के लिए थी और 1990 और 1993 में जब सरकार फिर बनी तो "अपना गांव अपना काम" योजना हाथ में ली। इससे ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास हुआ वह सबके सामने है। किसानों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये के ऋण माफ किये, बारानी भूमि का हासिल माफ किया और "तीस जिले 30 काम" योजना में गांवों में जो विकास हुए, उससे एक रूचि बनी है और एक वातावरण बना है कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खासकर गांवों में, गरीब क्षेत्रों में विकास करने की इच्छा रखती है और उसी के तहत काम भी किये।

जहां तक शिक्षा का मामला है, इस अभिभाषण में जो स्वरूप दिया है, यह दर्शाता है कि यह सरकार शिक्षा के मामले में बहुत गम्भीर है और जिस प्रकार हिन्दुस्तान में यह राज्य नीचे से दूसरे नम्बर पर है शिक्षा के मामले में, उसको आगे लाने के लिए यह सरकार प्रयत्नशील है। इस राज्य का एक चौथाई राजस्व इसी क्षेत्र में खर्च होता है। साक्षरता की दृष्टि से भी यह अन्तिम दो राज्यों में है। 1990 में अजमेर को सम्पूर्ण साक्षर करने के लिए चुना गया और माननीय सभापति महोदय, यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में अजमेर, साक्षरता के मामले में प्रथम रहा है और डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्रों में प्रथम रहा। इसी को देखते हुए, इसी की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 जिलों को चुना है।

राज्य में पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने की जो इस अभिभाषण में मंशा जाहिर की है इससे निश्चित रूप से गरीब परिवारों को, गरीब बच्चों को, जो आर्थिक दृष्टि से पढ़ने से वंचित हैं उनको सहयोग मिलेगा और शिक्षा का विस्तार होगा। साथ ही 250 की आबादी वाले गांवों में प्राथमिक शाला खोलने का, आदिवासी क्षेत्रों में 150 की आबादी वालों में प्राथमिकशाला खोलने का जो इस भाषण में अभिभाषण, में दर्शाया है, वह भी सराहनीय है और इससे निश्चित रूप से जहां छोटे-छोटे गांव हैं, छोटी-छोटी आबादी है, वहां भी शिक्षा का विस्तार होगा और पांच-पांच, दस-दस किलोमीटर दूर स्कूल होने से जो शिक्षा के लिए वंचित रहते हैं बालक, वह इससे पूर्ति कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय इसके साथ-साथ मेरा एक सुझाव है शिक्षा के मामले में, अध्यापकों में, विभिन्न स्कूलों में जो अन्तर है, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को जानकारी दूंगा कि कहीं तो दस विद्यार्थी हैं और दस टीचर हैं और कहीं दो सौ विद्यार्थी है और पांच टीचर हैं। इस अन्तर को दूर करने के लिए राज्य सरकार, शिक्षा मंत्री जी ध्यान दें। इसके साथ-साथ जो पी. डब्ल्यू. डी. की सड़कें, पी. डब्ल्यू. डी. के विद्यालय भवन हैं, सारे राजस्थान में, इनकी मरम्मत की जो पोजिशन है, जो स्थिति है, मैं चाहूंगा कि इस ओर थोड़ा-सा ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

जो भवन जर्जर अवस्था में हैं, मरम्मत होकर ठीक हो जाएं और उनका उपयोग हो ।

जहां तक पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में इस अभिभाषण में चर्चा हुई, निश्चित रूप से इस ओर अग्रसर हुए, वैसे पूरे राजस्थान में पेयजल की समस्या है । खासकर हमारे अजमेर जिले में जो परिस्थिति बनी है, उसको युद्ध स्तर पर अगर हाथ में नहीं लिया गया तो आने वाले तीन-चार महीनों में स्थिति बहुत खराब हो जायेगी ? अजमेर और ब्यावर में चार-चार, पांच-पांच दिन में पानी आ रहा है । अजमेर शहर है और ब्यावर शहर है, यह बात तो सही है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जहां हैण्डपम्प सूख गये हैं, जहां पानी का वाटर लेवल नीचे चला गया है, इस ओर राज्य सरकार को कोई न कोई नीति बना कर विचार करना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी की सुविधाएं मिल सके । साथ ही फ्लोराइड के बारे में सभी वक्ताओं ने चर्चा की है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा यह मानना यह है कि फ्लोराइड के बारे में भी कुछ न कुछ नीति तय की जानी चाहिए । अभी जो नीति है, उसके अनुसार अगर कार्य कार्य किया जायेगा पी. एच. ई. डी. में, तो इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, इसको दूर भी नहीं किया जा सकता है । इसके लिए भी कोई नियमावली या रूलिंग वगैरह हो, वह अगर थोड़े कड़ाई से लागू की जायें तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है ।

साथ ही राजस्थान में खास तौर से औद्योगिक नीति के बारे में मेरे को कहना है....

श्री सभापति : समाप्त करिये कृपया ।

श्री किशनगोपाल कोगटा : यहां के निवासी अन्य राज्यों में जाकर उद्योग-धन्धे लगा रहे हैं पर राजस्थान में राजस्थान-वासी उद्योग-धन्धे लगायें, पिछली सरकार ने और इस सरकार ने बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, जहां-जहां भी उद्योगपति हैं, भाषण वगैरह दिये हैं और उनको इन्वीटेशन भी दिये, निमन्त्रण भी दिये कि राजस्थान में उद्योग-धन्धे लगायें, लेकिन उनके साथ जो व्यावहारिक समस्याएं आ रही हैं बिजली की, पानी की, जमीन की और अनन्य समस्याएं हैं, अगर व्यावहारिक तौर पर उनको थोड़ा-सा दूर किया जाये और उनको अन्य राज्यों के बराबर सब्सिडी वगैरह या सुविधाएं दी जायें तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो औद्योगिक पिछड़ापन है वह दूर होगा ।

इसके साथ अकाल की दयनीय स्थिति है राजस्थान में, खासकर पश्चिमी राजस्थान में हर साल अकाल की स्थिति रहती है । अजमेर जिले में भी यही स्थिति है । कारण यह है कि जो पश्चिमी रेगिस्तान है वह धीरे-धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और आधा अजमेर जिला रेगिस्तान की ओर बढ़ रहा है ।

श्री सभापति : मैं दूसरा नाम पुकार रहा हूं । कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री किशनगोपाल कोगटा : अकाल की स्थिति से निपटने के लिए कोई स्थाई हल

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

ढूंढ़ा जाये, पेड़-पौधे लगाये जायें और अन्य जो भी साधन है वह अपनाये जायें तभी इसकी पूर्ति की जा सकती है।

आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाये।

श्री सभापति : सदन का समय एक घण्टे बढ़ाया जाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उस पर यदि गम्भीर चिन्तन करें और उसके सब आधारों को गम्भीरता से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि बीस प्रतिशत तो बजट में स्वागत योग्य बात है, उसमें मुख्य तौर से 21 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासेज के आरक्षण वाली बात और इसके साथ अधिकारी और कर्मचारी रिटायरमेण्ट के बाद पेन्शन पर जाते थे, वर्षों तक उनकी फाइलें घूमा करती थी, वह बात। यदि आप कहते हैं वह करके दिखा देते हैं कि जिस दिन वह रिटायर होगा उसी दिन उसको पेन्शन प्रमाण-पत्र साथ मिल जायेगा तो मैं इस बात का स्वागत करता हूं।

आपने शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, सिंचाई, बिजली आदि हैड तो सब दिये हैं इसमें पर उनमें ऐसी कोई बात लगती नहीं है जिससे आपकी कोई स्पष्ट नीति सामने आती हो। मैं समझता हूं यह राजस्थान की सरकार कुछ मुख्य मुद्दों पर गम्भीरता से चिन्तन करे तो राजस्थान की स्थिति सुधर सकती है।

मैं उदाहरण के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में एक ओर हजारों कर्मचारी सरप्लस हैं जिनकी तनख्वाह राजस्थान सरकार के खजाने से प्रति वर्ष, प्रतिमाह दी जाती है, बजट में सारा प्रावधान है। दूसरी ओर वह बेकार बैठे रहते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में ग्रुप सचिव दो पंचायत पर या तीन पंचायत पर हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग में सबसे ज्यादा कर्मचारी सरप्लस हैं। यदि वह उस योग्यता के हैं तो आप उनको नियुक्त कर सकते हैं। उस योग्यता के नहीं हैं तो प्रशिक्षण देकर उनसे काम ले सकते हैं ताकि यह पंचायती राज संस्थाएं कुछ ठीक ढंग से चल सकें यदि प्रत्येक में एक हो जाये। इस दिशा में राज्य सरकार को चिन्तन करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से मैं आशा करता हूं कि मेरे सुझाव पर काफी गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

आपने राजस्थान में संवेदनशील प्रशासन और कानून व्यवस्था की बात भी की। हमारे जिले से निर्वाचित विधायक श्री कैलाश मेघवाल हाल ही में गृह मन्त्री बने हैं। अनुसूचित जाति के हैं। लोगों को बड़ी आशाएं हैं कि वह राजस्थान में कानून

(श्री रतनलाल ताम्बी)

व्यवस्था की जो स्थिति पिछले दिनों बिगड़ती जा रही है, जो हालात सामने आये हैं उसमें सुधार लायेंगे। उनके बनने के साथ ही एक बड़ी घटना जयपुर में जो जौहरी की हुई है उसके मामले में अभी तक मुझे लगता नहीं कि बड़ी भारी कार्यवाही हो रही है। तो मैं आशा करता हूं, वह एक सशक्त व्यक्ति हैं और और शुरू में उनकी छवि अच्छी बने, इस दृष्टि से ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई प्रभावी कदम उठायेंगे। वरना राजस्थानी में जो पुलिस स्टेशनों की हालत है, जो प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले में गड़बड़ होती है, जिस पक्ष को परेशानी हुई है उसको सुनने में देर करके दूसरे पक्ष से मिलकर उनकी प्राथमिकी रिपोर्ट पहले दर्ज कर दी जाती है। इस प्रकार कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस का प्रशासन जनता की निगाह मे विश्वास खो चुका है। मैं समझता हूं कि प्रशासन भी इसको गम्भीरता से लेगा। राज्य सरकार के जो मन्त्रीगण बैठे हैं वह यह महसूस कर रहे होंगे कि इस पुलिस प्रशासन की वर्तमान व्यवस्था उस सामन्ती और राठौड़ी जमाने जैसी है जो आधुनिक युग में चल नहीं सकती। पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाये, पूरे साधन दिये जायें। उनके व्यवहार में, जनता के साथ संवेदनशील शासन की जो बात करने हैं, वह संवेदनशीलता नहीं है। उस दृष्टि से भी सोचने की बड़ी आवश्यकता है वरना राजस्थान की कानून व्यवस्था को बिगड़ती स्थिति कहीं गम्भीर चिन्ताजनक व विस्फोटक स्थिति में नहीं जाये, मैं समझता हूं इसके बारे में राजस्थान सरकार सोचेगी।

सभापति महोदय, सिंचाई किसानों के जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। करोड़ों रुपये का बजट हर साल इस पर खर्च किया जाता हैं। वह बजट कहाँ जाता है, क्या होता है, पता नहीं। हमारे जिले में सिंचाई विभाग के तालाब हों, चाहे पंचायत समिति के तालाब हों, उनकी दुर्दशा हो रही है संधारण के अभाव में। पिछली बरसात में करीब तीन-चार तहसीलों में सैंकड़ों तालाब, एनीकट्स टूट गये। दुर्भाग्य है कि सात महीने बाद भी प्रशासन ने न उनके एस्टीमेट बनाये, न उन तालाबों में काम चला। कुछ सिंचाई विभाग के तालाबों को पैसा जरूर अभी हाल ही में दिया गया, बाकी पंचायत समिति के तालाबों व एनीकट्स के बारे में मैं समझता हूं अभी तक राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

बीसलपुर बाँध बने, मैं समझता हूं कि इसमें किसी को एतराज नहीं है। परन्तु उसके इण्टरसैप्ट के नाम पर जो अधूरी योजनाएं राज्य सरकार की उदासीनता के कारण, धनाभाव में पूरी नहीं की गई और कई लम्बित योजनाए सर्वे में विचाराधीन हैं। वह योजनाएं नहीं बनेंगी तो उन इलाकों के साथ ज्यादती होगी। मैं समझता हूं कि इस बार में सोचा जाना चाहिए। ईशरदा से जयपुर को पानी मिल सकता है। चम्बल नदी से कोटा को पानी देने के बाद जो पानी बेकार बहकर जा रहा है उसका उपयोग फीडर डालकर जयपुर में और बीसलपुर बाँध में ले सकते हैं। इसी प्रकार भीलवाड़ा जिले की जनता के साथ बहुत अन्याय होगा यदि आपने अधूरी सिंचाई योजनाओं का कम्पलीट नहीं

(श्री रतनलाल ताम्बी)

करवाया और जो सिंचाई योजनाएं सर्वे में विचाराधीन हैं, लम्बित हैं आपकी प्रशासकीय व्यवस्थाओं के कारण तो जनता किसी भी कीमत पर यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बारे में दोनों सुझाव आपको दिये कि जयपुर के पानी की व्यवस्था ईशरदा से आप कर सकते हैं। बीसलपुर में जितना पानी आता है, जो योजनाएं पहले तैयार की गई हैं उस दिशा में ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा मैंने तीसरा सुझाव यह भी दिया कि कोटा के बाद जो चम्बल नदी का पानी फालतू जा रहा है उसको आप पानी की योजनाओं में काम ले सकते हैं। और उसको फीडर डालकर बीसलपुर बांध में भी लाया जा सकता है। इस दिशा में भी आपका ध्यान निश्चित रूप से जायेगा।

मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिला, जिसकी लगभग पन्द्रह लाख की जनसंख्या है, बारह लाख से अधिक जनसंख्या आज अकाल से बुरी तरह प्रभावित है। पिछले साल के आंकड़ों को उठाकर देख लें, अक्टूबर में गिरदावरी होने के बाद नवम्बर और दिसम्बर में टैस्ट वर्क चालू हो जाते थे और जनवरी महीने से लगातार 50–60 हजार लेबर चलते थे, एक मार्च तक तो 60–70 हजार के करीब, एक लाख साठ हजार लेबर चार साल पहले के फेमिन को देख लें, तीन साल पहले को देख लें, अकाल राहत कार्यों में भी लगे थे और आज एक मार्च होने के बाद उस जिले में लगभग बीस हजार ही लेबर लग रहे हैं। प्रभावित जनसंख्या को डेढ़ प्रतिशत लोगों को काम मिल रहा है। अनुसूचित जाति के कई परिवार इलाकों से पलायन कर गये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लगभग चार हजार परिवार पिछले दो-ढाई महीने में रोजी-रोटी तलाश करने के लिए बाहर चले गये। यह हालात पैदा हो रहे हैं। मैं समझता हूं इस तरफ सरकार गम्भीरता से विचार करेगी। इस मार्च में भीलवाड़ा जिले में साठ से पिचहत्तर हजार व्यक्तियों को काम नहीं दिया गया तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, लोगों के सामने भुखमरी की समस्या खड़ी हो सकती है, रोटी-रोजगार की समस्या बहुत गम्भीर है और राज्य सरकार भी इतनी गम्भीर समस्या के प्रति, मैं समझता हूं गम्भीरता से नहीं सोच रही है। इस दिशा में सोचा जाना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगले दो महीनों में पीने के पानी की समस्या भीलवाड़ा जिले के कई क्षेत्रों में बड़ी गम्भीर होने वाली है। माननीय मंत्री महोदय, आपको ध्यान है या नहीं, भीलवाड़ा जिले का आधा हिस्सा फ्लोराइड पानी से प्रभावित है। कई नौजवान आज इस फ्लोराइड के कारण कई बीमारियों से ग्रसित हैं, कई व्यक्ति इस फ्लोराइड के कुबड़े हो चुके हैं। आंखों की, दांतों की कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो चुकी हैं। राजस्थान की इस गम्भीर समस्या पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने जो मिशन कायम किया था पेयजल वाला, उस मिशन के अन्तर्गत इसको काफी गम्भीरता से लिया गया था। मुझे इस बात का अफसोस है कि उस योजना के

(श्री रतनलाल ताम्बी)

अन्तर्गत पूरे राजस्थान का आपको सर्वेक्षण करवाकर जिले वाइज योजना तैयार करके अब तक भारत सरकार के दरवाजे पहुंचानी चाहिए थी और आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं, इसके परिणामस्वरूप राजस्थान में जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिले वाइज योजनाओं को तैयार करके प्रभावी ढंग से, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, सब मिलकर भारत सरकार से मांग करें कि राजस्थान में पानी की समस्या के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(17.00)

महोदय, मैं इस मौके पर यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप हर चीज को साइडट्रैक करके चलना चाहते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने 5 जनवरी को मीटिंग बुलायी, हमने सोचा आप बहुत गम्भीरता से इसकी व्यवस्था करेंगे। हमारे सामने आपने अधिकारियों को कहा भी था कि आप क्षेत्र में जायेंगे, यह देखकर आयेंगे, इह इंतजाम करके आयेंगे और वह करके आयेंगे। मंत्री महोदय, 5 जनवरी के बाद 5 मार्च आने वाला है, आपके किसी अधिकारी ने भीलवाड़ा जिले में इन योजनाओं के बारे में जो आपने उस दिन मौखिक दिशा-निर्देश दिये थे उस बारे में क्या कार्यवाही की, इसकी समीक्षा भी आप करके नहीं चलना चाहते। भीलवाड़ा जिले की पानी की समस्या इतनी गम्भीर है, सभापति महोदय, कई गांवों में पानी के कुएं सूखे पड़े हैं हैंडपम्प में हवा निकलती है केवल। आज आधे से अधिक हैंडपम्प खराब पड़े हैं। कई आबादियां नयी बस गयीं, कई ढाणियां नयी बस गयीं उन तक आबादी के हिसाब से कोई हैंडपम्प नहीं

(17.00)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

बंट रहे हैं। जो हैण्डपम्प खराब पड़े हैं उनके लिए तो आपने पिछले बजट भाषण में यह कहा, सभापति महोदया, आपको याद होगा कि सारे हैंडपम्प को अभियान चला कर 31 मार्च तक ठीक कर दिया जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नौ दिन में ढाई कोस की स्पीड से आपका विभाग चल रहा है। 31 मार्च आने वाला है और अभी आपके वन फोर्थ हैंडपम्प ठीक नहीं हो पाये बल्कि शिकायत तो यहां तक है कि छोटी खराबी हैंडपम्प में देखने जाते हैं और उसका सामान उठा कर और ले आते हैं। इसमें बड़ी खराबी हो जायेगी। तो वह समस्या आपके सामने और भी गम्भीर आने वाली है।

मैं अकाल के सम्बन्ध में आपसे निवेदन कर चुका। अब मैं जनजाति विकास

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

विभाग की बात करना चाहता हूं। सभापति महोदया, अन्याय मत कीजिये, आप जिस तरह जब वहां से बोल रही थीं तो हम बहुत गम्भीरता से सुन रहे थे और काफी समय आपको उपलब्ध हो रहा था और मैंने अभी शुरुआत की है और आपने पहली

(श्री रतनलाल ताम्बी)

घण्टी बजा दी। आज पहली बार बोला हूं मैं, तो उसमें भी यह ज्यादती हो रही है।

श्री सभापति : नहीं, आप थोड़ा ध्यान रखें कि आपका समय हो गया है।

श्री रतनलाल ताम्बी : और मैं महिलाओं के बारे में ज्यादा सपोर्ट दे रहा था आपको कि इनको ज्यादा समय दो और आप मेरे पर ही प्रहार कर रही हैं।

मैं निवेदन कर रहा था, जनजाति विकास विभाग और माडा योजना के बारे में। जनजाति विकास विभाग भी उन्हीं गांवों का चयन करता है जहां 50 फीसदी से अधिक जनजाति के लोग रहते है और माडा योजना में भी वे ही गांव चयनित होते हैं, लेकिन दोनों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफी भेदभाव और असंतुलन है। मैं चाहूंगा कि जनजाति विकास हैं उसी विभाग में जो मापदण्ड कायम किये गये प्रकार का मापदण्ड, उसी प्रकार की योजनाएं माडा के गांवों में आज लेने की आवश्यकता है। मैं माननीय सभापति महोदया, भारत सरकार ने लाखों रुपया दिया है, करोड़ों रुपया आपको दिया है डी. आर. डी ए के मार्फत इन योजनाओं का। आज डी. आर. डी. ए. में और पंचायत समितियों में पैसा पड़ा हुआ है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। माननीय जनजाति मंत्री महोदय को भी पिछली बार जब एक सेमीनार हुआ तब मैंने आंकड़ों के साथ निवेदन किया था कि आपका करोड़ों रुपया डी. आर. डी. ए. में और वहां पंचायत समितियों में पड़ा हुआ है, भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं का दिया है, वह पैसा जनजाति क्षेत्रों के विकास में काम नहीं आ रहा है। इसके लिए मेरे दो-तीन सुझाव हैं। पहला सुझाव तो यह है कि कुछ योजनाएं व्यावहारिक नहीं हैं तो जहां जिसकी ज्यादा आवश्यकता है, जैसे पेयजल की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जन-स्वास्थ्य विभाग के पास सीमित साधन हैं, पैसा उनके पास नहीं है तो उनके क्षेत्रों में हैण्डपम्प खोदने का कार्यक्रम प्रचुर मात्रा में किया जा सकता है। छोटी-छोटी पेयजल योजनाए ली जा सकती हैं। शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्तियों में पाइप लाइन का काम लिया जा सकता है। अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के मद से यह काम किये जा सकते हैं। आज पानी नीचे तक चला गया है, ड्रिलिंग करने का मामला है, कम्प्रेशर से उनके होल लगाने का काम है, यह काम ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। आदिवासी इलाके हों या माडा की योजनाओं के गांव हों उनमें एनीकट्स और तालाब के काम को लिया जा सकता है। यह रुपया बेकार पड़ा हुआ है। और भारत सरकार आपको और योजनाओं में पैसा इसलिए नहीं देगी क्योंकि आपके पिछले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं जा रहे हैं। यह समस्या बहुत गम्भीर है इस विभाग की। मैं समझता हूं, इस दिशा में भी राज्य सरकार कुछ चिन्ता रखेगी और आगे बढ़ कर इस मामले को बढ़ायेगी।

इस मौके पर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास की बात आपने कही, औद्योगिक विकास की 1991-

(श्री रतनलाल ताम्बी)

92 में शायद आपने कोई नीति बनायी और उस नीति की आज एक साल में ही समीक्षा करने की आवश्यकता हो गयी। राजस्थान में औद्योगिक वातावरण है मगर राज्य सरकार की नीति वास्तव में उद्योग लगाने की नहीं लगती। आज राजस्थान का उद्योगपति, व्यापार करने वाला व्यक्ति अन्य प्रदेशों में जाकर अपने धन्धे फैला रहा है मगर राजस्थान की जिस धरती में वह पैदा हुआ है, जहां का अन्न-पानी खाकर बड़ा हुआ है, वहां उद्योग क्यों नहीं लगा पा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है, इस बात को देखने की आवश्यकता है। राजस्थान में बिजली की, जमीन की, पानी की व्यवस्था उनको सुलभ नहीं है। यदि राजस्थान का आधारभूत ढांचा ठीक नहीं होगा तो औद्योगिक विकास कैसे होगा। खनिज सम्पदा का यह प्रदेश आज औद्योगिक दृष्टि से कितना पिछड़ा हुआ है, मैं समझता हूं इस दिशा में भी आप गम्भीरता से विचार करेंगे।

शिक्षा की दृष्टि से कुछ बातें इसमें कही गयीं। मैं कहना चाहता हूं, आप वास्तव में शिक्षा में आगे बढ़ना नहीं चाहते। कहने की बात अलग है और करने की बात कुछ और है। 1989 और 1990 की सरकार ने जितने प्राथमिक विद्यालय खोले हैं, शिक्षा केन्द्र खोले हैं, यदि राजस्थान में शिक्षा को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, साक्षरता बढ़ाने की आपकी इच्छा शक्ति है तो मैं समझता हूं कि उन स्कूल और शिक्षा केन्द्रों को आप बन्द नहीं करना चाहिये था। सबसे पहला कदम यदि आपका साक्षरता औसत बढ़ाने का है तो एक आदेश से जितने भी विद्यालय आपने बन्द किये उनको तत्काल वापस इस साल शुरू कीजिये ताकि गांव में जो एक असंतोष का वातावरण बना हुआ है, शिक्षा के प्रसार में बहुत बड़ा अवरोध हो गया है वह समाप्त हो। ऐसे मामलों में राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।

यही स्थिति चिकित्सा व्यवस्था की है। चिकित्सा व्यवस्था राजस्थान में इतनी गड़बड़ा गयी है, कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं दवाइयां नहीं हैं। आयुर्वेद की चर्चा अभी थोड़े दिन पहले यहां हुई थी। चार करोड़ रुपया आयुर्वेद का बजट है और दवाइयों पर केवल एक करोड़ रुपया खर्च होता है बाकी तीन करोड़ तनख्वाहों पर खर्च हो जाता है। राजस्थान में औषधालय नाम के तो हैं पर उनमें दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। अच्छी और महत्वपूर्ण दवाइयां इन गांवों में नहीं हैं तो इतनी तनख्वाह लगा कर क्यों आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। राजस्थान में बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके आप व्यवस्था करते हैं और इतनी बड़ी मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है। राजस्थान में तो दवाइयों के अभाव में नाम की तनख्वाह ली जा रही है। इस दिशा में भी राजस्थान की सरकार गम्भीरता से सोचेगी।

एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं। राजस्थान साहित्य, कला और संस्कृति के लिए सारे देश में और दुनिया में प्रसिद्ध है। मैं समझता हूं राजनीतिक दृष्टि से इन बातों में नहीं सोचा जाना

(श्री रतनलाल ताम्बी)

चाहिये। साहित्य अकादमी राजस्थान में बनी। राजस्थानी भाषा के माने हुए साहित्यकार वेदव्यास को आपने पिछले दिनों यहां राज्यपाल महोदय के शासन में शायद अध्यक्ष मनोनीत किया। उसके बाद मुझे बड़ी सूचनाएं मिलती हैं, जानकारियां मिलती हैं, अब इसमें भी ऐसा सोच और चिन्तन होने लग गया कि उसका काम में सहयोग नहीं मिलेगा, सदस्यों को पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है, बजट पूरा आवंटित नहीं हो रहा है। कई व्यवधान खड़े किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं, ऐसा अन्याय नहीं करें। शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, पर्यटन, कला यह राजस्थान की एक धरोहर है और इसमें राजनीति नही आये, इसी दिशा से आप सोचेंगे और इस प्रकार की बातें जो जनता में चर्चित हैं वह यदि सत्य है तो इसके बारे में आप गम्भीरता से सोचेंगे।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं....

श्री सभापति : आप पूरा करें, माननीय सदस्य दूसरों की भी बारी आनी है।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मैं तो अभी 10 मिनट बोला हूं।

श्री सभापति : 12 मिनट हो गये हैं आपको।

श्री रतनलाल ताम्बी : 8 मिनट और बोलने दीजिये साहब, 20 मिनट का तो मेरा अधिकार है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सुबह एक चर्चा चली थी, यूनिवर्सिटी अस्थायी अध्यापक वाला जो मामला है, मैं जहां तक समझता हूं, 1982–84 से यह मामला लम्बित है। इसके बारे में मध्य प्रदेश की सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार ने, उड़ीसा की सरकार ने, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़े सामयिक निर्णय लिये और उससे समस्या का समाधान हुआ था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फरवरी, 1992 में इस बारे में घोषणा की थी और घोषणा के बाद "रघु कुल रीत सदा चली आयी, प्राण जाय पर वचन न जाई", हम रामजी की बात तो बहुत करते हैं और मामला जब सामने आता है तो इसके विपरीत आचरण हो तो इसमें मैं समझता हूं गवर्नमेण्ट की अच्छी प्रतिष्ठा नहीं बनती। ...(व्यवधान)— मैं यह कहना चाहता हूं आपकी इससे छवि बनेगी। राम को केवल वोट तक, राजनीति तक काम में लेते हैं बाकी आप भूल जाते हैं इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)... कि बात जो कहते हो उसको पूरा करके दिखाओ। यह यूनिवर्सिटी के जो अस्थायी लैक्चरर्स हैं, इनमें कई महिलाएं भी हैं, कई पुरुष भी हैं, 15–15, 20–20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। हमारे जिले के भी काफी लोग मुझसे मिले थे कल-परसों तो मैं कहना चाहता हूं कि लोग सेवा आयोग को हर साल नोटिस निकालना चाहिये था, जितने पद थे उसके अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये थी। वह तो आपने की नहीं, इस सरकार की गलती की सजा अब मिल रही

(श्री रतनलाल ताम्बी)

है। एक साथ आपने वह कर दिया और इसी बीच में दूसरी प्रक्रिया के साथ क्वालिफिकेशन का और मामला एड कर दिया ताकि "न नौ मण तेल हो न राधा नाचे" इस आधार पर वह + + + घर जाएं, ठिकाने जायें अपनी जिन्दगी को इसमें समाप्त कर के। तो मैं समझता हूं ऐसा अन्याय आपने पहले पंचायत अध्यापकों के मामले में भी किया, उनको भी निकाल दिया वर्षों तक काम करने के बाद। अनुभव तो उनके पास है दस-दस, बारह-बारह साल का। इसलिए मानवीय दृष्टिकोण से समस्या का समाधान करना चाहिये। एक तरफ जब आप विरोध में रहते हैं तो दूसरी प्रकार की बातें करके इन बातों को ठीक मानते हैं और दूसरी तरफ सत्ता में आते ही कहते हैं कि यह तो बेकार की बात हो गयी सारी। यह बात नहीं होनी चाहिये। जिसको आप ठीक कह रहे थे उसको आज भी ठीक कहिये और आने वाले समय में ठीक कहेंगे, यह मैं आशा करके चलना चाहता हूं।

स्वायत्त शासन मंत्री महोदय, मैं इसी सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि आपके कानून-कायदे या तो पुराने हैं या कुछ भी हैं, आजकल नगर परिषदों में, नगरपालिकाओं में भयंकर अतिक्रमण हो रहा है। सड़कों के किनारे जो पी. डब्ल्यू. डी. की आपकी सीमाएं निर्धारित हैं उसमें बन रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है। जो लाखों रुपये की जमीन है, पता नहीं कब कैसे कागजों में बन बनाकर किसी को दे दी जाती है। जहाजपुर में यह समस्या बहुत गम्भीर है। हमारी सड़क के चारों ओर देख लीजिए, बिलकुल सड़क के दस-दस, बारह-बारह फिट पर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं धड़ाधड़। कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं ?

माननीय सभापति महोदया, आपको अफसोस होगा, बापी पट्टे की जमीन जो पंचायत ने बीस साल पहले बेची, जो राजस्व की जमीन है, नगर पालिका सदस्या को पटा कर रखना जरूरी हो गया इस लिहाज से पट्टे कर दिये गये, कोर्ट केस हुआ। अब 420-468, 71 के केस लग रहे हैं। हालत यह हो रही है, अब किसी समाज का नाम बढ़ रहा है, पता नहीं लगता है। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, आपके ध्यान में है कि नहीं, भीलवाड़ा जैसा औद्योगिक नगर, जहां का पार्क, वहां के सारे स्थान, उनकी मूल्यवान जमीनें संस्थाओं के नाम पर, राजनैतिक दलों के नाम पर आपने किन दरों पर दीं, कैसे दीं ? वो नियम कहां से आ गये ? उनको आप देखेंगे तो मामले बहुत गम्भीर हैं और आपके बनाये हुए न्यास के अध्यक्ष है, उनको सस्पेण्ड करने की इच्छा शक्ति आप में हो तो मामला बहुत गम्भीर है, ऐसा मामला उन्होंने किया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के आफिस के लिए पार्क की जमीन दे दी, आरक्षित भूमि दे दी। उस की रेट आप देखिए। जो रेट वहां निर्धारित है उससे बहुत कम रेट पर एक स्कूल को आपने एक रुपये में जमीन दे दी। कहीं

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

नियम एक जगह तो रखो और इन नियमों को आप सब जगह मानो। वो सारे स्थान जो आरक्षित हैं किसी नगर के विकास के लिए, उन स्थानों को बचाओ, चाहे कोई पार्टी का मामला हो। यह मामला बहुत गम्भीर है भीलवाड़ा का। आज में इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं।....(व्यवधान)....आपको मालूम नहीं है? आपको दी है, आपके समाज को दी है। उसके नियम थे, उसके अनुसार दी हैं? आपके ही समाज को दी थीं। इसलिए वो नियम जो हैं, मैं नियमों की बात कर रहा हूं। अगर उन नियमों में कांग्रेस वालों ने गलत दे दी, उन नियमों का अतिक्रमण नहीं है तो आप उसकी भी जांच कराकर कार्यवाही करें और आपके राज में ऐसा गलत हुआ तो आप कार्यवाही करें।

मैं उनकी भी कोई वकालत करने नहीं आऊंगा, यह मैं कहना चाहता हूं। भीलवाड़ा के यह दोनों मामले बहुत गम्भीर हैं, भारतीय जनता पार्टी को दफ्तर देने की बात और एक विद्यालय को देने का मामला। यह दोनों का मैं केवल संकेत मात्र दे रहा हूं बाकी अभी डिटेल में, विस्तार से देना नहीं चाहता समय के अभाव में। यह मामले जो हमारे पास वहां के लोगों ने भेजे थे, काफी गंभीर हैं। उस बारे में भी आप देखेंगे और देखने के बाद यदि यह सही है तो आप इस सम्बन्ध में कदम उठायेंगे और यदि गलत हो तो आप मुझे बता दीजिए कि वास्तव में गलत कह रहे हैं आप।

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : बस एक मिनट में खतम कर रहा हूं। अब मैं अन्त में....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 20 मिनट से ज्यादा समय ले लिया।

श्री रतनलाल ताम्बी : अन्त में मैं आपको पंचायती राज की बात कह कर समाप्त करता हूं। राजस्थान में पंचायती राज की अपनी एक गौरवशाली भूमिका रही है। राज्य सरकार ने 1981 की जनसंख्या पर पंचायतों का पुनर्गठन पिछली बार किया। 1951 की जनसंख्या में इससे पहले पंचायतें थीं। राजस्थान की जनसंख्या लगभग डबल से ज्यादा हो गयी उस समय और आज की स्थिति में, कई जिलों में, छोटे जिलों में, सिरोही जैसा जिले में, उदाहरण दे रहा हूं, कहीं बुरा न मानें। वहां की जनसंख्या छह लाख है। वहां तो पंचायतें गठित हो गयीं और भीलवाड़ा जिले की जनसंख्या पन्द्रह लाख है वहां 37 पंचायतें हैं। 37 में से दो पंचायत समिति है, मांडल और माण्डलगढ़ बाकी सबमें दो-दो, तीन-तीन पचायतें बढ़ाकर एक खानापूर्ति कर दी गयी। मेरा आपसे अनुरोध है कि उसके बाद में कई ढाणियों से गांव बन गये कई इधर से उधर बस गये, जनसंख्या में अन्तर आ गया। 1991 की जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत हैं, उसके आधार पर पंचायती राज का पुनर्गठन नये ढंग से हो, एक तो मेरा आपसे यह निवेदन है।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

दूसरा निवेदन डी. ग्रार. डी. ए. की योजनाएं बिलकुल पंचायती राज चलाता है। इसको ग्राप निश्चित रूप से जिला परिषद् के ग्रन्तर्गत करेंगे तो काम चलेगा। कलक्टर के ग्रधीन यह नहीं चलेगा मामला। कलक्टर के पास कानून ग्रौर व्यवस्था ग्रौर दूसरे बहुत काम है। जिला परिषद् में ग्राप ग्र.ई. ए. एस. को लगाइये ग्रौर जिला परिषद् को बहुत मजबूत बना कर के सारे डिपार्टमेण्ट उसके अन्तर्गत करें। इस तरह पंचायत प्रशासन में वहां जो लोकल डिपार्टमेण्टस है वो सब उसके ग्रन्तर्गत कर के, समन्वय करके पंचायती राज को मजबूत बनायें। तब जाकर काम चलने वाला है। कई ग्राय के स्रोत बढ़ाने के लिए भी सुझाव हो सकते हैं, ग्रभी देने का समय नहीं है। वित्त ग्रायोग ग्राप बनायेंगे। कई प्रकार की बातें हैं। पचायती राज को राजनैतिक ग्राधार पर न सोचकर पुनर्गठन के मामले में पूरी जनता के जो सुझाव हैं, जो भौगोलिक स्थिति है, जो भी सुविधा उपलब्ध है, उसके आधार पर देखने की ग्रावश्यकता है। पिछली बार राजनैतिक ग्राधार पर कई जगह तो जो ग्रफसर थे, ग्रपनी जाति के ग्राधार पर लगा दिये। कई लोगों ने एतराज किया। उनको सुनने की कोई बात ही नहीं सोचते हैं। तो इन सब बातों का पुनरवलोकन करके पंचायती राज का ग्रच्छा स्वरूप बने, जैसा कर्नाटक में बना है, जैसा महाराष्ट्र में बना है। उन सबको ग्राप देख रहे हैं। पिछली सादिक अली कमेटी, गिरधारीलाल व्यास कमेटी ग्रौर दूसरे, सबको देखकर ऐसा कानून-कायदा ग्रौर ऐसी व्यवस्था करें कि राजस्थान की जनता में फिर से ग्रास्था पैदा हो। वरना ग्राज के दिन पंचायतों की हालत को देखते हुए लोगों का ग्रात्मविश्वास डगमगा गया, पंचायती राज के प्रति लोगों में नाराजगियां बढ़ गयीं।

मैं ग्रौर लम्बी-चौड़ी बात न करके यह निवेदन करना चाहता हूं इन सारे मामलों में बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाये ग्रौर खास तौर से जैसा मैंने निवेदन किया, भीलवाड़ा जिले की ग्रकाल, पानी की समस्या को बहुत गंभीरता से लेकर ग्रधिक से ग्रधिक श्रमिक जल्दी से जल्दी बढ़ाये जाये। पानी की योजना त्वरित गति से तैयार की जाये। नौ दिन में ग्रढ़ाई कोस के हिसाब से जो विभाग चल रहा है इससे समस्या गंभीर हो रही है, मंत्री महोदय, इसको बहुत चिन्ता के साथ में देखेंगे, यह मेरा ग्राग्रह है।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री गोपीरास जी।

श्री गोपीराम जाट (ग्रामेर) : माननीय सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण पर माननीय श्री टीकमचन्दजी कान्त ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण को पढ़ने से राजस्थान सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है। जहां पर वार्षिक योजना में 44%की वृद्धि हुई ग्रौर उस बजट का 60% गांवों के विकास के लिए खर्च किया जाना, प्रत्येक मद को नम्बरवार देखने से

(श्री गोपीराम जाट)

लगता है कि राजस्थान के विकास के लिए काफी धन की व्यवस्था इसके अन्दर की गयी है। अकाल को देखते हुए, आने वाली गर्मी को देखते हुए गांवों में गर्मी के समय में जनता प्यासी नहीं मरे, लोग परेशान नहीं हों इसके लिए तुरन्त पानी की व्यवस्था करने के लिए जो सात करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, यह आने वाली गर्मी में जनता को काफी राहत पहुंचायेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं जलदाय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक टेम्प्रेरी व्यवस्था होगी। जयपुर जिले के अन्दर काम के बदले अनाज योजना में करीब 55 पानी की टंकियां ऐसी बनी हुई हैं जिसके ऊपर पिछले 10 साल से किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया। काफी राशि उसमें खर्च हुई है 10-12 टंकियों का तो कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। 1977 में वह बनी थीं, 1980 से 1990 तक उनकी तरफ देखा नहीं गया। 1990 के बाद में हम इस बात की चिन्ता कर रहे हैं कि उस टंकी का उपयोग हो। उसके एस्टीमेट्स बन गये हैं, उनको तुरन्त चालू करवाया जाये, इस बात की कार्यवाही हो रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दीर्घकालीन योजना को ध्यान में रखते हुए जयपुर जिले में जो यह टंकियां बनी हुई हैं इनका उपयोग हो ताकि जनता को राहत मिले।

कृषि के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव में काफी ध्यान दिया गया है। 1286 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें रखा गया है। कृषि शोध कार्य और अनुसंधान के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। राजस्थान के किसानों के लिए नयी तकनीक और नये बीजों का प्रयोग करके किसानों की खुशहाली बढ़ाने की ओर ध्यान दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर सरसों और सोयाबीन की जो पैदावार पिछले तीन-चार साल में बढ़ी हैं, यह इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार ने कृषि पर विशेष ध्यान दिया है। किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिले, इस बात के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाहर से जितना तेल इम्पोर्ट किया जाता है, आयातित तेल मंगाया जाता है, उस तेल को नहीं मंगाकर के हमारे यहां जो तिलहन की खेती होती है उसका पूरा उपयोग किया जाये। इससे हमारे यहां के किसानों को उसका पूरा मूल्य मिल पायेगा, यह मेरा निवेदन है।

जयपुर जिला करीब-करीब सारा डार्क जोन के अन्दर है, और डार्क जोन में होने के नाते छोटे-छोटे किसानों को सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलने वाला है, वह नहीं मिल पाता। मेरा आग्रह है सरकार से कि इस पर पुनर्विचार किया जाये और दुबारा से सर्वे किया जाये। क्योंकि आज भी हम गांवों में देखते हैं, आये दिन गांवों में नये-नये कुओं का निर्माण होता है, विद्युत कनेक्शन के लिए एप्लाई किया जाता है और इस स्थिति में, डार्क जोन में होने के नाते उनको जो राहत मिलनी चाहिए, सरकार से अनुदान मिलना चाहिए उससे हमारे किसान वंचित रहते हैं। अतः मेरा आग्रह है कि इस पर पुनर्विचार किया जाये, दुबारा से सर्वे कराया जाये और

(श्री गोपीराम जाट)

जयपुर जिले को डार्क जोन से निकाला जाये।

विद्युत मंत्रीजी यहां बिराजे हुए हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस अभिभाषण के अन्दर जो बिजली की व्यवस्था की गयी है, चाहे ताप बिजली घर हो, कोटा की पांचवीं इकाई का सवाल हों, चाहे रामगढ़ परियोजना हो, बिजली के बारे में तो काफी प्रयास किये जा रहे हैं। इसी के साथ-साथ पिछले दिनों चोमूं के अन्दर ऊर्जा मन्त्रीजी ने 132 का नोग्रिड स्टेशन है उसको 230 का बनाने की घोषणा की है, यदि समय पर वह कार्यक्रम पूरा हो जाये तो निश्चित रूप से हमारे चौमूं और आमेर विधान सभा क्षेत्र के किसानों को काफी राहत मिलेगी।

इसी के साथ में निवेदन करना चाहूंगा की बिजली की लाइनें लम्बी होने मे वोल्टेज सही नहीं मिल पाता, बिजली के उपकरण जल जाते हैं। मैं चाहूंगा, रामपुरा डाबड़ी के अन्दर सर्वे हो चुका है, विभाग के पास योजना विचाराधीन है 132 के. वी. का ग्रिड स्टेशन बना दिया जावे तो हमारे यहां 33 के. वी. के छोटे-छोटे जो जी. एस. एस. बने हुए हैं वहां से विद्युत आपूर्ति सही वोल्टेज के साथ हो सकेगी।

इसी के साथ पुनाना एक गांव जाहोता के पास में है, इन दोनों जगहों पर 33 के. वी. के छोटे 2 ग्रिड स्टेशन की आवश्यकता है उस पर भी उर्जा मंत्रीजी ध्यान देंगे, यह मेरा निवेदन है।

आमेर एक ऐतिहासिक नगर है जो जयपुर की पुरानी राजधानी है। वहां पर आजादी के बाद पहली बार किसी ने ध्यान दिया है तो 1990 के बाद इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। वहां विकास के नाम पर पहले एक पैसे का खर्च नहीं हुआ, कोई नयी योजना बनायी नहीं गयी, न कोई नयी बस्ती का वहां विकास हुआ। आमेर का सागर जो 1981 की बाढ़ में टूट गया था और उसके टूटने से वहां के सारे हैण्ड पम्प सूख गये थे, वहां पर ट्यूब वेल से मिलने वाला पानी नहीं मिलता था लेकिन इस सरकार के बनने के साथ में ही सबसे पहले सागर की मरम्मत हुई और उसकी मरम्मत के साथ जो पानी की समस्या थी उसका समाधान हुआ। उसी के साथ-साथ में पौने दो करोड़ की पानी की योजना मंत्री महोदय के कार्यकाल में मंजूर हुई। इसी के साथ में मोहनबाड़ी में केसर क्यारी, पूर्ण जो वहां की एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जगह है, का जीर्णोद्धारकर उसे ठीक किया गया। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आमेर की ओर आकर्षित करने का कार्य किया उसके लिए मैं पर्यटन मंत्रीजी और स्वायत्त शासन मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

शिक्षा के लिए अभिभषण में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय की पुस्तकें निःशुल्क दी जायेंगी और 250 की आबादी और 150 की आबादी वाले क्षेत्रों में विद्यालय खोलेंगे। इसी के साथ-साथ शिक्षा मंत्रीजी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में कालावड़ एक सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहां पर कृषि और विज्ञान का यदि विषय और खोल दिया जाता है तो वहां गांव के रहने वाले किसानों को

(श्री गोपीराम जाट)

लाभ होगा। कृषि विषय तो बहुत ही आवश्यक है क्योंकि पूरा एरिया खेती पर आधारित है और खेती का ज्ञान यदि विद्यालय के माध्यम से उन लोगों को मिलेगा तो वह लोग बहुत अच्छी खेती कर पायेंगे और उस क्षेत्र का विकास हो सकेगा।

स्वास्थ्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि जयपुर के नजदीक लगने वाला सिरसी गांव है जहां पर एक पी. एच. सी. है। वह पी. एच. सी. अब नगर निगम में आ गयी है। मेरी झोटवाड़ा पंचायत समिति में कालवाड़ उप तहसील है। जयपुर से लेकर जोबनेर तक करीब 50 किलोमीटर की दूरी में कोई भी वहां पर चिकित्सा की सुविधा नहीं है। तो मेरा आग्रह है कि आने वाले बजट में एक पी. एच. सी. कालवाड़ के अन्दर खोला जाये ताकि गांव के दूरदराज के लोगों को जयपुर 25 किलोमीटर और उधर आगे 25 किलोमीटर नहीं जाना पड़े और लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाये। इस बात के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। (व्यवधान)

आमेर विधान सभा क्षेत्र जयपुर के तीन तरफ बसा हुआ है। अधिकांशतः दूध, सब्जी आमेर तहसील से सप्लाई होती है। सड़कों का विकास पिछले तीन सालों में काफी तेजी से हुआ है। करीब 150 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनी हैं और मात्र एक पंचायत समिति हैडक्वार्टर को छोड़ कर बाकी 37 पंचायत हैडक्वार्टर्स को सड़क से जोड़ा गया है, इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

इसी के साथ-साथ निवेदन करना चाहूंगा, पशुपालन मंत्रीजी यहां पर मेरे सामने विराजते हैं, अभी वह हैं नहीं मेरे क्षेत्र के अधिकांश लोग पशुपालक हैं और जयपुर को दूध सप्लाई करते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि दो-दो पंचायतों के बीच में एक-एक पशु चिकित्सालय यदि खोल दिया जाये तो गांव के लोगों को राहत मिलेगी और जयपुर की जनता को जो दूध सप्लाई होता है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आयेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आमेर तहसील और चौमू तहसील में पिछले 10 साल से सैटलमेण्ट का कार्य चल रहा है। ए. एस. ओ. का दफ्तर चौमू में एक गली में जाकर बनाया हुआ है, 1984 से बनाया हुआ है और उस गली में किसानों की इस कदर लुटाई होती है कि वहां कोई देखने वाला नहीं है। हालांकि हमारी सरकार ने इस पर निर्णय लिया था और वहां पर सैटलमेण्ट डिपार्टमेंट के कार्य को बंद करके जिलाधीश के अन्तर्गत उस कार्य को करने के आदेश दिये थे लेकिन राजस्व सचिव महोदय ने वापस सैटलमेण्ट डिपार्टमेंट के पास ही रख दिया। तो मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है, परसादीलालजी मेरी सिफारिश कर रहे हैं, यह जो सैटलमेण्ट का कार्य है या तो उसको बन्द कर दिया जाये नहीं तो जिलाधीश, जयपुर के अन्तर्गत उसका कार्य होना चाहिए। वहां पर रोजाना किसानों की.... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदया, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। मंत्री महोदय इस से बड़ी विसंगतियां पैदा हो रही हैं। चौमूं और आमेर में.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : इसको हटा ही दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक सैकण्ड परसादीलालजी। किसानों को अपनी नकल लेने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बहुत गड़बड़ होगी। सैट्लमेण्ट डिपार्टमेंट तो वहां पर लूट कर खा गया लोगों को। इसलिए सैटलमेण्ट का जो अधिकार आपने खतम किया था....

श्री परसादीलाल मीणा : सैट्लमेण्ट डिपार्टमेण्ट को हटा दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुनो तो सही। सैटलमेण्ट के हिसाब से आपने जो किया था वह बिलकुल ठीक किया था। और अब इस पर ध्यान करें। सैट्लमेण्ट डिपार्टमेंट को खतम करके वापस जो जिलाधीश के अन्तर्गत दिया था उसको दें....(व्यवधान) यह जो अमीन वगैरह आन्दोलन कर रहे हैं, यह तो लूट कर खाने के लिए कर रहे हैं। सारे किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने आश्वासन दिया था कि हम इसको बिलकुल ही खतम कर रहे हैं, सैट्लमेण्ट डिपार्टमेंट को। तो जो आश्वासन दिया था उसका आज तक कुछ हुआ नहीं, अब आगे बिलकुल ही हटा दो। यह लुटाई का केन्द्र हो गया है। मतलब किसान से पैसे लिये बिना तो नकल क्या फाइल की कोई बात ही नहीं करते।

श्री गोपीराम जाट : अमीन लोग आन्दोलन कर रहे हैं, माननीय घनश्याम जी ने बताया यह बात बिलकुल सही है। क्योंकि एक अमीन का मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, मंत्री महोदय को मैंने एक शिकायत की थी, मेरे ही क्षेत्र में आसुदायी गांव है, उसमें आज 200 बीघा का फार्म है, सैट्लमेण्ट जब से शुरू हुआ तब से लेकर आज तक उसने एक आलीशान मकान बना रखा है। इसलिए इस सैट्लमेण्ट के विभागीय कर्मचारियों के चगुल से राहत हमारे क्षेत्र के किसानों को दिलायेंगे, मुझे राजस्व मंत्रीजी से पूरी-पूरी उम्मीद है।

इस अभिभाषण में अनुसूचित जाति की ओर भी सरकार ने ध्यान दिलाया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि रायसर गांव में रैगरों के मोहल्ले के अन्दर देशी शराब की दुकान चल रही हैं, वहां के लोग बड़े परेशान हैं। कई बार मैंने जिलाधीश महोदय को और आबकारी विभाग को भी लिखा है लेकिन लगता है वहां का जो दारू का ठेकेदार है वह प्रभावशाली हैं और उसने उस दुकान को हरिजनों के मोहल्ले से, रैगरों के बीच में जो पक्के मकान में था वहां से हटा कर अन्यत्र आज तक स्थानान्तरित नहीं किया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि उसको तुरन्त वहां से दूसरी जगह बदला जाये और वहां की जनता को राहत दिलायी जाये।

इसी के साथ धन्यवाद।

श्री जगदीश चन्द दरक (भीलवाड़ा) : समापति महोदय, पाइंट ग्राफ क्लेरीफिकेशन चाहता हूं। माननीय ताम्बीजी ने ग्रमी दो ग्राक्षेप स्वायत्त शासन मंत्री को लेकर लगाये। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने एक पार्टी के कार्यालय के लिए जमीन दी, वह बिलकुल लीगल ग्रौर नियमानुसार दी गयी है, जिस तरह दूसरे सभी समाजों को जमीन न्यास ने दी उसी तरह से रिजर्व रेट से फिफ्टी पर्सेन्ट में वह जमीन अलाट की गयी है जो कि उनके नियमों के ग्रन्तर्गत बिलकुल सही तरीके से ग्राती है ग्रौर वह टोटल पैसा पार्टी के ग्रन्दर जमा करवायेंगे। दूसरा, एक स्कूल को (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : सरकार जबाब देगी। क्या यह सरकार जबाब दे रही है।

श्री जगदीशचन्द दरक : मैं भीलवाड़ा नगर का विधायक हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : वहां की बाजार रेट से बात करो ना।

राजनीतिक पार्टी है ग्रौर दूसरे को.... (व्यवधान) ग्रलग ग्रलग नियम बने हुए हैं। सबके नियम पहले ग्राप पढ़ो।

श्री जगदीशचन्द दरक : उसी नियमों के अन्तर्गत....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : सार्वजनिक स्थानों को देने, समाज को देने के ग्रलग नियम हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ग्राप बिराजो।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य कांग्रेस पार्टी ने लिया उसी .. (व्यवधान) आज के कुछ सालों पहले माननीय माननीय रामपालजी उपाध्याय जो ग्राज यहां विराजमान हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्या।

एक माननीय सदस्य : ग्राप परम्पराग्रों का निर्वहन ही नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : ग्राप भी विराजें। ग्राप तो पहले निर्वहन करें।....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप इसमें कहां ग्रा रहे हैं बीच में। नगर परिषद् का मामला ही नहीं है, ग्राप किस हिसाब से जबाब दे रहे हैं। .. (व्यवधान) मामला नगर परिषद् का नहीं है। ग्रापको तथ्य मालूम नहीं हैं, क्या जबाब दे रहे हैं।

श्री सभापति : ग्राप तो विराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : तथ्य मालूम करने के लिए मैंने निवेदन किया है कि माननीय मंत्री महोदय इस सारे मामले की जानकारी कर लें। यह निवेदन किया है। ग्राप बीच में कहां ग्रा गये ? नगर परिषद् का मामला ही नहीं है।

श्री जगदीश चन्द दरक : सारे ग्रलाटमेंट नियमानुसार किये गये हैं।....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठे। ग्राप भी बैठे।

श्री परसादीलाल मीणा : ग्राप मंत्री बनें, पहले से ही कोशिश कीजिये।

श्री सभापति : आप बैठें ।.. (व्यवधान) आप किस बात की पंचायती कर रहे हो ? आप विराजें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने इजाजत दी है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस अभिभाषण पर इनका भाषण चल रहा है इनको बोलने दिया जाये । बिराजिये आप ...(व्यवधान) आप बिराजें ।

एक माननीय सदस्य : आप अनर्गल आरोप लगाते हैं उसका जवाब नहीं लेंगे तो क्या करेंगे....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप सभी माननीय सदस्य बुद्धिजीवी हैं । बैठ जाइये सभी लोग....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सभापति : हां, क्या प्रश्न है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय ताम्बीजी ने कोई बात कही उस बात का रिलेशन, उस बात का सम्बन्ध वहां के विधायक से है । उन्होंने आपसे परमिशन ली और परमिशन लेकर कहा कि मैं क्लेरीफिकेशन देना चाहता हूं । नियमों में प्रावधान है । आपने यदि परमिशन दे दी तो उनको बात कहने का मौका दीजिये ।

श्री सभापति : मैंने कोई परमिशन नहीं दी है । आप भी बिराजें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं दी तो आपको परमिशन देनी चाहिये ।

श्री सभापति : तो उन्हें लेनी चाहिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह मांग रहे हैं परमिशन ।

श्री जगदीशचन्द्र दरक : सभापति महोदया, मैंने आपसे परमिशन मांग कर....

श्री सभापति : मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी । शांतिजी, बोल रहे हैं । उन्हें बोलने दीजिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप शांति कुमारजी के बोलने के बाद दे दें ।

श्री सभापति : हां बाद में ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (मांडलगढ़) : रामस्वरूप जी बिना परमिशन के हर बात बोलते रहें....

श्री सभापति : अब बैठिये । अब बोलते रहें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदया, अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव दो माननीय सदस्य कांत जी और मदान साहब ने रखा है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं क्योंकि यह अभिभाषण परस्पर विरोधी है, इसमें ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे के खिलाफ लिखी हुई हैं. विरोधाभास है जिसकारण मैं मजबूर हूं कि इसका समर्थन न कर पाऊं । दिशा कहीं नहीं दिखायी गयी । कोई संकल्प नहीं है । कोई बात का कमिटमेंट नहीं है कि हमें

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

इस एक साल में इस प्रदेश में क्या करना है। राज्य सरकार की जो कमियां हैं वह जरूर दर्शायी गयी हैं। कई विभागों में कमियां दिखाई गयी हैं कि यह करना बाकी है, यह करना बाकी है। लेकिन किस तरीके से करना है, हमारी प्रक्रिया क्या होगी, यह कहीं पर भी इसमें कुछ नहीं दिखाया गया।

संवेदनशीलता पर इतनी जबरदस्त चर्चा अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हुई। सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संवेदनशीलता का अर्थ क्या होता है। इन सारी चर्चाओं में अलावा इसके कुछ नहीं है कि पुलिस ने ज्यादती की, जुल्म किये, भ्रष्टाचार के आरोप लगे लेकिन भ्रष्टाचारी को पकड़ा नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया, उसको सस्पेण्ड नहीं किया। सिर्फ इतनी-सी संवेदनशीलता थी। अगर यही इसका दायरा है तो दुर्भाग्य है कि यह सरकार संवेदनशीलता का अर्थ समझती नहीं हैं। हाई कोर्ट को ले लें, सुप्रीम कोर्ट को ले लें, अगर एक रिट पिटीशन किसी को दायर करनी है तो कम से कम 4–5 हजार रुपये के कागजात तैयार होते हैं तब जाकर वहां पर रिट पिटीशन दायर होती है लेकिन एक गरीब काश्तकार, एक गरीब मजदूर पन्द्रह पैसे के लिफाफे पर अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अपनी कोई प्राब्लम लिखकर देता है कि मेरे साथ यह जुल्म हुआ है, वह मस पर फौरन एक्शन लेता है, तो संवेदनशीलता वह कहलाती है। मान्यवर, संवेदनशीलता की बात वह लोग करते हैं जो रात-दिन अपराधी जगत को पनाह देते रहे हैं। इस राजस्थान मंत्रिमण्डल के कई मंत्री जिले के पुलिस अधीक्षक को फोन करके यह कहते हैं और यह कहते सुना गया है, देखा गया है कि अमुक आदमी जो आज आपने पकड़ा है वह हमारा आदमी है। कृपया उसको छोड़ें। यह संवेदन....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऑन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : कहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदया, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सारे मंत्रियों पर एक साथ चार्जेज लगाते हैं। या तो जिस मंत्री पर लगा रहे हैं उसका नाम बतायें। सभी पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगा सकते कि अपराधी को बचाने के लिए इसने ...

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरा भाषण आप पढ़ लेना। मैंने सब पर आरोप नहीं लगाया है। मैंने कई बोला है और राजस्थान मंत्रिमण्डल के....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक्सपंज करायें या नाम बतायें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं मेरे इस आरोप को पुन: दोहराता हूं और आप अगर अलग से इस पर मेरे विचार सुनने को तैयार हो तो मैं आपको नाम बताऊंगा, घटना बताऊंगा और क्या-क्या हुआ उस पर्टिकूलर मामले में वह सारी आपको डिटेल बताऊंगा और आपको संतुष्ट करूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कई मंत्रियों पर एक साथ चार्ज नहीं लगा सकते । आप नाम बतायें, किस मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं ।....(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं अगर इन्हीं बातों में फंस जाऊंगा तो मेरा पूरा भाषण रुक जायेगा....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप भी इस तरह की बात क्यों करते हैं कि जिसको आप बता नहीं सकें । आप कई मंत्री कह रहे हैं तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा आपको।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं जवाब दूंगा आपको ।

श्री सभापति : कई मंत्री अब आप कह रहे हैं ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : जवाब दीजिये आप । आप सब पर आरोप लगा रहे हैं । या तो जिसने कहा है उसका नाम बताइये....(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : ऐसे आरोप नहीं लगा सकते । यदि आप लगा सकते हैं तो स्पेसिफिक आरोप लगाइये ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैंने आपकी बात मान ली । मैं बता रहा हूं । काहे को टाइम खराब कर रहे हो आप मेरा भी ।

श्री टीकमचन्द कान्त : नहीं, प्रमाणों के साथ आरोप लगाइये....(व्यवधान) ऐसे लगा नहीं सकते....(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : संवेदनशीलता का उदाहरण देखिये आप....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय पूनमचन्द जी, कुछ कह रहे थे आप । आप फरमा रहे थे ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि आप मंत्री महोदय के मित्र हैं या दुश्मन हैं । यह तो नाम ले नहीं रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नाम लो और उन्होंने क्या किया है वह बताओ.... (व्यवधान) किसी तरह कोई व्यक्ति नाम नहीं ले, जब तक मामला बहुत गम्भीर नहीं हो....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : जो लोग आज पदों पर बिराजमान हैं वही लोग कोटा के साम्प्रदायिक दंगों में....

श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : इसको एक्सपंज किया जाये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : नियमों में इस प्रकार का प्रावधान है कि जब माननीय सदस्य'...

श्री रामनारायण चौधरी : कोनसा नियम है, नियम बताओ ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं नियम बताता हूं । बोलते समय पालनीय नियम....

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या लिखा है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : नियम 272..

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या लिखा है? बांचो आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बांच रहे हैं।

श्री सभापति : यह क्या तरीका है? आप किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा निवेदन यह है कि कोई भी माननीय सदस्य अपनी जिम्मेदारी से किसी पर भी आरोप लगा सकता है। आरोप लगाने से पहले वह लिखित में नोटिस देंगे। इस प्रकार के वेग आरोप, जिसका कोई आधार नहीं हो, लगाने का उसको अधिकार नहीं है और यदि कोई इस प्रकार से आरोप लगाते हैं तो स्वयं अपनी रेस्पांसिबिलिटी लेकर निश्चित रूप से लगायें, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन वेग आरोप लगाकर स्वयं आरोप से घिरें, किसी पर आरोप लगायें, यह शोभा नहीं देता।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदया, अभी चीफ व्हिप ने यह कहा और नियमों का हवाला दिया। जहां तक मेरी जानकारी है और नियमों को मैंने पढ़ा है यदि किसी व्यक्ति विशेष....

श्री टीकमचन्द कान्त : किताब मेरे पास है।

श्री शिवनाथ सिंह : मेरे पास भी है। किसी व्यक्ति विशेष के, सदन के माननीय सदस्य के खिलाफ या किसी खास मंत्री का नाम लेकर यदि कोई आरोप लगाया जाता है तो उसके लिए प्रावधान यह है कि पहले लिखित में वह दे, अध्यक्ष की इजाजत ले। लेकिन यहां यह आरोप सरकार के खिलाफ है किसी एक व्यक्ति, एक मंत्री के खिलाफ नहीं है। इसलिए इसमें न तो कोई नोटिस की आवश्यकता है और न ही अन्य कोई बात है। सरकार के जो कामकाज हैं, सरकार के मंत्रिगण क्या करते हैं....

श्री कालूलाल गुर्जर : सरकार का नाम नहीं लिया है, मंत्रियों का नाम लिया है। उन्होंने कई मंत्रियों का....

श्री सभापति : यह कई मंत्री बोला है, इसको एक्सपंज कर दिया जाये... (व्यवधान) देखिये माननीय सदस्य आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। नियम जानते हैं और नियम जानते हुए भी आप इस प्रकार से कई मंत्रियों का उपयोग नहीं करें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं, माननीय सभापति महोदया, मैंने कहीं कोई नियम नहीं तोड़ा है। मैंने कहीं कोई नियम नहीं तोड़ा है। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि वक्त आयेगा। यह मैं उचित .. (व्यवधान) मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि मैंने नियमों की कहीं अवहेलना नहीं की है। मैं नियम के अन्तर्गत बोला हूं और संवेदनशीलता जो कि इतना इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट है उसको जिस तरीके से गम्भीरता से नहीं लिया गया, जिसको मजाक में टाल दिया गया, मैं उससे चिन्तित हूं और उसमें अपनी चिन्ता व्यक्त करने के लिए मैं आपको यह सब चीजें बता रहा हूं कि हम हैं कौन, हम किस तरीके से इस संवेदनशीलता को अपनाना चाहते हैं और हम क्या दिशा-निर्देश राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को देना चाहते हैं, यहां की जनता को देना चाहते

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

हैं ताकि वह संवेदनशील बने। अगर हमारे खुद के हाथ कोयले की दलाली में काले होंगे तो कौन हमारी बात को स्वीकार करेगा, कौन हमसे दिशा-निर्देश लेगा। कहीं भी मर्डर करके आदमी आया हो, उसको घर में पनाह दी जाये वह आदमी किस तरह से संवेदनशील प्रशासन देने की बात करेंगे। मैं आपको एक्जाम्पल देना चाहता हूं। क्या कोटा का घासीराम मर्डर केस में जो मर्डरर था वह किसी एक नेता के यहां नहीं पकड़ा गया? एक ही नहीं मैं पचासों एक्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। कोटा में 1989 में जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ उसमें जुलूस पाटनपोल की तरफ से घण्टाघर आ रहा था और जहां पर 12 मुसलमानों का कत्ल किया गया मस्जिद में जा करके, क्या उस जुलूस को भारतीय जनता पार्टी के नेता लीड नहीं कर रहे थे जो आज प्रशासन चला रहे हैं इस राजस्थान में? अब एक-एक बात का मेरे से खुलासा करवाना ही चाहो आप.... (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता): माननीय सदस्य ने कहा कि महल में रहते हुए दूसरों पर पत्थर फेंकते हैं। आप नाम लें ना....

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद): माननीय सभापति महोदया, आपने यह व्यवस्था दी है कि माननीय सदस्य उन मंत्रियों के नाम बता दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल: जहां-जहां बड़े बड़े मर्डर केसेज में तफ्तीश राजनैतिक दबाव द्वारा करवाई जाती है....

श्री शांतिलाल खोईवाल: आपने व्यवस्था दी है कि माननीय सदस्य उन मंत्रियों के नाम बतायें, क्या आप यह व्यवस्था वापस ले रही हैं?

श्री सभापति: नहीं, मैंने व्यवस्था दे दी है। इन्होंने नाम नहीं बताये, मैंने एक्सपंज करवा दिया।

अनेक माननीय सदस्य: एक्सपंज कैसे करवा देंगे?

श्री शिवनाथ सिंह: एक्सपंज नहीं हो सकता।

श्री पूनमचन्द विश्नोई: यह हमारे अधिकार का, अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन है। आप सुनिए ध्यान से।....

श्री सभापति: कई मंत्रियों के नाम लिए हैं।...

श्री पूनमचन्द विश्नोई: आप सुनिए ध्यान से। शब्दों को कार्यवाही से हटाने के लिए काफी कठोर नियम हैं। असंसदीय हों, मानहानिकारक हों, भद्दे हों, इस तरह के शब्दों को कार्यवाही से हटाया जा सकता है। सरकार भ्रष्ट है, मंत्री भ्रष्ट है। किसी एक का नाम नहीं बताया और कहा कि एक मंत्री हैं, उसने ऐसा किया तो इसमें पूर्व सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है। यह उनके विवेक पर है कि वे नाम बतायें या नहीं। नाम बताना ज्यादा खतरनाक होता है। आपके हित में ज्यादा खतरनाक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन: मतलब बिना जिम्मेदारी के यहां कुछ भी बोला जा सकता

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

है। आपने माननीय विश्नोई साहब, स्वयं ने अध्यक्षीय व्यवस्था दी है, मैं पढ़कर सुनाऊंगा आपको।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां, पढ़कर सुनाता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी पढ़कर सुनाता हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां, पढ़कर सुनाओ। कभी नहीं हो सकता ऐसा। (व्यवधान) ऐसा है कि किसी व्यक्ति को इंगित करके नाम लेना बुरा नहीं है। इंगित करके जिससे इशारा उस व्यक्ति की तरफ हो जाये या उसको पहचाना जा सके, इस तरह का अगर कहते हैं, उस अवस्था में यह आवश्यक हो जाता है कि आप लिखित के अन्दर सूचना दें। मानहानिकारक हो लेकिन किसी का नाम बताये बगैर सरकार को यह कह दें कि पूरी सरकार भ्रष्ट है, पूरे मंत्री भ्रष्ट हैं, आपके इस सरकार के अन्दर एक मंत्री भ्रष्ट है, ऐसा कहने से आप रोक नहीं सकते। फिर विचारों की स्वतन्त्रता क्या हुई। जहां तक एक्सपंज का है, एक्सपंज की तो मैंने आपको बता दी, सीमाएं हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह तो हो गया।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं हो कैसे गया? एक्सपंज करना अपने आप में एक बहुत ही....

एक माननीय सदस्य : तो फिर वाक आउट करना पड़ेगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : गम्भीर व्यवस्था है एक्सपंज करना। हमारे विचारों की स्वतन्त्रता का आप हनन नहीं कर सकते। भद्दा हो, मानहानिकारक हो।

श्री रामनारायण चौधरी : पाइण्ट आफ आर्डर। माननीय सभापति महोदया, सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या का भाषण मैंने थोड़ी देर पहले सुना था, आप उस भाषण को निकलवा लीजिए, उन्होंने स्पष्ट तौर पर वहां के प्रशासन पर सीधे आरोप लगाये थे। ऐसा आरोप मंत्री पर लगाया ही नहीं जो माननीय सदस्या ने लगाया था। वह एक्सपंज नहीं हुआ। कैसे एक्सपंज हो जायेगा ऐसे?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इन्होंने कोटा के कोई मंत्री बोला है और उनका नाम नहीं बताया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : राजस्थान के मंत्री बोला है, आप गलत कह रही हैं। आपको ध्यान नहीं है। कोटा के नहीं राजस्थान के मंत्रियों को कहा है वरना आपने एक बार एक्सपंज कर दिया मैं दुबारा अपनी बात बोलूंगा।

श्री सभापति : ठीक है, ऐसा है तो एक बार रिकार्ड को देखकर व्यवस्था दे दी जायेगी। आपने जो भी बोला है, रिकार्ड देखकर व्यवस्था दी जायेगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदया, माननीय गृह मंत्री यहां पर

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

विराजमान हैं। माननीय गृह मंत्री यहां पर विराजमान हैं, संवेदनशील हैं और समझदार हैं। मैं कोटा के मामले में बता रहा हूं आपको कि कम से कम मर्डर केस से लेकर के कई छोटे केसेज, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे-बड़े नेता फंसे हुए थे, तफ्तीश राजनैतिक दबाव से बदलवा दी गयीं और वह फाइलें मंगवाकर के जयपुर में आई. जी. के दफ्तर में पटक दी गयीं। यह संवेदनशीलता है? संवेदनशीलता के लिए मन साफ रखना पड़ेगा और मन साफ हो तो ही आप संवेदनशीलता का मैसेज यहां की ब्यूरोक्रेसी को और यहां की जनता को दे पाओगे। लेकिन जब मंत्रियों के खिलाफ और....

एक माननीय सदस्य : दरअसल झूठे मुकदमे बनाये थे, गलत केस बनाये थे आप लोगों ने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और मंत्रियों के खिलाफ छोड़िए, मुख्य मंत्री के खिलाफ भी कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, लग गये, तो उनका जवाब देने से भी करताया जाता है इस सदन में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बोलने से ही कतरा रहे हैं आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : जब भ्रष्ट नहीं है तो दुःख क्यों हो रहा है आपको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो मेरा आपके माध्यम से इस पूरे मंत्रिमण्डल से निवेदन है कि कृपया इस दस्तावेज से संवेदनशीलता का नाम डिलीट करवा दें और अगर यह डिलीट करवा दोगे तो आपको ईमानदार कहा जायेगा राजस्थान की जनता के द्वारा। आप संवेदनशीलता की बात करना छोड़ दें। आप कभी संवेदनशील न हो सकते और न संवेदनशील प्रशासन आप दे सकते, यह यहां की राजस्थान की जनता की मान्यता है। आपने विश्वास के पुल बनाने की बहुत कोशिश की इस अभिभाषण के जरिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : संवेदनशीलता के जितने भी शब्द थे उनको हटा दें, यह बात ठीक है, यह ठीक है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने अभिभाषण के जरिये विश्वास के पुल बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन ज्यों-ज्यों आप पुलों का निर्माण करते गये त्यों-त्यों अविश्वास की खाई चौड़ी होती गयी और हालत यह हो गयी, मीर का एक शेर है, महोदया, आपको पसन्द आयेगा,

"उम्र के दरिया के दरिया बह गये
और हम जहां डूबे वहीं पर रह गये।"

आप कुछ नहीं कर सके। क्योंकि वह मानसिकता नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है यहां पर एक कुशल और ईमानदार प्रशासन देने की। इस राजस्थान की जनता को आपने जितने वादे किये, अभी मेरे से पहले माननीय विष्णु मोदी ने 5-6 ऐसे अभिभाषणों के पुराने दस्तावेज निकाल-निकाल कर यहां बताया जिसमें माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उस वक्त के तत्कालीन

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

राज्यपाल से इसी सदन में यह कहलवाया कि हम यह करेंगे, वह करेंगे, वह करेंगे यह करेंगे और क्या हुआ एक-एक चीज खोल कर के उन्होंने यहां बताया। अब आप हमसे यह आशा रखो कि+ + +को हम धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में पारित कर दें ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : + + + शब्द असंसदीय है, उसको एक्सपंज कर दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पूनमचन्दजी, आप बतायें कृपया।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : शब्द अपने आप में कोई असंसदीय नहीं है मंत्री को + + +कहना असंसदीय है। + + + की जगह आप क्या कहेंगे, महावीरजी + + +को + + +ही कहेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसको + + +कह दिया न, इसको + + +कह दिया,+ + + या + + +....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : किसी को + + + कहते हैं तो असंसदीय है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + +या + + +। बात तो वही है न।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा।

श्री शांति कुमार धारीवाल : डंकल की बात, तिवाड़ी साहब का भाषण सुना और तिवाड़ी साहब ने बताया कि डंकल की बाबत तीन चीजें हैं जिसको कि सब मानते हैं। रोजगार के मामले में कमी होगी, दवाइयों के दाम बढ़ेंगे। हमें तो डंकल खा जाये लेकिन आपको तो दीमक चाट रही है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह डंकल वाला झगड़ा किसने छेड़ दिया ? सभी तीन दिन से यही डंकल-डंकल कह रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और लघु और सीमान्त कृषकों को नुकसान है।

आपके माध्यम से मैं तिवाड़ी जी से कहना चाहता हूं कि जब कम्प्यूटर चले, कम्प्यूटर का चलन हिन्दुस्तान में शुरू हुआ राजीव गांधी के नेतृत्व में, तब भी आरोप आपने लगाया था कि बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगार हो जायेंगे, यह होगा, वह होगा लेकिन आज देखिये कम्प्यूटर के चलन से रोजगार और खुले हैं। दुकानें खुली हैं, बिजनेस बढ़ा है...

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : कम्प्यूटर चालू हुए उस समय हिन्दुस्तान में कितने बेरोजगार थे और आज कितने हैं ? बताओ आप आंकड़े।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो आपने बात बतायी मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं कि जो डंकल के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद महंगी होंगी। मैं मानता हूं इस बात को लेकिन जो तीसरी बात आपने कही कि जो लघु और

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

सीमान्त कृषकों को नुकसान होगा। तिवाड़ी साहब यह कांग्रेस की सरकार थी जिसने भूमि-सुधार कानूनों को लागू किया और उन भूमिहीनों को, लाखों हैक्टेयर जमीन उन लाखों आदमियों में बांटी और खास करके आज उनको भूमि का मालिक बनाया। यह कांग्रेस की सरकार अगर डंकल प्रस्ताव मान भी लेती है तो आप निश्चित रूप से मानिये कि उन लघु कृषकों को और सीमान्त कृषकों को कोई नुकसान नहीं होगा। आप क्यों डंकल का असत्य प्रचार कर रहे हैं।

डंकल के बाबत आपने भी क्योंकि आप कुर्सी पर बैठी हैं, मैं आपके खिलाफ क्या कहूं? या तो मैं उस सीट को देखकर कहूं जहां आप बिराजमान थीं। आपने भी यह कहा..

श्री सभापति : माननीय सदस्य वैसे भी आप आसन को सम्बोधित करें। आप बार-बार उधर क्यों देखते हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पेटेण्ट के बाबत या तो जानकारी लोगों को है ही नहीं और अगर जानकारी है तो वह जान-बूझकर इसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। आपने इस डंकल के पेटेण्ट को पढ़ा ही नहीं। जो अखबारों की कटिंग आप लोग पढ़ लेते हो, यहां भाषण ठोक देते हो कि पेटेण्ट गलत है। मेहरबानी करके मैंने पहले भी आपसे यह जिक्र किया था और महोदया में आपकी मार्फत आसन से यह अर्ज करना चाहता हूं कि डंकल पर आप एक रोज की पूरी डिबेट रखवाइये ताकि राजस्थान की जनता को इस सदन के मार्फत यह तो पता लगे कि डंकल है क्या। जिस तरीके से इस प्रणाली की और इस प्रस्ताव की खिलाफत की जा रही है उससे हमारे देश को आगे आने वाले वक्त में कितना बड़ा नुकसान होगा।

दो तीन बातें क्योंकि वक्त कम है...

एक माननीय सदस्य : क्यों छेड़ते हो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप छेड़ते रहिये मेरी तो उम्र छेड़ने की है नहीं। मैं तो यह नहीं कहता कि आप कोई छेड़छाड़ करेंगे। मैं एक शेर पढ़ दूं :

"ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही।
पर जलवों से छेड़छाड़ की आदत नहीं रही॥
कमजोर से निगाहों ने संजीदा कर दिया।
अब आइना देखने की भी तबियत नहीं रही॥"

महोदया, राजस्थान की जनता के लिए सरकार एक नयी औद्योगिक नीति बनाने जा रही है। मैं उसमें अपने सुझाव उस तरीके से देना चाहता हूं कि लघु उद्योगों की हालत बहुत खराब है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शांति जी मैं यह नहीं कह रहा था। मैं तो यह कह रहा कि आपका नाम और शकल छेड़ने लायक है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : धन्यवाद, लघु उद्योगों के बाबत निवेदन करना चाहता

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

हूं। यह लघु उद्योग फौरन बीमार हो जाते हैं हमें इनके स्वास्थ्य की तरफ देखना होगा। लघु उद्योगों के लिए, केन्द्रीय सरकार ने जो उद्योग बीमार पड़ते हैं उनके लिए बी. एफ. आई. आर. बना रखी है लेकिन राजस्थान की सरकार ने लघु उद्योगों के लिए कोई भी ऐसे संघटन का निर्माण नहीं किया जिससे कि उनको फौरी मदद पहुंचा दी जायें। लघु उद्योगों की हालत यह है कि हजारों की संख्या में लघु उद्योग आज बीमार पड़े हैं। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार को आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वह कोई न कोई ऐसा संगठन बनाये, बी. एफ. आई. आर. का जैसा जिससे कि इनको फौरन मदद मिल सके। रीको को आपने आवंटन का काम भी दे दिया और विकास का जिम्मा भी दे दिया। न तो वह आवंटन पूरा कर पाते हैं और विकास का तो सवाल ही नहीं है। जहां-जहां भी उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र बनाये हैं वहां आवासीय कालोनीज का नामोनिशान नहीं है और नतीजा यह है कि इण्डस्ट्रियल प्लाट्स पर लोग मकान बना कर रह रहे हैं क्योंकि जहां पर भी रीको ने इण्डस्ट्रियल प्लाट्स बनाये थे, शहरों की आबादी धीरे-धीरे वहां तक पहुंच गयी है और पहुच करके उनको एन्क्रोचमेंट कह दें या कुछ भी कह दें लेकिन स्कीम की माफिक काम नहीं हो रहा है और आवासीय कालोनीज धड़ाधड़ बन रही हैं। तो कृपया इस बात में सुधार लायें।

छोटे उद्योग अपनी खुद की बिजली पैदा कर पायें और उनको जनरेटिंग सैट उपलब्ध हों उसके लिए सरकार को अनुदान देना चाहियें। इसी तरह से कन्साइनमेण्ट सेल को भी प्रोत्साहन सरकार को देना चाहिए। अगर कन्साइनमेण्ट सेल को प्राथमिकता सरकार देती है तो राजस्थान के उत्पादन दूसरे प्रदेशों में जाकर सस्ते भाव में बिकेंगे। बिक्री बढ़ेगी आपकी और आपको भी आमदनी होगी और उद्योगों को भी आमदनी होगी। ठीक इसी तरीके से फ्री ट्रेड जोन जो कि दूसरे प्रदेशों ने अपने यहां डिक्लेयर किये हैं कोटा, जयपुर, जोधपुर आदि कम से कम चार-पांच सिटीज को तो फ्री ट्रेड जोन डिक्लेयर करना चाहिये ताकि जो एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट्स हैं वह राजस्थान में अपने उद्योग स्थापित कर पायें। लघु उद्योगों के बाबत जब वह बीमार पड़ती हैं तो प्रोसीजर इतना लम्बा चौड़ा है और आर. एफ. सी. का तौर-तरीका काम करने का वही परम्परावादी है कि मामला सुलझाने के बजाय और उलझ जाता है। तो डी. आई. सी. को आपको अधिकार देने चाहिए कि जो बीमार उद्योग हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करायें। सिक का डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट जारी करे।

मैं दूसरी बात छोटे किसानों के बारे में करना चाहता हूं कि किसानों की पूरी आबादी का कम से कम 18–19 प्रतिशत ऐसा है कि सिर्फ सब्जी और फल पैदा करता है और अपनी आजीविका कमाता है लेकिन उनकी तरफ सरकार का ध्यान कतई नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में उन किसानों की फल और सब्जी नष्ट होती है, करीब 40 प्रतिशत की तादाद में उनकी फल सब्जी नष्ट होती है। तो मैं आपसे

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

यह निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे किसानों का ध्यान रखिये। कोल्ड स्टोरेज को आप सस्ती बिजली देंगे, सस्ती जमीन देंगे तभी जाकर प्राटेक्शन हो पायेगा और अगर प्राटेक्शन नहीं हो पाया तो 30–40 प्रतिशत की तादाद में आज जो उनकी फल सब्जी की बरबादी हो रही है उससे वह लोग पिसे हुए हैं क्योंकि वह छोटी होल्डिंग वाले लोग हैं। बड़ी होल्डिंग वाले कभी भी फल-सब्जी नहीं करते। बहुत कम काश्तकार हैं ऐसे। तो इनकी तरफ भी देखना होगा।

आज प्रशासन की हालत में आपको बताऊं। सार्वजनिक निमाण मंत्री कहते हैं कि सन् 1971 की जनसंख्या जिस गांव की एक हजार होगी हम सड़क बना देंगे। दूसरी तरफ उसी भाषण में वह यह साफ कहते हैं कि 358 करोड़ रुपयों की इसके लिए आवश्यकता होगी और 358 करोड़ हमारे पास हैं नहीं। शिक्षा मंत्री जी खुद कन्फ्यूज्ड हैं...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदया, 15 मिनट का टाइम बढ़ा दीजिये। पिछली पंक्ति वाले माननीय सदस्य पांच-सात मिनट लेंगे इसलिए 15 मिनट का समय बढ़ा दीजिये आप।

(18.00)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीरप्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदया, सदन का समय सवा छह बजे तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय सवा छह बजे तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय सवा छह बजे तक बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको इस सरकार की वर्किंग बता रहा हूं, महोदया। सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह घोषणा करते हैं कि 1971 की जनसंख्या जिस गांव की एक हजार होगी...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका बहुत समय हो गया है। समाप्त करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां समय हो गया है, मैडम ? अभी तो चालू हुआ है। खतम कर रहा हूं पांच मिनट में।

कथनी-करनी में फर्क बताता हूं मैं आपको। शिक्षा मंत्री एक तरफ कहते हैं कि जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार यह होगा लेकिन काम दूसरे तरीके से करते हैं। कन्फ्यूज्ड हैं टोटल कि हमें क्या करना है। एक इतनी मोटी नियमों की किताब प्राइवेट स्कूलों पर बना दी। जिन स्कूलों में पढ़े हुए लड़के मेरिट में टाप करते थे उन पर तो अंधाधुंध कानून बना दिये और सरकारी

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

स्कूलों की हालत देख लीजिये कि जहां पर टीचर तक नहीं जाता। उसका कारण क्या है? संवेदनशीलता की बात करते हैं। आपने ठीक कहा था कि पटवारी, ग्राम सेवक और मास्टर इन तीन आदमियों में जब तक संवेदनशीलता नहीं आयेगी तब तक प्रशासन में सुधार नहीं हो सकता। मेरा आरोप है कि जितने मास्टर राजस्थान में उपलब्ध हैं उनका बहुमत आर. एस. एस. को बिलांग करता है और उनको पोलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ग्राम सेवकों से राजनीति करवायी जाती है, पटवारियों की मार्फत अपने दल की नीतियों का प्रचार कराया जाता है। जब ऐसी सरकार बिराजमान हो जहां जितने मंत्री हैं वे सब कहते कुछ और हों और करते कुछ और हैं, उससे क्या आशा की जा सकती है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं इसी उम्मीद के साथ कि काफी कुछ कहने के बाद कुछ सुधार आयेगा, राजस्थान की सरकार में विराजमान मंत्री लोग अपनी कार्य-प्रणाली में सुधार करेंगे, एक बात कहकर अपनी बात खतम करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं..

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपमें आकर्षण ही नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, और लोग भी बोलना चाहते हैं। आपकी वजह से वे बोल नहीं पायेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे उम्मीद है मैं अच्छी बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : दूसरे लोग भी अच्छी बात कह सकते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन लोगों में सुधार आयेगा। आखिर में मैं मेरी चार लाइन बात कहकर खतम करना हूं।

रात की चादर में सारा शहर है
लिपटा हुआ।
कोई न कोई तो दरवाजा खुला
मिल जायेगा।

उम्मीद है, मेघवाल साहब, उम्मीद है। हम इसी हसरत में जी रहे हैं आज तक...

श्री किशनाराम नाई : कव्वाली भी जानते होंगे?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माण्ड भी जानता हूं, आपको माण्ड सुनना है?

रात की चादर में सारा शहर है
लिपटा हुआ
कोई न कोई तो दरवाजा खुला
मिल जायेगा
हम इसी हसरत में जी रहे हैं
आज तक
- कि आते मौसम में कोई पत्ता हरा
मिल जायेगा।

श्री सभापति : श्री ओमप्रकाश शर्मा।

....(व्यवधान)....आपकी पार्टी का तो

(श्री सभापति)

समय भी पूरा हो गया, पर लास्ट में नाम होगा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : हमारी पार्टी का समय कभी पूरा नहीं हो सकता।

श्री परसादीलाल मीणा : हमने टाइम ही इसीलिए बढ़ाया था।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : सभापति महोदय, मेडम स्पीच का मौका दीजिये, पहली बार एक माननीय विधायक बोल रहे हैं।

श्री सभापति : मौका आयेगा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर टीकमचन्द जी कांत द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री के समय 1977 में "अनाज के बदले काम", "अन्त्योदय" "अपना गांव अपना काम" आदि जो योजनाएं लागू की गयीं उनसे ग्रामों का विकास हुआ और राजस्थान को एक नयी दिशा मिली। किसानों का लगभग 300 करोड़ रुपयों का कर्जा माफ किया, बारानी जमीन का लगान माफ किया। कोटा, बूंदी और बारां में जो कैचमैण्ट किया गया था, उसका वायदा किया गया था कि कर्जा माफ करेंगे। इस बजट के अन्दर उसको नहीं लिया गया, मेरा निवेदन करना है कि उसको भी इसमें लिया जाय।

बूंदी जिला कृषि प्रधान जिला है। कृषि में गंगानगर के बाद बूंदी जिले का नम्बर आता है, परन्तु वहां पर आज भी कोई हायर सैकेण्डरी स्कूल ऐसा नहीं है जहां कृषि विषय खोला गया हो। वहां कृषि विषय नहीं है, कृषि विषय प्रत्येक हायर सैकण्डरी स्कूल में खोलना अत्यावश्यक है।

बूंदी जिले का किसान अपना माल बाहर बेचने जाता है तो उसका मण्डी का टैक्स लगभग तीन करोड़ रुपये दूसरे जिले में जाता है। किसान जब माल बेचने जाता है तो उसको जो पर्ची दी जाती है उसमें उसका नाम होता है, गांव का नाम होता है, तहसील और जिले का नाम होता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जिस जिले का किसान हो उसी जिले में मण्डी टैक्स जमा हो। उससे उस जिले को लाभ होगा।

शिक्षा की दृष्टि से पिछली बार 1977 में माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने बूंदी कालेज में पी. जी. क्लासेज चालू कीं, एल. एल. बी. चालू की। परन्तु आज तक अन्य विषयों को नहीं खोला गया। मेरा निवेदन है कि और विषय भी वहां खोले जाने चाहिये। बूंदी में वर्तमान में एकमात्र छात्रा हायर सैकण्डरी स्कूल है, परन्तु वहां पर लड़कियों के लिए बैठने तक की जगह नहीं है, कमरे नहीं हैं और विषय भी कम हैं।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वहां पर कमरे बनाये जायं और विषय खोले जाने चाहिये।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

सिचाई के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ हम कृषि को महत्व देना चाहते हैं और दूसरी तरफ बूंदी जिला सिचाई की दृष्टि से इतना पिछड़ा हुआ है कि सम्पूर्ण राजस्थान में बांध बनाने के लिए जहां नदियां नहीं हैं वहां भी पैसा दिया गया जब कि बूंदी जिले के अन्दर जहां पानी इतना है, नदियां इतनी बह रही हैं वहां पर बांध नहीं है। एक बांध के बारे में निवेदन करूं कि गेड़वा बांध की 15 वर्ष पूर्व योजना बनी थी। उस समय इस पर लगभग 10 करोड़ का खर्चा आता था। इस गेड़वा बांध का 1983 के अन्दर पूर्व मुख्य मंत्री श्री शिवचरण जी माथुर ने शिलान्यास किया था, परन्तु आज तक उस गेड़वा बांध की स्वीकृति नहीं हो पायी। इस गेड़वा बांध से लगभग 43 गांव और 9005 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इतनी जमीन इस बांध से सिंचित होगी इसलिए इस बांध को अभिभाषण में लेना चाहिये था जो नहीं लिया गया। इसी प्रकार मेज नदी का पानी बेकार जा रहा है, मेज नदी पर बांध बने। इससे गेड़वा से लेकर गेंडोली, लाखेरी और इन्द्रगढ़ तक की जमीन सिंचित हो सकती है जहां पर लगभग 10 हजार हैक्टेयर जमीन सिंचित हो सकती है। आज भी बूंदी के अन्दर घोड़े पछाड़ मांगली नदी ऐसी नदियां हैं जिनका पानी व्यर्थ जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन नदियों का पानी जो बेकार जा रहा है, इन पर बांध बनाये जायं जिससे इस पानी का सदुपयोग मेरे क्षेत्र में किया जा सके।

पेयजल की दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी को मांगजी नदी से जोड़ा गया है, वहां से पानी यहां लाया जा रहा है, पीने के पानी का संकट है, इसको चम्बल नदी से जोड़ा जाय तक जाकर बूंदी नगर की पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा। आज भी बूंदी में रजतपुरा कालोनी, उधाले

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

की डूंगरी, रैगर बस्ती, देवपुरा, सबलपुरा, गुरु नानक कालोनी, मोरड़ीपाड़ा गोरधनपुरा और बरकू हैं। मैंने पूर्व में भी जलदाय मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि पीने के पानी को पांच किलोमीटर से लाना पड़ता है। अब मुझे दुःख है कि आज तक इनके अधिकारियों ने इस प्रकार की कोई योजना तक नहीं बनायी जबकि इन्होंने कहा था कि आप योजना बनाकर भेजिये, वे योजनाएं नहीं बनी। गर्मी आ रही है, वहां पर जनता त्राहि-त्राहि करेगी, इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां तत्काल योजना बनायी जाय और पीने के पानी की व्यवस्था करायी जाय।

बूंदी में एक मात्र बस स्टैण्ड है, वह बस स्टैण्ड शहर के बीच में है और वहां से सारी बसें बूंदी के बाहर होकर निकाली जा रही है। वह इसलिए निकाली जा रही है कि आने जाने का रास्ता नहीं है, रास्ता अवरुद्ध हो जाता है भारी भीड़ है। कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। दो साल में कम से कम 15 व्यक्ति मर चुके हैं परन्तु सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

उद्योग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि सीमेण्ट बूंदी के अन्दर बहुत है और एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य पूरा करें। एक सदस्य आज पहली बार बोलना चाहते हैं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मैं भी पहली बार बोल रहा हूं। जब 1977–80 में भैरोंसिहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने कोटा में मोरारजी देसाई जी के सामने घोषणा की थी कि आप मुझे कोटा से चित्तौड़ रेल दीजिये, मैं आपको सीमेण्ट दूंगा और 100 साल तक दूंगा। परन्तु बूंदी के अन्दर वह फैक्टरी नहीं डाली गयी बल्कि बूंदी का पत्थर कोटा डी. सी. एम. में जा रहा है, उसको इसमें दिया जाना अति आवश्यक है। मैं धारीवालजी की बात का जवाब देना चाहूंगा। अभी धारीवाल जी बोल रहे थे, मेरी बात अधूरी रह गयी।

श्री सभापति : और अवसर मिलेगा। श्री रामचन्द्र रावत।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : इस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : सम्माननीय सभापति महोदया, महामहिम....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इनका भाषण समाप्त होने तक समय बढ़ा दीजिये।

श्री सभापति : इनका भाषण समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामचन्द्र रावत : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो यह धन्यवाद प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूं, उसका समर्थन नहीं करता। जो यह सरकार है, यह सरकार किसान विरोधी है और इस भाषण के अन्दर युवा विरोधी बात आयी है। इस भाषण में महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है उसके प्रति कोई भी इस तरह की नीति नहीं रखी गयी है। वैसे मैं निवेदन करूं कि यह जो भाषण है, यह अर्थहीन है, महत्वहीन है इसको पारित नहीं किया जाय।

मैं पेयजल के बारे में समस्या बताऊं, वैसे तो इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है और माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कह दिया है लेकिन मेरी तहसील कोटपूतली की समस्या है जो बहुत ही जरूरी आप लोगों को सुनानी थी और इस माध्यम से मैं सुना सकता था इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे कोटपूतली तहसील में दो गांव ऐसे हैं एक बनार और एक देहता। जो आज की तारीख में पानी के लिए तरस रहे हैं वहां सात हैण्डपम्प

(श्री रामचन्द्र रावत)

थे, सातों खराब हैं और हालत यह हो रही है, मैं आपको सही कहता हूं कि वहां ऊंटबोगी से पानी लाया जाता है, मटकों से पानी लाकर के मटका एक-एक रुपये का बेचा जाता है। पानी को खरीदा जा रहा है आज की तारीख में, ऐसी हालत हो रही है उन दो गांवों के अन्दर। गर्मी का मौसम आने वाला है और सरकार उसके बारे में कुछ करना नहीं चाहती। मैं जलदाय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आपने मीटिंग भी ली थी और अधिकारियों से भी कहा था। आज तक उस गांव के अन्दर इसका कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। मैं थोड़े दिन पहले उस गांव में गया था, उन लोगों ने यह कहा कि आपको पानी पीने के लिए नहीं दिया जायेगा और पानी पीने के लिए नहीं है, वहां पर एक मटका एक रुपये के अन्दर खरीदा जाता है, बेचा जाता है और दूसरे गांव से पानी लाया जाता है। यह बाड़मेर नहीं है कोटपूतली है। मेरी हालत यह है, पेयजल के लिए मंत्रीजी आपको बताऊं और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 7 करोड़ रुपये दिये हमको इस अकाल राहत में हैण्डपम्पों को ठीक कराने के लिए। मगर यह 7 करोड़ रुपये कम है, आपको 15 करोड़ रुपये देने चाहिये। मैं गांव के दौरे में गया था, तहसील में गया था, तहसील के अन्दर हम लोगों ने पूछा तो हर गांव में हर ढाणी में हैण्डपम्प की जरूरत है और हैंण्डपम्प कम से कम 200 हमारी तहसील के लिए चाहिये और सरकार ने पूरे जयपुर जिले को खाली 30 हैण्डपम्प दिये हैं जबकि 13 एम. एल. एज. जयपुर जिले के अन्दर हैं। उसके अन्दर से हमारे हिस्से में दो आते हैं। हम उन दो हैण्डपम्पों को किस जगह लगायें या वापस सरकार को सौंप दें या क्या करें। मेरा यह निवेदन है कि पेयजल जितना मनुष्यों के लिए ही जरूरी है उतना ही जरूरी पशुओं के लिए भी है। पशुओं के लिए पेयजल का इन्तजाम किया जाय, उनके लिए खेली की व्यवस्था की जाय और पशुओं को भी पानी उपलब्ध करवाया जाय।

दूसरा मेरा निवेदन है. सड़कों के बारे में। मुख्य मंत्रीजी ने भाषण में यह कहा था कि एक हजार की आबादी वाले गांव को पंचायत हैडक्वार्टर के अन्दर सड़क से जोड़ा जायेगा। मगर मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधूरे काम हैं, जहां सड़कें बनी हुई हैं, जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको तो आप कम से कम जोड़ दीजिये। खाली यह घोषणा कर रहे हैं कि हम पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़ना चाहते हैं मगर नीयत नहीं है सरकार की, सरकार जोड़ना नहीं चाहती। इतने काम अधूरे रह गये हैं, टूटी-फूटी सड़कें हमारे कोटपूतली के अन्दर हैं, उनको ठीक नहीं किया गया है।

कृषि और पशु-पालन के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। मैं भी किसान के परिवार से सम्बन्धित हूं और किसान के बारे में, यह राजस्थान आपका किसान है और किसान का काम कृषि और पशु पालन का है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री का ध्यान

(श्री रामचन्द्र रावत)

आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कृषि के अन्दर एक सुझाव देना चाहता हूं कि किसानों की फसल की एक बीमा योजना बनायी जाय ताकि किसान की जो फसल खराब हो जाती है और सर्दी से अगर उसकी सरसों, चने और दूसरी फसल नष्ट हो जाती है तो उससे उसको राहत मिल सके। इसी कृषि के अन्दर एक दूसरा सुझाव देना चाहता हूं कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाय। कृषि को उद्योग का दर्जा इसलिए दिया जाय, जैसे उद्योग के अन्दर एक साबुन बनाया जाता है उसकी कीमत फिक्स होती है कि यह 5 रुपये का होगा और जो मुनाफा होता है वह उस उद्योगपति का होता है। उस तरह से इस कृषि को भी उद्योग का दर्जा दिया जाय, मेरा यह निवेदन है। ये दो सुझाव कृषि बारे में दिये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पशुपालन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर किसानों की राहत के लिए सरकार को पशु चिकित्सालय खोलने चाहिये। खुले नहीं हैं, अगर खुले होंगे तो मंत्रीजी के इलाके के अन्दर खुले होंगे, हमारे इलाके में नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर पशु चिकित्सालय खुलवाइये ताकि किसानों को पशुओं को 10-10, 15-15 किलोमीटर तक न ले जाना पड़े।

सभापति महोदया, मैं थोड़ा सा शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। शिक्षा के बारे में यह सरकार नीति स्पष्ट नहीं करना चाहती। मुख्य मंत्रीजी ने यह तो कहा है कि हम शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं, इसका प्रचार करना चाहते हैं मगर हमारी सरकार ने 6 हजार के करीब स्कूलें खोली और इस सरकार के आने के बाद में जो सारी की सारी प्राइमरी स्कूलें थी, जो ढाणियों में थी, जो गांवों में थी उन सब को बन्द कर दिया। सभापति महोदया, मैं अर्ज करूं आज उन ढाणियों के आधे से ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते और वे घर बैठ गये। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे स्कूल नहीं खुलेगा, हम पढ़ने के लिए दूसरी जगह नहीं जायेंगे। इसलिए इस सम्बन्ध में मेरा सरकार को सुझाव और निवेदन है कि जो 5–6 हजार स्कूलें बन्द की हैं उन स्कूलों को तुरन्त खोली जायं और आज ही यह कहें कि जितनी स्कूलें हमने खोली थीं वह सारी की सारी दुबारा से खोलते हैं। जब तक उन स्कूलों को नहीं खोलेंगे तब तक वहां के लड़के पढ़ नहीं सकते हैं, दूसरी जगहों पर वह जा नहीं सकते हैं और ढाणियों का उद्धार हो नहीं सकता है।

दूसरा, सिंचाई के बारे में अभी आपने बताया। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने हमारे बांध हैं और दूसरे सिंचाई के साधन है। उन बांधों को खोला जाय, खुदवाया जाय और खुदवाने के बाद में (व्यवधान) बहुत हो गया क्या ? एक मिनट और निवेदन करना चाहता हूं।

मैं बिजली के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि यह बिजली की समस्या किसी तहसील या जिले की न होकर पूरे राजस्थान की है। राजस्थान

(श्री रामचन्द्र रावत)

की समस्या है तो इसका परमानेण्ट इलाज इस सरकार को करना पड़ेगा। हम दूसरे राज्यों से बिजली लेने के लिए देखा करते हैं, हम पंजाब से बिजली लेना चाहते हैं। हमें पंजाब से या दूसरे प्रदेशों से बिजली लेने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिये। हमें ऐसी व्यवस्था और कारखानें खोलनें पढ़ेंगे राजस्थान के अन्दर जहां से परमानेण्ट बिजली मिलती रहे।

इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि बिजली की जो चोरी होती है उस चोरी को रोकने की आवश्यकता है। यदि बिजली की चोरी रोक दी जाती है तो एक साल के अन्दर कम से कम 100 करोड़ रुपये का लाभ बिजली बोर्ड को हो सकता है। एक तरफ बिजली की चोरी रुक जायेगी दूसरी तरफ बिजली बोर्ड को इससे 100 करोड़ रुपये मिल जायेंगे और भ्रष्टाचार भी खतम हो जायेगा।

इस सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि उद्योगपति जो बड़ी-बड़ी फैक्टरियां लगाये हुए बैठे हैं। 115 करोड़ रुपये इनके बिलों के बाकी हैं। लोग इनके बिलों को क्यों नहीं भरते हैं? सरकार उनसे बिलों का जो 115 करोड़ रुपये बाकी है वह वसूल करे। ताकि बिजली के अन्दर नयी तकनीक आ जाय, नये ट्रांसफार्मर्स आसानी से खरीदे जा सकें।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

कोटपूतली की मेरी चिकित्सा को जो समस्या है उसके बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यहां मौजूद हैं और सुन रहे हैं तो मैं उनको आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटपूतली से दिल्ली के बीच में एक बड़ा अस्पताल है जो पहले 50 बैड्स का था फिर 100 बैड्स का हुआ और आज 150 बैड्स का है लेकिन वहां पर आज भी वही फोर्थ क्लास, स्वीपर कार्य कर रहे हैं। आज 8 साल हो गये 150 बैड्स का अस्पताल हुए मगर स्टाफ में बढ़ोतरी अनुपात के अन्दर न फोर्थ क्लास की की गयी, न स्वीपर्स की की गयी और न कम्पाउण्डर्स की की गयी। वही स्टाफ है जो 50 बैड्स के हास्पिटल के समय में था। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां 3 साल से डिप्टी कण्ट्रोलर हुआ करता है, जिसे उप नियंत्रक कहते हैं जो उस पूरे अस्पताल को कण्ट्रोल करता है। वह 3 साल से जगह खाली पड़ी हुई है मगर सरकार उसको भरना नहीं चाहती है। सरकार की नीति नहीं है मेरे ख्याल से। 3 साल से, जब से आपकी सरकार आयी है तब से पोस्ट खाली है। वहां पर बाल-रोग विशेषज्ञ की दो साल पोस्ट, खाली है, स्त्री रोग विशेषज्ञ की दो साल से पोस्ट खाली पड़ी हुई है। इस तरह से आपकी चिकित्सा की व्यवस्था चल नहीं सकती है। आपको इसमें सुधार लाना पड़ेगा। क्योंकि यही एक बड़ा अस्पताल कोटपूतली के अन्दर है, नेशनल हाईवे के ऊपर है।

माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : सदन का समय समाप्त हुआ। सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 2 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.24 बजे बुधवार 2 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

"गीर" नस्ल की गायों के प्रजनन फार्म का स्थानान्तरण

105. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)–क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) "गीर" नस्ल की गायों के प्रजनन व संवर्धन के लिये डग जिला झालावाड़ में जो फार्म ग्राम रामसर, जिला अजमेर से स्थानान्तरित किया गया था, क्या उसका कार्य व परिणाम संतोषजनक है ?

(2) क्या अजमेर जिले से इस फार्म को स्थानान्तरित करने के बाद गायों की "गीर" नस्ल लुप्त प्रायः हो रही है ?

(3) "गीर" नस्ल की गायों के प्रजनन व संवर्धन के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) गीर नस्ल का फार्म जो कि डग में स्थानान्तरित किया गया था उस फार्म से उद्देश्य के अनुसार बछड़ा उत्पादन कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू है ।

(2) जी नहीं ।

(3) गीर नस्ल के सुधार हेतु अजमेर जिले के उन स्थानों पर जहां पर गीर गायों की बाहुलता है, वहां पर गीर नस्ल के श्रेष्ठ हिमीकृत वीर्य द्वारा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराई हुई है । यह सुविधा देशी गोवंश परियोजना के माध्यम से कार्यरत है ।

तारागढ़ दुर्ग (अजमेर) के विकास हेतु गठित समिति

106. श्री महेन्द्र मीणा (सिकराय), **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद)–क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा अजमेर के ऐतिहासिक दुर्ग तारागढ़ के विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तारागढ़ विकास मण्डल का गठन किया गया था ?

(2) तारागढ़ के विकास के लिए गठित इस मण्डल को क्या अब समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) तारागढ़ में केन्द्र सरकार द्वारा उच्च शक्ति का टी.वी. केन्द्र व आकाशवाणी केन्द्र लगाने/बनाने की क्या कोई योजना है ? अगर हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है ?

(4) क्या तारागढ़ विकास मण्डल को समाप्त करने से इन योजनाओं व पर्यटन में विलम्ब नहीं हुआ ? यदि नहीं, तो फिर क्यों ये योजनाएं लम्बित है ?

उत्तर

(1) जी हां । स्वायत शासन विभाग

(पर्यटन राज्य मंत्री)

द्वारा दिनांक 4-4-84 को तारागढ़ विकास मण्डल का गठन किया गया था।

(2) जी हां। तारागढ़ विकास मण्डल को राज्यादेश दिनांक 12-6-87 द्वारा समाप्त किया जा चुका है।

(3) तारागढ़ राज्य सरकार द्वारा घोषित संरक्षित स्मारक नहीं है। तारागढ़ दुर्ग का केवल मुख्य द्वार महत्वपूर्ण होने के कारण भारत सरकार के भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित घोषित है तथा भारत सरकार के नियंत्रण में है। तारागढ़ की पहाड़ी पर टी. वी. ट्रांसमीटर तथा ट्रांसमीटर टॉवर स्थापित किये जाने हेतु भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग ने दिनांक 8-2-93 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है।

(4) चूंकि पर्यटन विभाग तारागढ़ का विकास होने के बाद ही योजनायें बनाता, अतः मण्डल को भंग करने से न तो कोई पर्यटन से सम्बन्धित योजना लम्बित है और न ही कोई विलम्ब हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था

107. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर)–क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के लिये जो डिस्पेन्सरी व सब सेन्टर व ऐडपोस्ट खोले हुए हैं, कई स्थानों पर स्टाफ नहीं लगाने से स्थानीय जनता चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं? यदि हां, तो इसके लिये राज्य सरकार कोई नीतिगत निर्णय लेकर कारगर कदम उठाने का विचार रखती है?

(2) जयपुर जिले में किस-किस डिस्पेन्सरी, उप स्वास्थ्य केन्द्र में कब से स्टाफ अपर्याप्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्र की डिस्पेन्सरी व उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर लगे डाक्टर व नर्स शहरों में प्रतिनियुक्ति पर लगा रखे हैं? यदि हां, तो किस-किस को कब से?

उत्तर

(1) जी हां, जिन चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के पद रिक्त हैं, वहां चिकित्सा सुविधाओं का प्रभावित होना अस्वाभाविक नहीं है। विभाग द्वारा सभी वर्ग के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

(2) जयपुर जिले में ग्रामीण डिस्पेंसरी नहीं है। जिन उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ स्वीकृत पदों के अनुरूप पर्याप्त नहीं है, यानि रिक्त है, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

क.सं.	संस्था का नाम		रिक्त पद	कब से रिक्त है
1.	उपकेन्द्र, धामस्या पं स.	जमवारामगढ़	1	1992–93
2.	उपकेन्द्र, बुभ पं,स.	,,	1	,, ,,
3.	उपकेन्द्र. पापड पं.स.	,,	1	,, ,,
4.	उपकेन्द्र, बोबाडी पंस.	,,	1	,, ,,
5.	उपकेन्द्र, नागलतेजसिंह	,,	1	,, ,,
6.	उपकेन्द्र, डमोता पं.स.	,,	1	,, ,,
7.	उपकेन्द्र, दुधलियावास पं.स.	शाहपुरा	1	,, ,,
8.	उपकेन्द्र, विदारा पं.स.	,,	1	,, ,,
9.	उपकेन्द्र, पापड़ा पं.स.	विराटनगर	1	,, ,,
10.	उपकेन्द्र, सूरजपुरा पं.स.	,,	1	,, ,,
11.	उपकेन्द्र, बागावासचोरासी	,,	1	,, ,,
12.	उपकेन्द्र, भूरीमंडाज पं.स.	कोटपूतली	1	,, ,,
13.	उपकेन्द्र, सुंदरपुराढाढा पं.स.	,,	1	,, ,,
14.	उपकेन्द्र, गोपालपुरा पं.स.	,,	1	,, ,,
15.	उपकेन्द्र, मांलोजीबसई	,,	1	,, ,,
16.	उपकेन्द्र, छारदडा पं.स.	,,	1	,, ,,
17.	उपकेन्द्र, सुंदरपुर पं.स.	,,	1	,, ,,
18.	उपकेन्द्र, किशनमानपुरा पं.स.	गोविन्दगढ़	1	,, ,,
19.	उपकेन्द्र, लालासर पं.स.	जोबनेर	1	,, ,,
20.	उपकेन्द्र, गिदानी पं.स.	दूदू	1	,, ,,
21.	उपकेन्द्र, भाग पं.स.	,,	1	,, ,,
22.	उपकेन्द्र, सोखावास पं.स.	सांगानेर	1	,, ,,
23.	उपकेन्द्र, डाबिच पं.स.	फागी	1	,, ,,
24.	उपकेन्द्र, मंडालियामेदा पं.स.	चाकसू	1	,, ,,

बगड़ी जिला पाली में "डाइट" भवन निर्माण प्रकरण

108. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :-क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बगड़ी जिला पाली में डाइट का भवन बनाने के आदेश जारी हुए थे ? यदि हां, तो किस तारीख को ? प्रति सदन की मेज पर रखें। इसका ठेका कब दिया गया तथा इसमें से कितने भवन तैयार हो चुके हैं कितने शेष हैं ? उक्त क्षेत्र में कितने भवन कितने वर्ग फुट एरिया के बनने वाले थे तथा कुल कितनी राशि के ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने काम शुरू हो जाने के पश्चात् इस काम को रोकने के आदेश दिये ? यदि हां, तो कब तथा किस कारण से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) भवन बनाने का कार्य कितने समय तक बन्द रहा तथा वापस कब शुरू करने के आदेश दिये गये ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इतने लम्बे समय तक काम बन्द रहने के कारण लागत में वृद्धि हो गई किन्तु कुल स्वीकृत राशि उतनी ही होने के कारण भवनों के निर्माण कार्यों में कमी कर दी गई ? यदि हां, तो कौन-कौन से भवनों में ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) राज्य कोष पर पड़े इस भार के लिए कौन जिम्मेवार है तथा शेष भवनों को पूरा कराने के लिए क्या कार्यवाही विचाराधीन है तथा कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 29-8-89 को आदेश जारी हुए। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रशासनिक एवं शैक्षिक भवन का दिनांक 9-1-90 को तथा छात्रावास एवम् आवास भवनों का 17-7-90 को प्रथम ठेका दिया गया था। द्वितीय ठेका प्रशासनिक शैक्षिक, छात्रावास भवन का दिनांक 9-10-92 को दिया गया।

प्रशासनिक एवं शैक्षिक भवन लगभग पूर्ण हो चुका है। फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। छात्रावास भवन का भूतल भाग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आवास गृह बनने शेष हैं।

प्रथम ठेके के अनुसार उक्त क्षेत्र में बनने वाले भवनों का क्षेत्रफल एवं अनुमानित व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

भवन	क्षेत्रफल (वर्गफुट)	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1. प्रशासनिक	5,319.18	26.00
2. शैक्षणिक	12,295.00	0.00
3. छात्रावास	10.053.75	30.00
4. प्रधानाचार्य आवास	1,084.75	7 00
5. वार्डन क्वा.	1,237.50	
6. च.श्रे.कर्म. ,,	738.50	
कुल योग		63.00 लाख

(शिक्षा मंत्री)

(2) विधायक एवं जनता को स्थान परिवर्तन की मांग को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 24-3-90 को डाइट भवन का निर्माण बंद किया गया। जिनकी पुष्टि में दिनांक 25-4-90 द्वारा मुख्य अभियन्ता सावजनिक निर्माण विभाग के पत्र की प्रति संलग्न है।

(3) भवन बनने का कार्य दिनांक 24-3-90 से 31-10-92 तक बद रहा तथा वापस शुरू करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24-10-91 को प्रदत्त किये गये प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। जिसकी अनुपालना में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ कराया।

(4) जी हां। अपरिहार्य परिस्थितियों एवं कीमतों में वृद्धि के कारण आवासीय भवनों एवं छात्रावास की ऊपरी मंजिल के, निर्माण कार्यों की कमी की गई।

(5) राज्य कोष पर अपरिहार्य परिस्थितियों एवं कीमतों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है। शेष भवनों को पूरा करने के लिए भारत सरकार से अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

किशनगढ़ क्षेत्र के तालाबों का विकास

109. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अधीन तालाबों और ग्राम पंचायतों के अधीन तालाबों की पृथक्-पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायतों के अधीन तालाबों को सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लाने के क्या मापदण्ड हैं और क्या इस प्रकार के आवेदन ग्राम पंचायत की ओर से लम्बित हैं?

(3) क्या राज्य सरकार की उपरोक्त तालाबों के विकास हेतु योजना है? यदि हां, तो उसका आर्थिक स्वरूप क्या है?

(4) क्या सिंचाई विभाग ने अराईं क्षेत्र में 1993 के मध्य में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त तालाबों का सुधार कार्य कर दिया है? यदि हां, तो कुल लागत सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 32 तालाब आते हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" में प्रस्तुत है। ग्राम पंचायतों के अधीन तालाबों की सूचना सम्बन्धित विभाग से एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(2) तालाबों को सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लेने के लिए कोई मापदण्ड नहीं हैं। किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की किसी भी ग्राम पंचायत का आवेदन विभाग में लम्बित नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(209)

किशनगढ़ क्षेत्र के तालाबों की सूची (जिला-अज

1. राम सागर रामपुरा
2. हनुमान सागर रलावता
3. तिलोनिया तालाब
4. जुबली सागर भूंडोली
5. धोबी घाटा बांदरसिंदरी
6. उम्मेद सागर नोरिया
7. राम सरोवर बांदर सिंदरी
8. खातीलाई बांदरसिंदरी
9. ज्ञांदोलाई बांदरसिंदरी
10. जय सागर डीडवाड़ा
11. मदन सागर डीडवाड़ा
12. लाम्बा सागर सरगांव
13. पर्वत सागर सरगांव
14. करनी सागर हारी
15. धागजी का नाड़ा बरना
16. नया तालाब बरना
17. गोवर्धन सागर बरना
18. भैरू सागर बालूपुरा
19. राम सागर दिलावड़ा
20. खेड़ा सागर खेड़ा
21. रूप समद्र नया गांव
22. जलथम्ब किशनगढ़
23. नया तालाब काचरिया
24. जोड़ला सागर काचरिया
25. हनुमान सागर चरना
26. किशन सागर गागुन्दा
27. सुख सागर सिरोज
28. जवाहर सागर सिरोज
29. सुरखेली सागर अराई
30. कोडिया सागर अराई
31. भवानी सागर करसूरा
32. गणेश सागर करसूरा

क.सं.	नाम तालाब	ग्राम पंचायत का नाम	पंचायत समिति
1	2	3	4
1.	सुमेर सागर	सिलोरा	किशनगढ़
2.	मोतीसागर	,,	,,
3.	मंड़को का नाड़ा	,,	,,
4.	रुघनाथपुरा तालाब	रिकावड़ा	,,
5.	धोरी भाटा	बांदरसिदड़ी	,,
6.	नया बाड़ा	,,	,,
7.	सुराखेड़ी तालाब	बुहारू	,,
8.	पाल सागर	,,	,,
9.	शिव सागर	कुचील	,,
10.	गोपाल सागर	,,	,,
11.	खारच्या तालाब	,,	,,
12.	ठंड सागर	,,	,,
13.	धीबोलाव तालाब	सलेमाबाद	,,
14.	फतेह सागर	रूपनगर	,,
15.	रूप सागर	,,	,,
16.	मभेला तालाब	नवा	,,
17.	रूप सागर	,,	,,
18.	सुखसागर तालाब	,,	,,
19.	छड़ाना तालाब	,,	,,
20.	किसव सागर	अमरपुरा	,,
21.	मोतीपुरा तालाब	सिगलोद	,,
22.	सागर माला तालाब	,,	,,

(211)

1	2	3	4
23.	मदन सागर	शल	किशनगढ़
24.	आनन्द सागर	"	"
25.	बाला सागर	सुरसुरा	"
26.	मदन सागर	"	"
27.	दंड सागर	"	"
28.	श्याम सरोवर	रयोव	"
29.	क्षीर सागर	"	"
30.	मदन सागर	रयोव	"
31.	राम सागर छोटा नरेना	"	"
32.	कालीपाल तालाब	"	"
33.	कुण्ड के पीछे	सलेमाबाद	"
34.	बोकोलाव नो-वदपुरा	"	"
35.	झील का तालाब	सुरसुरा	"
36.	मोरड़ी तालाब	"	"
37.	हनुमान सागर नलू	नलू	"
38.	दीनजारी की पाल	"	"
39.	मुडोती तालाब	"	"
40.	करणा सागर	सरगांव	"
41.	छीतरया तालाब	सिलोरा	"
42.	हनुमान सागर	"	"
43.	सरगांव सरवाव	करखेडी	"
44.	टुकड़ा तालाब	खातोली	"
45.	दरूड सागर	पनेर	"
46.	मीलावट	नोसल	"
47.	हदिरा तालाब	सिंगोदिया	"
48.	डेर की ढाणी केरिया तालाब	"	"
49.	जाढियों की ढाणी	"	"

1	2	3	4
50.	चमारान तालाब चौसला	देवपुरी	अराई
51.	बाला सागर देवपुरी	,,	,,
52.	सरव तालाब मारला	,,	,,
53.	गाबाई तालाब कटसूरा	कटसूरा	,,
54.	सुरालाव तालाब कटसूरा	,,	,,
55.	छापरिया तालाब अराई	अराई	,,
56.	मलाब सागर अराई	,,	,,
57.	आना सागर अराई	,,	,,
58.	मरड्या तालाब अराई	,,	,,
59.	गोपाल सागर धोलपुरिया	कालानाड़ा	,,
60.	हनुमान सागर कालानाड़ा	,,	,,
61.	दा पीलिया तालाब	,,	,,
62.	पचीपला तालाब पचीपला	,,	,,
63.	बीजरवाड़ा तालाब बीजरवाड़ा	,,	,,
64.	दुर्गा सागर मोगदीव	मोगदीव	,,
65.	माला सागर माला	,,	,,
66.	तुरत सागर सिरोज	सिरोज	,,

मेवात विकास बोर्ड

110. श्री अरुणसिंह (डीग) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मेवात विकास बोर्ड का कब गठन हुआ ? गठन के पश्चात् कितनी राशि इस योजना के लिए दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस योजना के तहत कौनसी पंचायत समितियां आती हैं और इसकी मीटिंग कब और कहां होती है ? यह योजना के अन्तर्गत किस-किस पंचायत समिति को कितनी-कितनी राशि कब-कब दी गई ?

उत्तर

(1) मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड का गठन 20 फरवरी, 1987 को किया गया । गठन के पश्चात् इस योजनान्तर्गत वर्षवार दी गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । परिशिष्ट "अ"

(2) इस योजना के अन्तर्गत अलवर जिले की सात पंचायत समितियां (गोविन्दगढ़, मुख्यालय लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, तिजारा, किशनगढ़ बास, मुण्डावर व उमरैण) तथा भरतपुर जिले की तीन पंचायत समितियां (नगर, कामां, एवं डीग) आती है ।

मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड की बैठक बोर्ड अध्यक्ष (मुख्य मंत्री महोदय) की सहमति से उनकी सुविधानुसार जयपुर या मेवात क्षेत्र में किसी भी स्थान पर रखी जाती है ।

योजना के संचालन हेतु इस विभाग से राशि जि. ग्रा. वि. अभिकरणों को आवंटित की जाती हैं । पंचायत समिति को कोई राशि आवंटित नहीं की गई हैं ।

मेवात योजनान्तर्गत वर्षवार आवंटन का ब्योरा

वर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1987–88	64.69
1988–89	94.24
1989–90	37.58
1990–91	39.67
1991–92	100.00
1992–93	100.00
1993–94	100.00
योग :—	536.18

पिछड़े वर्गों को राज्य सेवा में आरक्षण

111. श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार राज्य में पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) पिछड़ों में से आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न व्यक्ति या समूह को छांटने की क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ?

(3) क्या राज्य में सवर्ण जाति के आर्थिक दृष्टि से पिछड़ों को आरक्षण देने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो इनके चयन का क्या मापदण्ड होगा ?

(4) नौकरियों में प्रतिशत आरक्षण एवं पिछड़ों में अगड़े तथा अगड़े में पिछड़ों की संख्या का पता लगाने के लिए क्या राज्य सरकार अन्य राज्यों की तरह राज्य में जातियों की गणना करा कर आर्थिक दृष्टि से इनका पता लगाएगी ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या प 9 (8) कार्मिक/क–5/90 दिनांक 28-9-93 द्वारा राज्य सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के जरिये भरे जाने वाली रिक्तियों का 21 प्रतिशत अंश दिनांक 1-9-93 के राजस्थान पत्र विशेषांक में प्रकाशित अधिसूचना संख्या प (1) (125) आर. एण्ड पी/सकवि/46631 दिनांक 27-8-93 द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित की गई जातियों एवं वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों को 21 प्रतिशत आरक्षण देने हेतु जारी की गई अधिसूचना दिनांक 28-9-93 में प्रावधान किया गया है कि सन्दर्भित आरक्षण अधिसूचना के साथ संलग्न सूची के स्कम्भ 3 में उल्लेखित व्यक्तियों/समुदायों पर लागू नहीं होगा। अतः उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार ही ऐसे व्यक्तियों को छांटा जावेगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण जाति के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों को नौकरियों में आरक्षण देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(4) नौकरियों में आरक्षण के सन्दर्भ में पिछड़े वर्गों में उन व्यक्तियों के चिन्हांकन हेतु जिनको उक्त आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। जहां तक अगड़ों में पिछड़े व्यक्तियों की आर्थिक दृष्टि से गणना करने का प्रश्न है, चूंकि वर्तमान में स्वर्ण जातियों के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों को नौकरियों में आरक्षण देने का राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लिया है, अतः अभी ऐसी गणना कराने की योजना नहीं है।

खैरवाड़ा क्षेत्र की वन भूमि पर अनधिकृत कब्जे

112. श्री दयाराम (खैरवाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री दयाराम)

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के काश्तकारों ने वन भूमि पर अपना नाजायज कब्जा होने के रेंज कार्यालय खैरवाड़ा को प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो कितने तथा उस पर अभी तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग नाजायज कब्जों का मौका देखना नहीं चाहता है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। रेंज कार्यालय खैरवाड़ा में वन भूमि पर नाजायज कब्जों के 961 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार कायवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं। निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के फलस्वरूप विलम्ब हो रहा है।

जिला दौसा में घटित अग्नि दुर्घटनाएं

113. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा जिले में पिछले दो वर्षों में अग्नि काण्ड की कितनी घटनायें घटित हुई ? अग्नि पीड़ितों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अग्नि पीड़ितों को सरकार ने सहायता के रूप में कितनी-कितनी राशि दी ?

(3) क्या सरकार अग्नि पीड़ितों को इंदिरा आवास योजना अथवा अन्य योजनाओं में पक्के मकान बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) दौसा जिले में पिछले दो वर्षों में अर्थात् 1-4-92 से 28-2-94 की अवधि में अग्नि काण्ड की 331 घटनाएं घटित हुई। अग्नि पीड़ितों की सूची सदन की मेज पर पर रख दी गई है।

(2) अग्नि पीड़ितों को 1992-93 में 1,05,585 एवं 1993-94 में 2,06,200 इस प्रकार कुल 3,11,785 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। सूची संलग्न है।

(3) अग्नि पीड़ितों की सहायता सम्बन्धी निर्देशों के अनुसार प्रभावित परिवारों को भोजन एवं आवास सुविधा प्रदान करने हेतु तात्कालिक सहायता के रूप में राशि उपलब्ध कराई जाती है। झोंपड़ी बीमा योजना के अन्तर्गत जो परिवार सहायता के पात्र हैं उन्हें उस योजना के तहत सुविधा प्राप्त होती है।

जो अग्नि पीड़ित परिवार इंदिरा आवास योजना के तहत पक्के मकान के पात्र होंगे, उन्हें सहायता मिलेगी। यह योजना गरीबी की रेखा से नीचे के चयनित ऐसे परिवारों हेतु है जिनके पास स्वयं का मकान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पुष्कर (अजमेर) का कार्तिक पूर्णिमा मेला

114. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पर्यटन विभाग एवं अन्य एजेन्सियों द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर में आयोजित किये जाने वाले मेले के सम्बन्ध में आम धारणा यह बन रही है कि यह मेला अब अपना प्राचीन तथा धार्मिक महत्व खोता जा रहा रहा है और केवल विदेशी पर्यटकों/अन्य पर्यटकों को आकर्षित करने का माध्यम रह गया है ?

(2) क्या यह सही है कि इस मेले के अवसर पर जिला प्रशासन तथा अन्य राजकीय विभागों द्वारा जो व्यवस्थायें की जाती है वे केवल विदेशी पर्यटकों के लिए ही होती हैं और तीर्थ यात्रियों के रूप में इस मेले में आने वाले ग्रामीण जन तथा अन्य श्रद्धालुओं के लिए कोई विशेष सुविधायें शासन तंत्र द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि रामदेवरा मेले में आने वाले तीर्थ यात्री पुष्कर के इस पवित्र सरोवर में स्नान करने के उद्देश्य से पुष्कर की यात्रा करते हैं, परन्तु ऐसे हजारों श्रद्धालुओं के लिये ठहरने, राशन, कैरोसिन तेल आदि की समुचित व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है।

(4) क्या उपरोक्त प्रश्न के खण्ड 1, 2 व 3 में उल्लेखित विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह धारणा गलत है कि पुष्कर मेला अपना प्राचीन तथा धार्मिक महत्व खोता जा रहा है। यह मेला धार्मिक महत्व का मेला है तथा इस मेले में प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात है।

(-) जी नहीं। जिला प्रशासन एवं अन्य विभागीय एजेन्सियों द्वारा इस मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिये सम्पूर्ण व्यवस्था की जाती है। ग्रामीण जन अधिकांश रूप से अपने जाति समाज की धर्मशालाओं एवं मन्दिरों में ठहरते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा देशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिये आवास, भोजन एवं मनोरंजन आदि की व्यवस्था की जाती है। जिला प्रशासन द्वारा इस मेले के अवसर पर हर वर्ष ग्रामीणों तथा अन्य श्रद्धालुओं के लिये उचित मूल्य की दुकानें, कैरोसीन आदि की व्यवस्था की जाती है। रसद विभाग द्वारा सस्ते दर पर भोजन के पैकेट तैयार कर वितरण किया जाता है। यातायात विभाग द्वारा मेले के अवसर पर यातायात की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाती है।

(3) जी हां। इस मेले के अवसर पर राशन कैरोसीन, आवास आदि की व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन से कभी मांग नहीं की गई है, यदि भविष्य में जिला प्रशासन से इस अवसर पर मांग की गई तो उपलब्ध करा दी जावेगी।

(पर्यटन राज्य मंत्री)

(4) प्रश्न का उत्तर खण्ड संख्या 1, 2 व 3 में दिया जा चुका है।

मादक व जहरीली औषधियों का विक्रय

115 श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देशी एवं अंग्रेजी दवाइयों के नाम पर अनेक प्रकार की नशीली और जहरीली दवाइयां बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकारी विभाग इन पर रोक लगाने में असफल रहे है तथा इससे इन विभागों की लापरवाही स्पष्ट सिद्ध होती है ?

(3) ऐसे कितने लोगों के लाइसैन्स जब्त किये गये, कितनों को सजा दिलाई गई तथा कितनों के विरुद्ध अन्य कार्यवाही की गई ? विगत पांच वर्षों का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जहां तक ऐलोपैथिक औषधियों का सम्बन्ध है उन पर ड्रग्स एवं कोस्मेटिक्स अधिनियम के अन्तर्गत समय-समय पर निरीक्षण कर उपलब्ध साधनों के अनुसार नियंत्रण रखा जा रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) विभाग द्वारा अधिक एल्कोहल की मात्रा युक्त ऐलोपैथिक औषधियों जैसे अशोका, लिक्विड एक्सट्रेक्ट, अश्वगंधा लिक्विड एक्सट्रेक्ट टिंचर आदि जिनका दुरुपयोग नशे के रूप में होने का संदेह है उनके सैम्पल विश्लेषण हेतु औषधि निरीक्षकों के द्वारा लिये जाते हैं। गत 5 वर्षों में 53 सैम्पल विश्लेषण पर अवमानक कोटी (Sub-standerad) के पाये गये। इनमें से अधिकांश निर्माता राजस्थान राज्य के बाहर के हैं जिनमें से 42 के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किये जा चुके हैं शेष में न्यायिक स्वीकृति विचाराधीन है। राजस्थान राज्य के भी एक निर्माता के विरुद्ध न्यायालय में चालान दायर किया गया है एवं उसका लाइसेन्स रद्द कर दिया है। किसी भी केस में अभी तक न्यायालय का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। विवरण संलग्न है।

STATEMENT SHOWE PROSECUTION FILD IN RAJASTHAN AGAINST MANUFACTURER OF ALCOHLIC DRUGS (MODERN MEDICINE) SAMPLES FOUND NOT OF STANDARD QUALITY

S.No.	Name of Manufacture	Name of Drugs	B. No.
1	2	3	4
1.	M/s. Vasistha Pharmaceuticals, Gurgaon	Urginea Tincher	691
2.	Ms/. Welchem Pharma, Karnal	Ashoka Liquid Extract	W-II
3.	M/s. Chemical & Pharmaceuticals Lab., Delhi	Ashwagandha Liq. Extract	2777
4.	M/s. Syno Pharmecy, Bharatpur	Capsicum Tincher	163
5.	M/s. do	Urginea Tinches IP	304
6.	M/s. Civil Drugs, Delhi	Ashoka Liquid Extract	58
7.	M/s. Chemilink Pharmaceuticals, Sonipat	Capsicum Tincher	294

1	2	3	4
8.	M/s. ,, ,,	Ashoks Liquid Extract	336
9.	M/s. ,, ,,	Ashwagandha Exttact	325
10.	M/s. Indo. Modica, Karnal	Ashoka Liquid Extsact	11
11.	M/s. Amree Pharmaceuticals, Karnal	Ashoka Liquid Extratt	237
12.	M/s. Natraj Chemical & Pharmaceuticals, Karnal	Ashoka Liquid Extracted	156
13.	M/s. Amree Pharmaceuticals, Karnal	Ashoka Liquid Extract	253
14.	M/s. Systamic Internation Remedies, Soniptat	Vasaka Liquid Extract	5
15.	M/s. Eagle Chemical, Karnal	Ashoka Liquid Extract	10
16.	N/s. Amree Pharmaceuticals, Karnal	Ashwagandba Liquid	328
17.	M/s. ,, ,,	,, ,,	293
18.	M/s. Pancea Pharmaceuticals, Jind	Ashwagandha Liquid	8284
19.	M/s. ,, ,,	,, ,,	8285
20.	M/s. Kalayan Laboratories Karnal	Ashoka Liquid Extract	227
21.	M/s. Pharma Lab. Pvt. Ltd., Gurgaon	Ashoka Liquid Extract	ST-64

219

1	2	3	4
22.	M/s. Trimurti Pharmaeeutical Lab., Karnal	Ashwagandha Liq. Extract	110
23.	M/s. Amree Pharmaceuticals, Karnal	Ashoka Liquid Extract	319
24.	M/s. Indo Medica, Karnal	Ashoka Liquid Extract	20
25.	M/s. Natraj Chemical & Pharmaceuticals, Karnal	Ashoka Liquid Extract	222
26.	M/s. Vee Kay Pharma, Dholra	Ashoka Liquid Extract	445
27.	M/s. ,, ,,	,, ,,	420
28.	M/s. ,, ,,	,, ,,	346
29.	M/s. Chemilink Pharmaceuticals Bandepur (Sonepat)	Capsicum Tinchet	220
30.	M/s. ,, ,,	Ashwagandha Liq. Extract	338
31.	M/s. ,, ,,	Ashoka Liquid Extract	320
32.	M/s. ,, ,,	Ashwagandha Liq. Extract	233
33.	M/s. ,, ,,	Capsicum Tincher	220
34.	M/s. ,, ,,	,, ,,	202
35.	M/s. ,, ,,	Ashoka Liquid Extract	342

1	2	3	4
36.	M/s. Civil Drug Laboratory, Delhi	Capsicum Tincher	109
37.	M/s. Chemilink Pharmeceuticals, Sonepat	Capicum Tincher	220
38.	M/s. Prim Pharmaceutical Industries Karnal	Ashoka Liquid Extract	287
39.	M/s. Sulanpur Chemical Works, Sultanpur	Ashoka Liquid Extract	12
40.	M/s. Cosmic Pharmaceuticals, Karnal	Ashoka Liquid Extract	29
41.	M/s. Kalayan Laboratories, Karnal	Ashoka Liquid Extract	203
42.	M/s. Vee Kay Pharma, Dholra	Ashoka Liquid Extract	432

(221)

शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों से अध्यापन कार्य

116. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में ऐसे कितने अध्यापक हैं जो शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी हैं ? क्या इन शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों के अध्यापन कार्य नहीं करने की नियमों में कोई व्यवस्था की गई है ?

(2) क्या ऐसे अध्यापकों के लिए अध्यापन हेतु सप्ताह या माह में कोई कालांश निर्धारित हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(3) क्या निर्धारित मानदण्ड के अनुसार अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य किया गया है, यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) ऐसे कितने अध्यापक हैं जो बिना अध्यापन कार्य किये वेतन उठा रहे हैं ? क्या इन शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न अधिकारियों से उपस्थित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधायें पिछले 5 वर्षों में प्राप्त की हैं ? यदि हां, तो मयनाम, दिनों व माह सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में संगठनों से जुड़े अध्यापकों की संख्या 80 है। मान्यता प्राप्त अराजपत्रित कर्मचारी संघ के प्रान्तीय स्तर के पदाधिकारियों को कार्यालय समय में 1 घंटा प्रातः एवं एक घंटा शाम को संगठन कार्य हेतु छूट का प्रावधान है।

(2) जी हां। अन्य अध्यापकों के सामान यथा व्याख्याताओं को 33, वरिष्ठ अध्यापक हेतु 36, अध्यापकों हेतु 42 कालांश प्रति सप्ताह निर्धारित है।

(3) जी हां।

(4) केवल राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय ऋषभदेव में श्री बाबूलाल जैन, अध्यापक जो जिला मंत्री राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगति) है, को नियमित कालांश न देकर समायोजन कालांश हेतु रखा गया है। पिछले 5 वर्षों में किये गये यात्रा भत्ते के भुगतान की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

223

शिक्षक संघों के पदाधिकारियों द्वारा उठाये गये यात्रा भत्ता का विवरण

श्री बाबूलाल जैन, अध्यापक, जिला मंत्री राज. शिक्षक संघ (प्रगतिशील) उदयपुर

क्र.सं.	बिल की अवधि	राशि
1	2	3
1.	9-12-1988 से 11-4-1989	403
2.	16-10-1988 से 8-11-1988	921
3.	21-8-1988 से 1-9-1988	424
4.	1-11-1988 से 23-12-1988	478
5.	4-1-1989 से 8-1-1989	321
6.	4-10-1988 से 1-13-1988	455
7.	5-9-1988 से 13-10-1988	478
8.	31-7-1988 से 22-8-1988	320
9.	1-12-1988 से 2-3-1989	470
10.	20-7-1988 से 24-11-1988	478
11.	10-5-1988 से 28-7-1988	334
12.	23-7-1989 से 31-7-1989	459
13.	6-8-1989 से 12-8-1989	513
14.	21-9-1988 से 27-9-1988	255
15.	4-1-1988 से 2-6-1988	474
16.	6-6-1989 से 10-7-1989	433
17.	6-4-1989 से 27-5-1989	599
18.	22-3-1989 से 29-4-1989	477
19.	20-7-1989 से 12-9-1989	989
20.	13-9-1989 से 17-9-1989	451

1	2	3
21.	3-10-1989 से 12-10-1989	564
22.	3-12-1989 से 12-12-1989	513
23.	12-12-1989 से 16-12-1989	462
24.	17-8-1989 से 8-9-1989	455
25.	2-5-1990 से 12-5-1990	438
26.	31-5-1990 से 12-6-1999	581
27.	7-11-1989 से 9-11-1989	333
28.	10-1-1990 से 30-1-1990	371
29.	25-2-1990 से 8-3-1990	520
30.	3-1-1990 से 15-1-1990	500
31.	9-1-1990 से 30-3-1990	360
32.	5-3-1990 से 19-3-1990	315
33.	17-12-1989 से 19-12-1989 17-4-1990 से 18-4-1990	437
34.	3-9-1990 से 22-9-1990 1-10-1990 से 12-10-1990	387
35.	2-4-1990 से 14-4-1990	387
36.	17-12-1989 से 30-4-1990	462
37.	12-3-1990 से 20-3-1990	392
38.	9-4-1990 से 30-4-1990	445
39.	1-4-1991 से 29-4-1991	805
40.	21-8-1990 से 31-8-1990	229
41.	13-8-1990 से 19-8-1990	464
42.	2-1-1991 से 30-1-1991	668
43.	26-11-1990 से 1-12-1990	410

1	2	3
44.	2-12-1990 से 10-12-1990	370
45.	11-12-1990 से 29-12	345
46.	4-8-1990 से 22-11-1990	380
47.	6-2-1990 से 13-2-1990	439
48.	4-2-1991 से 12-2-1991	365
49.	24-2-1991 से 17-2-1991	372
50.	5-3-1991 से 14-3-1991	442
51.	18-3-1992 से 25-3-1991	498
52.	21-10-1990 से 23-10-1990	173
53.	4-1-1992 से 31-1-1992	1117
54.	1-10-1991 से 31-10-1991	448
55.	2-12-1991 से 20 12-1991	252
56.	9-5-1991 से 10-51991	382
57.	7-7-1991 से 31-7-1991	486
58.	17-7-1991 से 20-7-1991	315
59.	25-7-1991 से 31-7-1991	417
60.	8-9-1991 से 13-9-1991	473
61.	18-5-1990 से 20-5-1990 20-8-1990 से1-10-1990	311
	कुल राशि :	30,329

श्रीमती कुमुद शर्मा, प्रदेश महिला संगठन मंत्री

1.	14-5-1990 से 15-5-1990	62
	कुल राशि :	62.

श्री मदनलाल आमेटा, अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ (सनाढ्य)

क.सं.	यात्रा बिल की अवधि	राशि
1.	19-1-1990	92.00
2.	17-8-1990	93.00
3.	28-12-1990	55.00
4.	29-12-1990	67.00
5.	14-5-1991 16-5-1991 से 17-5-1991 27-9-1991 से 23-9-1991	257.00
6.	14-5-1991 से 22-11-1991 से 23-11-92	172.00
7.	23-11-1991 से 24-11-1992	159.00
8.	28-12-1992	100.00
9.	6-5-1993 से 7-5-1993 12-5-1993 से 13-5-1993 17-8-1993 से 18-8-1993	510.00
	कुल राशि :	1605.00

श्री मीनू जीसफ, जिलाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत)

1.	7-8-1991	86.10
2.	2-2-1993	86.10
3.	8-2-1993	86.10
	कुल राशि :	258.30
	महा योग :	32,234-00

राणा प्रताप सागर पैराफेरी सड़क निर्माण प्रकरण

117. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राणा प्रताप सागर डूब विस्थापितों को जोड़ने वाली पैराफेरी रोड कहां से कहां तक है और इसकी कुल लम्बाई कितनी है ? इसके निर्माण का ठेका किस-किस ठेकेदार को कहां से कहां तक कितनी-कितनी लम्बाई का किस-किस समय कितने-कितने रुपयों में दिया गया ?

(2) किस-किस ठेकेदार ने कहां से कहां तक, कब-कब, कितनी-कितनी रोड बना दी और किस-किस ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब कर दिया गया ?

(3) उक्त पैराफेरी रोड का कितना-कितना भाग कहां से कहां तक, किस-किस ठेकेदार का बनाना शेष है ? जिन-जिन ठेकेदारों ने निर्धारित अवधि में रोडें नहीं बनाई उनके विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त रोड का जो भाग शेष रह गया है कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

उत्तर

(1) राणा प्रताप सागर डूब विस्थापितों के ग्रामों को जोड़ने वाली पैराफेरी सड़क राणा प्रताप सागर बांध के सेडलडेम से रामपुरा पठार तक (मध्य प्रदेश सीमा तक) बनाई जा रही है। इसकी कुल लम्बाई 80 कि. मी. है। वांछित सूचना परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) सूचना संलग्न है। परिशिष्ट-2

(3) ठेकेदार द्वारा शेष कार्य का विवरण परिशिष्ट-2 के कालम नं. 2 में दर्शाया गया है। जिन ठेकेदारों के द्वारा निर्धारित अवधि में रोड़े नहीं बनाई गई उनके विरुद्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही परिशिष्ट 2 के कालम नम्बर 10 दर्शाई गई है।

(4) पैरीफेरी रोड के बन्धे हुए कार्यों को वर्ष 1995-96 में पूरा कराया जाना प्रस्तावित है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत अपूर्ण निर्माण कार्य

118. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री मोहनलाल आत्मज देवा मीणा, निवासी धानुगांव जिला बूंदी द्वारा सम्वत् 2043 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कुएं निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक एवं किस योजना के तहत पूर्ण करा दिया जायेगा ?

(श्री रामनारायण)

(2) व्यक्तिगत लाभान्वित करने की श्रेणी के अपूर्ण राहत कार्यों को पूर्ण करवाने बाबत् सरकार के पास क्या कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री मोहनलाल आत्मज देवा मीणा निवासी धानुगांव जिला बूंदी द्वारा सम्वत 2043 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कूप निर्माण कार्य स्वीकृत कर प्रारम्भ किया गया था। उक्त कार्य राहत कार्य बन्द हो जाने के कारण अपूर्ण रहा था। जिला कलक्टरों को पत्र दिनांक 23·2·94 से यह निर्देश दे दिये गये हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छोटे व सीमांत कृषकों के ऐसे कुए, जो अधूरे रह गये हैं, उन्हें पूर्ण कराया जा सकता है, बशर्ते कि इसमें सामग्री का व्यय किसान स्वयं वहन करे।

(2) जी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों के अधूरे कुओं को पूर्ण कराने हेतु 5000/- रु. की दर से सहायता राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण उपलब्ध कराता है।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्रामों का विद्युतीकरण

119. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने ग्राम ऐसे हैं जिन्हें विद्युतीकृत नहीं किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जो ग्राम विद्युतीकृत नहीं किये गये हैं, वह कब तक किये जायेंगे ? नहीं, तो क्यों ?

(4) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अब तक कितने कृषि कनेक्शन किये गये हैं ? ग्राम वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) कुशलगढ़ क्षेत्र की अब तक कितनी कृषि कनेक्शन की फाइलें 1989 से अब तक विचाराधीन हैं ? वर्ष व ग्रामवार सूची की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र के सज्जनगढ़ गांव में 133 के. वी. का स्टेशन की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गयी थी ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस क्षेत्र की विद्युत सप्लाई को सुचारु करने हेतु सब स्टेशन लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल 396 ग्राम है, जिनमें से माह मार्च, 1993 तक 304 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। सूची प्रपत्र "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में माह मार्च, 1993 तक 92 ग्राम अविद्युतिकृत है। सूची प्रपत्र "ब" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) अविद्युतिकृत ग्रामों में से 12 ग्राम इस वर्ष (1993-94) की वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विद्युतिकरण हेतु प्रस्तावित है, जिनमें से 4 ग्रामों का अब तक विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा शेष 8 ग्रामों के विद्युतिकरण का का कार्य प्रगति पर है तथा इसी वर्ष विद्युतीकरण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। शेष बचे हुये स्वीकृत ग्रामों का विद्युतिकरण योजना मद में उपलब्ध वित्तीय संसाधन तथा वार्षिक योजना में उपलब्ध लक्ष्यों के अनुरूप ही आगामी वर्षों में किया जाना सम्भव होगा।

(4) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अब तक कुल 421 कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं। दिये गये कृषि कनेक्शनों की ग्रामवार संख्या सूची प्रपत्र "स" में सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(5) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल 366 कृषि कनेक्शनों की फाइलें विचाराधीन हैं, जिनकी ग्रामवार व वर्षवार सूची प्रपत्र "द" में संलग्न है।

(6) जी नहीं, कुशलगढ़ क्षेत्र के सज्जनगढ़ गांव में 132 के. वी. के स्टेशन की राज्य सरकार द्वारा कोई भी योजना वर्तमान में स्वीकृत नहीं है। वर्तमान में सज्जनगढ़ के 33 के. वी. सब स्टेशन की भार क्षमता 1·6 एम. वी ए. है, जो विद्यमान भार के लिये पर्याप्त है। अतः तकनीकी दृष्टि से सज्जनगढ़ में फिलहाल 132 के. वी., जी. एस. एस. बनाने की कोई योजना नहीं है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

नगरपालिका क्षेत्रों में राहत कार्य

120 श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा): क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों में पूर्व में अकाल राहत के अन्तर्गत कार्य कराये गये थे? यदि हां, तो कब-कब कार्य कराये गये?

(2) क्या सरकार वर्तमान में भी नगरपालिका क्षेत्र (बिलाड़ा, पीपाड़, फलौदी) में राहत कार्य शुरू करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य की नगरपालिकाओं के ग्रामीण अभावग्रस्त क्षेत्र में पूर्व वर्षों में भी अकाल राहत के अन्तर्गत कार्य कराये गये थे। ये कार्य सम्वत् 2043, 2044, 2045 में करायेगये थे।

(2) सम्वत् 2050 में जोधपुर जिले के समस्त 881 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। नगरपालिका क्षेत्रों के

(अकाल राहत राज्य मंत्री)

अभावग्रस्त ग्राम भी इनमें सम्मिलित हैं। नगरपालिकाओं के अभावग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी राहत कार्य चलाये जा सकते हैं।

राजकीय नाहटा चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद

121. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजकीय नाहटा अस्पताल में चिकित्सकों का पूरा स्टाफ है ? यदि नहीं, तो यह पूर्ति कब तक कर दी जाएगी ?

उत्तर

जी नहीं। रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जायेंगे।

पुस्तकालय अधिकारी ग्रेड-तृतीय के पद पर नियुक्ति

122. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर द्वारा तृतीय श्रेणी के लाइब्रेरियन के रिक्त ग्यारह पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये थे और उसी के क्रम में दिनांक 7 जून, 1993 को साक्षात्कार लिया जाकर केवल एक पद पर ही नियुक्ति दी गई थी ?

(2) क्या सरकार शेष 10 रिक्त पदों की पूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), अलवर द्वारा वर्ष, 1993-94 की संभावित 11 रिक्तियों के आंकलन का विज्ञापन जारी कर, वास्तविक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु तीन पदों पर नियुक्ति की गई।

(2) शेष रिक्त पदों पर वर्ष, 1993-94 की बनी वरियता सूची से 31 मार्च, 1994 तक नियुक्ति कर दी जायेगी।

सुजान नहर में व्याप्त प्रदूषण

123. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुजान नहर में गत 4 वर्ष से भारी प्रदूषण फैल रहा है ? यदि हां, तो इस प्रदूषण को रोकने हेतु विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि सुजान नहर का ड्रेनेज सिस्टम अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो इसे कब तक ठीक कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि सुजान नहर के प्रदूषण को रोकने एवं इसे स्वच्छ करने एवं नहर निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा सहायता प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त

(श्री आर पी. शर्मा)

राशि का विभाग द्वारा उपयोग कर लिया गया ?

उत्तर

(1) (2) एवं (3) जी हां। यह सही है कि सुजान नहर में प्रदूषण फैल रहा है तथा सुजान नहर का ड्रेनेज सिस्टम भी अवरुद्ध हो गया है। सुजान नहर के प्रदूषण को रोकने एवं इसे स्वच्छ करने एवं नहर के जीर्णोद्धार, डी-वार्टरिंग, डी-सिल्टिंग, बैंक फिल्टिंग तथा शहर की नालियों के निर्माण हेतु 130.00 लाख रुपये की राशि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गई थी।

उक्त स्वीकृत राशि में से 1 करोड़ 12 लाख ते ह हजार रुपये व्यय हो चुके हैं।

दानपुर क्षेत्र के छात्रावास

124. श्री दुलीचन्द (दानपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा के दानपुर क्षेत्र में समाज कल्याण छात्रावास एवं आश्रम छात्रावास कितने हैं ?

(2) क्या इन सभी आश्रम छात्रावसों एवं समाज कल्याण छात्रावासों के भवन उपलब्ध हैं ?

(3) क्या दानपुर समाज कल्याण छात्रावास का भवन अभी तक उपलब्ध नहीं है ? क्या राज्य सरकार इस छात्रावास का भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा के दानपुर क्षेत्र में निम्नानुसार समाज कल्याण विभाग एवं जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग के छात्रावासएवं आश्रम छात्रावास संचालित हैं :-

समाज कल्याण विभाग	जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग
(1) राजकीय छात्रावास दानपुर	(1) आश्रम छात्रावास, तेजपुर
(2) राजकीय छात्रावास, छींच	(2) आश्रम छात्रावास, छोटी सरवण
(3) राजकीय छात्रावास, तलवाड़ा	(3) आश्रम छात्रावास, श्रद्धापुरा
(4) राजकीय छात्रावास, माहीडेम	(4) आश्रम छात्रावास, खोड़ीबंडलीपाड़ा
(5) राजकीय छात्रावास, बदरेल	(5) आश्रम छात्रावास, कालिंजर
(6) राजकीय छात्रावास, बडोदीया	
(7) अनुदानित छात्रावास, करजी	

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

(2) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास, तलवाड़ा, माहीडेम, बदरेल सरकारी भवन तथा राजकीय छात्रावास, छींक, बड़ोदिया एवं दानपुर किराये के भवन में संचालित हैं तथा जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग के संचालित सभी आश्रम छात्रावास राजकीय भवन में संचालित है एवं बरजी में संचालित अनुदानित छात्रावास जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के क्वार्टरस् में संचालित है।

(3) राजकीय छात्रावास, दानपुर हेतु वर्तमान में राजकीय भवन उपलब्ध नहीं है तथा छात्रावास किराये के भवन लेकर संचालित किया जा रहा है। दानपुर छात्रावास के लिये भवन निर्माण कार्य वर्ष 1986 में पंचायत समिति पीपलखूंट द्वारा प्रारम्भ किया गया था जो अभी अपूर्ण है इस भवन को पूर्ण कराना राजकीय वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

खनन कार्य हेतु विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति

125. **श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी** (माण्डलगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खनन कार्य में विस्फोटक की आवश्यकता रहती है ?

(2) क्या विस्फोटक सामग्री खननकर्त्ताओं को आसानी से उपलब्ध हो जाती है, नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ऐसी नीति बनाने जा रही है जिससे क्वारी लाइसेंस के आधार पर एवं खनन पट्टे के आधार पर एक्सप्लोजिव डिपो से विस्फोटक सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके और कुछ मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखने का प्रावधान करने जा रही है ?

(4) क्या कम्प्रेसर वालों को एक्सप्लोजिव डिपो से अपना परिवहन विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन दिखाने पर 10 कि.ग्रा. तक खरीदन की छूट दे रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विस्फोटक सामग्री इण्डियन एक्सप्लोजिव एक्ट (सैन्ट्रल एक्ट) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के विस्फोटक विभाग द्वारा दी जाती है। अतः इस स्थिति की जानकारी विभाग को नहीं हैं।

(3) जी नहीं। एक्सप्लोजिव के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक्सप्लोजिव अधिनियम के अन्तर्गत एक्सप्लोजिव रूल्स बने हुये हैं, जिसमें राज्य सरकार अपनी कोई अलग से नीति नहीं बना सकती।

(4) जी नहीं। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं।

विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु भूमि का आवंटन

126. **श्री एमामुद्दीन अहमद खां** (तिजारा) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री एमामुद्दीन अहमद खां)

(1) क्या यह सही है कि भारत पाक विभाजन के समय जिला अलवर व भरतपुर से काफी संख्या में मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गये थे और पुनः कई परिवार वापिस अपने-अपने गांव आ गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन परिवारों की भूमि अन्य शरणार्थियों को आवंटित कर दिये जाने से यह परिवार भूमिहीन हो गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ परिवारों को भूमि का 400/–रुपया बीघा आवंटन किया गया ? यदि हां, तो किन-किन को और किन नियमों के अन्तर्गत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे परिवारों को पुनर्वास हेतु भूमि आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह तो सही है कि कुछ मेव परिवारों को वापस लौट कर आने पर उनकी मूल सम्पत्ति नहीं दी जा सकी। सामान्यतः ऐसे लोगों को अन्य निष्क्रान्त सम्पत्ति का आवंटन कर दिया गया था। अतः वे भूमिहीन नहीं कहे जा सकते।

(3) जी हां। जिन लोगों को कम्पनसेशन-पूल में से भूमि आवंटित नहीं की जा सकी और जिन्हें कम्पनसेशन पूल के बाहर की भूमि आवंटित की गई उनसे भूमि की कीमत 450/- प्रति स्टेण्डर्ड एकड़ ली गई। आवंटियों की सूची तथा सम्बन्धित आदेश दिनांक 14-12-1984 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी हां। जिनके क्लेम्स बकाया हैं, उन्हें शीघ्र निर्णित किया जायेगा।

(सूची एवं आदेश विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

राज्य के मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति/जन जाति के सर्विस डाक्टर्स

127. श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के ऐसे कितने सर्विस डाक्टर्स हैं जो एम. डी/एम. एस कोर्स के हैं ? क्या इन्हें राजस्थान हाई कोर्ट से डेपुटेशन पर माने जाने का आदेश प्रसारित कर दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी पालना की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या मेडिकल कालेजों के सर्विस डाक्टर्स को डेपुटेशन अवधि के दौरान सम्पूर्ण सुविधा दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति/जनजाति के सर्विस डाक्टर्स जो एम. डी./एम. एस. कोर्स कर रहे हैं की कालेजवार सूचना संलग्न है। (परिशिष्ट–"क")

जी हां। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न केवल अनुसूचित जाति/जनजाति वरन ऐसे सभी चिकित्सकों को प्रतिनियुक्ति पर माने जाने के आदेश दिये गये हैं।

(2) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना विभाग द्वारा की जा रही है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा एक सामान्य आदेश क्रमांक–एफ-9(59) एम. ई/ग्रुप-2/90 दिनांक 24-11-1993 भी जारी कर दिया गया है।

(3) जी हां।

	कालेज का नाम		अध्ययनरत छात्रों की संख्या
1.	बीकानेर	1	अनुसूचित जाति
2.	जोधपुर	1	अनुसूचित जाति–1992 के कोटे में
		1	अनुसूचित जाति–1993 के कोटे में
		2	अनुसूचित जनजाति–1993 के कोटे में
3.	अजमेर	3	अनुसूचित जाति–1992 के कोटे में
		1	अनुसूचित जाति–1993 के कोटे में
4.	जयपुर	4	अनुसूचित जाति–1992–93 के कोटे में
		3	अनुसूचित जनजाति–1992–93 के कोटे में
5.	उदयपुर	1	अनुसूचित जाति

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के विद्यालयों की क्रमोन्नति

128. श्री बनवारी लाल भिण्डा (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के किन-किन विद्यालयों की क्रमोन्नति प्रस्तावित है ? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति किये जाने वाले प्रस्तावित विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विद्यालय क्रमोन्नति के समय क्षेत्रीय मांग, जनसंख्या, छात्र संख्या, भवन व्यवस्था, फीडर विद्यालयों की स्थिति तथा उपलब्ध वित्तीय साधनों के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(शिक्षा मंत्री)

वर्ष 1994-95 में विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर से विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय सीमा में गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत के लिये विचार किया जा सकेगा।

भीलवाड़ा खण्ड को आवंटित बजट

129. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में सिंचाई विभाग को प्रति वर्ष कितना बजट आवंटन किया जाता है ? विगत तीन वर्ष का वर्ष वाइज विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बजट में से प्रशासन एवं वर्कचाज स्टाफ पर तालाब व बांधों की अपेक्षा अधिक राशि खर्च की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? विगत तीन वर्ष का प्रशासन, वर्कचार्ज और तालाब बांधों के संधारण पर हुए व्यय का विवरण पृथक्-पृथक् सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्ष 1994-95 में प्रशासन एवं बांध, तालाबों के व्यय की राशि का अलग-अलग आवंटन करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ने तालाब, बांधों के संधारण के लिए कोई नीति अथवा मापदण्ड बनाये हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्या इसे बनाने का सरकार इरादा रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में विगत तीन वर्षों के अलग-अलग मदों के अन्तर्गत बजट आवंटित की विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। क्योंकि वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धि के कारण तालाब, बांधों एवं नहरों के संधारण के लिये अपेक्षित बजट आवंटित किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। विगत तीन वर्षों का विवरण परिशिष्ट "ब" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) जी हां।

236

भीलवाड़ा जिले में सिचाई विभाग में विगत तीन वर्षों में आवंटित बजट का विवरण

क्र.सं.		बजट मद	1990–91 रुपये लाखों में	1991–92 रुपये लाखों में	1992–93 रुपये लाखों में
1		2	3	4	5
1.	2701	मेजर एण्ड मीडियम इरीगेशन			
	80	जनरल (नोन प्लान)			
	ए. 001–III	प्रशासन	60.46	69.75	79.42
	बी. 4701	कार्यकारी मेजा फीडर	8·91	—	—
2.	8—	रेवेन्यू	9.92	9.40	12.07
3.	2702	माइनर इरीगेशन वर्क्स			
	800	अन्य व्यय II अन्य सिचाई कार्य (नोन प्लान)			
	I	मेण्टीनेन्स	99.35	134.00	135.88
4.	4701	केपीटल आउटले मेजर व मीडियम प्रोजेक्ट			
	211	मेजा, कोठारी व मेजा फीडर	142.96	153.16	145.69

1		2	3	4	5
5.	4702 201	कैपीटल आउटले माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट सरफेस वाटर (प्लान)	171.38	96.35	126.69
6.	2701	मेजर व मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट (नोन प्लान)	21.59	23.00	34.11
7.	4701	बांध व सुरक्षा कार्य (मातृ कुण्डिया)	—	2.00	36.32
		योग :	514.57	487.66	569.58

भीलवाड़ा जिले में सिंचाई कार्यों पर होने वाले व्यय का विवरण

क्र.सं.		मद	1990-91			
			प्रशासन	कार्य प्रभारी कर्मचारियों पर व्यय	बांधों के संधारण पर व्यय	योग
1.	2701	मेजर व मीडियम इरीगेशन				
	80	जनरल (नोन प्लान)	61.00	—	—	61.00
	4701	प्रशासन	8.89	—	—	8.89
2.	2701	रेवन्यू	9.62	—	—	9.62
3.	2702	माईनर इरीगेशन वर्क्स				
	800	अन्य व्यय (नोन प्लान)				
		मेण्टीनेंस	—	75.71	23.64	99.35
4.	4701	केपीटल आउटले मेजर एण्ड सोडियम प्रोजेक्ट्स	—	76.52	42.58	119.10
5.	4702	केपीटल आउटले माइनर प्रोजेक्ट्स				
	201	सरफेस वाटर (प्लान)	—	13.92	157.54	171.46
6.	2701	मेजर व मीडिमयम इरीगेशन (नोन प्लान)	—	19.20	2.39	21.59
7.	4701	बांध सुरक्षा	—	—	—	—
		योग :	79.51	185.35	22.15	491.01

(रुपये लाखों में)

1991-92				1992-92			
प्रशासन	कार्य प्र. कर्मचारियों पर व्यय	बांधों के संधारण पर व्यय	योग	प्रशासन	कार्य प्र. कर्मचारियों पर व्यय	बांधों के संधारण पर व्यय	योग
69.44	—	—	69.44	82.44	—	—	82 44
—	—	—	—	—	—	—	—
9.40	—	—	9.40	12.30	—	—	12.30
—	109.45	34.55	144.00	—	107.31	28.64	135.95
—	77.82	52.76	130.58	—	53.95	78.87	132.82
—	9.24	86.67	95.91	—	4.02	121.76	125.78
—	19.27	3.73	23.00	—	29.48	4.64	34.12
—	—	2.00	2.00	—	1.08	28.92	30.00
78.84	215.78	179.71	474.33	94.74	195.84	262.93	553.41

स्टील ग्रेड लाइम स्टोन का विक्रय

130. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)–क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में स्टील ग्रेड लाइम स्टोन के विक्रय हेतु सरकार ने राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर रखा है ?

(2) क्या यह सही है कि इसके उपरान्त भी कई निजी व्यक्तियों द्वारा इसका पालन न कर स्टील ग्रेड लाइम स्टोन स्वयं द्वारा ही विक्रय किया जा रहा है ?

(3) राज्य सरकार द्वारा अपने निर्णय की अनुपालना करवाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? अब तक की प्रगति का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में लाईमस्टोन पट्टाधारियों से स्टील ग्रेड लाईमस्टोन क्रय करने हेतु राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को राज्य सरकार ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था।

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार ने उत्खनिज स्तर पर स्टील ग्रेड लाईमस्टोन निगम द्वारा क्रय किये जाने हेतु क्रय मूल्य 25.50 रुपये प्रति टन निर्धारित किया किया था किन्तु इस दर पर पट्टाधारी स्टील ग्रेड लाईमस्टोन निगम को समर्पित करने हेतु तैयार नहीं हैं क्योंकि यह दर उनके लिए अनार्थिक है।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत गठित समितियां

131. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)–क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिक्षा विभाग के अन्तर्गत गठित समितियां कौन-कौन सी हैं ? इन समितियों के सदस्यों के नामों और अवधि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि समाज शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के लिए पुस्तकें व पत्र-पत्रिकाएँ खरीद के लिए केन्द्रीय समिति गठित है ? यदि हां, तो इसके वर्तमान सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस समिति का पुनर्गठन करने करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग के अन्तर्गत गठित समितियां एवं कार्यकाल का विवरण निम्न हैं :—

समिति	अवधि
1. पुस्तकालय विकास समिति 1	3 वर्ष

(श्री शिक्षा मंत्री)

2.	राज्य स्तरीय स्थाई परामर्शदात्री समिति	1 वर्ष
3.	राज्य स्तरीय पुस्तक विकास परिषद	1 वर्ष
4.	केन्द्रीय क्रय समिति	2 वर्ष

उक्त समितियों में से केवल पुस्तकालय विकास समिति का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है जबकि शेष तीनों समितियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है व इनके पुनर्गठन के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। पुस्तकालय विकास समिति के सदस्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ठ "क"

(2) जी हां। समिति गठित है। मगर पूर्व गठित केन्द्रीय क्रय समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया। इसलिये सदस्यों की सूची रखना सम्भव नहीं है।

(3) जी, हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

समितियों के सदस्यों का विवरण

(1) पुस्तकालय विकास समिति

(अ) साधारण सभा के सदस्य		कार्यकाल की अवधि
1. शिक्षा मंत्री	अध्यक्ष	3 वर्ष
2. शिक्षा सचिव	सदस्य	3 वर्ष
3. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक, बीकानेर	सदस्य	3 वर्ष
4. अध्यक्ष, मा. शिक्षा बोर्ड, अजमेर	सदस्य	3 वर्ष
5. निदेशक प्रौढ़ शिक्षा राज. जयपुर	सदस्य	3 वर्ष
6. निदेशक, एस. आई. आर. टी., उदयपुर।	सदस्य	?
7. निदेशक, राजस्थान विश्व. पुस्तकालय, जयपुर।	सदस्य	3 वर्ष

8. सचिव, पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर	सदस्य	3 वर्ष

(ब) पुस्तकालय विकास में रुचि रखने वाले सदस्य

1. डा. दयाकृष्ण विजय	सदस्य	3 वर्ष
2. श्री मोती सिंह	सदस्य	3 वर्ष
3. श्री बाबूलाल शर्मा	सदस्य	3 वर्ष
4. श्री राजपाल सिंह	सदस्य	3 वर्ष

(स) सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य :

1. श्री खेम चन्द शर्मा	सदस्य	3 वर्ष
2. सौभाग्य सिंह	सदस्य	3 वर्ष
3. डा. रमेश अरोडा	सदस्य	3 वर्ष
4. अटलबिहारी माथुर	सदस्य	3 वर्ष
5. उप निदेशक, समाज शिक्षा।	सदस्य सचिव	3 वर्ष

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में तालाब निर्माण प्रकरण

132. श्री कुबेर सिंह (फलासिया)– क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, जिला उदयपुर में तालाबों का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो कौन-कौन से तालाबों का कब-कब से ?

(2) इन तालाबों के निर्माण की स्वीकृति कब-कब जारी हुई तथा लागत क्या-क्या रही ? आदेश की प्रति मय अधूरे रहने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन अधूरे तालाबों का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अधूरी योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" में प्रस्तुत है।

(2) इन तालाबों के निर्माण की स्वीकृति जारी होने की दिनांक एवं लागत एवं अधूरे रहने के कारणों का विवरण परिशिष्ट "ब" प्रस्तुत है।

(3) जी हां। अधूरे कार्यों को अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण करवाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वांछित संसाधन उपलब्ध होने पर ये कार्य पूर्ण करवाये जा सकेंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट–2

अतारांकित प्रश्न संख्या 123 की सूची

राजस्थान कन्ट्रोल आफ गुण्डा एक्ट, 1975 के अन्तर्गत वर्ष 1993 में विचाराधीन कार्यवाहियों की जिलाकार सूचना :

जिला	वर्ष 1993 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष 1993 से पंजीकृत	योग	निस्तारित कार्यवाहीयां		योग	वर्ष 1992 के अन्त में लम्बित
				कार्यवाही हुई (निष्कासित)	नोटिस निरस्त हुये		
1	2	3	4	5	6	7	8
अजमेर	109	8	117	—	7	7	110
अलवर	90	—	90	—	1	1	89
बांसवाड़ा	15	1	16	6	8	14	2
बांरां	27	—	27	—	—	—	27
बाड़मेर	40	11	51	1	—	1	50
भरतपुर	114	28	142	11	—	11	131
भीलवाड़ा	17	41	58	2	5	7	51

1	2	3	4	5	6	7	8
बीकानेर	29	6	35	2	1	3	32
बून्दी	40	3	43	1	4	5	38
चित्तौड़गढ़	172	9	181	8	8	16	165
चुरू	41	—	41	2	—	2	39
धौलपुर	55	1	56	2	18	20	36
दौसा	53	9	62	—	—	—	62
डूंगरपुर	65	7	72	2	18	20	52
श्रीगंगानगर	277	29	306	5	56	61	245
जयपुर	408	66	474	—	3	3	471
जैसलमेर	3	1	4	—	—	—	4
जालौर	16	4	20	—	3	3	17
झालावाड़	42	—	43	15	28	43	—
झुन्झुनू	1	3	4	—	1	1	3
जोधपुर	162	33	195	2	38	40	155
कोटा	211	2	213	6	93	99	114
नागौर	109	3	112	3	2	5	107

1	2	3	4	5	6	7	8
पाली	226	30	256	—	4	4	252
राजसमन्द	11	7	18	1	2	3	15
स. माधोपुर	13	5	18	1	1	2	16
सीकर	6	8	14	2	1	3	11
सिरोही	24	2	26	—	18	18	8
टोंक	84	17	101	—	—	—	101
उदयपुर	86	9	95	25	11	36	59
राजस्थान योग	2547	343	2890	97	331	428	2462

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 124 की सूची एवं विवरण

जयपुर नगर में दिनांक 24·10·90 एवं 7·12·92 को हुए दंगों में मृत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा उनके आश्रित परिवारों को दी गई सहायता की विवरणिका

क्र. सं.	मृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के नाम	सम्बन्धित साम्प्रदायिक दंगे का दिनांक	मृतक के आश्रित के परिवार को दी गई सहायता राशि	प्राप्त-कर्ता
1.	श्री नन्दराम पुत्र मेवाराम कोली	24·10·99	1,00,000/-	श्रीमती गुलाबदेवी (पत्नी)
2.	श्री ब्रजमोहन मीणा कानिस्टेबल 4467	24·10·90	1,00,000/-	श्रीमती स्वरूपी (पत्नी)
3.	श्री पप्पू पुत्र श्री चौथमल मेहरा	24·10·90	1,00,000/-	श्री चौथमल (पिता)
4.	श्री जगदीश प्रसाद मीणा पुत्र श्री प्रभात उर्फ श्री भगवान मीणा	7·12·92	2,20,000/-	श्रीमती गोरीदेवी (पत्नी)

कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक वृत् बनीपार्क, जयपुर शहर, जयपुर ।

क्रमाक : 414 दिनांक : 17-2-94

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जयपुर शहर, जयपुर ।

विषय : जांच रिपोर्ट परिवाद श्रीमती पतासी देवी पत्नी ब्रज मोहन मीणा बाबत उसके पति श्री ब्रज मोहन की तलाश कराने ।

प्रसंग : श्रीमान् का पत्र क्रमाक र-6 (आर 61) जय/अशा/एस. सी./एस. टी पाटा/93/28085 दिनांक 6-10-93 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि परिवाद श्रीमान् के कार्यालय से वास्ते जांच प्राप्त हुआ मूल परिवाद की जांच थाना विद्याधर नगर एस. आई. मातादीन से कराई गई ।

दौरान जांच व गुमशुदगी रपट नं. 474 दिनांक 13-1-93 को 7 पी. एम. पर अंकित नहीं की गई व परिवाद की जांच के दौरान श्रीमती पतासी तथा श्री हनुमान प्रसाद शर्मा के बयान लिये गये तथा रामगंज थाने की रिपोर्ट के मुताबिक श्री ब्रज मोहन मीणा का दंगे में मारा जाना नहीं पाया गया । तथा ना ही थाना शास्त्रीनगर में भी ब्रज मोहन मीणा का दंगे में मारा जाना पाया गया । गुमशुदगी के क्रम में दिनांक 22-1-93 को राजस्थान पत्रिका में भी निकलवाया हुआ है ।

अतः जांच रिपोर्ट एस. आई. मातादीन पुलिस थाना विद्याधर नगर की श्रीमान् की सेवामें वास्ते मुलाहिजा प्रेसित है ।

एस. डी./-
पुलिस उप अधीक्षक
वृत् बनीपार्क,
जयपुर (शहर)

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 125 की सूची

दिसम्बर, 1993 व जनवरी, 1994 में राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मारे गये छापों में पता चली चल/अचल सम्पत्तियों की सूची :—

क्र. सं.	अपराध संख्या	विरूद्ध	तलाशी में पता चली चल/अचल सम्पत्ति (अनुमानित राशि लाखों में)
1	2	3	4
1.	164/93	श्री अमरचन्द व्यास, वाणिज्यकर अधिकारी, ए-जोन, अजमेर।	25 लाख रुपये
2.	165/93	श्री रमेश विष्णु गुप्ता. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, स्वा. विभाग, जयपुर।	25 लाख रुपये
3.	167/93	श्री पदमचन्द जैन, निरीक्षक, परिवाहन, जिला परिवहन, अधिकारी झुन्झुनूं।	15 लाख रुपये
4.	168/93	श्री मनोहर सिंह, पटवारी, पटवार हल्का, आमेर।	20 लाख रुपये
5.	169/93	श्री परमाराम चौधरी, सहायक वाणिज्यकर अधिकारी, वृत्त 'ए" जोन, अजमेर।	50 लाख रुपये

250

1	2	3	4
6.	19/94	श्री रामस्वरूप महेश्वरी, सहा. अभि., सा. नि. वि., सुजानगढ़, जिला—चूरू ।	10 लाख रुपये
7.	20/94	श्री माधोसिंह, सदर माननगो ।	10 लाख रुपये
8.	22/94	श्री ओमप्रकाश गुप्ता, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर ।	20 लाख रुपये
9.	23/94	श्री आर. जी. डंगायच, अधि. अभि., सा. नि. वि., जयपुर ।	25 लाख रुपये
10.	170/93	श्री कृष्ण अवतार मल्होत्रा, जिला नियोजन अधिकारी, जयपुर ।	15 लाख रुपये
11.	21/94	श्री ओमप्रकाश शर्मा, वन प्रसार अधिकारी, रेंज रामगढ़, जयपुर ।	30 लाख रुपये
12.	163/93	श्री जसराज सेवढा, प्रोजेक्ट मैनेजर, डी. आर. डी. ए., नागौर ।	30 लाख रुपये
13.	16/94	श्री डा. बी. एल. मण्डेलवाल, कनिष्ठ विशेषज्ञ, एस. के. अस्पताल, सीकर ।	23 लाख रुपये
14.	17/94	श्री हरीश कासनिया, आर. एस. एस., अभि. आयुक्त आबकारी विभाग, जोधपुर ।	12 लाख रुपये
15.	18/94	श्री सुमेरसिंह, निरीक्षक, आबकारी विभाग, जिला–सीकर ।	6 लाख रुपये
16.	160/93	श्री मांगीलाल शर्मा, चिकित्साधिकारी, रा.प्रा वि. केन्द्र, आसीन्द ।	9 लाख रुपये
17.	161/93	श्री मोहनलाल कलाल, सहा. अभि., सिंचाई विभाग, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ ।	10 लाख रुपये

1	2	3	4
18.	162/93	श्री शांतिलाल पटेल, सहा. अभि., आर. एस. ई. बी., बांसवाड़ा।	10 लाख रुपये
19.	166/93	श्री प्रेमचन्द जैन, सहा. आयुक्त वाणिज्यकर, जयपुर।	20 लाख रुपये
20.	155/93	श्री शंकर सिंह, सहा. अभि., 24–डिवीजन, ईगानच, सिंचाई विभाग, फलौदी।	20 लाख रुपये
21.	156/93	श्री भेगवान सिंह, तह. सहा. नई मण्डी, घड़साना, जिला–गंगानगर।	20 लाख रुपये
22.	157/93	श्री भंवरसिंह भाटी. पटवारी पटवार हल्का, घड़साना, जिला–गंगानगर।	20 लाख रुपये
23.	158/93	श्री मनजीत सिंह, कनिष्ठ लिपिक, तह. कार्यालय, रायसिंहनगर, जिला–गंगानगर।	8 लाख रुपये
24.	159/93	श्री जोधदान सिंह, पटवारी. तत्कालीन, पटवार हल्का, अनूपगढ़, जिला—गंगानगर।	10 लाख रुपये
25.	13/92	श्री हेतराम डूडी, एस. ई., तत्कालीन सहा. अभि., ईगानप, बीकानेर।	40 लाख रुपये
26.	15/94	श्री हरनाम सिंह कामरा, ए. ई. एन., सिंचाई विभाग, अनूपगढ़, जिला–गंगानगर।	70 लाख रुपये
27.	14/94	श्री नारायण सिंह, ग्रुप सचिव पंचायत समिति अनूपगढ़, जिला—गंगानगर।	12 लाख रुपये

नोट :—उक्त सभी अपराध अन्वेषणाधीन है। अन्वेषण पूर्ण होने पर सही स्थिति का आंकलन होगा।

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 126 की सूची

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, जिला–उदयपुर में थाने/चौकियां एवं स्वीकृत बल निम्न प्रकार हैं :

क्र.सं.	नाम थाना/चौकियां	स्वीकृत बल				उपलब्ध बल				कमी			
		उ.नि.	स.उ.नि.	हैड का.	का.नि.	उ.नि.	स.उ.नि	हैडका.	का.नि.	उनि.	स.उ.नि.	हैडका.	का.नि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	पुलिस थाना झाड़ोल	1	2	2	17	1	2	2	15	–	–	–	2
2	चौकी, बाघपुरा	–	–	1	4	–	–	1	2	–	–	–	2
3.	पुलिस थाना फलासिया	1	1	1	15	1	1	1	15	–	–	–	–
4.	पुलिस थाना ओगणा	1	1	1	15	1	1	1	14	–	–	–	1
5.	पुलिस थाना कोटड़ा	1	1	1	15	1	1	1	14	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	चौकी मामेर	–	–	1	4	–	–	1	4	–	–	–	–
7.	पुलिस थाना पानखा	1	1	1	15	1	1	1	11	–	–	–	4
8.	चौकी डया	–	–	1	4	–	–	1	4	–	–	–	–
	योग :–	5	6	9	89	5	6	9	79	–	–	–	10

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 139 का विवरण

राहू घाट के परियोजना प्रतिवेदन से सेलियेन्ट फीचर्स का उद्धरण

1	2
1.3.0 **Salient Features :**	
1.3.1 Name of the Project	Rahughat Hydel Scheme
1.3.2 Location	Near Village Mandreil in Tehsil Karauli of Swai Madhopur Distt. at longitude of 77⁰–16′–30″ and latitude of 28⁰–17′–30″.
1.3.3 Co-ordinates	(a) Latitude 26°–17′–30″ N. (b) Longitude 77°–16′–30″ E.
1.3.4 **Approach :**	
(a) Nearest Railway Station	Hindaun
(b) Road	18 Kms. from Mandreil in Tehsil Karauli.
1.3.5 **Hydrology :**	
(a) Gross Catchment Area	1,34,000 sq. Kms.
(b) Catchment area in Rajasthan	75,000 sq. Kms.
(c) Catchment area in Madhya Pradesh	55,000 sq. Kms.

1	2
1.3.6 Rainfall :	
(a) Average Rainfall	55.7 cm (Madhya Pradesh) 74.5 cm (Rajasthan)
(b) Maximum Rainfall	174 cm (Madhya Pradesh)
(c) Maximum Rainfall	18 cm (Rajasthan)
(d) Annual run-off (observed)	
At Palight	100 Kms U/S
At Dholpur	50 Kms D/S
1.3.7 Annual Yield at Rahughat :	
(a) Minimum Yield	3722.66 M. Cum.
(b) Max. Yield	2834.672 M. Cum.
(c) 90% Dependable yield	2945 M. Cum. (Excluding Irrioation renuirement)
(d) 75% Dependable yicle	4140 M. Cum
(e) Maxm Probable flood	78,975 Cumpecs (27.89 lacs cusecs)
1.3 8 Reservoir :	
(a) Top Dam level	196 M.
(b) Max Water level	152 M.
(c) Fall Reservoir level	190 M.
(d) Minimum Draw Down level	172 M.
(e) Gross Storage capacity	5638 M. Cum.

1	2
(f) Live Storage capacity	4360 M. Cum.
(g) Dead Storage capacity	1270 M. Cum.
(h) Area of Subme roence	405 Sqm. Km.
(i) Evaporation losses	1.83 M.
1.3.9 **Main Dam :**	
(a) **Main Dam :**	
I. Masonary Dam (Oever flow)	716 M.
II. Masonary Dam (Non over flow) left flank	288 M.
Right flank	454 M.
Total	734 M.
(b) **Earthen Dam :**	
I. Left flank	920 M.
II. Right flank	2199 M.
Total	3110 M.
(c) Maximum height from deepest foundation to top of road	50 M.
1.3.10 **Flood Disposal :**	
(a) Type of soillway	Ogee
(b) Location	In River Portion
(c) Length of soillway	716 M.

1	2
(d) H. F. L.	160 M.
(e) Crest R. L.	175 M.
(f) Head over crest	15 M.
(g) No. of gates & size	30 Nos (28m × 15.6m).
(h) Type	Radial
1.3.11 **Down Strem portection :**	Ski Jump Bucket
1.3.12 Intake Structure	
(a) No. of penstock	4 Nos.
(b) Dia of penstock	5.2 M.
(c) E 1 of penstock at inlet	158.75
(d) E 1 of Trash rack battom	152.00
(e) E 1 of Trach rack top	174.00
1.3 13 **Surface Power house :**	
(a) Co-ordinates	Latitude 26°–17'–30" N. Longitude 77°–16'–30" E.
(b) Length of Power house	118 M.
(c) Width of Machine hall	16.5 M.
(d) Installed capacity	4 × 40MW.
(e) Type of Turbine	Francis Turbine
(f) Rated capacity of each unit	40 MW.
(g) Average power potential	40 MW.
(h) Design head adopted	40 M.
(i) Head range of operation	28 M. to 46 M.

1	2
(j) Spacing of units	21 M.
(k) Tail Water level	144 M.
(l) Generator floor level	155.31
(m) Distribution level	143.01

1.3.14 **Tail Race Tunner & Channel :**

(a) Length	420 M.
(b) Section :	
I. Bed Width	87.5 M.
II. F. S. D.	2.5 M.
(c) Side slope	1 : 1
(d) Discharge	16,000 Cusecs.
(e) Bed slope	I in 2000

1.3.15 **Benefits :**

(a) Annual units generated	(a) 315 MU Firm Power
(b) Cost of generation	(a) 80 MU Secondary Power
	Rs. 1.34 per unit
(c) Cost per K.W.	Rs. 24,625.00

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 140 की सूची

वर्ष 1993–94 में मार्च, 1994 तक नागौर जिले में दिये जाने वाले कृषि कनेक्शनों का विवरण (तहसील/पंचायत समितिवार)

क्र.सं.	तहसील/पंचायत समिति का नाम	वर्ष 1993–94 का प्रस्तावित लक्ष्य	15-2-94 तक दिये गये कनेक्शन	शेष कनेक्शन जो मार्च, 94 तक दिये जाने हैं
1.	नागौर	75	75	—
2.	जायल	101	85	16
3.	मकराना	81	63	18
4.	डेगाना	96	69	27
5.	डीडवाना	148	120	28
6.	लाडनू	36	2	34
7.	कुचामन	344	207	137
8.	परबबसर	128	82	46
9.	रींयाबाड़ी	255	189	66
10.	मेड़ता	227	117	110
11.	मूंडवा	368	310	58
	योग :	1809	1319	540

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 147 का विवरण

विधान सभा क्षेत्र फ्लासिया जिला उदयपुर में विचाराधीन सिंचाई परियोजना

क्र.सं.	तहसील	निकटस्थ गांव	प्रारम्भिक अनुमानित लागत	सी. सी ए. हैक्टेयर	विशेष विवरण
(I)	**तहसील झाड़ोल :**				
1.	मोहम्मद फ्लासिया	मोहम्मद फ्लासिया	28.85	200	एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत अधूरा कार्य।
2.	जवली का नाका सिंचाई परियोजना	कोंचला, सुल्तान जी का खेड़ा	104.40	174	नया कार्य
3.	कामरिया का नाका	कामरिया	11.73	34	नया कार्य
(II)	**तहसील कोटड़ा :**				
4.	जानवास	जानवास	19.80	93	एन. आर. ई. पी. कार्य
5.	सावन क्यारा.	सावन क्यारा	28.68	13	एन. आर. ई पी. कार्य

261

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 149 का विवरण

इन्दिरा गांधी नहर बीकानेर सम्भाग में लाईनिंग के लक्ष्यों की तुलना में प्राप्तियां वर्ष 1989 से अब तक वर्षवार निम्ननानुसार वास्तविक कार्य हुआ :—

वर्ष	शाखा		वितरिका		माईनर		योग	
दोहरी टाईल	लम्बाई कि. मी.	वर्ग मी.	लम्बाई कि. मी.	वर्ग मीटर	लम्बाई कि. मी.	वर्ग मीटर	लम्बाई कि. मी.	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1988–89	3.24	55410	30.21	129729	32.16	156384	65.61	341523
1989–90	21.12	327553	24.22	129563	46.34	124574	91 68	581690
1990–91	14.04	216134	31.91	216821	65 08	240263	111.03	673218
1991–92	27.71	482285	31.53	183568	25.20	142730	84.44	808583
1992–93	15.66	322530	5.80	45200	16.62	62427	38.08	430157
1993–94.	14.64	269804	10.71	91633	4.99	29491	30.34	390928

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एकल लाईनिंग टाईल								
1988-89	—	—	—	—	—	—	—	—
1989-90	—	—	2.06	7834	—	—	2.06	7834
1990-91	—	—	3.12	19700	8.01	71012	11.13	90712
1991-92	—	—	—	—	7.20	30578	7.20	30578
1992-93	—	—	3.87	14780	30.21	140107	34.08	154887
1993-94	—	—	6.59	27708	43.38	210009	49 97	237717
सी. सी. लाईनिंग								
1991-92	1.81	32176	—	—	2.71	15320	4.52	47496
1992-93	5.81	71112	8.06	47788	36.18	226072	50.05	344972
1993-94	6.50	82156	2.62	18012	14.33	75933	23.45	176101

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर संभाग "लाईनिंग के लक्ष्यों की तुलना में प्राप्तियां"

क्र.सं.	वर्ष	कि.मी. में	लक्ष्यों की वास्तविक प्राप्ति (लाख वर्ग मीटर में)	
			शाखाएं (एक टाईल लाईनिंग)	वितरिका तथा माईनर्स (दो टाईल लाईनिंग)
1.	1988-89	106.28	4.33	5.47
2.	1989-90	83.23	3.95	5.04
3.	1990-91	97.62	2.96	3.99
4.	1991-92	86.89	2.99	6.05
5.	1992-93	78.32	0.98	7.79
6.	1993-94	53.63	0.93	5.85
		(जनवर, 94 तक)	(जनवरी, 1994 तक)	(जनवरी, 1994 तक)

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 158 की सूची

साक्षरता प्रतिशत बढ़ावा देने वाले चिन्हित (√) जिलों की सूची

क्र.सं.	जिला	शिक्षाकर्मी	लोकजुम्बिश
1	2	3	4
1.	अजमेर	√	√
2.	अलवर	—	—
3.	बांसवाड़ा	√	√
4.	बाड़मेर	√	√
5.	भरतपुर	√	√
6.	भीलवाड़ा	—	—
7.	बीकानेर	√	√
8.	बूंदी	—	—
9.	चित्तौडगढ़	—	√
10.	चुरू	√	—
11.	डूंगरपुर	√	√
12.	धौलपुर	√	—
13.	जयपुर	√	√
14.	जैसलमेर	√	√
15.	जालोर	√	√
16.	झालावाड़	√	—
17.	झुन्झुनू	—	—

1	2	3	4
18.	जोधपुर	✓	✓
19.	कोटा	—	—
20.	नागौर	✓	—
21.	पाली	✓	—
22.	सवाई माधोपुर	✓	—
23.	सीकर	✓	—
24.	सिरोही	✓	—
25.	श्री गंगानगर.	—	—
26.	टौंक	✓	—
27.	उदयपुर	✓	✓
28.	बारां	✓	✓
29.	दौसा	✓	—
30.	राजसमन्द	✓	—

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 159 की सूची

नागौर जिले में रिक्त पदों की सूची

जिला पशुपालन अधिकारी, नागौर/जिला पशुपालन अधिकारी, कुचामन

क्र. सं.	संस्था का नाम	वी. एस.	वी. ए. एस.	वी. ए.	पशुधन सहायक	कब से रिक्त
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, नागौर	1	—	—	—	—
2.	पशु चिकित्सालय, हरसोर	—	1	—	—	6/93
3.	पशु चिकित्सालय, पालड़ी	—	1	—	—	6/93
4.	पशु चिकित्सालय, पांचौड़ी	—	1	—	1	10/93
5.	पशु चिकित्सालय, इडवा	—	1	—	—	10/92
6.	पशु चिकित्सालय, पुन्दलोदा	—	1	—	—	11/92
7.	पशु चिकित्सालय, थावला	—	—	—	1	—
8.	पशु चिकित्सालय, गठीलासर	—	—	—	1	—
9.	पशु चिकित्सालय, मानकपुर	—	—	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7
10.	पशु चिकित्सालय, नालोट	—	1	—	—	1/90
11.	पशु चिकित्सालय, मादवा	—	1	—	—	3/90
12.	पशु चिकित्सालय, पांचवा	—	1	—	—	3/91
13.	पशु चिकित्सालय, सिलन्दवाद	—	1	—	—	10/92
14.	पशु चिकित्सालय, पीह	—	1	—	—	—
15.	पशु चिकित्सालय, परवतसर	—	—	—	1	—
16.	चल पशु चिकित्सा इकाई, डीडवाला	—	1	—	—	—
17.	चल पशु चिकित्सा इकाई, मनाना	—	1	—	—	9/93
	योग—	1	12	1	4	

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 160 की सूची

दानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सूची

1. रैफरल अस्पताल	1. छोटी सरवन
	2. तलवाडा
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1. छिन्द
	2. कदोदिया
	3. सुखानिया
	4. नया गांव
	5. बदरेल
	6. दानपुर
	7. घोडी तेजपुर
3. डिस्पेन्सरी	शून्य

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 163 की प्रति

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

GENERAL ADMINISTRATION GR. II DEPARTMENT

No F 9(5) GA/89 Jaipur, Dated 23/9/93

ORDER

Sub. :—Ban on transfer of and grant of leave to Government Servants etc.

Assembly elections are to be hald in near future. The following orders are issued for strict and careful compliance by all Depatments of the State Government :—

1. No Government servant should be transferred, or granted leave with immediate effect, till completion of elections except in the circumstances and in accordance with the procedure, indicated here-in-after.

2. Government servants who are directly connected with the conduct of elections shall not be transfarred except with the prior written approval of the undersigned which should be obtained through the Election Department. Such Government servants would interalia, include all officers assigned statutory duties and responsibilities connected with conduct of elections, all Police officers and all officers of the Revenue Department including Tehsildars, Naib-Tehsildars, ILRs and Patwaries, Secretaries, Rulral Development and Panchayat Raj. & Local Self Govt. & Urban Government & Housing will please issue instructions on these lines in respect of officers and staff working under zila parishads, Panchayat Samities is and Municipalities and Jaipur Development Authority and UITs.

3 Government servants other than specificd at item 2 above should also, normally, not be transferred with immediate effect, till completion of elections . However, if the transfer of any such Government servants is considered necessary to be absolutly imperative, the authority competent to effect such transfer shall first obtain the concurrence of the Collector of the district concerned from which he is proposed to be transferre and, there after obtain the approval of the next higher authority. In case of Government servants who are transfferable by Heads of departments, such prior approval should be obtained from the Secretary of the Administrative Department concerned. Copies of all such transfer orders shall invariably be endorsed to the Secretary to the Govt. Election Deptt. for State and Subordinate Services Officers and the Collectors concerned in other cases, indicating the reference numbers and dates of the communications under which the concurrence of the Collector, and approval of the next higher authority were obtained, and the reasons for effecting the transfers in question.

4 Now leave of any kind should hence-forth be sanctioned to any Government servant who is directly connected with the conduct of elections as elaborated at item 2 above till completion of elections. In the cases of all other Government servants, no leave of any kind should be sanctioned with immediate effect, till completion of elections. In emergent and unavoidable cases, short leave may be sanctioned with the prior concurence of the Cellector concerned. For period after the poll is held, Collectors will accord their concurrance only after they have ensured that all duties connected with the elecfions have been duly and satisfactorily discharged by the official concerned.

5. Cases relating to the filling up of vacant posts of promotions may be sympathctically considered in accordance not be

issued/made effective from twenty days earlier to the poll date date and ten days after the poll date.

6 This order will also be applicable on the officers/employees of the State undertakings departments. The order will be effective from the date the order is issued and it should be strictly followed.

Sd/-

(GOVIND JEE MISRA)

Chief Secretary)

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 166 की सूची

जिलेवार एच. आई. वी. संक्रमित रोगियों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	रोगियों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	23
2.	अलवर	—
3.	बांसवाड़ा	1
4.	बाड़मेर	3
5.	बांरा	—
6.	भीलवाड़ा	—
7.	भरतपुर	—
8.	बीकानेर	2
9.	बूंदी	2
10.	चित्तौड़गढ़	—
11.	चुरू	2
12.	दौसा	1
13.	धौलपुर	—
14.	श्रीगंगानगर	3
15.	जयपुर	79
16.	जैसलमेर	1
17.	जालौर	2
18.	झालावाड़	—

1	2	3
19.	झुन्झुनूं	—
20.	जोधपुर	41
21.	कोटा	3
22.	नागौर	3
23.	पाली	7
24.	राजसमन्द	—
25.	सवाईमाधोपुर	3
26.	सीकर	2
27.	सिरोही	1
28.	टोंक	1
29.	उदयपुर	9
	विदेशी	11
	अन्य राज्यों	20
	कुल योग	222

7 सूत्रीय कार्यक्रम

1. प्रोग्राम मेनेजमेंट :—1. एड्स नियन्त्रण प्रकोष्ठ की स्थापना निदेशालय में 19 मई, 92 से की गई।

2 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सक्षम समिति का गठन।

3. स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति का गठन।

4. प्राचार्य एवं नियंत्रक प्रत्येक मेडिकल कालेज की अध्यक्षता में जोनल तकनीकी सलाहकार समिति का गठन।

5. जिलाधीश की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में जिला सलाहकार समिति का गठन।

2. सर्वेक्षण एवं रिसर्च :—माइक्रोबॉयलोजी विभाग एस. एम. एस. मेडिकल कालेज में सर्वेलेन्स सेन्टर की स्थापना।

3. रक्त सुरक्षा :—इस कार्यक्रम के तहत् प्रत्येक मेडिकल कालेज में जोनल बल्ड टेस्टिंग सेन्टर की स्थापना व जिला चिकित्सालयों में प्रत्येक रक्तदाता के रक्त का एच. आई. वी. परीक्षण किया जाए।

4. आई. ई. सी. :—आम नागरिकों में एच. आई. वी. संक्रमण व एड्स रोग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में बचाव हेतु इसमें जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना संचार व शिक्षा के माध्यम से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

5. यौन रोग नियंत्रण :—राज्य के प्रत्येक मेडिकल कालेज व जिला अस्पतालों में चर्म एवं रति रोग विभागों में यौन रोगों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा साज समान व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

6. कन्डोम प्रोग्राम :—यौन सम्बन्धों में एड्स रोग के फैलाव के नियंत्रण हेतु विशेष चिकिनाई युक्त निरोध का मुफ्त वितरण परिवार कल्याण विभाग व चर्म एवं रति रोग विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

7. काउन्सिलिंग :—सर्वेलेन्स सेन्टर द्वारा स्थापित एच. आई वी. संक्रमण के मरीजों को उचित सलाह रोग नियंत्रण हेतु देने के लिए काउंसिलिंग सेन्टर इस वर्ष स्थापित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 174 की सूची

उदयपुर संभाग के किराये के भवन में संचालित राजकीय छात्रावासों की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	नाम छात्रावास	बालक/कन्या
1	2	3	4
1.	डूंगरपुर	1. राजकीय छात्रावास बनकोडा	बालक
		2. ,, ,, बासोर	बालक
		3. ,, ,, कुआ	बालक
		4. ,, ,, चीखली	बालक
		5. ,, ,, डूंगरपुर	बालक
		6. ,, ,, कुचीयावाड़ा	कन्या
		7. ,, ,, बोकलापाल	बालक
		8. ,, ,, चिखली	कन्या
		9. ,, ,, बिछीवाड़ा	कन्या
		10. ,, ,, विकासनगर	बालक
		11. ,, ,, सिमलवाड़ा	बालक
		12. राजकीय छात्रावास सरोदा	बालक
		13. ,, ,, गैंजी	बालक
		14. ,, ,, ओवरी	बालक
		15. ,, ,, डूंगरपुर	कन्या
		16. ,, ,, पीठ	बालक

1	2	3	4
		17. राजकीय छात्रावास रास्तापाल	बालक
		18. ,, ,, ठाकड़ा	बालक
		19. ,, ,, पूंजपुर	बालक
		20. ,, ,, फलोज	बालक
		21. राजकीय छात्रावास रामगढ़	बालक
		22. ,, ,, पाडवा	बालक
		23. ,, ,, मीलुड़ा	बालक
		24. ,, ,, भल्लाप	बालक
		25. ,, ,, गंधवापाल	बालक
		26. ,, ,, भासपुर	बालक
		27. ,, ,, चुण्डवाड़ा	बालक
		28. ,, ,, गामड़ीग्राड़ा	बालक
		29. ,, ,, निठाऊग्रा	बालक
2.	बांसवाड़ा	1. राजकीय छात्रावास पीपलखूद	बालक
		2. ,, ,, गढी	बालक
		3. ,, ,, सरेड़ीबड़ी	बालक
		4. ,, ,, बडीसरवा	बालक
		5. ,, ,, छींछ	बालक
		6. राजकीय छात्रावास बडोदिया	बालक
		7. ,, ,, दानपुर	बालक
3.	उदयपुर	1. राजकीय छात्रावास छापी	बालक
		2. ,, ,, भवराना	बालक
		3. ,, ,, धरियावद	बालक

1	2	3	4
		4. राजकीय छात्रावास गोगुन्दा	बालक
		5. ,, ,, श्रोगपा	बालक
		6. ,, ,, भिण्डर	बालक
		7. ,, ,, शलारा	बालक
		8. ,, ,, परसाद	बालक
		9. ,, ,, पारलोला	बालक
		10. राजकीय छात्रावास कुराबड	बालक
		11. ,, ,, मावली	बालक
		12. ,, ,, सलूम्बर	बालक
		13. ,, ,, झाड़ोल	बालक
		14. ,, ,, झेड़	बालक
		15. राजकीय छात्रावास पा. मादड़ी	बालक
		16. ,, ,, मदार	बालक
		17. ,, ,, खेमपुरा	बालक
		18. ,, ,, मल्लातलाई	बालक
		19. ,, ,, वल्लभनगर	बालक
		20. ,, ,, जवासा	बालक
		21. राजकीय छात्रावास सनवाड़	बालक
		22. ,, ,, बारापाल	बालक
		23. ,, ,, झाडोल	बालक
		24. ,, ,, पतासिया	बालक

1	2	3	4
4.	चित्तौड़	1. राजकीय छात्रावास गादोला	बालक
		2. ,, ,, कुलथाना	बालक
		3. ,, ,, छोटी सादड़ी	बालक
		4. ,, ,, बेंगू	बालक
		5. ,, ,, बेंगू	कन्या
		6. राजकीय छात्रावास रावतभाटा	बालक
		7. ,, ,, रश्मी	बालक
		8. ,, ,, निम्बाहेड़ा	बालक
		9. ,, ,, डूंगला	बालक
5.	राजसमंद	1. राजकीय छात्रावास नाथद्वारा	बालक
		2. ,, ,, रेलमगरा	बालक
		3. ,, ,, आमेठ	बालक
		4. ,, ,, देवगढ़	बालक
		5. ,, ,, राजसमंद	बालक
		6. राजकीय छात्रावास राजसमंद	बालक
		7. ,, ,, राजसमंद	कन्या
		8. ,, ,, खमनोर	बालक

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 179 की सूचियां

उदयपुर जिले में श्रेणीवार पशु चिकित्सा संस्थाओं की सूची

बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, उदयपुर (1)

1	2	1	2
	पशु चिकित्सालय (41)		
1.	धरियावद	18.	ऋषभदेव
2.	लसाड़िया	19.	करावड़ा
3.	पारसोला	20.	कोटड़ा
4.	केशरियावाद	21.	नामेर
5.	बड़गांव	22.	मालवा का चोरा
6.	कृषि उपज मंडी	23.	सलुम्बर
7.	नाई	24.	गीगला
8.	टी. डी.	25.	सराड़ा
9.	कुरावडा	26.	परसाद
10.	साकरोदा	27.	झाड़ोल (स)
11.	गोगुन्दा	28.	हिरणमगरी
12.	बखरून्दा	29.	कनबई (वलीचा)
13.	सायरा	30.	मावली
14.	झाड़ोल (फ)	31.	फतेहनगर
15.	फलासिया	32.	घासा
16.	बाघपुरा सादड़ी	33.	वल्लभ नगर
17.	खैरवाड़ा	34.	कानोड़

1	2	1	2
35.	भिन्डर	39.	गुडाव (जगत)
36.	वाठरडाकला	40.	कुण्डई
37.	खेरोंदा	41.	लूणदा
38.	मेनार		

पशु औषधालय (17)

1. लखावली
2. पूला
3. मोरवल
4. गोड़ाना
5. कल्याणपुर
6. जोगीवड़
7. मनुराना
8. खेराड़
9. भलारा
10. जावद
11. सेनारी
12. वीरगोलिया
13. मोडी
14. पाणुद
15. बड़गांव (मां)
16. फलीचड़ा
17. कलवाणा

उदयपुर जिले में पशुधन

पशु गणना 1988 के अनुसार

क्र.सं.	तहसील	गौवंश	भैंस वंश	भेड़ वंश	बकरी वंश	घोड़ा/टट्टू	खच्चर	गधे	उष्ट्र वंश	शूकर वंश	कुल पशुधन	कुक्कुट
1.	गिर्वा	111526	45132	17538	112236	342	9	1581	2848	11	291223	62971
2.	वल्लभगढ़	87642	43054	32827	70149	216	66	694	466	—	235114	4872
3.	मावली	71496	38248	24507	68839	111	—	240	1747	64	205252	25239
4.	सलूम्बर	96803	36676	47673	71557	182	—	1164	305	—	254360	18958
5.	गोगुन्दा	43421	24583	8548	31084	104	—	452	420	—	108612	3604
6.	झाड़ोल	56346	21914	7474	65763	106	3	299	192	—	152097	22353
7.	खैरवाड़ा	57678	24587	22470	68439	29	—	460	427	2	174092	36352
8.	कोटड़ा	30962	8397	3584	51392	66	—	154	365	—	94920	24613
9.	घरियावाद	108405	26620	41705	67727	144	1	672	97	95	245421	28228
10.	सराड़ा	83959	32774	39899	84256	164	—	765	3869	—	245686	16344
	योग :—	748238	301985	246225	691442	1464	79	6436	10736	172	2006777	243534

शुद्धि-पत्र

क्र.सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	186	7	स्वतन्त्रा	स्वतन्त्रता
2.	190	25	पत्रा	पत्रादि
3.	205	फोलियो	माच	मार्च